राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का इकतालीसवां दिवस [संख्या: 19

बुधवार,

04 मार्च 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

अलवर की निजी कम्पनियों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की कार्ययोजना

295. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराणा व घिलोठ मे निजी कम्पनियां स्थापित हैं? यदि हां, तो क्या उक्त में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्थानों पर स्थापित कम्पनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश व गुजरात प्रदेश में निजी कम्पनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है? क्या सरकार इसी तर्ज पर उक्त में भी 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर कस्बे के नीमराणा व घिलोठ में निजी कम्पनियां स्थापित हैं। यद्यपि वर्तमान में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में स्थानीय व्यक्तियों को उद्योगों में रोजगार दिये जाने के नियम प्रावधित नहीं हैं तथापि नये स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को योजनान्तर्गत रोजगार को बढ़ावा दिये

(उद्योग मंत्री)

जाने के संबंध में क्लाज 4.1 (ii) के अन्तर्गत श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का 50 प्रतिशत पुनर्भरण सात वर्षों के लिये किये जाने का प्रावधान अंकित है जबकि यदि उद्यम में कार्यरत समस्त श्रमिकों में से 75 प्रतिशत या अधिक राजस्थान राज्य के डोमिसाइल्ड व्यक्ति हैं तो उक्त पुनर्भरण 75 प्रतिशत तक देय है।

(2) जी हां। युवाओं को रोजगार देने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.12.2019 को जारी की गयी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में क्लाज 4.1 (ii) के अन्तर्गत श्रमिकों के ईपीएफ/ ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का 50 प्रतिशत पुनर्भरण सात वर्षों के लिये किये जाने का प्रावधान अंकित किया गया है जबकि यदि उद्यम में कार्यरत समस्त श्रमिकों में से 75 प्रतिशत या अधिक राजस्थान राज्य के डोमिसाइल्ड व्यक्ति हैं तो उक्त पुनर्भरण 75 प्रतिशत तक देय है।

(3) अन्य राज्यों द्वारा उद्योगों में 75 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिये जाने की आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने संबंधी कोई योजना अभी विचाराधीन/प्रक्रिया में नहीं है।

राज्य में उद्योगों द्वारा कुशल-अकुशल श्रमिकों की आवश्यकतानुसार, स्थानीय युवाओं में आवश्यक कौशल की उपलब्धता तथा स्थानीय लोगों के रुझान के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य के स्थानीय लोगों को उद्योगों की मांग के आधार पर कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु सक्षम बनाया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजगार हेतु उपयुक्त व उद्योगों की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध होने पर वे स्वत: ही उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाते हैं।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लागू होने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में मुण्डावर के कितने युवाओं को रोजगार मिला? उन उद्योगों का क्या होगा जो इस योजना से पहले ही स्थापित हो गये थे? क्या सरकार उन उद्योगों में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने का विचार रखती है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को सवाल के जवाब में बताया कि हमने अभी 17.12.2019 को नयी रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की है और इसके बाद हम नये उद्योगों में जिस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, वह बताया है। कुल संख्या के आधे जहां मजदूर होंगे उनको हम 50 परसेंट तक ईपीएफ और ईएसआई जमा करायेंगे, जहां 75 परसेंट लोकल लोग होंगे कारखानों में, वहां पर हम 75 परसेंट सात वर्ष तक नियोक्ता को निश्चित रूप से ईएसआई का अंशदान देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की भी मंशा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और इस तरह का कोई कानून राजस्थान में नहीं है कि उनको प्रतिबंधित किया जाए कि स्थानीय लोगों को लगायें। हम उद्योग संघों से बात करेंगे, उनसे बात भी हुई है। उद्योग संघों से बात करके, उद्योगपतियों से बात करके सरकार की भी पूरी मंशा है, इस प्रोत्साहन योजना को लाने का अर्थ यही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए इसीलिये हम इस योजना को लेकर आये हैं। स्थानीय संघों से बात करेंगे। निश्चित रूप से सरकार का भी मन है कि स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कह तो रहे हैं कि यह योजना लागू कर दी पर आज भी प्रदेश का युवा उन फैक्ट्रियों में नौकरी मांगने जाता है तो गेट पर गार्ड उसका कागज देखता है और देखता है कि वह मुण्डावर, अलवर या राजस्थान से है तो कागज फेंक देता है और कह देता है कि आपको यहां पर नौकरी नहीं मिलेगी। मैं जानना चाहूंगा कि यह योजना लागू होने के बाद भी ये हालात प्रदेश में बने हुए हैं, उद्योगों में बने हुए हैं तो आप कोई नीति में बदलाव करके यहां के आदमी को, यहां के युवाओं को रोजगार दिलाने का विचार रखते हैं क्या? आने वाले समय में ऐसी कोई नीति लाने का विचार रखते हैं?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सरकार की मंशा मैं बता चुका कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना ही चाहिये। हमारा जो उद्देश्य है कि उद्योगपतियों को लायें, इतना बड़ा मुख्य मंत्रीजी ने पैकेज दिया है उद्योग प्रोत्साहन नीति में, उसकी नीति बनायी है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। उसके लिये हम निश्चित रूप से उद्योग संघों की विधान सभा सत्र के बाद में एक मीटिंग बुलाकर सारे संघों से बात करके, हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आपको स्थानीय को लगाना

(श्री परसादी लाल)

ही लगाना पड़ेगा पर उनसे सरकार की ओर से बातचीत करेंगे और हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। सत्र के बाद मीटिंग बुलाकर करेंगे। सभी माननीय सदस्यों से भी चाहेंगे कि वे स्थानीय स्तर पर इसमें सहयोग करें। सरकार की जो नीति है, वह गत दिसम्बर में ही जारी की है। कम्पनियां भी सरकार की नीति के अनुरूप कार्य करेंगी। इससे आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने में सहायता मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

रेवदर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नवीन छात्रावास खोलने की कार्ययोजना

296. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मण्डार, दत्ताणी व भट्टाणा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या अधिक है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दत्ताणी, भट्टाणा, मण्डार में नवीन छात्रावास खोलने एवं रेवदर मुख्यालय पर पूर्व से संचालित छात्रावास में छात्र-छात्राओं की क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मण्डार, दत्ताणी व भट्टाणा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। रेवदर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दत्ताणी, भट्टाणा, मण्डार में नवीन छात्रावास खोलने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है एवं रेवदर मुख्यालय पर पहले से विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में 25 विद्यार्थियों की स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध 20 विद्यार्थी प्रवेशित हैं, अतः छात्र-छात्राओं की क्षमता बढ़ाने की वर्तमान में सरकार की कोई मंशा नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बिन्दु संख्या-1 में बताया है कि जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मण्डार,

(श्री जगसी राम)
दत्ताणी व भट्टाणा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या तुलनात्मक अधिक बतायी है। लेकिन बिन्दु संख्या 2 में, जी नहीं। मैंने छात्रावास खोलने के लिये मंत्रीजी से आग्रह किया था लेकिन इन्होंने सरासर मना किया और छात्रावास जो संचालित है उसमें 25 में से 20 की संख्या बतायी है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आपने जो 1798 एससी के और 827 एससी के बताये हैं। तुलनात्मक देखें तो रेवदर विधान सभा क्षेत्र में ...

श्री अध्यक्ष: केवल प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं मंत्रीजी से यही जानना चाहूंगा कि आपने इसीलिये 25 में से 20 छात्रावासों में छात्र अध्ययनरत हैं क्योंकि वहां पर ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केवल प्रश्न पूछें, अन्यथा मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। (व्यवधान) प्रश्न पूछिये न आप।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यही पूछ रहा हूं कि आप आने वाले समय में नये छात्रावास खोलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही खण्ड 2 में कह दिया कि जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) अगला प्रश्न। आई विल नोट अलाउ, प्लीज। अगला प्रश्न, श्री संदीप शर्मा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो सूची दी है उसमें कुल 3587 बच्चे इस एरिये में इस श्रेणी के पढ़ते हैं। उसमें से 1798 तो एससी के हैं और 800 लगभग एसटी के, 3500 में से 2500 बच्चे इस सेक्शन के हैं ट्राइबल और दोनों के। क्या इन 20 से इस एरिये के इस तरह के बच्चों की पूर्ति हो जायेगी? यहां छात्रावासों का हॉस्टल वार्डन कब-कब है और कब-कब नहीं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो पूछा ही नहीं गया कि ये छात्रावासों के वार्डन कब-कब से हैं? लेकिन जहां तक 25 का सवाल है, 25 बच्चों की जगह 20 बच्चे अध्ययनरत हैं। पांच तो खाली ही पड़े हैं, वहां पर आजकल क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, बैठो आप। अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

कोटा में न्यू मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में मरीजों को देय सुविधाएं

297. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा के न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल के द्वितीय तल का निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लाक का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में मरीजों को कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सुपर स्पेशलिटी में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के कुल कितने पद सृजित किये गये हैं तथा उनमें से कितने पदों पर चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को लगा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) कोटा के न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल के द्वितीय तल के निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 29.39 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 08.06.2017 को जारी की गयी। उपरोक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। इस कार्य हेतु वर्षवार उपलब्ध बजट एवं व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**स्वीकृत बजट (राशि रुपयों में)**	**व्यय की गयी राशि (राशि रुपयों में)**
1	2017-18	4 करोड़	शून्य
2	2018-19	12 करोड़	4.98 करोड़
3	2019-20	9 करोड़	5.5 करोड़ वित्त वर्ष में अब तक व्यय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

राज्य सरकार की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 08.06.2017 के एक वर्ष उपरांत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य का कार्यादेश दिनांक 18.06.2018 को दिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 5.5 करोड़ रुपये व्यय किये गये। कार्य वर्तमान में जारी है, जिसमें शेष उपलब्ध बजट राशि का उपयोग किया जायेगा। कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 26.06.2020 है।

आज दिनांक तक 45 प्रतिशत सिविल कार्य एवं 15 प्रतिशत विद्युत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाया जायेगा। इस हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान भी बजट में कर लिया गया है।

(2) मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लाक का सिविल निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह सुपर स्पेशलिटी ब्लाक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत कुल 150 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की 20 प्रतिशत हिस्सा राशि है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में कार्यकारी एजेन्सी का निर्धारण सामान्यत: राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु सुपर स्पेशलिटी ब्लाक के कोटा वाले निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा अपने स्तर से कार्यकारी एजेन्सी हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेन्सी कारपोरेशन को नियुक्त किया गया एवं उपकरणों के क्रय के लिये कार्यकारी एजेन्सी एचएलएल इन्फ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड को नियुक्त किया गया। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कुल क्रय किये जाने वाले 98 उपकरणों में से अब तक 56 उपकरण सप्लाई किये गये हैं। समस्त उपकरण प्राप्त होकर स्थापित होने के उपरांत सुपर स्पेशलिटी ब्लाक को पूर्ण रूप से चालू किया जायेगा।

(3) सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में मरीजों को निम्न 9 विभागों की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएंगी:-

1. न्यूरोलॉजी 2. न्यूरो-सर्जरी 3. यूरोलॉजी 4. शिशु सर्जरी 5. कार्डियोलॉजी 6. गैस्ट्रो-एन्ट्रोलॉजी 7. कार्डियोथोरोसिक सर्जरी 8. नेफ्रोलॉजी 9. प्लास्टिक सर्जरी।

(4) उक्त सुपर स्पेशलिटी ब्लाक हेतु कुल स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षक चिकित्सकों के पदों की स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

मेडिकल कालेज कोटा में स्वीकृत सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सक शिक्षकों की पद संख्या-28 है, जिसके विरुद्ध 12 कार्यरत हैं। सुपर स्पेशलिटी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

ब्लाक का निर्माण एवं उपकरणों को क्रय कर स्थापित कर कार्यकारी एजेन्सी द्वारा मेडिकल कालेज कोटा को संभलाने पर सम्बन्धित पदों को भरे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सुपर स्पेशलिटी ब्लाक हेतु नर्सिंग कर्मियों के पद अलग से स्वीकृत नहीं हैं। मेडिकल कालेज हेतु स्वीकृत नर्सिंग कर्मियों के पदों में से ही आवश्यकतानुसार सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बिन्दु संख्या 4 की जानकारी चाहूंगा। आपके अनुसार सुपर स्पेशिलिटी ब्लाक में 28 परम विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं। मैं जानना चाहूंगा कि शेष 16 चिकित्सकों की आप कब तक नियुक्ति कर देंगे और इस सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में जैसा आप बता रहे हैं, वहां आवश्यकता पड़ेगी यूटीबी के नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ, प्रशासनिक स्टाफ की। वहां के मेडिकल कालेज जो अभी हैं, उसमें वर्तमान में काम नहीं चल सकेगा। अत: क्या आप इसके लिए और पद स्वीकृत करने के प्रयास करेंगे? सुपर स्पेशलिटी ब्लाक, जिसकी 20 प्रतिशत की जिम्मेदारी हमारी राजस्थान सरकार की है, मैं जानना चाहता हूं, राज्य सरकार ने अपने हिस्से की 20 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवा दी है क्या और इस सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में जो फायर एनओसी मिलनी चाहिए...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको प्रश्न पूछना है क्या?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हां साहब, वही पूछ रहा हूं। फायर एनओसी जारी नहीं हुई, इसे कब तक आप जारी करवा देंगे?

श्री अध्यक्ष: फिर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर भी आप साथ दे रहे हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इसके लिए जो सम्बन्धित उत्तरदायी एजेंसी है, उस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुपर स्पेशलिटी का जो स्टाफ है, जो डाक्टर्स हैं, उनकी भर्ती की बात की है। अभी तो यह कार्य प्रोसेस में चल रहा है। अभी अगर हम उन्हें लगा भी देंगे तो वहां काम तो कुछ नहीं है, जब तक कि यह वर्किंग

(श्री रघु शर्मा)

कंडीशन में नहीं आता है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भर्ती की हमारी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और उसमें सुपर स्पेशलिटी के डाक्टर्स की भी भर्ती होगी। जैसे ही यह अस्पताल संचालित हो जाएगा, हम वहां पर जो भी रिक्वायर्ड डाक्टर्स हैं, उनकी नियुक्ति कर देंगे।

साथ ही, आपने पूछा राजस्थान सरकार के 20 प्रतिशत हिस्से के बारे में, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें 150 करोड़ रुपये में से 120 करोड़ रुपये भारत सरकार को देने थे और 30 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को देने थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार 15 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। 10 करोड़ रुपये हम इसी 31 मार्च से पहले जारी कर देंगे और जो बचे हुए 5 करोड़ हैं, उन्हें इस बजट के पास होने के बाद जारी कर देंगे। किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी हम इसे शुरू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। क्या कर रहे हैं आप। समझना नहीं चाहते क्या? आपके लीडर खड़े हैं, आप बैठें प्लीज। गलत तरीका है यह। बैठें आप। लीडर खड़े हैं, फिर भी आप खड़े हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): केंद्र के सहयोग से सुपर स्पेशलिटी ब्लाक 4 मेडिकल कालेज में बना है। आप जो सूची दे रहे हैं, उसमें से 9 तरह के इसमें इलाज होंगे। उन 9 में से आज 7 में आपके जो वरिष्ठ डाक्टर्स हैं, उनके पद रिक्त हैं। केवल यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी, दो में आज की तारीख में काम कर रहे हैं। आपका 6 जून तक यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। जिस आधार पर हमें यह मिला, क्या उसकी पूर्ति हम समय पर कर पाएंगे या इसके कारण हमें राजस्थान में कोई नुकसान होगा?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता महोदय को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भर्ती की प्रक्रिया अभी चालू है और जिन सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की कमी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस भर्ती के प्रोसेस में ही वे

(श्री रघु शर्मा)

लोग शामिल हैं। जो समयावधि आप बता रहे हैं इनके कमप्लीट होने की, उससे पहले-पहले यह भर्ती हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए कि ये सुपर स्पेशलिटी ब्लाक जब शुरू होंगे, उससे पहले हम सुपर स्पेशलिटी के डाक्टर्स की नियुक्ति कर देंगे।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बिन्दु संख्या 1...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। नहीं, लीडर के बाद not allowed. प्लीज बैठें। लीडर के बाद भी आप बोलेंगे? बैठें प्लीज।

अगला प्रश्न, श्री हरीश चन्द्र मीना।

टोंक में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित ग्राम पंचायतें

298. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला टोंक में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त वंचित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) टोंक जिले में कुल 195 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) टोंक जिले में 41 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नयी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मंत्री महोदय ने जो जवाब

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

दिया, वह मैंने पढ़ा। एक तो जवाब तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिखाया गया है कि उनियारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कचरावता में ग्राम सेवा सहकारी समिति चालू है, जबकि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। आप तस्दीक कर लीजिए, यह बंद है। एक तो मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया। मेरे यहां 76 ग्राम पंचायत हैं...

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, प्रश्न पूछें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): हां, प्रश्न ही पूछ रहा हूं सर। मेरे यहां 76 ग्राम पंचायतों में से 20 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालित नहीं है। मंत्री जी ने कहा है, 'जी हां। 41 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है'। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि अगर आप सहकारी समिति खोलना चाहते हैं तो कोई समय-सीमा निश्चित करें कि कब तक आप खोलेंगे। दूसरा, टोंक जिले में जो लोन मिल रहा है, उसकी सीमा 24 हजार कर दी है, जबकि हमारे पड़ोसी जिले अजमेर में...

श्री अध्यक्ष: Irrelevent question. रिलेवेंट प्रश्न पूछें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): वहां डेढ़ लाख रुपये का लोन दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: उससे कोई सम्बन्ध नहीं है इस प्रश्न का। प्रश्न पूछ रहे हैं और उस प्रश्न की सीमा से बाहर जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जो सूचना माननीय सदस्य को दी गयी है, अगर उसमें कोई त्रुटि है और आप बताएंगे तो नि:संदेह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिन्होंने यहां गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने जिले का पूछा है तो जिले का आपको विवरण दे दिया है। आपके विधान सभा क्षेत्र में जो भी समितियां गठित होने के लिए आएंगी, उन्हें विधिवत तरीके से मापदण्ड पूरा करने पर गठित कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अविनाश।

पाली में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को ऋण एवं सहायता

299. श्री अविनाश (जैतारण): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अविनाश)

(1) जिला पाली में वर्तमान व विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष अध्ययन एवं अन्य योजनाओं में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग के कितने विद्यार्थियों को कितनी सहायता दी गयी एवं उक्त समुदायों के कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को वर्तमान व विगत तीन वर्षों में दिये गये ऋण एवं सहायता से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मदरसों की तरह ही अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना करने एवं उन्हें सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) पाली जिले में वर्तमान व विगत तीन वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20) में छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष अध्ययन एवं अन्य योजनाओं में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग के 755 विद्यार्थियों को 1 करोड़ 4 लाख 98 हजार रुपये की सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया गया। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के 4776 व्यक्तियों को वर्तमान व विगत तीन वर्षों में 44 करोड़ 24 लाख 26 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए किसी विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना नहीं की जाती है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा संचालित IDMI एवं मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा सहायता अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों को शैक्षणिक संबलन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति

(श्री अविनाश)

से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो खण्ड-1 में उत्तर दिया कि पाली जिले में वर्तमान व विगत 3 वर्षों में छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष अध्ययन एवं अन्य योजनाओं में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग के 755 विद्यार्थियों को 1 करोड़ 04 लाख 98 हजार रुपये की सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने बताया तो पहले यह बतायें कि अल्पसंख्यक वर्ग के अन्दर कौन-कौन सम्मिलित होते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री अविनाश (जैतारण): यह जो आपने 755 विद्यार्थी बताये, इनमें से जैतारण विधान सभा के कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया और इनमें से मुस्लिम समुदाय के कितने हैं और अन्य समुदाय के कितने हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले की जैतारण विधान सभा क्षेत्र में तो शून्य लोगों ने किया है और पाली जिले के अन्दर 14 संगठनों ने इसके अन्दर अपना नामांकन करवाया था लाभान्वित होने के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि आपने 755 लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या बताई, उसमें मुस्लिम समुदाय के कितने हैं और अन्य समुदाय के कितने हैं? क्योंकि सारे ही अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं और अल्पसंख्यक वर्ग में कितने हैं, वह बताये हैं।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह सवाल पूछ रहे हैं कि 755 विद्यार्थियों में से बाइफरकेशन करके बताएं तो यह सूची मैं इनको शीघ्र उपलब्ध करा दूंगी, जो यह मांग रहे हैं। वैसे अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप में एक संगठित समुदाय है और इसके अन्दर छह संगठित वर्ग हैं, छह समुदाय आते हैं तो सभी को लाभान्वित करने की प्राथमिकता है। उसमें विशेष तौर से किसी समुदाय विशेष की बात करना नहीं है, हम सभी को लाभान्वित करना चाहते हैं चाहे उसमें अल्पसंख्यक हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो।

प्रश्न संख्या 300

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, कैलाश चन्द्र जी मेघवाल।

(अनुपस्थित:कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न, श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा के एकलव्य रेजीडेंशल मॉडल स्कूल में छात्रावास का निर्माण

301. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के एकलव्य मॉडल रेजीडेंसियल स्कूल, गोगुन्दा में छात्र तथा छात्राओं हेतु पृथक्-पृथक् छात्रावास बनाये जाने थे? यदि हां तो छात्रों हेतु पृथक छात्रावास कब तक बना दिया जायेगा?

(2) उक्त विद्यालय में उक्त के लिए छात्रावास नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1105/16 (20)/2014-एसजी-1 नई दिल्ली दिनांक 13-01-2015 द्वारा ई.एम.आर.एस. गोगुन्दा की स्वीकृति जारी की गई। (परिशिष्ट-'अ')

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ई.एम.आर.एस. के दिशा-निर्देशानुसार कुल क्षमता 480 जिसमें 240 छात्र एवं 240 छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना था, परन्तु भारत सरकार द्वारा राशि 12.00 करोड़ उपलब्ध करवाई गई।

भारत सरकार की स्वीकृति के क्रम में आयुक्तालय के पत्रांक 33720-33 दिनांक 16-12-2015 द्वारा राशि रुपये 1200.00 लाख की वित्तीय स्वीक़ृति जारी की गई (परिशिष्ट-ब)। स्वीकृति अन्तर्गत विद्यालय कन्या छात्रावास (क्षमता 240), प्रिंसिपल क्वार्टर, लेक्चरर क्वार्टर (4), बाउण्डीवाल मय फेन्सिंग, चौकीदार क्वार्टर (2), अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक, पम्प हाउस, रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टयूबवैल (2), आन्तरिक सडकें भूमि समतलीकरण, किचन, डायनिंग हाल का निर्माण किया गया।

छात्रों हेतु अलग से छात्रावास राशि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति किया जायेगा ।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय को ई.एम.आर.एस. की इकाई लागत 12.00 करोड़ उपलब्ध करवाई जिससे एक कन्या छात्रावास का निर्माण किया गया। राशि के अभाव में बालक छात्रावास का निर्माण नहीं किया गया।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि इस आवासीय विद्यालय के लिए 12 करोड़ रुपये की स्वीकृति पूर्व में हुई और 12 करोड़ रुपये का निर्माण का काम पूरा हो गया। बालकों के लिए जो छात्रावास की आवश्यकता है उसके लिए राशि की और आवश्यकता है तथा यह सारी राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है। क्या आपने, आपके विभाग के द्वारा भारत सरकार के साथ ऐसी कोई कार्यवाही की गई और यदि कोई ऐसी कार्यवाही की गई तो उसका क्या जवाब मिला?

दूसरा, यदि भारत सरकार से यह राशि प्राप्त नहीं होती है तो राज्य सरकार के बजट से इस छात्रावास का निर्माण करवाएंगे?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग द्वारा समय-समय पर भारत सरकार से सम्पर्क किया गया। उसके बावजूद मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में इस बालक छात्रावास का काम आरम्भ कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं सप्लीमेंट कर लेता हूं। इसमें 26 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। प्रथम किश्त 12 करोड़ रिलीज हुई है और यह स्वीकृति हुई है 2015 में। 2015 के बाद सैकण्ड किश्त लाने के लिए अपने कोई प्रयास हुए क्या?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): हमने भारत सरकार को पत्र भी लिखे हैं, उसके अलावा हमने व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया है। उसके बावजूद भारत सरकार ने उस राशि को देने की अनुमति नहीं दी है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार से राशि आये चाहे नहीं आये, हम उस बालक छात्रावास का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा उसके लिए तो आपको धन्यवाद। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि आपने इस राशि को लेने के लिए पहला पत्र कब लिखा और उसके एवज में केन्द्र सरकार ने आपको कोई रिप्लाई किया या नहीं किया और उसके बाद आपने क्या किया?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी। प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): इसके

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

प्रावधानों में 2015 में आपकी सरकार द्वारा पर्ची लिखी गई, 2019 में भी लिखी गई और ये पत्र आपको उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, संदीप कुमार।

तिजारा में रसायनयुक्त गंदा पानी छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही

302. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा रिहायशी एवं कृषि भूमि में ग्राम थड़ा, साहडोद व खुशखेड़ा आदि में रसायनयुक्त गंदा पानी छोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित कर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): विधान सभा क्षेत्र तिजारा में स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों (चौपानकी कहरानी, पथरेडी) द्वारा यदा-कदा छोड़ा गया औद्योगिक उच्छिष्ठ, घरेलू जल मल एवं बरसाती पानी का भराव ग्राम साहडोद में कुछ भूमि में कृषि एवं रिहायशी क्षेत्र में है। ग्राम थडा व खुशखेड़ा में रिहायशी व कृषि भूमि में अपरिशोधित जल का भराव नहीं है। उक्त तीनों औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उच्छिष्ठ के शून्य निस्त्राव (ZLD) की शर्तों की पालना करायी जाती है। रीको से प्राप्त सूचना के अनुसार बरसात के समय पानी की अत्यधिकता एवं प्राकृतिक ढलान के कारण औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले जल के खेतों में या बरसाती नालों में एकत्रित होने की संभावना बनी रहती है।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह क्वेश्चन लग रहा है और आज के दैनिक भास्कर की फ्रंट न्यूज है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगातार पानी भर रहा है और अधिकारी लगातार गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): पिछली बार कहा था कि पानी बिलकुल भी नहीं छोड़ा जा रहा है और इस बार कहा कि यदा-कदा छोड़ा जा रहा है, जबकि

(श्री संदीप कुमार)

पानी वहां लगातार भरा हुआ है। उद्योग मंत्री जी के यहां से जो क्वेश्चन का जवाब आया था, उसमें था कि उन पर कार्यवाही कर दी गई और कोई फैक्ट्रियां पानी नहीं छोड़ रही हैं। आज के अख़बार की फ्रंट न्यूज है कि 400 इकाइयां लगातार पानी छोड़ रही हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): मेरा निवेदन है कि इसका उचित समाधान हो। लगातार तीसरी बार मेरा प्रश्न लगा है। इसका उचित समाधान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या इस समस्या का समाधान करेंगे? जवाब दे दें आप।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, टपूकड़ा, चौपानकी और कहरानी, ये खुशखेड़ा में तीन औद्योगिक इकाइयां आयी हुई हैं। इनमें कुल 904 सदस्य हैं। इनकी सीटीपी बनी हुई है जो 9 एमएलडी की है। साथ ही यह जो ट्रीटेड पानी है यह पानी भिवाड़ी पार्कों में, होण्डा लिमिटेड में, सी-टैक इंडिया में और वृक्षारोपण तथा बागवानी के काम में आ रहा है। साथ ही, भिवाड़ी मैन्यूफैक्चरिंग एसोसियेशन धूल के कारण फव्वारा चलाती है। इसके साथ ही, एक 5 एमएलडी का प्लांट चैपानकी में प्रस्तावित है। इसमें सीवरेज का पानी ज्यादा आता है वो एसटीपी प्रस्तावित है। एसटीपी बनने के बाद ही पानी ट्रीटमेंट होगा, तब जाकर निजात मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती अनिता भदेल।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2019 में प्राप्त आवेदन

303. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री सम्बल योजना 2019 के तहत कितने युवाओं द्वारा आवेदन किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु पात्र माना गया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे बेरोजगार युवा जो स्नातक नहीं हैं, उन्हें भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

(4) प्रदेश में स्नातकोत्तर, स्नातक, शिक्षित, अशिक्षित कुशल एवं अकुशल बेरोजगारों की संख्या कितनी है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुल 3,17,293 स्नातक बेरोजगारों के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2019 के तहत प्राप्त आवेदनों की योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता के आधार पर जांच करने के उपरान्त दिनांक 31.12.2019 तक 2,10,321 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्र माना गया। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। ऐसे बेरोजगार युवा जो स्नातक नहीं हैं, को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार गुणावगुण व बजट की उपलब्धता के आधार पर निर्णय करती है।

(4) प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातकोत्तर, स्नातक शिक्षित बेरोजगार तथा कुशल एवं अकुशल बेरोजगारों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि आपने प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि 3 लाख 17 हजार 293 लोगों ने आवेदन किया। उस आवेदन में से 2 लाख 10 हजार 321 लोग पात्र पाये गये। जो आपने मुझे सूची उपलब्ध कराई है परिशिष्ट 'ब', उस परिशिष्ट 'ब' का जो पैराग्राफ है, उसमें आपने लिखा है कि 1 जनवरी, 2020 तक जिनको आप भत्ता दे रहे हों, वे हैं 1 लाख 59 हजार 728, ठीक है न और जो ये शेष बचे हैं, 50 हजार 593 लोग, जिनकी पात्रता भी है। आपने जांच के उपरांत उनको ठीक भी मान लिया, तो ये 50 हजार लोग हैं, कोई एक-दो लोग नहीं हैं। इसी सत्र की 28 तारीख को एक प्रश्न लगा था। उस प्रश्न के जवाब में आपने कहा कि हमने इस वित्तीय वर्ष में 524 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसी के साथ ही प्रश्न है इसीलिए मैं बोल रही हूं। 524 करोड़ का बजट है, 255 करोड़ रुपये आपने खर्च किये हैं। अभी ये इस फाइनेंशल वर्ष का लास्ट मंथ चल रहा है। फिर भी, 50 हजार 593 जो पात्र हैं, जो आपकी जांच में सही पाये गये हैं। जिस दिन ये पात्र थे, क्या उस दिन से भत्ता देंगे? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न है, आपने यह कहा कि 28 हजार 120 लोग ऐसे हैं जिनकी जांच पूर्ण प्रपत्र में आपके पास आ गई है, जिनकी जांच हो गई है। वे भी सही पाये गये हैं तो ऐसे करके ये 50 हजार और 28 हजार, 78 हजार 721 लोग कुल मिलाकर होते हैं। ये 78 हजार लोग बजट उपलब्धता के बावजूद भी, इनको पात्र मानने के बावजूद भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इसका क्या कारण है? मेरा एक प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इतने प्रश्न पूछ लेंगे कि उत्तर ही नहीं आ पायेगा। आप बैठें। आप सैकण्ड पूछ लेना।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने, पूरी बात सुन लीजिए, 1 लाख हाइएस्ट एक समय पर देने का एक कैप्शन लगा रखा था। हमने उसको बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार एक समय में ले सकते हैं, उसको 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार किया। इसलिए 1 लाख 59 हजार 728 अभी जारी हैं और यह निरंतर प्रोसेस है, जिसमें से जो ओवर-ऐज होते जाते हैं, जिनका दो वर्ष पूरा होता जाता है या जो लोग अपनी आय का प्रमाण पत्र समय पर नहीं देते या जिन्होंने नये कालेज में एडमिशन ले लिया है और वे एजुकेशनरत हो गये हैं, वे बेरोजगार नहीं बचे हैं। वे नाम कटते जाते हैं और ये जो हमारे पैंडिंग नाम हैं, वे इसके अन्दर जुड़ते जाते हैं। हर दिन नये नाम जुड़ते जाते हैं। ये जो पात्र हैं, इन्हें दो साल का बेरोजगारी भत्ता निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन, जैसे-जैसे 1 लाख 60 हजार में से नाम कटते जाएंगे, इनका नाम जुड़ता जाएगा।

इसी प्रकार, जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि 40 हजार जो पूर्व सरकार के दौरान प्राप्त कर रहे थे, उनको हमने इस बार शुरू किया। उनमें से 22

(श्री अशोक)

हजार, जिनका दो साल का समय हो गया है, वे बंद हो चुके हैं। 17 हजार पूर्व के भी चालू हैं, तो इस प्रकार यह एक प्रोसेस है। जिनका तीन कारणों से नाम हटता जाएगा, नये लोगों का नाम जुड़ता जायेगा। इनको निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी। मुझे हां या ना में ही जवाब दे दें। माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने सारी चीजें साफ‍साफ बताई हैं। पूरे प्रदेश को यह मैसेज मिल गया है कि आपने जो जन घोषणा पत्र...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। आप एक्सप्लेन नहीं करें। आप प्रश्न पूछें, आपका प्रश्न क्या है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरा प्रश्न यह है कि जन घोषणा पत्र में ये आपने कहीं नहीं लिखा था कि हम जो हैं..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न पूछें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपने यह लिखा था क्या? चलो, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपने जन घोषणा पत्र में यह सारी कंडीशन लिखते हुए, घोषणा जारी की थी क्या? यह बता दो आप तो।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जन घोषणा पत्र में, साफ-साफ लिखा हुआ था। शिक्षित और जरूरतमंद बेरोजगारों को भत्ता देने का प्रावधान किया जाएगा और ये उसका प्रावधान है। इसके तहत आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब और ज्यादा पूरा देना चाहिए। जब इन्होंने सरकार की मानसिकता के ऊपर सवाल किया है। वे हमारे साथी जो विपक्ष में बैठे हैं, इनको लगता है कि बेरोजगार की बड़ी चिंता है। लेकिन, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि पिछले पांच साल जब आपकी सरकार रही, कुल पांच साल के अंदर 1 लाख 56 हजार 791 बेरोजगारों को ही आप लोग भत्ता दे पाए। इसके मुकाबले हमने 1 लाख 42 हजार 300 कुछ को केवल एक साल में देने का काम किया। आपने पूरे पांच साल मिलाकर मात्र 121 करोड़ 60 लाख रुपये बेरोजगारों को भत्ते के रूप में दिया। हमने 12 महीने के अंदर 287 करोड़ रुपये बेरोजगारों को भत्ते के रूप में देने का काम किया। इस

(श्री अशोक)

वित्तीय वर्ष के अंत होते-होते सवा तीन सौ करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। अगले साल का प्रावधान साढ़े पांच सौ करोड़ का है। पूरे साढ़े पांच सौ करोड़ बेरोजगारी भत्ते में जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को बता देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री खुशवीरसिंह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। एक सैकण्ड..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने 31.12.2019 की जो लिस्ट दी है, उसमें आपने स्वयं ने माना है कि 2 लाख 10 हजार 321 सब प्रकार से आपकी पात्रता की पूर्ति करते हैं तो, अभी दो महीने गुजर जाने के बाद भी, यह जो 1 लाख 59 हजार को दिया। इसका जो डिफरेंस है, उनको देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): जोर से बोलना नहीं चाहिए, यह आज आपने हमको सदन में बताया। इसके लिए आपका विशेष, आप इतने वरिष्ठ हैं। हम इसको निश्चित रूप से सीख के रूप में लेंगे। थोड़ा-थोड़ा फेफड़ों में जान अभी..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैंने अपने प्रश्न में, माननीय सदस्या ने भी यही पूछा था कि जो बाकी बचे हैं, उनको देने में आपको क्या तकलीफ है? बात यह है कि हाइएस्ट कैप्शन 1 लाख 60 हजार का रखा गया है, जो कि आपकी सरकार के समय एक लाख था। इस 1 लाख 60 हजार में से ही, जिनका समय दो साल का पूरा होता है, उनके नाम कटते जाते हैं, बाकी जो पैंडिंग हैं, इनको भी मिलेगा। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, खुशवीरसिंह। आपको पता है, अंत ही नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड, ये जो 1 लाख 60 हजार, यह कोई लिमिट है क्या?

श्री अध्यक्ष: लिमिट बना रखी है सरकार ने। सरकार ने एक लिमिट बना रखी है, उसी लिमिट के अंतर्गत उतने ही मिलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जब लिमिट बना रखी है। आपने कहा, सब बच्चों को मिलेगा तो फिर यह लिमिट कहां से आ गई बीच में?

श्री अध्यक्ष: अभी जो व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। जवाब उसका ये ही है। अगला प्रश्न, श्री खुशवीरसिंह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लिमिट कहां से आ गई?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि यह लिमिट कहां से आ गई।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज। अगला प्रश्न।

पाली में श्रमिक कार्डधारी श्रमिकों को सहायता

304. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा श्रमिक कार्डधारी श्रमिकों को कोई सहायता राशि प्रदान की जाती है? यदि हां, तो किस-किस कार्य में कितनी-कितनी राशि दी जाती है?

(2) जिला पाली में वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2020 तक कितने श्रमिक परिवारों को क्या-क्या सहायता प्रदान की गयी? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लम्बित हैं? क्या सरकार उक्त को सहायता राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) असंगठित क्षेत्र में भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित अथवा निर्माण श्रमिकों हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पाली जिले में वर्ष 2014 से अब तक पंजीकृत हिताधिकारियों को दी गई सहायता राशि का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) पाली जिले में कुल 3,913 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं,

(राज्य मंत्री, श्रम)

जिसमें से शुभशक्ति योजना के 2494 आवेदन लंबित हैं। प्रासंगिक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपकर राशि का प्रयोग अधिनियम की धारा 22 (ए) से (जी) तक उल्लेखित विषयों पर बनाई गई योजनाओं में लाभ अन्य कल्याणकारी योजना की अपेक्षा प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में सीमित फण्ड उपलब्धता तथा संवेदनशीलता की दृष्टि से सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवेदनों को वरीयता देते हुए निस्तारित किया जा रहा है। शुभशक्ति योजना के 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हितलाभ देने का निर्णय लिया गया है।

आवेदन लंबित रहने के मुख्य कारण विभाग में श्रम निरीक्षकों के 188 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 92 तथा अधिकारियों के 83 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 55 पद रिक्त होने तथा दिनांक 31.12.18 से विकास अधिकारियों/ सचिवों द्वारा वांछित रूचि नहीं लिये जाने के कारण अधिकार प्रत्याहारित करने के उपरान्त आवेदन विभाग पर हस्तांतरित होने से लंबित आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है।

प्रासंगिक है कि योजना आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर कुल 5.96 लाख आवेदनों का निस्तारण किया गया है। लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ पद्धति से विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकायल में रखा गया)

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि पाली जिले में 3 लाख और कुछ आवेदन लंबित हैं, उसके लिए दो कारण बताए आपने। एक तो फंड की अनुपलब्धता और दूसरा कार्मिकों की कमी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या फंड की उपलब्धता के लिए जेडीए और अन्य नगर निकायों में प्राइवेट बिल्डर से 1% सैस अनिवार्यता के लिए आपका विभाग कोई इस तरह की कार्यवाही करने का विचार रखता है, जो अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जा सके? और दूसरा विधान सभावार जो आपने मुझे बताया कि इतने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें पाली विधान सभा क्षेत्र में पांच हजार के लगभग और

(श्री खुशवीरसिंह)

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में मात्र 55 लोगों को लाभान्वित किया गया है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के उन श्रमिकों को लाभ दिलाने के लिए कोई कैंप आयोजित कर आप उनको लाभान्वित करने का विचार रखते हैं?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि फंड्स की कमी है और उसको बढ़ाने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं और मुझे सदन को यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष का जो सैस हमने इकट्ठा किया है, वह पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक सैस इस वर्ष हमने इकट्ठा किया है।

दूसरा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके अंदर यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही निर्देश हैं कि यूडीएच विभाग द्वारा जब वहां पर नक्शा पास हो तो उसी समय 1% सैस वहां पर लिया जाए। इसके लिए यूडीएच विभाग को और ग्रामीण विकास को, सीईओ, जिला परिषद् को हमने लिखा है और निश्चित तौर पर हमें यह आशा है कि यूडीएच विभाग जल्दी ही यह निर्णय लेगा और 1% सैस पूर्व में ही उनसे जब नक्शा पास हो, उस समय काटेगा।

दूसरा जो बिल्डर्स पर कार्रवाई करने का जो बताया है, निश्चित तौर पर इसके लिए हमने लगातार अभियान चलाये हैं और शायद पहली बार अब हमारे नोटिस, बिल्डर्स के यहां जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पर गए हैं। इससे पहले तो वहां पर किसी ने नोटिस ही नहीं पहुंचाए हैं।

दूसरा आपने जो कहा है कि आपके यहां पर स्कीम में लाभान्वित बहुत कम हुए हैं तो मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, कि आपके विधान सभा क्षेत्र में स्पेशल कैंप लगाकर श्रमिकों का पंजीयन और योजनाओं का निस्तारण करने के लिए आपके क्षेत्र में स्पेशल कैंप लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की कार्ययोजना

305. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जिला डूंगरपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पूर्व में डूंगरपुर में निजी जन-सहभागिता (पीपीपी) क्षेत्र में संचालित डूंगरपुर कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी में नामांकन कम होने के कारण वर्ष 2018 में संस्था के प्रस्ताव पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संस्था के विद्यार्थियों की सहमति उपरान्त उन्हें प्रदेश के अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किया गया है। (परिशिष्ट-1)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि टीएसपी जनजाति बहुल क्षेत्र है इसमें नामांकन कम होने की वजह से बताया है लेकिन नामांकन कितना है वह नहीं बताया है और उसी के साथ विद्यार्थियों की सहमति से कोटा अभियांत्रिकी महाविद्यालय में स्थानांतरित कर दिए गए हैं तो वह विद्यार्थी कौन से विद्यार्थी थे? यह पूछना चाहूंगा मंत्री जी से।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नामांकन का पूछा नहीं है फिर भी बता देता हूं। वर्तमान में 2019-20 में टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं जिनमें 11 एससी के हैं, 2 एससी के हैं और 23 अदर्स हैं, जिनमें जनरल, ओबीसी, एसबीसी शामिल हैं। ये बांसवाड़ा में हैं और डूंगरपुर में पिछले 3 वर्ष से जीरो नामांकन होने की वजह से एआईसीटीई ने ही उनको स्थानांतरित करने की परमिशन दे दी और मैं बताना चाहूंगा कि पूरे टीएसपी एरिया में 3365 कालेज प्रवेश इनटेक हैं, जिसमें केवल 1170 बच्चे एनरोल्ड हैं, इसलिए अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रफीक खान।

जयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड

306. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर में औद्योगिक क्षेत्रों में कितने-कितने भूखण्ड किस-किस स्थान पर किस-किस दर पर उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नया औद्योगिक क्षेत्र अथवा इकोनोमिक जोन विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): (1) वर्तमान में रीको द्वारा जयपुर में चार इकाई कार्यालयों के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के भूखण्ड आबंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में जयपुर जिले में तहसील मौजमाबाद में ग्राम बिचून में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में जयपुर जिले की तहसील चाकसू में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक भूखंडों की नीलामी की रेट का बेसिस क्या है? उनकी रिजर्व प्राइस किस आधार पर डिसाइड की गई है और उनका हम जो आबंटन कर रहे हैं वह ई-नीलामी से क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर क्यों नहीं करते? जब हम इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करते हैं तो उसको ई-नीलामी से ज्यादा प्राइस पर आक्शन होने से...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ई-नीलामी से रखा जाना क्यों प्रस्तावित है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नयी सरकार आने के बाद जो भूखंड बिक नहीं रहे थे, जिनमें कार्यालय कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे थे, हमने ई-आक्शन की प्रणाली 9 जनवरी, 2019 से लागू की, उसके बाद ऐतिहासिक तौर पर 1100 भूखंड इस वित्त वर्ष में बिके हैं। बहुत बड़ी इनकम रीको को हुई है, जो बेकार पड़े थे जिनको कोई ले नहीं रहे थे। पहले आओ, पहले पाओ नीति में बहुत गड़बड़ियां थीं, बहुत करप्शन था। हमने उसकी जगह ओपन ई-आक्शन की प्रणाली रखी है, उसी का प्रतिफल है कि आज 1100 प्लाट इंडस्ट्रियल और सभी तरह के व्यावसायिक वगैरह से 1100 करोड़ रुपये रीको को मिले हैं और बिलकुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। कोई भी शिकायत, एक भी प्लाट की शिकायत रीको को या उद्योग विभाग को या सरकार को अब तक नहीं मिली है कि यहां गड़बड़ हुई है इसलिए इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए ही हमने ई-आक्शन की प्रणाली लागू की है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इनकी रेट के निर्धारण का बेसिस क्या है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग एरिया की इकाइयों की अलग-अलग रेट पहले से ही फिक्स की हुई है, उस रेट से भी अधिक जाकर ये प्लाट बिक रहे हैं। रेट से भी अधिक की कीमत पर बिके हैं इसलिए उसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी है और जयपुर जिले में जो अभी सब जगह ई-आक्शन किया गया है उसकी सब जगह उद्योगपतियों ने प्रशंसा की है और उद्योगपति वही ले रहा है इसमें जिसको उद्योग लगाना है। पहले क्या था कि प्लाट ले लेते थे और उसको रीसेल कर देते थे और फिर रीसेल का रीसेल कर देते थे, अब वही लोग इस ई-आक्शन में आ रहे हैं जिनको वास्तव में उद्योग लगाना है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली की अभावग्रस्त तहसीलों के काश्तकारों को अनुदान

307. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जिला पाली में वर्ष 2019 में किस-किस तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभावग्रस्त तहसीलों के किस-किस पटवार सर्कल में वर्ष 2019 में किस-किस कृषि जिंस का कितना-कितना नुकसान हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभावग्रस्त तहसीलों में प्रभावित काश्तकारों को अनुदान की कितनी-कितनी राशि, किस-किस तहसील में दी जानी है?

(4) उक्त प्रभावित काश्तकारों को कितनी अवधि में अनुदान की राशि प्रदान कर दी जायेगी?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुदान की राशि देने में अत्यधिक विलम्ब होता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि को निश्चित समय पर देने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में व नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) वर्ष 2019 (खरीफ फसल संवत 2076) में पाली एवं रोहट तहसीलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

(2) अभावग्रस्त तहसीलों में वर्ष 2019 में कृषि जिंस अनुसार नुकसान का पटवार मण्डलवार विवरण परिशिष्ट- "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त अभावग्रस्त तहसीलों में 7डी रिपोर्ट के अनुसार तहसील पाली में अनुमानित 25.70 करोड़ रुपये एवं रोहट तहसील में अनुमानित 41.90 करोड़ रुपये प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान दिया जाना है।

(4) खरीफ फसल 2019 में तहसील पाली के 5748 प्रभावित काश्तकारों को राशि 4.90 करोड़ रुपये का एवं तहसील रोहट के 8774 प्रभावित काश्तकारो को राशि 8.75 करोड़ रुपये का भुगतान एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार किया जा चुका है।

दोनों तहसीलों के 14628 प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 15602 काश्तकारों के डाटा आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में डीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड होना शेष है। किसानों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होते ही डाटा अपलोड कर भुगतान कर दिया जाएगा।

(5) जी नहीं। प्रभावित काश्तकारों द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते ही कृषि आदान अनुदान भुगतान की कार्यवाही बजट उपलब्धतानुसार की जाती है। विभाग द्वारा कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान डीबीटी (डाइरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर) के माध्यम से किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, आपने जो बिन्दु संख्या 4 में उत्तर दिया है 506 काश्तकारों के डाटा, आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में डीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड होना शेष है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे इलाके में वर्ष 2016 में भी अनुदान दिया, वर्ष 2017 में भी मिला और वर्ष 2018 में भी मिला। जब 2016, 2017, 2018 तीनों वर्षों में अनुदान मिला तो हर काश्तकार का चाहे बैंक खाता हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आईएफएससी कोड हो, विभाग के पास डाटा उपलब्ध है। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि हर बार जो आप डाटा लेते हो उसके बजाय जो आपने एक बार ले लिया, उसका ही आप रिकार्ड बनाकर आने वाले वर्षों में कभी अभावग्रस्त हो, तो उस डाटा के अनुसार ही आप पेमेंट कर दें, भुगतान कर दें। यह मेरा प्रश्न है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह डाटा उपलब्ध होता है तो जिला कलेक्टर हमारे विभाग को यहां पर भेजते हैं कि यह यह काश्तकार प्रभावित हैं। मैंने जब प्रश्न का उत्तर विधान सभा में दिया तब यह राशि कम दी गई लेकिन वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर हमने 34 करोड़ 14 लाख कर दी है। मैं आपकी बात मानता हूं कि आप कह रहे हो 2014-15-16...

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 2016 से 2018 में आपने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना चालू किया और 2016 में ही उसने आपको डाटा दे दिया, जो भी आवश्यक दस्तावेज थे वह आपके विभाग को दे दिये तो फिर हर बार उसकी जरूरत कहां है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आज आईटी डवलप हो गई है। जिन काश्तकारों ने 2016 में ले लिया, 2017 में ले लिया, 2018 में ले लिया, वह डाटा आपके पास उपलब्ध हैं तो 2020-21 में उसको कम्पन्सेशन देने में कोई तकलीफ नहीं आयेगी। क्या विभाग कोई एक ऐसा एप डवलप करना चाहता है? सीधी बात है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब तक कलेक्टर नहीं लिखेगा...

श्री अध्यक्ष: कलेक्टर लिखे, यह अलग बात है। आपके विभाग के पास डाटा होना चाहिये कि कलेक्टर लिखे कि अमुक-अमुक काश्तकार का नुकसान हो गया तो उस अमुक-अमुक काश्तकार का आपके पास खसरा नंबर, नाम-पता है तो ट्रांसफर करने में तकलीफ नहीं होगी और डिले नहीं होगा। आईटी के जमाने में यह सुविधा संभव है, क्या विभाग इस बारे में विचार करेगा?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अभी जो आपने निर्देश जारी किये हैं, उस निर्देश के मुताबिक विभाग से निश्चित तौर से कार्यवाही करवाने की चेष्टा की जायेगी, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन के आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पद

308. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में कितने आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित हैं? उक्त चिकित्सालय में कितने पद स्वीकृत हैं व कितने कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(2) क्या सरकार भवन विहीन आयुर्वेद चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आयुर्वेद मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में एक राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, भादसोडा तथा 29 राजकीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। इनमें स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र कपासन में कोई भी आयुर्वेद चिकित्सालय भवन विहीन नहीं हैं। 26 औषधालय विभागीय भवन में संचालित हैं तथा 4 अन्य सरकारी भवनों में संचालित हैं।

(3) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, कपासन विधान सभा क्षेत्र के 29 आयुर्वेदिक औषधालयों में से 24 रिक्त पड़े हुए चिकित्सकों के पदों को एवं जो 10 कंपाउंडर के पद रिक्त हैं, 12 परिचारकों के पद रिक्त हैं और खण्ड 3 में बताया है वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के बाद इन पदों को भरा जायेगा। सरकार के पास कब तक ऐसे वित्तीय संसाधन प्राप्त हो जायेंगे जब इन पदों को भर दिया जायेगा?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का यह मूल प्रश्न था भी नहीं, इन्होंने सिर्फ चिकित्सालय के लिये पूछा था और चिकित्सालय इनके यहां एक ही है। मैंने इनको यह एडिशनल इन्फोर्मेशन दी है ताकि पूरी जानकारी इनके पास रहे। इनका मूल प्रश्न आप देखो, इसमें इन्होंने चिकित्सालय पूछा था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। मंत्री जी ने ज्यादा उत्तर दे दिया, चिकित्सालय का पूछा और वह सबका दे रहे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उस चिकित्सालय में सिर्फ दो ही रिक्त हैं। लेकिन यह जो रिक्तियां हैं, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 397 की भर्ती अभी हमने करके उनको पदस्थापित किया है। राज्य में लगभग 300 औषधालय ऐसे थे जहां 3 पदों में से एक भी पद पर कोई कार्यरत नहीं था, बंद थे, उनमें से 250 के करीब को हमने खोला है। अभी 41 औषधालय ऐसे हैं जहां एक भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। यह हमारे संज्ञान में है और जल्दी ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करके नये पदों पर भर्ती करके आपके जो पद कम हैं, रिक्त हैं, उनको भरने का मैं आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री कन्हैया लाल। माननीय सदस्य, बैठें प्लीज, हो गया। अगला प्रश्न, श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना

309. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज का अल्पकालीन फसली ऋण पुन: प्रारम्भ करने एवं ऋण की सीमा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सहकारी समितियों को बैंकों से ऑनलाइन जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से "सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019" अंतर्गत रबी 2019-20 में बिना ब्याज का

(सहकारिता मंत्री)

अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा रहा है। उपरोक्त योजनान्तर्गत जिन कृषकों को खरीफ 2019 में ऋण वितरित किया गया था उन्हें रबी 2019-20 में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के साथ ऋण वितरण किया जा रहा है एवं आगामी वर्ष 2020-21 में खरीफ 2020 अंतर्गत बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर ऋण वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। भारत सरकार की बजट घोषणा 01 फरवरी, 2017 के तहत राज्य की कार्यशील पैक्स का तीन वर्ष में कम्प्यूटराइजेशन किया जाना है। इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजपुरा, सिंदोल्या, ब्रजराज नगर, देशमा, सोडाबावड़ी, मोड़ला, यह निर्धारित मापदण्ड पूरा करती हैं, कब तक आप इनका गठन कर देंगे? दूसरा सवाल मेरा यह है कि मेरे क्षेत्र में कृषकों को अधिकतम 28 हजार तक का ऋण दिया जा रहा है जबकि अभी हरीश जी कह रहे थे कि डेढ़ लाख तक, क्या आप 50 हजार तक का भी देने का विचार रखते हैं या नहीं रखते? इसके अलावा अभी भी लगभग 40 परसेंट से ज्यादा ऐसे सदस्य बाकी हैं जिनको अभी तक एक रुपये का भी ऋण नहीं मिला, उनको देने का विचार रखते हैं या नहीं रखते?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के बारे में आपने बताया, जो प्रक्रियाधीन हैं, उनको रोका नहीं जायेगा, जल्दी से जल्दी उनको गठित करके आपको सूचना दे दी जायेगी। अगर हमारे लेवल पर यहां पैंडिंग है और जिला स्तर पर पैंडिंग है तो उनको बुलाकर जल्दी ही उनका निस्तारण कर दिया जायेगा। जहां तक ऋण देने का सवाल है तो गत वर्ष हमने ऋण माफी के बाद 50 हजार रुपये तक का ऋण देने का निर्णय किया था, उसमें रबी में हमने बढ़ोतरी करके 25 परसेंट बढ़ाया और 50,000 को 62,500 तक ले आये और अगली खरीफ की फसल में 25 परसेंट और बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया जायेगा। जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके अनुसार धन प्राप्त होता जा रहा है और हम उसे और आगे बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): मंत्री जी, हम तो केवल 50 हजार रुपये तक ही मांग रहे हैं, हमारे क्षेत्र में आप 50 हजार तक तो करो, 75 और डेढ़ लाख की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम 50 हजार तक तो दो।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जो बैंक के पास संसाधन उपलब्ध हैं और जो काम वर्षों से लंबित थे, आज दिन तक नये किसानों को और सहकारिता विभाग बनने के बाद जोड़ा नहीं गया, इस बार हमने पहली बार प्रयास किया और करीब 8 लाख नये किसानों को जोड़ा है, पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है। किसानों में नवाचार हुआ है इस कारण से धन का वितरण समान हुआ है। इस कारण से वह कम हुआ है आगे हम और करेंगे और धन की व्यवस्था करके जो आप लाख-डेढ़ लाख की कह रहे हैं, वहां तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, आलोक बेनीवाल।

शाहपुरा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

310. श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कब से बंद हैं तथा उक्त केन्द्र कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में पोषाहार पर प्रति बालक कितना व्यय होता है? पोषाहार जांच व निरीक्षण की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के अन्तर्गत तीन बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: शाहपुरा, गोविन्दगढ़ प्रथम, गोविन्दगढ़ द्वितीय, संचालित हैं। जिसके अन्तर्गत परियोजना शाहपुरा में 200, गोविन्दगढ़ प्रथम में 69 तथा गोविन्दगढ़ द्वितीय में 11 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इस प्रकार शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 280 आंगनबाडी केन्द्र संचालित हैं। उक्त में से कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र बंद नहीं है। सभी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत आयु वर्ग 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाये जाने हेतु राशि रुपये

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

8.00 प्रति दिवस प्रति लाभान्वित व्यय किये जाने का प्रावधान है। पूरक पोषाहार आपूर्ति एवं वितरण की मोनिटरिंग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा सतत एवं औचक निरीक्षण द्वारा की जाती है। साथ ही राज्य/जिला/ब्लाक/आंगनबाड़ी स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति द्वारा भी मोनिटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त एन.ए.बी.एल. अनुमोदित/राजकीय प्रयोगशालाओं से भी पूरक पोषाहार के नमूने की रेण्डम आधार पर जांच किये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ। विराजें।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के नगरपालिका क्षेत्र में धार्मिक स्थानों के नजदीक खुलेआम चल रही मीट की अवैध दुकानों को बन्द किये जाने के संबंध में।
2. श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा -आबू में आबू पर्वत नगरपालिका के अफसरों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर पहाड़ी क्षेत्र में ब्लास्टिंग की परमिशन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमित इटली मूल के मरीज को आइसोलेशन वार्ड के स्थान पर आई.सी.यू. में रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4. श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के छबड़ा तथा छीपाबड़ौद के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से 1962 में शहीद हुए छोटा गुढ़ा

(श्री अध्यक्ष)

निवासी प्रहलाद सिंह के नाम से स्कूल का नाम नहीं रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा जी मंदिर की प्रबन्ध कमेटी द्वारा मंदिर परिसर का विकास नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में विद्युत लाइनों के ढीले पड़े तारों के कारण आये दिन हो रहे हादसों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश के चिकित्सा विभाग में लगे प्रयोगशाला सहायकों तथा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना के कम्प्यूटर आपरेटरों की समस्याओं के संबंध में।

9. श्री मोहन राम चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश के चिकित्सा विभाग में NRHM योजना के तहत UTV योजना में कार्यरत नर्स ग्रेड द्वितीय को दिये जा रहे मानदेय में भिन्नता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बाणियावास बांध की लेफ्ट व राइट कैनाल के निर्माण कार्य के बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री गुरदीप सिंह एवं नौ अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया के उपखण्ड टिब्बी में उपखण्ड अधिकारी द्वारा आमजन तथा कर्मचारियों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से दिनांक 02 मार्च, 2020 को चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला थाना क्षेत्र में 20-25 असामाजिक तत्वों द्वारा पशुपालकों पर हमला कर पशुपालक मालाराम का अपहरण कर लगभग 100 भेड़-बकरियों को ले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. श्री फूल सिंह मीणा एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर बलीचा में रविवार रात 5-6 युवकों द्वारा हथियारों के बल पर युवती से बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

14. श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में नदी किनारे बसे कतिपय गांवों में बाढ़ की रोकथाम के लिए पिंचिंग किये जाने के संबंध में।

15. श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में इटली से आये दो पर्यटकों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पोजिटिव आने से पूरे प्रदेश में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

16. श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्थित विशाल जहाजनुमा जैन मंदिर के निकट बस स्टैण्ड नहीं होने से दर्शनार्थियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

17. श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा बिना पूर्व तैयारी के कोरोना वायरस के मरीजों को घनी आबादी के बीच प्रताप नगर जयपुर के R.U.H.S. अस्पताल में शिफ्ट किये जाने के कारण क्षेत्र में भय का वातावरण बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

18. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के ग्राम सहनवा निवासी शम्भु लाल जटिया की दो नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के संबंध में सदर थाना चित्तौड़गढ़ में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 09/2020 पर पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

19. श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत अमृतसर से जामनगर तक बनने वाले हाईवे के लिए बीकानेर जिले में सिंचित भूमि को अवाप्त किये जाने को लेकर पिछले 168 दिनों से चल रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

20. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर जिले की जयसमंद झील के भटवाड़ा टापू पर कथित तौर पर आदिवासी परिवार की जमीन को अवैध तरीके से खरीदकर होटल बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

21. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से दरीबा क्षेत्र में हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर की लैड माइन्स से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री हरीश चन्द्र मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नासिरदा, आवां, नगरफोर्ट व बनेठा को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।
2. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनीयाना तहसील भदेसर के भवन की जमीन को जमाबन्दी में विद्यालय के नाम दर्ज करवाये जाने के संबंध में।
3. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से अप्रधान खनिज फैल्सपार के बाहर जाने पर रोक होने के बावजूद भी राज्य से बाहर ले जाने से करोड़ों रुपये की राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4. श्री लाखन सिंह, सदस्य की ओर से करौली जिले में चम्बल लिफ्ट परियोजना से वंचित गांवों को जोड़ने के संबंध में।
5. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई के कस्बा उच्चैन में गैस एजेन्सी न होने से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी के संबंध में।
6. श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की जयसमन्द झील की नहरों के कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
7. श्रीमती जाहिदा खान, सदस्य की ओर से मेवात क्षेत्र में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर स्थानीय योग्य उम्मीदवारों को फिक्स मानदेय पर नियुक्त किये जाने के संबंध में।
8. श्री गोविन्दराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की कतिपय क्षतिग्रस्त नहरों व माइनरों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से जहाजपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भगुनगर में आबादी भूमि की खसरा नं. 110/1 पर बने पट्टा धारकों के पक्के आवासों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री कन्हैयालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के डिग्गी स्थित श्रीकल्याण जी मन्दिर परिसर का सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के संबंध में।

11. श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से बारां शहर में आउटडोर एवं इनडोर स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

12. श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में बड़ी संख्या में अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने से शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहे गलत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में रहने वाली पाहुआ जाति को एस.सी./एस.टी. वर्ग में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

14. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिलवाये जाने के संबंध में।

15. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर शहर में सीवरेज कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

आज विशेष उल्लेख की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 01 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 04 मार्च, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 37 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

क्र.सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
(1)	श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)	अजमेर शहर में निजी वाहनों द्वारा हर कहीं स्टैण्ड व स्टापेज बनाकर वहां से बसों का बेखौफ संचालन से दुर्घटनाएं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
(2)	श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती में सम्बन्धित जिलों के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में।
(3)	श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़)	रीट भर्ती 2016 (नोन टीएसपी) लेवल-2 अंग्रेजी विषय की नियमानुसार तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार रिक्त पदों की वेटिंग लिस्ट जारी करवाने के संबंध में।
(4)	श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी)	कोटा शहर में अनन्तपुरा पुलिस थानान्तर्गत कालूलाल भील की नृशंस हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्य, मंत्री जी वायरस के संबंध में स्टेटमेंट 131 के बाद देंगे। माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन है कि आज दो बिल हैं और डिमांड पर भी चर्चा है। सभी माननीय सदस्य आसन से कोआपरेट करें, जिससे हम समय पर अपनी डिबेट शुरू कर सकें और 9 बजे डिबेट समाप्त कर 10 बजे तक उसका उत्तर दे सकें। मैं आप सबसे कोआपरेशन की अपेक्षा करूंगा। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जयसमंद झील के भटवाड़ा टापू पर आदिवासी परिवार की जमीन पर अवैध होटल निर्माण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एशिया की एक प्रमुख मीठे पानी की झील जयसमन्द में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, उसके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जयसमन्द को बने हुए इतने वर्ष हो गये, लेकिन फिर भी अंदर के कुछ टापुओं पर आज भी आदिवासी रहते हैं, खेती करते हैं और अपने जानवरों का पालन करते हैं और वह पास की पंचायत में मतदान करने भी आता है। यह जो मैं घटना कह रहा हूं, यह भटवाडा गांव है, छोटा-सा, उसके आदिवासी परिवार के लोग हैं जिसमें मोघा, कोदरा ऐसा मीणा पूरा परिवार है। उस परिवार की जो जमीन है, वह अलग-अलग रकबा की है लेकिन सारा मिलाकर 0.36 हैक्टेयर जमीन है। ये सारी की सारी कृषि भूमि है। इन लोगों से इस जमीन को लेने का जो तरीका निकाला, वह यह कि इस कृषि भूमि को पहले अकृषि में चेंज कराओ और इसके लिए उसको जिस प्रकार भी समझाइश की या प्रलोभन दिया, जैसा भी हो सकता है, देकर इस बात के लिए तहसील में एप्लाई किया कि मेरी जमीन का इतने एरिये तक का जो 2500 वर्गमीटर है, उसको चेंज कर दिया जाए। तहसीलदार ने इसको फरवरी, 2014 में चेंज किया। इसके बाद उन्होंने एसडीएम के माध्यम से इस जमीन में से भी 1100 मीटर जमीन को, उसमें 600 मीटर निर्माण के लिए, आवास के लिए और 400 मीटर खुला छोड़ने के लिए, उनसे उन्होंने स्वीकृति ले ली।

अब इसमें आप आगे बोलेंगे कि आपके समय में हुआ, चाहे मेरे समय में हुआ, जो गलत हुआ है, वह गलत हुआ है। जब ध्यान में आता है, कारण क्या है ये इतनी बड़ी झील है कि हर आदमी कोई अंदर जाकर रोज उसमें होने वाली एक्टिविटीज को देख पाए, ऐसा संभव लगता नहीं लेकिन इसका लाभ उठाकर जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा और खरीदकर इस पर एक रिसोर्ट का निर्माण कर दिया। जब रिसोर्ट का निर्माण हो गया, सामान्यत: जो आवासीय जमीन है, वह रिसोर्ट में चेंज नहीं हो सकती। वह व्यावसायिक गतिविधि है और व्यावसायिक गतिविधि के लिए नीचे की कोर्ट ने ही नहीं, ईवन सुप्रीम कोर्ट ने भी, चाहे पेइंग गेस्ट हाउस हो, चाहे कुछ भी हो, उसको व्यावसायिक गतिविधि मानते हैं। इस व्यावसायिक गतिविधि के कारण से इन आदिवासियों को भ्रमित करके कौड़ियों में इस जमीन को खरीदकर, जो जमीन खरीदी वह 0.36 हैक्टेयर जमीन खरीदी थी, लेकिन उन्होंने उसकी 15 बीघा जमीन पर कब्जा करके अपना रिसोर्ट बनाकर इस व्यवसाय को शुरू कर दिया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मान लो इस प्रकार की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक्टिविटीज से कुछ लाभ मिलना भी है तो उस गरीब आदिवासी को क्यों नहीं मिले? उसको तो कौड़ियों में, समझाइश करके कि इस पर दस्तखत कर दो, इसको हम आवासीय में चेंज करा देंगे और जिस प्रकार से अधिकारियों ने नियम विरुद्ध उस जमीन को, न तो वह आवासीय चेंज कर सकते थे, न इस पर कामर्शियल एक्टिविटी की स्वीकृति दे सकते थे। इसमें तहसीलदार और एसडीओ स्वयं भी, क्योंकि इसमें अभी कलेक्टर, उदयपुर ने जो फैसला किया, उसमें उन्होंने इस बात को माना कि इसको गलत तरीके से आवासीय में कन्वर्ट करके व्यावसायिक गतिविधि तक पहुंचा दिया। इसके लिए उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आपको रैफर किया है।

मेरी मंशा यह है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज से उस आदिवासी का जिस प्रकार से शोषण हो गया। मतलब लाखों-करोड़ों रुपये की जमीन को कौड़ियों में लेकर जिस प्रकार से बाहर के लोगों ने, जयपुर से कोई व्यक्ति है, जिन्होंने यह रिसोर्ट बनाया, मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, आपसे प्रार्थना यह है कि एक तो इस झील को बचाने के लिए, इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो कानून आपको अधिकार दे रहा है, उन कानूनों का उपयोग करके आप उसको सीज करें। सीज करने के बाद जो अतिरिक्त जमीन उस आदिवासी की, ली तो 0.36 हैक्टेयर, लेकिन उसने कब्जा कर लिया 15 बीघा पर और अपना रिसोर्ट तैयार लिया। एक तो उसकी बाकी बची हुई जमीन है, वह तो वापस आप आदिवासी को दिलाओ और इसमें जो इल्लीगल एक्टिविटी शुरू कर दी है, जिसका इसको कोई अधिकार नहीं है, उसको सरकार की तरफ से सीज किया जाए।

भविष्य में भी इस बात को ध्यान में रखा जाए कि मीठे पानी की झील को जो आज इतनी साफ-सुथरी है, इसका उपयोग कभी हम पर्यटन की दृष्टि से अगर कर सकें तो मैं सोचता हूं कि इस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आपका, हमारा और सबका इसमें योगदान रहा कि हम इसको डवलप नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि अगर कामर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए इन टापुओं का उपयोग ही करना है तो कम से कम नियम ऐसा बनाओ कि वहां जो रहने वाला आदिवासी है, उस आदिवासी को मैक्सिमम फायदा कैसे मिले और उसकी बिना हिस्सेदारी के कोई भी उसको कन्वर्ट नहीं कर सके। अगर कोई बनाए भी तो वह उसका सह-पार्टनर जरूर रहे जिसके कारण से उसको मिलने वाला लाभ उसको ही मिले। इस समय तो यह कानून

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की पूर्णतया अवहेलना है। इस कानून की अवहेलना करने वाले तहसीलदार और एसडीओ के विरुद्ध आप कार्यवाही करें और दूसरा, यह जो इल्लीगल एक्टिविटी चल रही है कामर्शियल, उसको तुरंत रोकने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। बिलकुल नहीं।

दरीबा क्षेत्र में लैड माइंस से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, राजसमंद जिले में दरीबा क्षेत्र के अंदर हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर के द्वारा लगभग 8-9 साल से एक हाइड्रो लैड प्लांट चल रहा है। इसमें लगभग 800 से 1000 कर्मचारी काम करते हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया का माइंस रूल 1955 के चैप्टर 4ए में लिखा है कि 'MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS EMPLOYED OR TO BE EMPLOYED IN MINES' उसमें उन्होंने एक शीट दी है कि कौन-कौनसी ऐसी बीमारियां हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। इसमें जो स्पेसिफाई किया है, The Workmen's Compensation Act, 1923' उसमें लैड को इन्होंने माना है। Disease caused by led or its toxic compounds, तो ये जो इस क्षेत्र के अंदर लैड सरफेस प्लांट चल रहा है, उससे जो उत्पन्न हो रहा है, वहां पर इतनी सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। सामान्यत: जो लैड शरीर में होता है किसी भी इंसान के, वह 12 से 15 परसेंट, मैक्सिमम 20 परसेंट तक हो सकता है। आज वहां पर यह स्थिति हो रही है कि वहां के लोग, वहां के कर्मचारी जो उस प्लांट में काम कर रहे हैं और जो आस पास के क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी जब जांच होती हैं, मेडिकल टैस्ट उनका होता है तो मेडिकल टैस्ट में 40 परसेंट, 50 परसेंट और 60 परसेंट तक लैड की मात्रा बढ़ रही है। इसकी वजह से बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, वहां के कुछ कर्मचारी जैसे शिवलाल प्रजापत, उदलपुरा के, उसको कैंसर हो गया। वहां कर्मचारी है, जो काम करता है मुकेश वैष्णव जो पीपली अहिरान का है, लैड की मात्रा बढ़ जाने से उसकी मृत्यु हो गई। बद्रीलाल भील, जो बड़ी का है, चित्तौड़ जिले में आता है, उसको लकवा हो गया। उसका एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा है। विनोद कुमार भाट, जो गोगाथला का है, उसके शरीर में हाल ही में टैस्ट हुआ, 50 परसेंट

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लैड पाया गया। ये जो सारे कर्मचारी और आस पास जो लोग रह रहे हैं, लैड की मात्रा बढ़ने से वहां की खेती की जमीन खराब हो गई। आपके माध्यम से ये ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वहां पर वैस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, उस दरीबा माइंस में। देबारी के अंदर वैस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है लेकिन दरीबा में वैस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ये क्या करते हैं कि जितना भी वैस्ट निकलता है इस प्लांट का, सीमेंट मिलाकर वहां पर पहाड़ बना देते हैं। न नीचे पीवीसी लगाई जमीन के ऊपर, सीधा वैस्ट डालते हैं। वह वैस्ट सीधा जमीन में जाता है और पर्कुलेट होकर पूरा पानी खराब हो गया है, जमीन खराब हो गई है, आबोहवा खराब हो गई।

अध्यक्ष जी, सदन के अंदर मंत्री जी बैठे हैं, आपके माध्यम से उनको यह ध्यान दिलाना चाहूंगी, मांग करना चाहूंगी कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी नियुक्त करे। जो वहां पर आए, वहां पानी की, हवा की जांच करें और वहां की जमीन की जांच करें। यह जांच होनी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत खतरनाक पोजिशन हो रही है। जो मेडिकल टैस्ट वहां के माइंस ओनर्स कराते हैं, वह मेडिकल टैस्ट सार्वजनिक किये जाएं ताकि वहां पर रहने वाले कर्मचारी और लोगों को पता चले कि हमारे शरीर में लैड की कितनी मात्रा है। जो स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा है, उसके लिए माइंस ओनर्स जो वहां हैं, वे उनके स्वास्थ्य के लिए, उपचार के लिए पैसा दें और उनका उपचार कराएं। ये ही मेरी आपके माध्यम से मांग है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अजमेर शहर में निजी वाहनों की अव्यवस्था

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है परंतु यातायात पुलिस और परिवहन विभाग इसे पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। अजमेर में ट्रैफिक बड़ी समस्या है। इसमें जो निजी बसें हैं, उनके लिए नौसर एक स्थान तय है लेकिन वहां से एक भी बस नहीं चलती। ये सारी की सारी बसें जिनके परमिट तो जारी किये हुए हैं, जिला प्रशासन ने नौसर घाटी तय भी कर रखा है लेकिन यह शहर के बीच में से कलेक्ट्रेट के सामने, पुलिस लाइन, बस स्टैण्ड, पुरानी आरपीएससी, आजाद पार्क, आनासागर लिंक रोड, आनासागर चौपाटी, हजारी बाग़, श्रीनगर

(श्री वासुदेव देवनानी)

रोड, ये अघोषित बस स्टैण्ड बने हुए हैं, जहां ये बसें खड़ी रहती हैं। इसके कारण से यातायात तो जाम होता है लेकिन साथ में दुर्घटनाओं का भी लगातार एक क्रम बना रहता है। रोडवेज को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये अपनी मनमर्जी से बेखौफ हैं और इनको कोई रोकता नहीं है। इसके कारण से सवारियां बैठते-उतारते समय परेशानी होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अंदरूनी और आवासीय कालोनियों तक में भी ये बसें खड़ी रहती हैं। ईवन मेरा जो शिक्षा संकुल परिसर है, उसमें भी 8 से 10 बसें अनधिकृत रूप से खड़ी रहती हैं। जब परिवहन विभाग से बात करते हैं तो परिवहन विभाग के अधिकारी बड़े आराम से कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ राजस्व इकट्ठा करना है। नौसर से संचालन तो नहीं हो रहा है लेकिन यह हमारा काम नहीं है। जब मैं डीवाईएसपी, ट्रैफिक से बात करता हूं तो वह कहते हैं कि केवल चालान करने की मेरे को पावर है। मैं चालान करके इसको छोड़ देता हूं। आज इन दोनों विभागों के अंदर अजमेर निवासी पिस रहा है। मेरी सरकार से मांग है कलेक्टर इसकी मानिटरिंग करें। शहर के प्रवेश मार्ग हैं वहां यातायात पुलिस खड़ी तो रहती है, ऐसी बसों को अगर प्रवेश मार्गों से रोका जाएगा तो शहर के अंदर इनको एंट्री नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक बार अगर चालान कटेगा और दूसरी बार भी वह वहीं खड़ी मिले, तो उसका परमिट निरस्त किया जाए, तब जाकर इस समस्या का समाधान होगा। अजमेर की 6 लाख जनता को राहत मिलेगी, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: संयम लोढ़ा।

अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती में संबंधित जिले के निवासियों को प्राथमिकता

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति में संबंधित ज़िले के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पंचायती राज में आन रिकार्ड फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरी ट्रांसफर कर दिए। पांच विभागों में जिला स्थापना समिति के माध्यम से नियुक्ति देते हैं। इसके बावजूद बिना स्थानीय संस्थाओं

(श्री संयम लोढ़ा)

को पूछे उनके तबादले अन्य ज़िलों में कर देते हैं, जिससे उन ज़िलों में अनवरत रिक्तियां बनी रहती हैं। बाहर के अराजपत्रित कर्मचारी जिस ज़िले में लगते हैं, शुक्रवार की दोपहर के साथ ही इनका मन बन जाता है कि घर जाना है, शुक्रवार दोपहर को निकल जाते हैं, शनिवार व रविवार अपने घर बिताकर सोमवार दोपहर तक वापस आते हैं तो जिस ज़िले में इनका पदस्थापन होता है, उस संबंधित ज़िले को इनकी सेवाओं का कोई लाभ नहीं मिलता। पद खाली पड़े रहते हैं, चेयर खाली पड़ी रहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी है। मैं मेरे ज़िले का बताऊं, सिरोही ज़िले में रिक्तियां हैं, लग गए, फिर 6 महीने में ही ट्रांसफर करवाकर दूसरे ज़िले में चले जाते हैं। ग्राम सेवक लग जाते हैं, फिर अपने मूल ज़िले में चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंडअप कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन ज़िलों में लोगों को ढंग से सरकार की सेवा का लाभ मिल सके, इसलिए अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति में कम से कम 50 फीसदी सीटें ज़िले के मूल निवासियों के लिए आरक्षित करें जिससे सही ढंग से सुशासन दिया जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री अभिनेष महर्षि।

रीट भर्ती 2016 में रिक्त पदों की वेटिंग लिस्ट

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रीट भर्ती 2016 (नोन टीएसपी) लेवल-2 अंग्रेज़ी विषय में हाई कोर्ट की सिंगल बैंच और डबल बैंच के द्वारा आदेश पारित होने के बावजूद भी अंग्रेज़ी विषय के टोटल 4,940 पदों में से 826 पद अभी भी रिक्त हैं। इस भर्ती के संबंध में उक्त नियमों के अनुसार, भर्ती लेवल के अंदर हिन्दी, विज्ञान, गणित के खाली पदों पर अपात्र, अनुपस्थित व कार्य ग्रहण नहीं करने वाले तीन कैटेगरी के पदों पर रिजल्ट री-शफल किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जब इन बाकी विषयों पर री-शफलिंग की जा चुकी है तो 4,940 में से 826 पद अभी भी रिक्त हैं। सिंगल बैंच का डिसीजन आ गया, डबल बैंच ने भी सरकार

(श्री अभिनेश महर्षि)

को आदेशित कर दिया, उसके बावजूद 826 पदों पर री-शफल के आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है, इस संबंध में राज्य सरकार के नियम 5 रूल/227 (a) रूल आफ 1996 के अनुसार प्रत्येक भर्ती में रिक्त पदों पर कम से कम एक बार वेटिंग लिस्ट जरूर जारी होनी चाहिए लेकिन इस भर्ती में अंग्रेज़ी विषय की एक बार भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान सरकार बार-बार बेरोजगार हितैषी होने का दावा कर रही है, इस प्रकरण के अंदर भी एसएलपी दायर करने की विभागीय अधिकारी अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे सावधान रहते हुए सरकार 826 बेरोजगार जो वेटिंग में चल रहे हैं उनके नियुक्ति दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: मदन दिलावर।

कोटा के अनन्तपुरा में कालूलाल भील की नृशंस हत्या

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में अनन्तपुरा थाना है, उस थानान्तर्गत एक गांव है बंधा। बंधा गांव का कालूलाल भील कल सुबह मरा हुआ मिला। उसका शव अधजला मिला। प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने देखा, पुलिस ने देखा, तो लगा कि उसके सिर में गंभीर चोट है। तथ्य छिपाने के लिए उसको पूरा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वह पूरा नहीं जल पाया, अधजला मिला है। कालूलाल पुत्र श्री जीतमल भील है। जीतमल ने अपने बेटे को पहचाना है। मेरा यह निवेदन है कि यह बहुत ही गरीब है। तुरंत पता चलना चाहिए कि कौन हत्यारे हैं, जिन्होंने इनकी हत्या की है। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: 131. श्री राजेन्द्र राठौड़

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के योग्यताधारी चिकित्सकों का पंजीयन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम और प्रक्रियाओं के नियम 131 के तहत आयुर्वेद मंत्री महोदय का इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति में योग्यताधारी चिकित्सकों के पंजीयन हेतु ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 दिनांक 07 मार्च, 2018 को बिना मंत्रिमण्डल की बैठक के, सर्कुलेशन के माध्यम से मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था। उसके बाद 09 मार्च, 2018 को राजस्थान विधान सभा में विधेयक पारित हुआ। दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को माननीय राज्यपाल महोदय से इसका अनुमोदन हुआ, उसके पश्चात् इसको अधिसूचित किया गया। उसके बाद 6 महीने तक यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, अधिसूचना के बाद 6 महीने तक नियम बनाने के लिए, बोर्ड के गठन की औपचारिकता पूरी करने के लिए, पर्याप्त समय पूर्ववर्ती सरकार के पास था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 05 अक्टूबर, 2018 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के द्वारा इस बोर्ड के गठन पर साइन किए गए और 06 अक्टूबर को प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग गई। उसके बाद उक्त प्रकरण के संबंध में शिथिलता देने के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी को प्रकरण प्रेषित किया गया। मुख्य सचिव महोदय से प्राप्त अनुमोदित टिप्पणी में उल्लेख किया गया कि we may regret this proposal given no urgency involved in this, उनकी यह टिप्पणी आई। इसलिए न तो बोर्ड के गठन को मूर्त रूप दिया जा सका और न ही अधिसूचना के पश्चात् इसके नियम व कायदे कानून बन पाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कमेटी का गठन नहीं होने से, इन्होंने जो कमेटी बनाई उसकी वैधता के ऊपर भी आचार संहिता लागू होने के बाद प्रश्न चिह्न लग गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने के पीरियड के अंदर यह सारी प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद हमारी सरकार आ गई। सरकार ने यह फैसला लिया कि पूर्ववर्ती सरकार के 6 महीने के फ़ैसले हैं उनकी समीक्षा के लिए मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनाई जाए। यह प्रकरण चूंकि 6 माह की अवधि के अंदर का है, यह उनके विचारार्थ प्रेषित किया जा चुका है। उनके द्वारा विभाग को अभी तक उनकी क्या फाइंडिंग है, कमेटी क्या डायरेक्शन देती है, हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उनके निर्णय प्राप्त होने के उपरांत ही बोर्ड के गठन का, अधिनियम बनाने की कार्यवाही, यह सारी चीज़ें आगे की जा सकती हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, हाकम बदल जाता है पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुक्म नहीं बदलता। माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने यह स्वीकार किया कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम आफ मेडिसिन एक्ट 2018, यह 09 मार्च को इस विधान सभा ने पारित किया। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। 11 अप्रैल को महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद गजट नोटिफिकेशन हो गया। उसके पश्चात् उसमें पांच कमेटियां बनीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर हैं, प्रश्न पूछिए। 131 में डिस्कशन नहीं है, आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक मिनट, पूछ रहा हूं। मैं निवेदन करूं आपने यह कहा कि आपने 6 महीने की समीक्षा में इस बात को लिया। 6 महीने की समीक्षा में आपके मंत्रिमण्डल की उप समिति, जिसने अपना पूरा काम-काज करके, मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने अपनी अंतिम बैठक कर ली, अंतिम बैठक करने के पश्चात् आप यह कह रहे हो कि अब यह मंत्रिमण्डलीय सचिवालय, यानी मुख्य मंत्री जी के पास आपने इसको विचारार्थ भेज दिया।

मंत्री महोदय, अभी कोरोना पर आप बयान देंगे, दो हजार चिकित्सक हैं, इलेक्ट्रोपैथी वैकल्पिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून बन गया, कानून बनने के बाद, बोर्ड बनना था, वह इसलिए नहीं बन पाया कि आचार संहिता, कमेटी की रिपोर्ट थी, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट लेट आई। जिस दिन मुख्य मंत्री जी ने बोर्ड पर हस्ताक्षर किए उसी दिन आचार संहिता लग गई। क्या मंत्रिमण्डल के द्वारा अनुमोदित, विधान सभा द्वारा पारित इस एक्ट के अनुसार राज्य सरकार बोर्ड बनाने की मंशा रखती है या नहीं? या इस वैकल्पिक पैथी, जिसको दुनिया मान रही है, उस वैकल्पिक पैथी को आप झोलाछाप डाक्टरों की श्रेणी में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण लाने की मंशा रखते हैं? बताइये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, पहली बात तो मंत्रिमण्डलीय उप समिति की रिपोर्ट मुख्य मंत्रीजी के पास है, विभाग के पास नहीं आई है। दूसरी बात आप कह रहे हैं, दुनिया मान रही है। मेरा तो इनसे ही प्रश्न है, क्या भारत सरकार इसको मान रही है, आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। बाकी आगे मैं आपको और बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है। भारत सरकार ने जो 6 पैथियां हैं उसमें ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने कहा, पूरा विश्व मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है, तो क्या भारत सरकार इसको मान रही है? आप यही बता दो मुझे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं निवेदन करूं ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि राजस्थान के इस सदन ने इसको माना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, सदस्य को इंगित न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राजस्थान की जनता ने विचार-विमर्श करने के बाद सदन ने जिस एक्ट को पारित किया, आज उसकी वैधानिकता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। चले जाएंगे, निर्णय ये भी लेंगे। निर्णय सदन पारित करेगा। (व्यवधान) दूसरी बात है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस पर भाषण की गुंजाइश नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह मेरा काम है। माननीय सदस्य, आपका प्रश्न हो गया। माननीय मंत्रीजी।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो चूरू से आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसको दुनिया मानती है। तब मैंने कहा कि इसको भारत सरकार ही नहीं मानती है। यह अलग-अलग, जो जहां-जहां जिस स्तर पर इस पद्धति का परीक्षण हुआ, आप कहो तो मैं इसको प्रेषित कर देता हूं, आप कहो तो मैं इसे आपको पढ़कर सुना देता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, विधान सभा ने जब पारित कर दिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें, आपको अधिकार नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): विधान सभा में पारित हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज आप बैठें नीचे। माननीय सदस्य।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में पारित होकर एक्ट बन गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं, यह तरीका नहीं है। यह कोई तरीका है क्या? चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई। बैठें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर। चर्चा समाप्त हुई। आप चाहते नहीं हैं। I'll not allow. I'll not allow. I'll not allow. एक और है, कब आएगा। माननीय मदन दिलावरजी। यह कोई तरीका नहीं है। आपको दिया, तीन सदस्य खड़े हो गये।

कोटा शहर में सूअरों, श्वानों और बंदरों का आतंक

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में सूअरों, श्वानों, बंदरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम, कोटा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से शिकायतें प्राप्त होने पर संविदा के माध्यम से 2017-18 में 2135 तथा वर्ष 2018-19 में 1747 उत्पाती बंदरों को पकड़ करके जंगल में छुड़वाया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 की ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पाती बंदर कहते हुए इन्होंने मेरी तरफ, इस तरफ क्यों देखा?

श्री अध्यक्ष: आप क्यों देख रहे थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह मैं हूं उत्पाती बंदर?

श्री अध्यक्ष: आप क्यों देख रहे थे? आपका काम नहीं है देखने का, कौन, किसको, क्या बोल रहा है। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, बोलिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने तो देखा नहीं, साहब। मैंने तो कुछ किया भी नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप तो कुछ करते ही नहीं हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वित्तीय वर्ष 2019-20 की निविदा दिनांक 30.12.2019 को जारी की गई किन्तु एकल फर्म द्वारा अमानत राशि का डी.डी. जमा नहीं कराने के कारण निविदा को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् पुन: दिनांक 20.01.2020 को निविदा जारी की गई किंतु किसी संवेदक ने भाग नहीं लिया। नगर निगम द्वारा पुन: 31.01.2020 को निविदा जारी की गई। प्राप्त निविदाओं का शीघ्र निस्तारण कर उत्पाती बंदरों को पकड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन हुआ यह कि जो टेंडर आया, वह पहले जो टेंडर आया था, वह तो आया था 380 रुपये प्रति बंदर को पकड़ने का, अब जो आया वह 487 रुपये आ गया, तो फिर नेगोसिएशन की बात आई। नेगोसिएशन में जो कुछ भी उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिये ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): बंदर ज्यादा उत्पाती हो गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय, जितने उत्पाती हैं, उनको रोको। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नेगोसिएशन के बाद में इसका फैसला हो जायेगा।

रहा सवाल सूअरों का। सूअरों को पकड़ने के लिये भी 31.01.2020 को निविदा जारी की गई। कोई नहीं आया। वजह क्या है, वजह आप भी जानते हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज के कई लोग इस बात का विरोध करते हैं कि सूअरों को मत पकड़ो। अब कोई चारा नहीं है। आपको कोई रास्ता दिखता हो तो आप भी सजेस्ट करना। उस पर काम करेंगे।

आवारा श्वानों का, कुत्तों को पकड़ने की कार्यवाही किये जाने पर कोटा एनिमल सोसायटी के द्वारा उक्त कार्यवाही का विरोध किया जाकर उक्त सम्बन्ध में जारी माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रति प्रस्तुत कर दी गई। जिसके अनुसार आवारा श्वानों को मानवीय तरीके से पकड़कर उनका बंध्याकरण करना और वैक्सीनेशन किया जा करके पकड़े गये स्थान पर ही छोड़ने का आदेश दिया गया। उक्त सम्बन्ध में नगर निगम, कोटा द्वारा विभिन्न एजेंसियों में समन्वय स्थापित करके कोटा शहर में आवारा श्वानों की संख्या नियंत्रित करने, उनको रैबीज बीमारी से रोगमुक्त रखने और पागल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

श्वानों को पकड़ करके बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय मोखापाड़ा पहुंचाने एवं एनिमल बर्थ कंट्रोल, ABC, कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर कार्य किया जा रहा है। यह म्यूनिसिपैलिटी के स्टाफ द्वारा पकड़े जाते हैं।

नगर निगम के द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भी पकड़कर बहूद्देशीय चिकित्सालय, मोखापाड़ा, कोटा में पहुंचाये गये आवारा श्वानों के बंध्याकरण एवं टीकाकरण हेतु आवश्यक दवाइयां नगर निगम, कोटा द्वारा उपलब्ध कराई जाकर उक्त आवारों श्वानों को बंध्याकरण व टीकाकरण उपरांत पकड़े गये स्थानों पर छोड़ा जा रहा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत कोटा शहर से अभी 57 आवारा श्वानों को पकड़कर उनका बंध्याकरण व टीकाकरण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ, कैनेल बनाने के लिये 27 लाख रुपये का टेंडर और किया गया है, जिसमें कुत्तों को रखा जाएगा। उनके लिये आपरेशन थियेटर और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

माननीय सदस्य, जो मुख्य समस्या है, वह है सांडों की और गायों की। आपने उसके बारे में नहीं बोला। मुझे उस बात की चिंता है कि सांडों और गायों की आपस की लड़ाई में कोटा शहर में 43 आदमी मर गये। उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया। आपने अपने 131 के प्रस्ताव में यह लिखा कि बंदरों से आदमी मर गये। एक आदमी बता दो मुझे, जो मर गया हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कोटा शहर के वार्ड नम्बर 8, गणेश नगर में जितेन्द्र जांगिड़ को सूअर ने काटा? क्या यह सही है वार्ड नम्बर 32, विनोबा भावे नगर में सूअरों का इतना आतंक है कि मोहन प्रजापति के बेटे को सूअरों ने पीछा करके उसको गिरा दिया, उसका हाथ टूट गया? क्या यह सही है कि दुर्गालालजी के छोटे बेटे का सूअर द्वारा हाथ चबा लिया गया? क्या यह भी सही है कि आहूजा नगर में नन्दलालजी राठौड़ के पोते को सूअरों द्वारा काट लिया गया? क्या यह भी सही है कि विनोबा भावे नगर में राजू वैष्णव के बच्चे का सूअरों द्वारा हाथ चबा दिया गया? क्या यह भी सही है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नाम बोलने की जरूरत नहीं है। यह बता दें कि यह-यह हुआ है। नामों का अंत नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं कहता हूं, ये कह रहे हैं न कि सूअरों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या सूअरों का कोई मालिक नहीं है। मेरा निवेदन है कि क्या सूअरों का कोई मालिक नहीं है और आपने सुरक्षित रखने के लिये उनको बाड़ा अलाट नहीं किया हुआ? क्या उनमें से कई नगर निगम के कर्मचारी नहीं हैं? आप इनको पाबंद कर सकते हैं। जब आपने इनको जमीन आरक्षित कर दी, नहीं की तो कर दो। उसमें वे अपने सूअर रखें। क्या जनता की मौत की कीमत पर इनको इस प्रकार से खुला छोड़ देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरा निवेदन है, सूअरों को कंट्रोल किया जा सकता है, यदि इनकी इच्छा शक्ति हो तो। इसी प्रकार से इन्होंने यह कहा है कि 57 कुत्तों का बंध्याकरण किया गया है। आपने इतने दिनों में केवल 57 कुत्तों का किया और आपने कहा कि हमने यह किया और वह किया, न्यायालय ने यह-यह कर दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न करिये, ऐसे नहीं। माननीय कटारियाजी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समझें। यह ध्यानाकर्षण है, लिमिटेशन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। यह कुत्तों के कारण से शहर जो परेशान है, उसका आधार है कोर्ट का फैसला। क्या सरकार अपने द्वारा एस.एल.पी. करके गलत तरीके से, हमारी पैरवी नहीं होने के कारण से शहर आज कुत्तों के कारण से, कोई मौहल्ला और कोई जगह ऐसी नहीं, जहां परेशानी नहीं है। अकेले बांसवाड़ा में 744 लोग कुत्तों के काटने के कारण, जो पागल कुत्ता हो जाता है, उसके काटने के कारण से अब तक वहां 24 डैथ्स हो गयीं। यह एक जगह की ही नहीं, सबकी समस्या है। मैं चाहता हूं कि इसका स्थाई हल निकालने के लिये, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इसका बंध्याकरण करने के बाद उसी जगह वापस छोड़ो। उसके कारण से उसकी बढ़ती हुई संख्या को कोई रोक नहीं पा रहा है तो हम क्यों नहीं कोर्ट के अन्दर जा करके अपने केस को प्लीड करें और इस समस्या के लिये कोई हल निकालने का प्रयत्न करें। बाकी मानवीय दृष्टि से हो सकता है, वे वहीं रहें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन मैं सोचता हूं कि जनता को जो नुकसान हो रहा है और विशेष करके पागल कुत्ते के काटने के कारण से, अगर वह गलती कर गया और इलाज समय पर नहीं कराया तो जो अपने गिरधारीजी, आपके नाथद्वारा के, कुत्ते के काटने के कारण से कितने सालों के बाद पागल होकर जिस प्रकार से उनकी डैथ हुई है, मैं सोचता हूं इस बीमारी को साधारण नहीं समझकर सरकार इस पर विचार करे, न्यायालय में जा करके इसका कोई उचित हल निकालने का प्रयत्न करे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह शायद जैसा मुझे ध्यान आ रहा है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला है, अब इसकी अपील कहां पर करने जाएं? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और उन्होंने यह कहा कि जहां से पकड़ते हो, वहीं पर इसका बंध्याकरण और यह वैक्सीनेशन करके उसको उस जगह पर छोड़ो। अब सवाल यह आता है कि आपने जो रैबीज की बात की, 57 जो श्वान अभी पकड़े गये हैं, उनका बंध्याकरण और टीकाकरण का काम अभी किया गया है। एक बात।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह बताया कि इसका कोई तरीका निकाला जाए, यह बात बिलकुल सही है। श्वानों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए, रैबीज बीमारी से रोगमुक्त रखने के लिए पागल श्वानों को पकड़कर बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय, मोखापाड़ा पहुंचाने के लिए एनीमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की गयी है, जिसके नतीजे भी आते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साहब, नहीं है लेकिन इस काम में दिक्कत तो आती ही है। यह बात तो सही है कि दिक्कत बहुत आती है। चाहे आप बंदरों को पकड़ने की बात कहें, चाहे यह श्वानों को पकड़ने की बात करें और रहा सवाल यह जो अभी माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर साहब ने पूछा, सूअरों का तो आप तो स्वयं जानते हैं कि कौन रोकता है इनको? उनको रोकने वाले हैं कौन जो पकड़ने के लिए रोक देते हैं? क्या पहले कभी पकड़ लिये गये क्या? नहीं पकड़ में आते हैं क्योंकि उनको पालने वाले लोग मौजूद हैं, वह पालने वाले आकर झगड़ा करते हैं और वापस छोड़कर दे देते हैं।

(12.40 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह केवल इतना ही कह रहा हूं कि इस विषय को आप भी गंभीर मान रहे हैं और हम भी गंभीर मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, समझ में आ सकता है। वापस उसको वहीं पर छोड़ो तो इनकी जो बढ़ती हुई संख्या है क्योंकि आप सेंटपरसेंट उनका बंध्याकरण नहीं कर पा रहे हैं, यह संभव भी नहीं है। मैं जो प्राब्लम फेस कर रहा हूं न, आप किसी भी गली में जाएंगे तो आज केवल गांव और गली, सबसे ज्यादा परेशान है तो कुत्ते और वह भी जब पागल हो जाते हैं तो उसके बाद उनको मारना भी अपराध की तरह से हो गया। अब कैसे करेंगे? इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो भी आपके वकील हों, जो भी लोग हों, जो इसके लिए कोई रास्ता ढूंढ सकते हों तो हमको कोर्ट के द्वारा ही इस रास्ते को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, बाकी इसके कारण से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपके नेता के बोलने के बाद में क्या बाकी रह गया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कुत्ते काटने के कारण से जो डैथ हो रही है, वह बहुत ही भयानक मतलब, अब इसका रास्ता निकालने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सफलता मिलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा? हम लोगों ने प्रयत्न ही शुरू नहीं किया। एक उस फैसले को लाकर रख दिया और उसके बाद कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह कोशिश आप करिए ताकि कम से कम इसका कोई स्थाई हल निकालने का काम हो। ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट ने एक बार कोई फैसला कर दिया तो उसके आगे कुछ विचार ही नहीं हो सकता है, दुबारा भी विचार हो सकता है और हम अपने केस को ठीक तरह से कंविन्स करने के लिए जो भी डेटा आपके पास इकट्ठे हैं, इतने वर्षों के उस शहर में बढ़ी हुई संख्या को ले जाकर आप रखिए कि आगे इनको रखेंगे कहां? रातभर लोग परेशान होते हैं और लोग सो भी नहीं पाते हैं, इस तरह आखिर कहीं तो इसकी समस्या हल होनी होगी?

श्री सभापति: श्री रघु शर्मा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपको बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। विराजिये आप। नहीं, बिलकुल नहीं। आप विराजिये। आपके नेता बोल चुके हैं, अब आप विराजिये। प्लीज, सहयोग करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं बीच-बीच में नहीं बोलता, मैं आसन की हर बार आदेश की पालना करता हूं।

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: आप सुझाव माननीय मंत्रीजी से मिलकर दे देना, उनके कक्ष में। आप विराजिये। मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप सुझाव दीजिए, आप मंत्रीजी के कक्ष में जाकर मिलिये। नहीं-नहीं, माननीय नेता, प्रतिपक्ष के बोलने के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज आप सहयोग करें। श्री रघु शर्मा। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: हां, आप जवाब दीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने जो बात उठाई है न, यह बात सही है कि अब कोर्ट में जाने से तो मैं यह समझता हूं कि कोई रिलीफ मिलने वाला है नहीं क्योंकि कोर्ट ने तो यह डाइरेक्शन दे दिये कि इनका बंध्याकरण करो और वैक्सीनेशन करो और पकड़कर उस जगह पर छोड़ दो तो उसकी गली यही निकाली गयी है कि कैनेल बनाने के लिए जो है वह इंतजाम किये जा रहे हैं। अभी 27 लाख रुपये का जो टेंडर किया है वह इसी बात के लिए किया है कोटा नगर निगम ने कैनेल बनाने के लिए, जिसमें एक कैनेल में कम से कम भी पचास कुत्ते आ जाते हैं, एक बात।

दूसरी बात, जैसे-जैसे पकड़ में आते हैं, वैसे-वैसे उनका वैक्सीनेशन और यह बंध्याकरण वगैरह यह सब कुछ किया जा रहा है। अब इसके अलावा कोई रास्ता या और कोई सुझाव आप देना चाहें तो वह सुझाव मानने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: विराजिये। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। श्री रघु शर्मा। विराजिये, आपके सुझावों की जरूरत नहीं है। पूरा सदन जो है वह ज्ञानवान है और हर माननीय सदस्य सुझाव देगा तो वह माननीय मंत्री महोदय के कक्ष में जाकर दें। आप विराजिये। नहीं, पूरा सदन ज्ञानवान है। 200 लोग हैं, ये सारे ज्ञानवान हैं। आप विराजिये, जवाब आ गया। श्री रघु शर्मा।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हाउस तो आर्डर में आये।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, माननीय नेता, प्रतिपक्ष के बोलने के बाद में बाकी चीज कोई नहीं बच जाती। यह चर्चा अंतहीन नहीं हो सकती।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। इसकी अंतहीन चर्चा नहीं कर सकते, विराजिये आप। प्लीज, विराजिये। नहीं, मैं सुन चुका। आपसे यह आग्रह है कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने अपनी सारी बात, जो मूल समस्याएं थीं, उनके बारे में अवगत करा दिया, अब आप विराजिये। क्यों जिद करते हैं?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: पूरा सदन ज्ञानवान है, यहां पर एक से एक बढ़कर ज्ञानवान लोग बैठे हुए हैं। सारे विषय विशेषज्ञ हैं, आप बैठिये। प्लीज, क्या मजाक बना रखी है? सारे विषय विशेषज्ञ हैं, सबके सब। यह देखिए, पूरा विषय विशेषज्ञों से सदन भरा पड़ा है। आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। प्लीज, आप विराजिये। आप क्यों जिद करते हैं? आप विराजिये। अंकित नहीं हो रहा। किसी का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: श्री रघु शर्मा।

शासकीय वक्तव्य

कोरोना वायरस का प्रकोप

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कोरोना वायरस विश्व के सामने एक भयावह महामारी के रूप में

(श्री रघु शर्मा)

सामने आया है और यह निश्चित बात है कि भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। इस पर आपने जो वक्तव्य देने की व्यवस्था दी है, मैं यह समझता हूं कि इस वक्तव्य के माध्यम से राजस्थान में mass awareness बढ़ेगी, आम आदमी को हम जागरूक कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, डब्ल्यू.एच.ओ. के द्वारा कोरोना वायरस के रोग को COVID-19 का नाम दिया गया है। यह नए श्वसन रोग के रूप में सामने आया है और चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में सर्वप्रथम दिसम्बर, 2019 में पाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्तमान में वायरस की प्रकृति के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है क्योंकि पहली बार यह वायरस दुनिया के सामने आया है।

इसके लक्षण, COVID-19 के, श्वसन रोग होने से इसके लक्षण बुखार व थकान, सिरदर्द, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में परेशानी इत्यादि हैं। अगर यह लक्षण नजर आते हैं तो यह प्रारंभिक तौर पर सिम्पटम्स के रूप में कोरोना वायरस हो सकता है। उसके बाद मनुष्य के द्वारा इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यह बीमारी कैसे एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में जाती है? तो जब आदमी छींकता है तो छींकते वक्त जो ड्रोपलेट निकलती है छींक के साथ, वह ड्रोपलेट के माध्यम से सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होता है। जिस जगह पर आदमी छींकता है, मान लीजिए उस सरफेस के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति ने हाथ लगाया, उसके द्वारा भी यह ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा रोगी द्वारा कोई वस्तु को छूता है उससे भी यह ट्रांसमिशन हो सकता है। एक दूसरे के सम्पर्क में आने से भी यह ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके जो रोकथाम के उपाय हैं, माननीय सभापति महोदय, इसकी रोकथाम ही, इसका बचाव ही मतलब, सावधानी ही इसका बचाव है। पूरी दुनिया में हम जितना सावधान रहेंगे, वह ही इसका बचाव है। इसकी रोकथाम के जो बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, वह निम्न हैं:-

खांसते और छींकते वक्त या तो डिस्पोजेबल टिश्यू हम इस्तेमाल करें या हमारे पास रूमाल हो, उसको इस्तेमाल करें या फिर यह बांहें, इस पर आप अपने इस्तेमाल करें।

दूसरा, हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोना और सैनिटाइजर

(श्री रघु शर्मा)

का इस्तेमाल करना, यह भी जरूरी है। टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त, जैसा कि मैंने कहा बाजू, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर किसी के पास टिश्यू नहीं है, कोई रूमाल नहीं रखता है, उसके लिए यह एडवाइजरी है। उसके बाद जो बीमार है, उससे दूरी बनाये रखें, उसके सम्पर्क में नहीं आएं। जिन परिवारों में यह संदिग्ध केसेज पाये गये हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे, पूरे प्रदेश की जनता को यह अपील करना चाहता हूं कि आपके परिवार में अगर कोई संदिग्ध, इन लक्षणों का कोई पेशेंट मिलता है तो अपने घर के अंदर भी आप उसको होम आइसोलेशन में रख सकते हैं, उसका अलग कमरा रखें और कोशिश करें कि उसके सम्पर्क में नहीं आएं। इसके अलावा बिना हाथ धोए, आंखों को, नाक को और मुंह को छूना नहीं है। यह भी एडवाइजरी का पार्ट है।

कोरोना वायरस रोग की वर्तमान स्थिति, विश्व की स्थिति, यह कोरोना वायरस, अभी तक 75 देशों में फैल चुका है और रोग का अत्यधिक प्रसार प्रथमतः चीन में हुआ। उसके बाद में चीन के साथ-साथ ईरान में पहुंचा, इटली में पहुंचा, हांगकांग में पहुंचा, सिंगापुर में पहुंचा, दक्षिणी कोरिया में गया, जापान में गया, वियतनाम में गया, मलेशिया में गया, नेपाल और भारत सहित यह रोग 75 देशों में फैल चुका है।

WHO द्वारा कोविड-19 को अन्तरराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अभी दुनिया में 02 मार्च, 2020 तक का जो आंकड़ा आया है, माननीय सभापति महोदय, उसमें 87,137 केसेज पाये गये एवं 2,977 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें चीन में 89,968 केसेज आये और 2,973 लोगों की अकेले चीन में मृत्यु होने की सूचना हमको मिली है। अब यह जो 03 मार्च है, जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास आया है। यह संख्या बढ़कर 90,870 केसेज संदिग्ध मरीजों के पाये गये हैं और कैजुअल्टीज का आंकड़ा 3,143 पूरी दुनिया में पहुंच गया है।

03 मार्च, 2020 तक भारत की स्थिति क्या है? भारत सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार देश में एक विदेशी नागरिक, जो इटली से आये थे, उनके सहित कुल 6 रोगी पॉजिटिव पाये गये। 6 रोगियों में से 3 केरल में, दिल्ली में एक, तेलंगाना में एक और राजस्थान में एक, जिनका हमने पूना की वायरोलाजी लैब में टैस्ट कराया और वह पॉजिटिव निकला।

(श्री रघु शर्मा)

अब प्रदेश में स्थिति है कि प्रदेश में अब कुल एक रोगी इटली निवासी एन्ड्री कॉरली, पुरुष, उम्र 69 साल, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एन्ड्री कॉरली की पत्नी श्रीमती लोमबार्डिया पिनोकिया भी प्रारम्भिक जांच में पॉजिटिव पायी गयी है। जो हमारे यहां लोकल लेवल पर जांच की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इस जांच को भी क्रॉस वैरिफिकेशन के लिये पूना की वायरोलोजी लैब में हमने भेजा है। जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो यह पॉजिटिव कन्फर्म होता है कि नहीं होता है, यह अभी रिपोर्ट आना शेष है।

राज्य में 27.01.2020 से भारत सरकार के द्वारा हमको इस रोग की रोकथाम के लिये एडवाइजरी मिली है, उसकी अनुपालना में हमने राजस्थान में अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी। प्रारम्भ में भारत सरकार ने, क्योंकि यह चीन में ही था लोकलाइज्ड, तो चीन से यात्रा करके जो 20 यात्री थे, उनकी सूची हमारे को भारत सरकार ने भेजी तथा इनमें से 18 यात्रियों में किसी प्रकार के लक्षण नहीं मिले। दो यात्री अब्दुल राहिल, आयु 21 वर्ष, निवासी सांगानेर, जयपुर को बुखार के लक्षण पाये गये। उसके बाद 21 वर्षीय राहु ल, जो निवासी सामोद, चौमूं का था, उसमें भी इस तरह के लक्षण पाये गये। माननीय सभापति महोदय, दोनों को आइसोलेशन में हमने रखा। आइसोलेशन में रखने के बाद इनके नमूने पूना की वायरोलॉजी लैब में, क्योंकि उस समय टैस्टिंग फैसेलिटी जयपुर में नहीं थी तो वहां पर हमने इनके नमूने भेजे। वह दोनों नमूने नेगेटिव आये। उसके बाद एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में यह जांच की सुविधा 02 फरवरी, 2020 से हमने यहीं प्रारम्भ कर दी और राज्य में एस.एम.एस. मेडिकल कालेज के माइक्रोबायोलाजी विभाग की टीम द्वारा कोरोना वायरस रोग की जांच प्रारम्भ की गयी। आज दिनांक तक एस.एम.एस. लैब में 113 नमूनों की जांच की गयी है। जांच किये गये नमूनों में 98 नमूने नेगेटिव आये हैं, एक पॉजिटिव आया है, एक प्रारम्भिक जांच में पॉजिटिव आया है और 13 के परिणाम आने शेष हैं, क्योंकि लोड बढ़ गया, माननीय सभापति महोदय, इसलिए 13 की पैंडेंसी है, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है।

कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु विभागीय गतिविधियां:-

माननीय सभापति महोदय, सांगानेर में अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जब यह वायरस का प्रकोप बढ़ा तो हमने, क्योंकि बाहर से यह आठ अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें यहां पर आती हैं। एक उड़ान एयर अरेबिया आती है, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस, एक स्पाइस जेट आती है, एक ओमान एयर, उड़ान संख्या 276

(श्री रघु शर्मा)

आती है, एक ओमान एयर, उड़ान संख्या 274 आती है, एक एयर एशिया आती है और एक थाई एयर एशिया और थाई स्माइल आती है। यह आठ फ्लाइट हमारे यहां आती हैं। हमारे विभाग ने वहां पर स्क्रीनिंग के लिये जो भी यात्री आ रहे हैं, उनकी माकूल व्यवस्था हमने कर दी। वहां पर उनकी स्क्रीनिंग हुई। उनमें से जिन लोगों में इसके लक्षण पाये जाते हैं, उनको हम जांच सैम्पल के लिये हमारी एस.एम.एस. लैबोरेट्री में भेजते हैं। यह प्रक्रिया हमारी अभी चल रही है और वर्तमान में सांगानेर एयरपोर्ट पर शरजाह, दुबई, कुआलालम्पुर, मस्कट, ओमान, थाईलैण्ड, बैंकाक, इन देशों से डायरेक्ट फ्लाइट हमारे यहां आती हैं।

मेडिकल टीम, जो 28.01.2020 को एयरपोर्ट सांगानेर पर लगायी थी उसमें पांच डाक्टर्स लगाये, पांच नर्सिंग स्टाफ लगाये और इनकी नियमित स्क्रीनिंग का काम तब से जारी है। सांगानेर एयरपोर्ट पर इस अवधि के अंदर अब तक 168 एयरक्राफ्ट उतरे। माननीय सभापति महोदय, उसमें 26 हजार से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा की गयी है। इनमें से 104 लोगों के सैम्पल हमने लिये, उनमें से जांच के लिये उनको भेजा गया। 77 प्रभावित देशों से आये थे, इनमें से 9 लोगों को लक्षण पाये जाने पर उनकी जांच करायी गयी, जांच नेगेटिव आयी।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद अन्तरराष्ट्रीय उड़ान से आने वाले यात्रियों को कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी हमारा विभाग पैम्फलेट्स के माध्यम से दे रहा है। वहां हमने डिस्प्ले करा रखा है एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें पूरे बिन्दु हमने दे रखे हैं। यह विज्ञापन भी अख़बार में निकाला और वहां पर भी बोर्ड डिसप्ले किया हुआ है कि आपको क्या-क्या सावधानी रखनी है। अगर इन लक्षणों के साथ आप एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं तो फिर आपकी जांच की जरूरत है तो जांच सैम्पल लेकर कराएंगे।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना प्रभावित देशों में चीन, ईरान, इटली, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, जापान, वियतनाम, मलेशिया व नेपाल देश से आने वाले यात्रियों पर हम लोग विशेष निगरानी रख रहे हैं। इसके लिये हमने कंट्रोल रूम की सुविधा बना रखी है। निदेशालय के स्तर पर भी कंट्रोल रूम है और जिलों में भी 24x7 हमारा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। उनके नंबर भी हमने सब लोगों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की हुई है।

(श्री रघु शर्मा)

जयपुर का कांटेक्ट नंबर 0141-2225624 है और जो टोल फ्री नंबर है, पूरे प्रदेश के लिये वह 108 और 104 है। आप कहीं भी पूरे प्रदेश से इन नंबरों पर काल कर सकते हैं ताकि हमको इन्फोर्मेशन मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को 28 दिन तक का एक कोर्स है, जो उनको घर पर रहकर 28 दिन निगरानी में रखने की सलाह दी जाती है और आराम करने की सलाह दी जाती है। ये लोग मेडिकल टीम की निगरानी में रहते हैं और लक्षण पाये जाने पर तुरंत चिकित्सक को सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। इनको कहा जाता है कि आप मास्क पहनकर रहो, इनको कहा जाता है कि आप बार-बार साबुन से हाथ धोएं। वह जो सावधानियां मैंने पहले बतायी हैं, उन सावधानियों से इनको अवगत कराया जाता है।

आइसोलेशन अस्पताल एवं वार्ड :- कोरोना वायरस से संदिग्ध रोगियों को उपचार करने हेतु पृथक से 30 बैड का एस.एम.एस. जयपुर में आइसोलेशन अस्पताल की सुविधा है। साथ ही समस्त मेडिकल कालेज व जिला अस्पतालों में भी आइसोलेशन बैड की सुविधा है, क्योंकि हम स्वाइन फ्लू के कहर से गुजरे हैं तो पूर्व में यह व्यवस्था हमारे पास आइसोलेशन वार्ड की है। उन्हीं आइसोलेशन वार्ड को हम हमारी इस बीमारी के उपचार के लिये काम में ले रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों में लक्षण पाये जाने पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर जांच निगरानी व उपचार किया जाता है। अब तक कुल 89 यात्रियों को संबंधित जिले के मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल में जांच एवं उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है, जिनमें 67 को लक्षण होने पर एवं शेष को निर्देशानुसार चीन से अधिक प्रभावित क्षेत्र वुहान से आने के कारण, उनमें लक्षण नहीं होने के बावजूद, चूंकि वह वुहान से आये थे, उनको हमने एहतियात के तौर पर भर्ती कर लिया और उनकी जांच की गयी। इनकी सबकी जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आयी है।

संसाधन- प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम व उपचार हेतु चिकित्सा संस्थानों पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पी.पी.ई. किट, यह भारत सरकार की एडवाइजरी में भी है और यह हम उपलब्ध कराते हैं। इसमें N-95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाये गये हैं।

(श्री रघु शर्मा)

(13.00 बजे)

पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पी.पी.ई.) किट में मास्क, गाउन, कैप, ग्लब्स, शू कवर, गोगल्स होते हैं। दो प्रकार के मास्क हैं एक ट्रिपल लेयर मास्क जो सामान्यजन के उपयोग के लिए होता है और दूसरा एन-95 मास्क जो रोगी और रोगी का उपचार करने वाले चिकित्सक और अन्य मेडिकल स्टाफ के उपयोग में काम में आता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने 50 हजार पीपीई किट, पांच लाख एन-95 मास्क और पांच लाख ट्रिपल लेयर मास्क, इनके खरीदने के निर्देश आरएमएससीएल को दे दिये हैं और ये जल्दी ही प्रिक्योरमेंट भी होगा और उसके साथ ये उपयोग में भी आएंगे।

प्रचार-प्रसार: विभिन्न समाचार पत्रों में मैंने आपको बताया विज्ञापन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, जो इलेक्ट्रोनिक चैनल्स हैं, उनके माध्यम से भी इसकी सावधानी, इसके बचाव के बारे में हम लोग बार-बार टोल फ्री नंबर के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, बचाव के बारे में भी क्या सावधानी आदमी को रखनी है, वह जानकारी दे रहे हैं और ओरिएंटेशन भी हुआ है। दिनांक 29 जनवरी, 2020 को समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों और दिनांक 03.02.2020 को सभी राजकीय और निजी मेडिकल कालेज के चिकित्सकों का कोरोना वायरस के सम्बन्ध में ट्रांसपोर्ट डिस्चार्ज पालिसी, पी.पी.ई. किट का उपयोग व निस्तारण आदि के सम्बन्ध में चिकित्सा कार्मिकों का ओरिएंटेशन का प्रोग्राम हमने आयोजित किया है।

इसमें हम अंतर विभागीय समन्वय भी कर रहे हैं, पुलिस विभाग का सहयोग ले रहे हैं, प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं, कलेक्टर्स का सहयोग ले रहे हैं, समीक्षा बैठक भी बराबर हो रही है। 27.01.2020 से नियमित निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और एस.एम.एस. मेडिकल कालेज के अधिकारियों को कोरोना वायरस के बचाव, नियंत्रण, जांच, उपचार एवं इसका प्रचार-प्रसार बचाव के लिए, आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार से हमको जो गाइड लाइन मिल रही है उसके अनुसार कार्यवाही किये जाने एवं समीक्षा करने, इसका क्रम लगातार जारी है और उसकी प्रतिदिन सूचना बुलेटिन के द्वारा हम भारत सरकार को भी भेजते हैं और मीडिया को भी प्रेस नोट के माध्यम से जारी करते हैं।

(श्री रघु शर्मा)

कोरोना पॉजिटिव जो राजस्थान का मामला है, माननीय सभापति महोदय, यह टूरिस्ट आये, ये 26 लोगों का ग्रुप था, उसमें 23 लोग इटली से थे, शेष तीन उसमें एक हैल्पर था, एक ड्राइवर था और एक गाइड था, ये 26 लोग दिल्ली से चले। ये हमारे यहां एयरपोर्ट पर नहीं उतरे, ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, माननीय सभापति महोदय। अब कोई आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है क्योंकि पक्ष और विपक्ष सबके लिए चिंता है, भारत सरकार भी चिंतित है और राजस्थान सरकार भी चिंतित है लेकिन किसी न किसी रूप में अगर यह व्यवस्था बैठ जाए कि इनकी स्क्रीनिंग वहीं हो जाये और चूंकि, सभापति महोदय, 14 दिन का कोर्स होता है, 14 दिन में किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोरोना वायरस का प्रवेश होता है तो वो कभी भी प्रकट हो सकता है इसलिए कोई भी यात्री, क्योंकि इटली थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहां सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं इस वायरस के, वहां से आने वाले टूरिस्ट का स्क्रीनिंग होना जरूरी था, मुझे नहीं मालूम उनकी स्क्रीनिंग हुई कि नहीं हुई।

दूसरी बात यह है कि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं इनका ट्रैवल प्लान भी हमको राजस्थान सरकार को अगर दिल्ली से मिल जाता तो यह कौनसे डेस्टिनेशन पर आ रहे हैं, हमारी हैल्थ डिपार्टमेंट की टीम वहां चली जाती, तो यह दो चीजें हमें मिली नहीं। हमें इस बात की रिपोर्ट नहीं मिली कि इनकी स्क्रीनिंग दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई कि नहीं हुई। दूसरी चीज इनका ट्रैवल प्लान, उसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाई, लेकिन यह लोग 21 तारीख को झुंझुनूं पहुंचे, कैसल मंडावा में। इन्होंने बस से ट्रैवल किया, ये 22 फरवरी को बीकानेर पहुंचे, गजकेसरी रुके। फिर उसके बाद ये पहुंचे 23 और 24 तारीख को रंगमहल जैसलमेर, उसके बाद ये पहुंचे जोधपुर, ये 25 तारीख को होटल पार्क में रुके। फिर उसके ये पहुंचे 26 तारीख को उदयपुर में होटल ट्राइडेंट में रुके। उसके बाद ये 28 तारीख को जब उदयपुर से जयपुर के लिए ट्रैवल कर रहे थे, माननीय सभापति महोदय, तब रास्ते में इनमें से एक यात्री की तबीयत खराब हुई। यहां रमाडा होटल में वो आकर रुके और रोकने के साथ ही एम्बुलेंस मंगानी पड़ी, एम्बुलेंस मंगाई, उनको फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया, एक दिन वहां रहे, फोर्टिस हास्पिटल के लोगों ने उनको एस.एम.एस. अस्पताल के लिए रैफर कर दिया, 29 तारीख को वो एस.एम.एस. अस्पताल में आ गये। 29 तारीख को जैसे ही वो एस.एम.एस. अस्पताल में आये, हमने उनको सीधा आइसोलेशन में लिया, जो आइसोलेशन

(श्री रघु शर्मा)

वार्ड वहां बना हुआ है और उसके बाद उनके स्वाब की जांच की गई। उस स्वाब की जांच में, वो रिपोर्ट नेगेटिव आई जो हमने यहां लैबोरेटरी से जांच की सुविधा विकसित कर रखी है। उसके बाद हमने मरीज को मेडिकल आई.सी.यू. में शिफ्ट किया क्योंकि जब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो उसको मेडिकल आई.सी.यू. में क्योंकि और भी पैरामीटर्स की जांच की जरूरत थी और वो ठीक हो जाये, यही मानते हुए हमने उनको मेडिकल आई.सी.यू. में शिफ्ट कर दिया।

चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 14 दिन इसके लिए गंभीर होते हैं और जिस भी आदमी में यह लक्षण हैं, हर तीसरे दिन उसके वापस सैंपल लेने की प्रक्रिया है तो 2 तारीख को फिर से उनका सैंपल लिया गया, माननीय सभापति महोदय, 2 तारीख को वह सैंपल पॉजिटिव निकला हमारी अपनी जांच में। अब जब 29 तारीख की रिपोर्ट में वह नेगेटिव था, 2 में वह पॉजिटिव आ गया, 2 तारीख की रिपोर्ट आ गई, क्रोस वैरिफिकेशन के लिए क्योंकि मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एस.एम.एस. में ये सुविधा जरूर विकसित की है। लेकिन यह स्वाब की जांच है, रक्त की जांच की सुविधा पुणे की वायरोलॉजी लैब में ही होती है। इनके रक्त का सैंपल लिया गया क्योंकि दो डिफरेंट रिपोर्ट आई, उस सैंपल को हमने पुणे की वायरोलॉजी लैब में भेजा। माननीय सभापति महोदय, कल शाम को रिपोर्ट आई कि वह पेशेंट पॉजिटिव पाया गया। जब वह पॉजिटिव पाया गया तो उनकी पत्नी जो उनके साथ ट्रैवल कर रही थी, उनकी भी जांच की गई। जांच करने के उपरांत प्रारंभिक रिपोर्ट जो यहां आई है हमारे पास, उसमें वह भी पॉजिटिव निकली। माननीय सभापति महोदय, वह पॉजिटिव निकली तो उनके भी सैंपल को कल हमने पुणे के वायरोलॉजी लैब में भेजा है और अभी वह रिपोर्ट आना शेष है, शायद आज शाम तक आ जाएगी।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, 21 पैसेंजर और थे। 21 पैसेंजर क्योंकि दो पैसेंजर तो यह मैंने आपको बता दिया, टोटल 24 पैसेंजर थे, 3 क्रू मैम्बर गाइड समेत थे, ये जो 21 पैसेंजर और तीन जो लोग थे ये यहां से आगरा चले गये और आगरा से ये दिल्ली पहुंच गए। माननीय सभापति महोदय, दिल्ली पहुंच गये तो हमने भारत सरकार को इन्फार्म किया कि यह जो ग्रुप आया है इसमें से दो लोग, एक पॉजिटिव निकला और दूसरे की पॉजिटिव की संभावना है। भारत सरकार ने इनको अपने नियंत्रण में ले

(श्री रघु शर्मा)

लिया और इनकी सब की जांच हुई। हमने इटालियन एम्बेसी को भी सूचित कर दिया। माननीय सभापति महोदय, इन सब की वहां जांच हुई और अभी ताजा जो रिपोर्ट आई है उसमें 15 लोग दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक वे पॉजिटिव पाये गये हैं, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) क्या?

श्री सभापति: शांत रहें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब ये 23 यात्रियों का समूह भ्रमण के दौरान कहां-कहां गया, ये किन-किन लोगों के संपर्क में आया, ये किन कमरों में ठहरा, इन्होंने कौन-कौन से स्थलों की यात्रा की, हमने विभाग की रैपिड रेस्पोंस टीम गठित की। माननीय सभापति महोदय, इसी 3 तारीख को 60 जो मेडिकल कालेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं उनमें से छह तो ये जो सरकारी क्षेत्र के हमारे पुराने मेडिकल कालेज हैं उनसे जुड़े हुए अस्पताल हैं और एक झालावाड़, वहां पर भी हमने जांच की सुविधा शुरू कर दी ताकि तत्काल सैंपल की जांच हो जाये और हमारे पास रिपोर्ट आ जाये।

इसमें इन मेडिकल कालेजों के जो पी.एस.एम. के प्रोफेसर्स हैं, मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, माइक्रोबायोलोजी के हैं, पीडियाट्रिशियन विभाग के हैं और इनके अलावा जो भी सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनकी यह रैपिड रेस्पोंस टीम गठित की गई है जो एक दल के रूप में जगह-जगह जहां-जहां भी इटली के यात्री रुके हैं, वहां के बारे में ये पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

इटली के दल के सम्पर्क में झुंझनूं में 59 व्यक्ति आए। उनमें से 39 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। 39 लोगों के सिम्प्टम्स नजर आए। जोधपुर में 14 में से 1 के सिम्प्टम्स नजर आए। बीकानेर में 44 में से जीरो, जैसलमेर में भी 14 में से जीरो हैं। पीएमओ जैसलमेर को भी हमने इसके लिए अधिकृत कर रखा था। जोधपुर की टीम को भी डायरेक्शन दे रखा था कि आप जैसलमेर में या यह जिन-जिन स्पाट पर गए हैं, वहां की पूरी रिपोर्ट हमें दें। उदयपुर में 6 में से 1 और रमाडा होटल में 6 जो कार्मिक वहां काम करते हैं, उनके नमूने लेकर के एसएमएस अस्पताल में जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं।

सभापति महोदय, श्री एंड्री के उपचार के दौरान फोर्टिस अस्पताल में 35 में से 9 कार्मिक, एसएमएस अस्पताल में 35 कार्मिकों के कोरोना वायरस की जांच के नमूने लिए गए। यह 35 कार्मिक थे और 2 पेशेंट, क्योंकि मैंने पहले कहा कि वह मेडिकल आईसीयू में थे। वहां शिफ्ट किए गए थे, 2 पेशेंट

(श्री रघु शर्मा)

उनके साथ थे, 35 तो कार्मिक और 2 वह जो मेडिकल आईसीयू में उनके साथ थे, 37 लोगों के नमूने हमने लिए। उनकी भी जांच का प्रबंध किया गया। इस प्रकार अब तक 215 व्यक्तियों के संपर्क में आने की जानकारी प्राप्त हुई है। उनमें से 93 व्यक्तियों के नमूने लिए गए हैं। 51 व्यक्तियों के नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। श्री एंड्री की पत्नी का मैंने जैसे आपको बताया, 41 नमूनों की जांच आना अभी शेष है।

सभापति महोदय, इटली के पर्यटकों द्वारा यात्रा किए गए उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनूं, जोधपुर, जयपुर जिले के नोडल अधिकारियों को, निदेशालय से एक-एक व्यक्ति हर जिले में रखते हैं, जिनको हमने अपोइंट कर रखा है। उन अधिकारियों को संबंधित स्थलों तथा संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग और आइसोलेशन आदि की व्यवस्थाओं की निगरानी और जानकारी रखने का हमने दायित्व दिया है।

सभापति महोदय, दवाओं की आपूर्ति:- हमारे यहां बहुत बड़ी स्कीम नि:शुल्क दवा योजना चल रही है। चाइना जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, उसमें 58 जो हमारे साल्ट्स हैं, जो कि नि:शुल्क दवा के दायरे में हमारी दवाइयां आती हैं, उनके 58 सॉल्ट्स वहां से हमारे यहां आते थे। अब निश्चित रूप से जब पूरी दुनिया की इकोनामी पर असर पड़ रहा है तो इन दवाओं के जो साल्ट्स हैं, इनके आने में भी दिक्कत होगी। अब इसकी वजह से कई लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। कमी की वजह से स्टाक कर सकते हैं। ज्यादा दामों पर बेच सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और औषधि मूल्य नियंत्रण का जो कानून 2013 में बना, इसके तहत कलेक्टर्स से संपर्क किया है कि आप अपने-अपने जिलों में अलर्ट रहें। इस तरह की स्थिति आए तो इन दोनों प्रावधानों के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्यवाही करें ताकि इस तरह की कोई गड़बड़ या माल प्रेक्टिस प्रदेश में नहीं हो पाए।

सभापति महोदय, वैसे तो कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है। यह सच्चाई है। WHO की गाइड लाइन भी आज की तारीख तक नहीं बन पाई है। जहां तक मेरी जानकारी है, वैक्सीन भी इसका अभी तक इसीलिए डवलप नहीं हो पाया कि यह बीमारी ही पहली बार आई है। WHO यह कहता है कि एक साल लगेगा उनको वैक्सीन डवलप करने में। हम अपने स्तर पर फिर भी

(श्री रघु शर्मा)

casualties को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें लक्षण स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। हम 4 तरह की दवाइयां जो भर्ती मरीज हैं, जो संदिग्ध मरीज हैं, उनको दे रहे हैं। वह 4 दवाइयां लोपिनावीर यह एड्स में काम आती है, रेटिनावीर यह भी एड्स में काम आती है। टेमी फ्लू, यह स्वाइन फ्लू में काम आती है और क्लोरोफीन यह मलेरिया में काम आती है। यह दवाइयां हम प्रिकोशन के तहत दे रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से किसी भी दवा को देने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। दवा कोई भी इसकी प्रेस्क्राइब्ड है ही नहीं।

सभापति महोदय, इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। हैल्थ केयर फैसिलिटी में इन्फैक्शन, प्रिवेंशन, कंट्रोल, सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्चार्ज पालिसी, क्लिनिकल केस मैनेजमेंट, इनके बारे में जो भी गाइडलाइन हमको मिली है, हमने हमारे तमाम सीएमएचओ को दिए हैं। जितने पीएमओ हैं, उनको दी हैं। जो हमारे प्राचार्य या सुपरिंटेंडेंट हैं, जो मेडिकल कालेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं उनको हमने एडवाइजरी को भेजा है। कंटेनमेंट प्लान आन डिसइन्फैक्शन पालिसी भी हमने जारी की है। जहां-जहां वह गए हैं, उनको डिसइन्फैक्ट करने का भी काम हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार के द्वारा बराबर वीडियो कांफ्रेंसिंग हमारे विभाग के अधिकारियों से की जा रही है। कल की जो हमारी वीड़ियो कांफ्रेंसिंग हुई, उसमें हमारे एसीएस को भारत सरकार के द्वारा यह तारीफ की गई कि इस वायरस के प्रबंधन में राजस्थान अच्छा काम कर रहा है। इस बात की तारीफ भी हुई। भारत सरकार की गाइडलाइन रोज अपडेट हो रही है। स्थितियां ही इस तरह की हैं कि भारत सरकार भी चिंतित है। रोज ही रिव्यू कर रहे हैं। रोज ही वीडियो कांफ्रेंसिंग हो रही है। जिन राज्यों में प्रभावित लोग हैं। लोग आएंगे और लोग जाएंगे, यह पूरी दुनिया की प्रोब्लम बन चुकी है, हमारे देश की भी प्रोब्लम है।

अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन, भारत सरकार ने आज जारी की है, उसके तहत सारे अंतरराष्ट्रीय विजिटर्स की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया है। एयरपोर्ट पर ही टीम को निर्देशित किया जा चुका है कि जिनके लक्षण मिलें, उनको तुरंत अस्पताल भेजो। उनको आइसोलेशन में रखो।

(श्री रघु शर्मा)

सैम्पल कलेक्ट करो। यह पूरी कंट्री के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं।

सभापति महोदय, दिनांक 03.03.2020 को हमारे एसीएस की भारत सरकार के कैबिनेट सैक्रेटरी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3.3.2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो अंतरविभागीय समन्वय के लिए बनाई गई है, उसकी बैठक हुई, जिसमें शिक्षा, आपदा, पंचायती राज, रेलवे, सेना, रोडवेज, स्थानीय निकाय, आयुष आदि विभागों को शामिल करते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु उनकी जो रेस्पोंसेबिलिटी हैं, उनके बारे में मुख्य सचिव द्वारा उनको अवगत कराया गया है। रेलवे और सेना के अस्पताल जो हमारे राज्य में स्थित हैं, उनमें भी कोरोना वायरस के रोगियों के लिए अलग से आइसोलेशन की व्यवस्था करने की रिक्वैस्ट की गई है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से निजी चिकित्सालयों में भी आइसोलेशन वार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कहते हुए संदिग्ध रोगी पाए जाने पर उनकी जांच करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सभापति महोदय, एक यह आरयूएचएस हमारा विश्वविद्यालय है, कई तरह की अखबारों में खबरें छपी। 30 बैड का आइसोलेशन वार्ड एसएमएस अस्पताल में है। अब अगर यह संख्या बढ़ती है तो हम रातों-रात तो अस्पताल बना नहीं सकते। कोई बना सकता है? आरयूएचएस में आज की तारीख में मरीजों का भार बहुत कम है। उस जगह को हमने इसलिए चुना कि वहां जो 9 लोग हैं, उनको संदिग्ध मानते हुए वहां पर रखा है। वह नावेद खान, 24 साल, जयपुर के हैं, ओमवीर, 22 साल, भरतपुर के हैं। युग, 21 साल, मध्य प्रदेश के हैं। राहुल सिंह, 29 साल, नाहिद कुरैशी, 23 साल, जयपुर के हैं। इनको भी वहां रखा है। शिवराम मीणा, 30 साल, जयपुर के हैं। माधुरी शर्मा, 21 साल, इनको वहां रखा है। वर्तिका जैन, 21 साल, इनको वहां रखा है। कृष्णकांत, यह भी 21 साल के हैं। इस तरह से 9 लोग हैं, जिनको हमने वहां रखा है। यह व्यक्ति कोरोना वायरस रोगी के संपर्क में आए थे, इसलिए हमने इनको संदिग्ध मानते हुए आइसोलेशन में रखा है। इनके अभी तक वायरस के कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं। एसएमएस अस्पताल में जब इनका सैंपल लिया गया तो वह रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, लेकिन सावधानी के तौर पर हमने इनको वहां रखा है। यही सब कुछ था, जो मैंने आपको निवेदन किया।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जो विस्तृत वक्तव्य दिया है, स्वास्थ्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की महामारी है जिससे विश्व चिंतित है। आलोचना-प्रत्यालोचना का कोई अवसर भी नहीं है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है हम सब लोग सदन के माध्यम से राजस्थान की आम अवाम को यह संदेश दें कि इस रोग से लड़ने के लिये पूरा राजस्थान, राजस्थान का सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक है इसलिये मैं मेरी बहस का प्रारम्भ कोई आलोचना से नहीं करना चाहता। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं कि डब्ल्यूएचओ ने अक्टूबर महीने में एक इमर्जेंसी अलर्ट किया था, एक प्रोटोकाल भी जारी किया था और जनवरी के महीने में केन्द्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि ये जो सारे के सारे यात्री आये, पूरा ग्रुप आया, निश्चित तौर पर दिल्ली से जयपुर सड़क मार्ग से आया और आपने जिस प्रकार से बताया कि पूरा अगर इसको हम देखें तो 21 तारीख से यह मण्डावा से प्रारम्भ होकर रमाडा तक 29 तारीख तक रहा। अब निश्चित तौर पर इनके सम्पर्क में जो घूमने आते हैं, सब जगह विजिट भी करते हैं, पर्यटन स्थल भी देखते हैं, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि एक इनकी पूरी ट्रैकिंग हो जाए कि किस-किस मार्ग से ये गये थे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने आइसोलेशन वार्ड बनाये, निश्चित तौर पर आपने इस विभाग को देखा, मैंने भी देखा है, कालीचरणजी ने भी देखा है। स्वाइन फ्लू के समय में देखा। हमारे जो आइसोलेशन वार्ड हैं, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब कोरोना वायरस कोविड19 का पोजिटिव केस आ गया, उसके बाद मेडिकल आईसीयू में आपने उसे रखा। मेडिकल आईसीयू के सारे हालात अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना एक्सपोजर है, आप और हम कई बार गये हैं। इसका जो प्रोटोकाल है, जो गाइडलाइन आपको जारी की, निश्चित तौर पर 27 तारीख को गाइडलाइन जारी की, 27 जनवरी की गाइडलाइन पर आपके विभाग ने 29 तारीख को आमुखीकरण किया, कोई बात नहीं, करना चाहिये, पर आपने 3 मार्च को आइसोलेशन जो आयूएचएस का तीस वार्ड का वहां कर लिया, आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई आलोचना नहीं मंत्री महोदय, बिलकुल भी नहीं, मुझे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि इस प्रकार का जब-जब भी संकट आये।

श्री सभापति: यह अच्छी बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि एसीएस की जो प्रशंसा की बात की, मन से चाहते हैं कि इस प्रबन्धन में आपकी प्रशंसा हो, आपके अधिकारियों की प्रशंसा हो और सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि यह एक सबसे बड़ी चुनौती है कि वायरस प्रवेश करने के लिये दस्तक दे चुका है और हम सब जानते हैं कि आज भी राजस्थान में 33 परसेंट लोगों के सामने काला अक्षर भैंस बराबर है, हम यहां का सामाजिक ताना बाना जानते हैं, इसलिये चुनौती का समय है। मैं चाहूंगा कि आपके आइसोलेशन वार्ड का जो प्रोटोकाल है उसको आप पूरा करो। डब्ल्यूएचओ ने जो आपको प्रोटोकाल दिया कि 14 दिन आइसोलेशन में रखो, कुछ डिस्टेंस में रखने का, इनको पूरा करें।

इसके साथ-साथ जो गाइडलाइन है और गवर्नमेंट आफ इंडिया की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार आप सारा प्रबन्धन करो। मैं तो सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि कोई एफएआर और दूसरे जो भी नियम हैं उनकी चिंता करने की बात नहीं, जो मेडिसन खरीदनी है, जो इक्विपमेंट खरीदने हैं, तत्काल खरीदने हैं, अब के अब खरीदने हैं, बिना टेंडर खरीदने हैं, आप खरीदो, ताकि इस बात से बचाया जा सके और हम सब लोग इस पूरे मामले के अंदर, इसकी रोकथाम के लिये आपके साथ खड़े हैं। इसमें जो कमी खामी मैंने आपको बतायी, इसको अन्यथा नहीं लें क्योंकि अगर आपकी जगह हम भी होते तो यह चिंता प्रकट करते। बहुत बड़ी चिंता है, मुझे तो बड़ी चिंता होती है कि आज जब मैं आ रहा था तो एक कोने पर बच्चे स्कूल जाते हुए बस का इंतजार कर रहे थे, उनके मुंह पर जो मास्क देख रहा था तो हमें लगता है कि आज हर घर चिंतित है, हर व्यक्ति चिंतित है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में चल रहा है, एक जगह दिखाते हैं चीन का एक घर उसमें कुछ लोग जाते हैं और उसको चिनता हुआ दिखाते हैं, प्लास्टर करते हुए दिखाते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलता है, ज्यों ही पता लगता है कि यह कोरोना वायरस से संक्रमित है तो उसको लात मारकर बाहर फेंकते हुए दिखाते हैं। इन सारी चीजों के अंदर हमें सावचेत रहना चाहिये। आपने जो कुछ किया, उसके लिये और किसी मौके पर बात करेंगे, यह मौका भी नहीं है, आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद, आपको बधाई, आपका विभाग और काम करे, हम आपके साथ हैं।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जो यहां पर वक्तव्य दिया, संक्षेप में अपनी बात कही। जो आपने व्यवस्थाएं की हैं वे बहुत अच्छी की हैं, बहुत बढ़िया की हैं। मैं तो आपको दो-तीन बात पूछना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे एसीएस, हैल्थ ने प्रदेश के सभी हास्पिटल्स को ये निर्देश दिये थे कि विदेश से आने वाले प्रत्येक बीमार व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और केन्द्रीय स्वास्थ्य संगठन और डब्ल्यूएचओ ने भी जो एडवाइजरी जारी की उसमें भी उन्होंने यही बात कही। जब इटली का मरीज बीमार था और उसमें कोरोना वायरस के लक्षण थे तो उसको पहले तो इमरजेंसी आईसीयू में रखा गया, उसके बाद उसको मेडिकल आईसीयू में रखा गया और फिर रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। यानी 60 घण्टे तक 54 लोगों के साथ उनको आईसीयू में रखा तो ऐसे कौन लापरवाह लोग थे जिनके कारण यह उन्होंने किया तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से बताएं। आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, रोज आप वीडियो कांफ्रेंसिंग भी कर रहे हैं, एसीएस महोदय इसके लिये पूरी तरह से अलर्ट हैं, आप भी पूरी मोनिटरिंग कर रहे हैं, पर इन सब गाइड लाइन के बाद भी 60 घण्टे तक 54 लोगों के बीच में उनको रखा गया तो उसका क्या कारण था, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह आप निश्चित रूप से बताएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर देखकर बोलें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो 60 घण्टे तक 54 लोग आईसीयू में थे, उनकी स्क्रीनिंग हो गयी क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह जनरल डिबेट है क्या? (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा है या आप सुनना नहीं चाहते। मैं आपको बार-बार माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कह रहा हूं और आप अपना ध्यान सीधा डाइवर्ट उधर कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि जब उनको मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया तब वो पोजिटिव नहीं थे, नेगेटिव थे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। विराजो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: विराजो, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) श्री अशोक लाहोटी। (व्यवधान) विराजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिये, अंकित नहीं हो रहा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: उससे क्या फायदा? मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होगा। (व्यवधान) विराजिये आप। अंकित नहीं होगा। यह कोई तरीका नहीं होता। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, यह कोई तरीका नहीं होता। (व्यवधान) प्लीज।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: मैं कह रहा हूं आपको प्लीज। विराजिये आप। (व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: यह आसन की अवहेलना है। विराजिये आप। मैं यहां यह नहीं पूछने दूंगा आपको। यहां बिलकुल नहीं पूछने दूंगा, विराजिये आप। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। विराजिये। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: आप विराजिये, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। श्री अशोक लाहोटी। (व्यवधान) यही बात है। (व्यवधान) विराजिये। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने सारे इंतजामात के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि इन्होंने

(श्री अशोक लाहोटी)

पूरी व्यवस्था की है, इसके लिये चिंतित है, पूरा डिपार्टमेंट चिंतित है। यह जो व्यवस्थाएं अब शुरू हुई हैं ये सब बातें ठीक हैं। मैं दो-तीन बातें मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। नम्बर एक, इन्होंने कहा कि 25 यात्रियों के दल में जो 23 यात्री और बाकी लोग सम्पर्क में आये, उसमें से 17 लोग पोजिटिव पाये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, वुहान शहर में जहां यह पोजिटिव पाये गये, वहां पर यह इतनी तेजी से फैला..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इस पर बहुत लम्बा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सदन में पूरी बात आ गयी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कह दिया, आपके उप नेता प्रतिपक्ष ने भी कह दिया।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैंने स्थगन लगाया है कि यह गम्भीर विषय है। मैं अपनी बात तो कह दूं पूरी?

श्री सभापति: ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये। संक्षेप में आपको कोई सुझाव देना है इस मामले में तो दीजिये, सारी बातें आ गयी हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): कौनसा जवाब आ गया?

श्री सभापति: माननीय नेता महोदय को बोलना है, मैं उनको अलाउ कर रहा हूं। आप विराजिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैंने स्थगन लगाया है, विधान सभा क्षेत्र का मामला है, मैं पूछ तो लूं?

श्री सभापति: हां, पूछिये आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): या फिर आप कहें तो बाहर चले जायें हम?

श्री सभापति: आप पूछिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आरयूएचएस हास्पिटल में जो आपने यहां पर शिफ्ट किये वह घनी सघन आबादी में है। वहां पर 400 हास्टल हैं, आसपास हास्पिटल्स हैं और यह एक-डेढ़ महीने पहले जब डब्ल्यूएचओ ने हैल्थ इमरजेंसी लागू कर दी थी तो आइसोलेशन के जो वार्ड थे क्या वे जयपुर शहर से दूर, किसी भवन को लेकर या किसी रिसोर्ट को लेकर नहीं किया जा सकता था?

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने कहा कि हमने एन-95 मास्क

(श्री अशोक लाहोटी)

के आर्डर कर दिये हैं। क्या मेडिकल इमरजेंसी लागू होने के दो महीने बाद अभी आर्डर किये हैं तो क्या फैलने के बाद ये इक्विपमेंट आएंगे? वह मास्क आएंगे तो इस गम्भीरता में किन अधिकारियों ने इतनी लापरवाही की? इतने इंतजामात आपने अब किये हैं, इतने दिनों तक, दो महीने तक इसको लिये बैठे रहे और ये प्रिकाशन नहीं कर पाये और इनका प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया। ये क्यों नहीं हो पाया और क्या आरयूएचएस हास्पिटल की बजाय इनको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता? अलवर में एक डिटेंशन सेंटर आपने पहले से ही बना रखा है तो एक और यहां पर बनाना, क्या प्रताप नगर की लाखों की आबादी को इस मानवीय संकट के साथ में खड़ा करना उचित है? यह मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सुनिये मेरी बात।

श्री सभापति: माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोलेंगे, उसके बाद जवाब दे दीजिए आप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक सवाल उन्होंने उठाया। यह मास्क जो एन-95 है, ये पहले से विभाग के पास रहते हैं। यह तो जब स्थिति और बढ़ी है, तब अतिरिक्त व्यवस्था की है। हर चीज को तोड़-मरोड़कर पेश करने से कोई फायदा नहीं है।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, विषय इतना गम्भीर है। सारा देश और दुनिया इसके बारे में चिंतित है। मैं सोचता हूं कि यह समय कमियां-खामियां निकालने का नहीं है। मेरे हिसाब से जो-जो और प्रिकाशन्स लेने चाहिए, वे लें। जहां-जहां भी ये घूमे हैं, रहे हैं, उन सब स्थानों को भी चिह्नित करके निश्चित रूप से उसके भी बारे में हमें रिपोर्ट ले लेनी चाहिए। मैं सोचता हूं, इसके लिए भविष्य में हमें जो भी साधन चाहिए होंगे, जिस-जिस प्रकार की व्यवस्था चाहिए, अगर आइसोलेशन किसी बाहर के एरिया में भी करना है तो स्थान चिह्नित करके रखें जो कहीं एकांत में हो और जिसके कारण से बाकी कहीं आस पास में इसका असर न हो।

मैं सोचता हूं, न केवल हम, बल्कि पूरी दुनिया ही चिंतित है। दिल्ली

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से भी बार-बार इसके बारे में मंत्री जी के स्टेटमेंट वगैरह टीवी पर हैं। मैं सोचता हूं कि राजस्थान में आपके साथ हम खड़े हैं, हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। राजस्थान की जनता से भी निवेदन करता हूं कि इस संकट के समय में गलतियां नहीं निकाली जानी चाहिए। इसका हल निकालकर मानव को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और हम अपनी तैयारी इतनी अच्छी करें ताकि हम इससे बच सकें और हमारी जनता इससे बच सके। कमियां-खामियां निकालने का समय जब कभी और मौका होगा और कंट्रोल में आने के बाद इसकी कमियां-खामियां गिननी होंगी तो बाद में गिन लेंगे। अभी समस्या है, उसमें हम सबको मिल-जुलकर रहना चाहिए।

जनता को भी जहां सहयोग लेना हो, जिस प्रकार से भी सहयोग चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी अगर कहीं कमजोरी लगती है तो ऐसे भामाशाहों का भी उपयोग करते हुए हम इसका अच्छे से अच्छे ढंग से हल निकालकर हमारी जनता को सुरक्षित करें। एक जो भय चारों तरफ से क्रिएट हो रहा है, उसे मिटाने के लिए भी बार-बार आप जिस माध्यम से भी जा सकें, जनता को भी आश्वस्त करें, नहीं तो एक ऐसा पैनिक फैल रहा है, इसको रोकने के लिए भी दिन में तीन-चार बार भी अगर हमें जनता के बीच में किसी भी तरीके से जाना हो तो वस्तुस्थिति रखते हुए उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। मैं इस समय कोई चर्चा नहीं चाहता। मैं, मेरा दल और राजस्थान की जनता आपके साथ खड़ी है। हर प्रकार से हर तरीके से इसे कंट्रोल करने के लिए जो-जो आवश्यकताएं महसूस होती हैं, उन्हें पूरा करें।

श्री सभापति: पूरा सदन काफी गम्भीरता से इस बात पर चिंतित है और ऐहतियातन तौर पर जो भी कारगर कदम हैं, वे माननीय मंत्री महोदय, उठाये जाने चाहिए। दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, हमारी विधान सभा की जो होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है, मैं अभी तीन-चार दिन पहले वहां जो डाक्टर हैं, उनसे मिला था। उन्होंने भी बड़ी चिंता व्यक्त की और उन्होंने मुझे कोरोना की प्रिवेंटिव मेडिसिन दी। एक शीशी की दवा दस पेशेंट के लिए काफी होती है और वह प्रिवेंटिव है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि पिछली बार जब स्वाइन फ्लू फैला था, तब भी...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से बात कह रहा हूं। ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। ज्ञान सब जगह है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, आप चेयर पर बैठे हैं। +++

श्री सभापति: मैं तो अज्ञानी हो सकता हूं। मैं साइंस की बात कर रहा हूं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुनिए मेरी बात। भारत सरकार की गाइडलाइन और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन पर चलेंगे हम। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं सभापति से बात कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह बहुत सैंसिटिव मामला है। हम इसकी गम्भीरता को समझ रहे हैं और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, हम अपना कोर्स आफ एक्शन उसके अनुरूप ही तय करेंगे। आप बताइये, ज्ञानी तो बहुत हैं दुनिया में पर क्या हर किसी के ज्ञान को लें, ऐसे थोड़ी न होता है?

श्री सभापति: मैं जो बात कह रहा हूं, वह सुनिए आप। यदि डाक्टर साहब ने कोरोना वायरस की कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन बतायी है तो मैं जहां तक समझ पाता हूं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उन्हें बुलाकर उनसे उसके बारे में पूछें। वह मेडिसिन कोई पॉइजन नहीं है। यदि चार गोलियां आप निगल लेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप उन्हें बुलाकर इस सम्बन्ध में चर्चा तो करें। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि पिछली बार जब स्वाइन फ्लू फैला था, तब भी असैम्बली के पूरे स्टाफ को उन्होंने यह दवा दी थी। मैं आपसे यह जानकारी शेयर कर रहा हूं। आप वहां के जो डाक्टर हैं, उन्हें बुलाकर इस मामले में जानकारी लें।

इलाज जो है, वह होम्योपैथी में भी है, आयुर्वेद में भी है और एलोपैथी में भी है। ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। यूनानी में भी है। जहां से भी हमें सहयोग मिले, हमें करना चाहिए। चर्चा समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री जी, आप 'हम' की बात न करें। इस 'हम' में हमें भी शामिल करें। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी, आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी है तो बुलाएं आप। हमारे साथ दिल्ली चलना है तो दिल्ली चलें। हम आपके पीछे-पीछे चलेंगे, पर यह 'हम' करेंगे, ऐसा मत कहें। हम सब मिलकर करेंगे। यह भाव पैदा करें अपने अंदर।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमने 'हम' कभी नहीं कहा है। 'हम' में हम सब हैं। आप भी हैं। मैंने भारत सरकार के लिए भी कहा है। रहा सवाल आपकी बात का, आपका पूरा सम्मान करते हुए मैं इतना कह रहा हूं कि आपके रिमार्क इस तरह के रहे कि अक्ल की किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह इतना गम्भीर मसला है कि गाइडलाइन के विपरीत हम जा नहीं सकते। यह काम कोई प्रयोग करने के लिए नहीं है। सभापति महोदय, अगर कल कैजुअल्टीज हो जाएंगी तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। आप अगर कोई बीमारी बताएंगे तो रास्ते चलते आदमी बहुत सारे उपाय बता देते हैं, सलाह दे देते हैं। यह उस तरह का मामला नहीं है। इसकी दवाई ही ईजाद नहीं हुई है। इसका वैक्सीनेशन तय नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में इसका बचाव ही इसका उपचार है। यह मैंने पहले ही निवेदन किया था।

श्री सभापति: होम्योपैथी कोई बाण्ड भरकर नहीं दे रही। होम्योपैथी के डाक्टर ने मुझे बताया है। उन्हें बुलाकर इस पर चर्चा करने में कोई ऐतराज नहीं है। चर्चा समाप्त।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है...

श्री सभापति: विराजिए आप। याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित) सुश्री रीटा चौधरी।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

याचिका

मण्डावा (झुंझुनूं) स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेतमसर का जर्जर भवन

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र मण्डावा (झुंझुनूं) स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेतमसर के भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए शीघ्र ही नया भवन बनाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा (अनुपस्थित)। श्री पुखराज।

सुरपुरा खुर्द से राजस्व ग्राम भवरियों की ढाणी तक सड़क निर्माण

श्री पुखराज (भोपालगढ़): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भोपालगढ़ से सुरपुरा खुर्द स्टेट हाई-वे पर सुरपुरा खुर्द से दो किलोमीटर भोपालगढ़ की ओर राजस्व ग्राम भवरियों की ढाणी तक सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री महेश जोशी।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

1. ''इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2020-2021 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2020-2021 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(डा. महेश जोशी)

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2020-2021 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2020-2021 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।''

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

डा. महेश जोशी।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

''राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2020-21, प्राक्कलन समिति ''क'', 2020-2021, प्राक्कलन समिति ''ख'', 2020-2021 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2020-2021, प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231 सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा

(डा. महेश जोशी)

चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।''

श्री सभापति: प्रश्न यह है वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, नगरपालिका एक्ट मंत्री महोदय ने रखा है, पर इस एक्ट पर आने के पहले मैं थोड़ा-सा बताना चाहूंगा कि यह नगरीय प्रशासन और नगरपालिका कितना महत्वपूर्ण है कि 1687 में पहली बार मद्रास नगर निगम से नगरीय प्रशासन अस्तित्व में आया। सभापति महोदय, 333 वर्ष पुराना यह नगरपालिकाओं, नगर निगमों का इतिहास है। इसके बाद 1726 में कलकत्ता व बोम्बे नगर निगम बने। 19वीं सदी के आरम्भ में वायसराय लार्ड रिपन के नेतृत्व में 1919 में कानून बनाकर नगरपालिका और नगर निगम को कानूनी अमला पहनाया गया। 1935 में भारत सरकार ने प्रान्तीय नगरपालिका और राज्य सरकारों के तहत इनको एक्ट में कानूनी मान्यता दी।

माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में मंत्री महोदय ने अपने स्तर पर एक प्रस्ताव बनाकर राजस्थान में अचानक से तीन नगर निगम बढ़ाकर 2153 वार्ड अचानक से बढ़ाये। सभापति महोदय, इस नगरपालिका

(श्री अशोक लाहोटी)

एक्ट में, जब एक्ट नगरपालिकाओं से सम्बन्धित था और 2009 से सम्बन्धित था तो क्या इनको इसमें नहीं लाना चाहिए था? जहां तक मेरी जानकारी है, सम्पर्ण भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इस प्रकार से एक शहर में दो-दो निगम केवल दिल्ली को छोड़कर कहीं पर भी नहीं है। दिल्ली भी इसलिए कि वह एक राज्य है, वह राज्य प्राप्त शहर है। सभापति महोदय, दो-दो निगम बनाने का सुझाव तो मंत्री जी लाये, पर मैं मंत्री से मेरी जानकारी के अनुसार पूछना चाहता हूं कि क्या जनता से आपत्ति मांगने या उससे सुझाव लेने का काम किया गया था? मेरी जानकारी में नहीं किया गया। इतना ही नहीं, कैबिनेट में प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया और जहां तक मेरी जानकारी है, इस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी कोई अनुशंसा नहीं हुई थी। सभापति महोदय, प्रत्येक निगम बनाने का मतलब है कि एक नगर निगम जयपुर पर एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसी प्रकार कोटा और जोधपुर में साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। क्या इतनी बड़ी फाइनेंशियल अनुमति माननीय वित्त मंत्री जी, जो कि स्वयं मुख्य मंत्री जी हैं, उनसे ली गई थी? इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि न तो इसमें एफडी. से पद स्वीकृत हुए न सदन में चर्चा की। यदि इतना ही था तो केवल जोन कार्यालय बढ़ाकर इसमें काम किया जा सकता था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि केवल राजनीतिक लाइनें खींचने से आपका यह नगर निगम का सपना पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि न तो कर्मचारी दिये हैं और न ही संसाधन दिये हैं।

सभापति महोदय, अभी कोटा की चर्चा हो रही थी और माननीय दिलावर साहब और धारीवाल साहब जो चर्चा कर रहे थे, यह समस्या और बढ़ने वाली है। ग्रेटर के निगम वाले कहेंगे कि यह कचरा उस निगम का है, हैरिटेज वाले कहेंगे उसका है। ये पशु उसके हैं, ये श्वान उसके हैं, ये जिम्मेदारियां एक-दूसरे पर टलेंगी और इसका जनता पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस बिल की धारा 31 में जिस प्रकार से जोन विकास, सैक्टर डवलप करने का प्लान आपने लिखा है कि इसमें सैक्टर प्लान डवलप किए जाएंगे, मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप लम्बे समय से शहरी मंत्री रहे हैं, ये सैक्टर प्लान बनाने की बात तो आप कर रहे हो, क्या इसकी जगह इंटिग्रेट प्लान अथोरिटी बनाने का यदि प्लान होता

(श्री अशोक लाहोटी)

तो वह ठीक नहीं होता? अकेले जयपुर में सरकार ने पिछले दस सालों में तीस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चा किया है और आप चाहें तो आंकड़ा निकलवा लें। अकेले जयपुर में 15 से ज्यादा डिपार्टमेंट, जेडीए, नगर निगम, जलदाय, बिजली विभाग, बीएसएनएल, आरयूआईडीपी, स्मार्ट सिटी, मैट्रो, RUDSICO, CISCO, हाउसिंग बोर्ड (आवासन मण्डल), रीको, ऐसी 15 संस्थाएं काम कर रही हैं। इनको इंटिग्रेट करके एक प्लान अथोरिटी यदि बनती तो राज्य सरकार का पैसा भी बचता और शहरों में एक सुनियोजित विकास हो पाता, यह मेरा आपसे सुझाव था।

इसी प्रकार आपने इसकी धारा 23 में संशोधन करके जुर्माना दो हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया है। सभापति महोदय, मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग, नगरपालिका निर्वाचन के समय केवल जुर्माने को अधिकृत करती है। क्या यह ध्वनि प्रदूषण आम दिनों में नहीं होता? क्या इसी धारा में आप इस ध्वनि प्रदूषण को आम दिनों के ध्वनि प्रदूषण से भी जोड़ते तो वह ठीक नहीं रहता?

इसी प्रकार यदि आपको इसमें बढ़ाना ही था तो आपकी धारा 200 से लेकर 297 तक जो नगरपालिका की शक्तियां हैं, जिनमें सम्बन्धित अपराध और जुर्माने का प्रावधान है, क्या वो इस बिल में एड नहीं होनी चाहिए थी? धारा 200 से 297 में जो जुर्माना है इसमें महत्वपूर्ण धारा 232 है जो कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-करकट, गंदगी फैलाने को निषेध करती है, उस धारा 233 में मात्र पांच सौ रुपये का जुर्माना है। उसी का कारण है कि आज जयपुर शहर सहित पूरे प्रदेश में जगह-जगह नगरपालिका, नगर निगमों में कचरे के अम्बार लगे हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं।

इसी प्रकार आपने इसमें धारा 247 की बात कही। धारा 247 नगरपालिकाओं की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति जानवर या मुर्गी पालन बिना नगरपालिका की अनुमति के नहीं कर सकता है, परन्तु इसका उल्लंघन करने पर क्या सज़ा होगी, क्या जुर्माना होगा, इसका इसमें कहीं पर उल्लेख नहीं है। तो यह डिफेक्टिव बिल है सभापति महोदय। इनमें यदि ये सब प्रावधान नहीं जोड़े थे तो फिर इस बिल को लाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

इसी प्रकार धारा 28 में आपने कहा कि मिथ्या सूचना देने पर छह माह की सज़ा या जुर्माने का कहा है पर इसमें जुर्माना स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा।

(श्री अशोक लाहोटी)

मेरा यह कहना है कि धारा 31 में आपने निर्वाचन की याचिका जोड़ी है। निर्वाचन में प्रत्येक मतदाता को इसका अधिकार रहेगा तो ये इतनी याचिकाएं हो जाएंगी, कोर्ट में इतने केसेज हो जाएंगे कि मैं समझता हूं कि इसको संभालने के लिए कोई मैकेनिज्म आपने तैयार किया है तो इस धारा में अमेंडमेंट करने का फायदा होगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार, इन्होंने एक महत्वपूर्ण और चेंजेज किया है धारा 194 में। धारा 194 यह कहती है कि निर्माण निषेध घोषित कर सकेगी। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि निर्माण निषेध किस आधार पर? उसके मापदण्ड क्या होंगे? उसके पैमाने क्या होंगे? कल को मंत्री जी कह दें कि उप नेता, प्रतिपक्ष की शक्ल पसंद नहीं आई और चूरू के सारे निर्माण अवैध कर दिये, सारे निर्माणों को निषेध कर दिया। यह कैसे सम्भव है सभापति महोदय? इसके कोई बायलाज तो बनाते कि इस कारण से निर्माण निषेध किया जाएगा, इस कारण से यह रोका जाएगा, इस कारण से यह किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस धारा का सबसे ज्यादा राजनीतिक दुरुपयोग होगा।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं यदि आज बात करूं तो 72 सालों के बाद भी जगह-जगह जो गंदगी के ढेर पड़े हैं, चारों ओर गंदगी है। अभी कोरोना वायरस की बात हो रही थी, गंदगी के अपार ढेर हैं जिनमें बीमारियां फैल रही हैं, नालियां और सीवरेज नहीं है, चलने को सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, गार्डन, स्ट्रीट लाइट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय, इसी बिल में यदि आप रेवेन्यू जनरेशन की बात करते, अभी CAG की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा है कि राजस्थान अपने कुल संसाधनों का मात्र 8 प्रतिशत आय का उपार्जन कर रहा है। सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। केवल 8 प्रतिशत हम अपनी आय का उपार्जन कर पा रहे हैं, यह रिपोर्ट में आया है तो कैसे किसी व्यक्ति को आप पीने के लिए पानी और चलने के लिए सड़क, सीवरेज, नालियां उपलब्ध कराएंगे?

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे जयपुर के बराबर के शहर सूरत, बैंगलोर, हैदराबाद, पूना हैं और इनका रेवेन्यू 1200 करोड़ से लेकर पूना ने तो डिवीडेंड भी लांच कर दिये 5500 करोड़ रुपये तक और हमारा आज भी टैक्स कलैक्शन पूरे राजस्थान का मिलाकर मात्र 65 करोड़ रुपये है सभापति महोदय। उसमें भी 38 करोड़ केवल जयपुर

(श्री अशोक लाहोटी)

का है। सभापति महोदय, इन धाराओं को इसमें जोड़ने के बजाय यदि आपने केवल इसको इलेक्शन से जोड़कर दो धारा में ध्वनि प्रदूषण का चार्ज बढ़ाएंगे और निर्माण निषेधाज्ञा कर देंगे तो मैं समझता हूं कि शायद यह राजस्थान में हम नगरपालिका को समझ ही नहीं पा रहे हैं।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय के ध्यान में मैं एक चीज लाना चाहूंगा चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे हमारी रही हो, चाहे आपकी रही हो। हमने नगरपालिकाओं को राज्य सरकार की कठपुतली बनाकर रख दिया है। हमने न 73 एक्ट के अनुरूप काम किया, न 74 अमेंडमेंट की तरफ ध्यान दिया। मंत्री महोदय, आज 38 प्रतिशत आबादी जयपुर में है और 2027 तक गांव से ज्यादा लोग, 53 प्रतिशत आबादी शहरों में शामिल हो जायेगी। इतना ही नहीं, शहरों की ग्रोथ रेट 23.12 प्रतिशत है और ग्रामीण ग्रोथ रेट मात्र 12 प्रतिशत है। आज के दिन लगभग 65 विधान सभा क्षेत्र केवल शहरी मतदाताओं पर निर्भर करते हैं और राज्य सरकार की शहरों की तरफ जो उदासीनता है। मैंने पहले भी कहा, जिस तरह का बजट था, क्या इसमें आनुपातिक बजट का प्रावधान नहीं होना चाहिए? इस एक्ट में, जितनी आबादी शहरों की है, उस अनुपात में लगभग 85 हजार करोड़ रुपये का आनुपातिक बजट 2 लाख 25 हजार के भारी-भरकम बजट में से शहरों को दिया जाना चाहिए। यह इस बिल में क्या अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए था? शहरों को मात्र 3.13 परसेंट आपने बजट दिया है।

सभापति महोदय, 196 नगर निगम, नगरपालिकाएं, 7500 वार्ड बनाये। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इनमें जो जन प्रतिनिधि बनाएंगे। बाकी चीजों की तो आपने सरकार से अनुमति ली नहीं है, राजनीतिक रेखाएं खींची हैं, लेकिन क्या इनमें जो जन प्रतिनिधि बनेंगे, इन जन प्रतिनिधियों के भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे पढ़ते हैं, इनका भी परिवार चलाने का दायित्व है। इनमें से नगरपालिकाएं, आप सबके क्षेत्र में हैं, नगरपालिका के पार्षद को मिलते हैं 1800 रुपये, नगर निगमों के पार्षद को मिलते हैं 3700 रुपये। क्या आप सोच सकते हैं 1800 रुपये और 3700 रुपये में कोई जन प्रतिनिधि अपने परिवार को चलाएगा? क्या इसका प्रावधान इस एक्ट में किया जाना आवश्यक नहीं था? सभापति महोदय, इन सब चीजों के साथ में, मैं यह कहूंगा कि इनका मानदेय 25 हजार रुपये से आगे बढ़ाना चाहिए था।

(श्री अशोक लाहोटी)

जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी में, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो बजट दिया और स्मार्ट सिटी की घोषणाओं को, उस बजट को, जो स्वच्छ भारत मिशन था, वह जो बजट था। उस बजट को खुर्द-बुर्द करके राज्य सरकार अपने फायदे के लिए इधर-उधर लगा रही है। स्वच्छ भारत अभियान और जो टायलेट बनाने का अभियान था। उससे शायद राज्य सरकार ने अपने आपको विमुख कर लिया है।

मैं समझता हूं कि ये सब प्रावधान इस एक्ट के साथ यदि लाते तो निश्चित रूप से जनता को फायदा होता। वर्ना आप संख्या बल के आधार पर आज भी पहले की तरह वही एक काम करोगे। इस कानून को पारित करवाकर तो ले जाओगे, लेकिन पारित करवाने के बाद में इस राजस्थान की जनता आपसे इन्हीं आने वाले चुनाव में जवाब भी मांगेगी और आपको जवाब देगी भी। आपने मुझे समय दिया, बहत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिन्द।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि करीब 32 माननीय सदस्य विधेयक पर बोलने वाले हैं। करीब 25 से 30 विधायक बोलने वाले हैं अनुदान की मांगों पर और समय की अपनी सीमा है। जो भी वक्ता हैं, वे बोले, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि काफी ज्यादा वक्ता हैं। अपने नगरपालिका विधेयक पर और एडवोकेट वाले विधेयक पर, करीब 32 लोग हैं तो बोलते वक्त थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि समय सीमा में अपनी बात कहें ताकि समय पर बात समाप्त हो जाए। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद सभापति महोदय। सरकार जिस बिल को लेकर आई है, निश्चित रूप से ये जो धाराएं हैं, इस बिल के पांच सैक्शन हैं। उन सैक्शन्स में धारा 23 में आपने संशोधन किया है और 2000 के स्थान पर उसको 5000 रुपये प्रतिस्थापित किया है। इसी प्रकार धारा 28 में आपने एक नई धारा को जोड़ा है और पुरानी धारा को, उसमें जो संख्यापित किया है। उसको नम्बरिंग किया, तो इसमें कोई विशेष मैं बोलना नहीं चाहूंगी लेकिन, धारा 31 है, उस धारा 31 में आपने एक बात कही है कि नोमिनेशन पेपर में, एफिडेविट में या फिर किसी भी स्टेटमेंट में या अपनी किसी डिक्लेरेशन में जो रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया

(श्रीमती अनिता भदेल)

जाएगा, वह पनिश होगा, यदि उसने गलत स्टेटमेंट दिया है और 6 माह का कारावास या जुर्माना, दोनों आपने इसमें लगाया है। मेरा निवेदन इतना है क्योंकि कई बार माननीय सभापति जी चूंकि नीचे के लेवल पर इलेक्शन बहुत तादाद में होते हैं। ऐसी स्थिति में हर कोई दूसरे व्यक्ति की शिकायत करता है कि इसने गलत किया है, इसने गलत किया है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी पिटीशन्स उसमें आती हैं और लम्बे समय तक वह निर्णय नहीं हो पाता। मैंने अजमेर में भी एक केस देखा है। पूरे पांच साल निकल गये, उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ तो इसमें यह तय करना चाहिए कि कितने समय में वह निर्णीत हो तभी उसका आउटपुट है, नहीं तो उसका कोई आउटपुट नहीं है। आपस में वह झगड़ा पांच साल तक चलता रहता है।

इसी प्रकार से आपने सैक्शन 159 में जोनल प्लान और सैक्टर्स प्लान के बारे में कहा है। मैं विशेष रूप से इसी विषय में आपको निवेदन करना चाहूंगी। जोनल प्लान और सैक्टर प्लान, क्योंकि पिछले पांच सालों में हम भी बहुत परेशान हुए। पिछले पांच साल लोगों को हम राहत इसीलिए नहीं दे पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बाउंडेशन कर दी कि आप लैण्ड यूज चेंज नहीं कर सकते हैं। मास्टर प्लान, जो आपने बनाया है, फिर बाद में हम सैक्टर प्लान पर आये और उस सैक्टर प्लान को भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो जिस तरह से आपने बात कही, हम सैक्टर प्लान बनाएंगे और उसमें सैक्टर प्लान के आधार पर, हम क्षेत्र की भूमि को विकसित करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, प्रैक्टिकल रूप में जो मेरा अनुभव है, वह मैं निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय को भी, माननीय मंत्री महोदय, मास्टर प्लान यदि वह 'ए' भूमि जो है, किसी विशेष काम के प्रयोजन से यदि चिन्हित है और दूसरे काम के प्रयोजनार्थ हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अनेकों बार उसको लैण्ड यूज चेंज के लिए जाना पड़ता है। जब लैण्ड यूज चेंज के लिए जाते हैं तो पूरा मास्टर प्लान ही चेंज हो जाता है। इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो हम उस बाउंडेशन को यदि कर दें, उसको स्ट्रिक्टली यदि मना कर दें कि नहीं, कोई लैण्ड यूज चेंज नहीं होगा। यह परेशानी भी इसलिए है क्योंकि जब हम मास्टर प्लान बनाते हैं उस समय बनाते समय जो भी अधिकारी उस मास्टर प्लान को बनाता है, वे प्रैक्टिकल नहीं होते और लोगों को परेशान करने की दृष्टि से, क्योंकि इसके

(श्रीमती अनिता भदेल)

अंदर भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। उनको परेशान करने के उद्देश्य से, 'ए' मास्टर प्लान में जिस चीज के लिए वह भूमि रिजर्व की गई है और जबकि प्रैक्टिकल में वह संभव नहीं है। कोई कामर्शियल एरिया है और उस कामर्शियल को आप खुला घोषित कर दें और वहां पहले से ही दुकानें बनी हुई हैं, फिर लोग जाए, व्यापारी लोग जाए और उनको निवेदन करें, टाउन प्लानिंग के आफिसर्स को कि भैया आप इसको खुला क्षेत्र कैसे घोषित कर रहे हैं, यहां तो आलरेडी पहले से ही कामर्शियल एक्टीविटीज चल रही हैं और फिर इस गली में वह भ्रष्टाचार पनपता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि जो आज की तारीख में एट प्रजेंट उस भूमि का उपयोग हो रहा है, मास्टर प्लान में कम से कम उस भूमि का उपयोग वही का वही हो। जहां भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है, भूमि रिक्त पड़ी है, उन भूमियों के बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं कि भविष्य में इसका उपयोग किस दृष्टि से लिया जाएगा और वह नगर विकास में कैसे सहयोगी बनेगी, कैसे सहभागी बनेगी। मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, क्योंकि यह स्थानीय स्वशासन में एक जमाना था। जब स्थानीय स्वशासन के कर्मचारियों को नगरपालिका, म्युनिसिपैलिटी ही पेमेंट किया करती थी लेकिन जब चुंगी खतम हुई और उसकी पुनर्भरण की राशि आई और पुनर्भरण की राशि से इन अधिकारियों, कर्मचारियों को पेमेंट होने लगा। 2004 के बाद में जो कर्मचारी नियुक्त हुए, उनको पेंशन का कोई प्रोविजन इसमें नहीं है लेकिन 2004 से पहले के जो कर्मचारी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगी, क्योंकि आपने उस समय काम तो अच्छा किया परंतु आपने वह इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी वजह से आज तक वे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं कि किसी तरह से उनको यह लाभ मिल जाए।

माननीय सभापति महोदय, नगर निगमों का बेसिक काम जो है वह सफाई का और कचरे का प्रबंधन करना है। यह उसका मूल काम है। नगर निगम के काम सुबह जब हम उठते हैं न, जब से लेकर रात को सोते हैं तब तक लगातार होते हैं। रात को सोते समय यदि स्ट्रीट लाइट बंद है तो भी नगर निगम को कोसते हैं कि स्ट्रीट लाइट बंद है, सुबह उठते समय यदि

(श्रीमती अनिता भदेल)

सड़क की सफाई नहीं हुई तो भी हम कोसते हैं कि नगर निगम ने सड़क की सफाई नहीं की। सभी नगर निगमों में 70 प्रतिशत कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं। बाकी के कर्मचारी 25 प्रतिशत ही हैं परन्तु 75 परसेंट कर्मचारी, वे सफाई कर्मचारी हैं और वे सफाई कर्मचारी ऐसी कंडीशन्स में काम करते हैं, जहां उनको 50 साल की उम्र आते-आते वे ऐसे लगते हैं कि उनकी 100 साल की उम्र हो गई। उनके लंग्स काम करना छोड़ देते हैं, बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं, क्योंकि वे अनहाइजिनिक कंडीशन्स में काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हम उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, आप एक बार पिछला रिकार्ड उठाकर के देख लीजिए। मृतक कर्मचारियों में मैक्सिमम, जो नगर निगम में नियुक्त होते हैं, मृतक आश्रित के रूप में वे सफाई कर्मचारियों में से ही नियुक्त होते हैं क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी तो काम करते-करते बीच में ही खतम हो जाते हैं और उनके लिए दवा की व्यवस्था हम नहीं करें तो फिर वे दूसरी व्यवस्था करते हैं। वे शराब पीकर के फिर काम पर आते हैं

(14.00 बजे)

क्योंकि दवाइयों की व्यवस्था तो रिटायरमेंट के बाद हम कर ही नहीं रहे हैं और इसीलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए दवाइयों की व्यवस्था, मेडिकल डायरी की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगी कि आपने किस-किस समय में कौन-कौनसा डिसीजन किया। आप देखिए यह मंत्रिमंडलीय आज्ञा है, और यह मंत्रिमंडलीय आज्ञा उन्होंने जारी की, मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या-183/ 2012, दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 के अनुसरण में दिनांक 21 अगस्त, 2012 कर्मचारी कल्याण से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की आयोजित बैठक में राजस्थान नगरपालिका सेवा परिषद्, जयपुर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, राजस्थान एवं राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फैडरेशन, जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत ज्ञापन 28.5.2012 पर विचार-विमर्श पश्चात् माननीय संयोजक महोदय ने बताया कि नगर निगम, परिषद्, पालिकाओं के सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संदर्भ में 15.11.2005, इस समय भी

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय मुख्य मंत्री जो आज हैं वही मुख्य मंत्री थे, राज्य सरकार के साथ सैद्धांतिक सहमति हुई थी, इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा का लाभ दिए जाने हेतु कारपस फंड का निर्माण किया जाए। फंड निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा चुंगी पुनर्भरण अनुदान से 3% राशि उपलब्ध कराई जाए तथा शेष राशि की व्यवस्था सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों से एकमुश्त निश्चित राशि जमा की जाए। यह राशि नगरपालिकाओं के लिए राजस्थान म्युनिसिपल पेंशन मेडिकल फंड तथा अंशदान की राशि राज्य सरकार को कर्मचारी की भांति जमा करानी होगी। यह मंत्रिमंडलीय आज्ञा है और इस मंत्रिमंडलीय आज्ञा को आपने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। सहयोग करें, मैंने आपसे आग्रह भी किया था।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अभी सभी कर्मचारी लोग जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, सारे स्वायत्त शासन के कर्मचारी हैं क्योंकि हम यह तो कह रहे हैं कि हमें स्वच्छ भारत अभियान करना है, बीमारियों को दूर करना है, स्वच्छता रखनी है पर जब तक यह कर्मचारी अपने पूरे मनोभाव से काम नहीं करेंगे तब तक हम कैसे उनको यह कह सकते हैं कि वह ठीक प्रकार से काम करें।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिए यह जो कारपोरेशंस हैं, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल-हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर और रीको एम्प्लाइज को आपने मेडिकल की सुविधा दे रखी है रिटायरमेंट के बाद तो यह लोग भी तो कारपोरेशन के लोग हैं तो इनमें और उनमें क्या अंतर है? जब कारपोरेशन के लोगों को हम दे सकते हैं और वह कह रहे हैं कि चुंगी पुनर्भरण की 3% राशि आप कारपस फंड में डाल दो और उसके माध्यम से हमको यह मेडिकल की डायरी की सुविधा करवा दो। हम पत्रकारों को मेडिकल की सुविधा दे रहे हैं तो यह तो हमारे कर्मचारी हैं। जनता की सेवा कर रहे हैं, हमारे एम्प्लाइज हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद में हम मेडिकल की सुविधा क्यों नहीं देना चाहते? माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय को मैं आग्रह करना चाहूंगी..

श्री सभापति: माननीय सदस्या, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया था कि इसको एंड लैस नहीं कर सकते।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ओके, खतम कर रही हूं।

श्री सभापति: आपने जो भी संशोधन दिए हैं, उन संशोधनों पर कोई बात कहनी है तो आप कहें। इसको आप विस्तार देंगी तो कैसे पार पड़ेगी। प्लीज, माननीय।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, खतम कर रही हूं। सिर्फ एक बात कहकर खतम कर रही हूं। मैंने एक ही बिंदु उठाया है बहुत सारे विषय नहीं उठाए हैं। मैं एक बात कहकर खतम करना चाहती हूं माननीय सभापति महोदय।

यह जो एक्ट है, यह एक्ट हम बनाते हैं ताकि व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलें। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इतने-इतने जुर्माने की राशि हम तय कर सकते हैं। यदि कोई गंदगी करता है, सफाई को गंदा करता है तो हम उस पर जुर्माना अधिरोपित कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि पूरे राजस्थान भर में इस जुर्माने की राशि से कितने लोगों पर हमने जुर्माना किया है, क्योंकि कई बार भय बिन प्रीत नहीं होती है। थोड़ा-सा भय दिखाना पड़ता है तब जाकर होता है, क्योंकि हम इतने साधन लगा रहे हैं। सफाई के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और म्युनिसिपलिटीज काम कर रही हैं फिर भी हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप इस जुर्माने की राशि को सख्ती से लागू करें और जो गंदगी करें उनसे जुर्माना वसूल करें, ताकि हम सफाई रख सकें और इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनको रोक सकें।

श्री सभापति: विधेयक के संशोधन पर कन्फाइन करेंगे तो बात हो पाएगी। इसको एंड लैस कर देंगे तो कोई नगर निकायों पर तो चर्चा हो नहीं रही है। अब आप जो भी आते हैं वह संशोधन के नाम पर पूरा नगर निगम पर चर्चा शुरू कर देते हैं। माननीय सदस्य श्री राजेंद्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं प्रयास करूंगा कि जो अमेंडमेंट बिल सरकार ने प्रस्तुत किया है इसके स्कोप में अपनी बात कहूं। सभापति महोदय, मूल रूप से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंदर सरकार उसकी धारा 23(2) में, 28(1) में, 31(1) और (2) में, 159(4) में और 194 में एक नई धारा 194(क) के माध्यम से संशोधन लेकर आई है। मंत्री महोदय, ये सारी शंका की बातें इसलिए उठती हैं कि आपका एक रिकार्ड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहा है कि आप इस सदन के अंदर जब कभी भी कोई भी अमेंडमेंट लेकर आते हैं, कोई भी बिल लेकर आते हैं तो उसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा कुछ समय बाद निकलकर आता है और मैं समझता हूं कि नगरपालिका अधिनियम, 2019 के, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, इसके अध्याय-2 और सैक्शन-3 का नगरपालिका और नगर परिषद् के गठन का जितना दुरुपयोग आपने किया है, संविधान के 74वें संशोधन की आत्मा को जिस प्रकार आपने कुचला है, यह पूरे इस सदन के इतिहास में और राजस्थान की लोकशाही के इतिहास में लोग याद रखेंगे।

सभापति महोदय, जो पहला संशोधन आप लेकर आए हो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 3(2) में, संशोधन क्या है, आप लेकर आए हैं, 'कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई शर्तें चुनाव प्रचार बंद होने के बाद की अधिसूचना जारी होने पर ध्वनि यंत्र, बैनर्स, पोस्टर्स, रैली से प्रचार करेगा तो निर्वाचन आयोग शर्तें एवं गाइडलाइन के उल्लंघन पर पूर्व में जो जुर्माना 2000 था उसको बढ़ाकर आपने 5000 किया है। मैं समझता हूं कि अगर आप मूल रूप से अपने अधिकारियों के साथ बैठकर इसको पढ़ लेते तो शायद यह संशोधन आप लेकर नहीं आते। आपने सिर्फ 3000 रुपये दंडात्मक प्रावधान लेकर इस निर्वाचन आयोग को जो पहले से दंत विहीन और नख विहीन है, इसका उपहास का काम आपने किया है।

आप इस 23(2) को पढ़ लो। 23(2) में क्या लिखा है आपके ही इस मूल प्रिंसिपल एक्ट में। उसमें लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को नगरपालिका सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी तारीख से 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। एक तरफ प्रावधान है कि अगर आपने राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन निर्देशों की अवहेलना कर दी तो आपको 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। दंडात्मक प्रावधान वह ज्यादा है या आपके 3000 की बढ़ी हुई राशि?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी के अंदर अगर आपको संशोधन लेकर आना था तो 23(4) में लेकर आते आप। उसमें लिखा है कि 23(2) के अंदर जो भी कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा उस पर प्रसंज्ञान न्यायालय तब तक नहीं ले सकेगा जब तक कि न्यायालय के समक्ष सक्षम अधिकारी परिवाद प्रस्तुत नहीं करे। आप इसको हटा देते। सुओमोटो अपने-आप ही लोग शिकायत करते, न्यायालय प्रसंज्ञान ले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लेता और जब आपने यह बात कही मंत्री महोदय, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम सब लोग जितने भी हमारे निर्वाचन हैं वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, रिप्रजेंटेशन आफ़ पीपल एक्ट, 1951 से हम गवर्न हैं और इसका सैक्शन-126 क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के पूर्व 48 घंटे की कालावधि में किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, चलचित्र, टेलीविजन आदि के द्वारा प्रचार व प्रदर्शन करता है तो वह 126(2) के तहत 2 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया पीपल रिप्रजेंटेशन एक्ट यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना के अंदर उल्लंघन किया है और चुनाव बंद होने के बाद किसी प्रकार का प्रचार किया है तो उसको 2 वर्ष तक की सजा होगी और आप खुद 23(3) में यह कह रहे हैं कि 6 वर्ष के लिए अयोग्य होगा। फिर आप सदन का समय जाया करने के लिए यह संशोधन क्यों लेकर आए, मंत्री महोदय? मैं समझता हूं कि अब आपकी वह पकड़ और आपकी वह जकड़ दोनों ढीली पड़ गई हैं और इसी तरह सिर्फ अकड़ बची है और अकड़, अपनी अकड़ वोट की चोट से निकलती है माननीय मंत्री महोदय, कई बार निकली है। कोटा की जनता आपको अर्श पर भी ले जाती है तो फर्श पर भी वहां की जनता लाती है।

वह जो दूसरा संशोधन आप लेकर आए हैं वह 28(1) को जो रीडिफाइन किया है 28(2) में। इसका जो मूल एक्ट है, मैं इसको पढ़ रहा था इसमें जो 1994 की धारा-28 है, सभापति महोदय, उसमें जो उल्लेख किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125, 126, 127, 127 (ए), 128, 129, 130, 131, 132, 132 (ए), 133, 134, 134 (बी), 135, 135 (ए) और 135(बी) और 135(सी) यह चुनाव से संबंधित सारी धाराएं हैं। इसको एज इट इज हमारे इस नगरपालिका अधिनियम, 2009 ने स्वीकार किया है। एज इट इज आपने इसको reproduce कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल एक्ट, 2009 के 28 (2) में आप संशोधन लेकर आ रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार जो नामांकन पत्र प्रस्तुत करेगा, प्रस्तावक या उम्मीदवार शपथ पत्र या घोषणा के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को कोई मिथ्या सूचना देगा या कोई जानकारी छुपाता है तो 6 माह के लिये वह कारावास से दंडित या जुर्माने के लिये दंडित होगा। मंत्री महोदय, आपका ध्यान इधर-उधर रहता है और मैं समझता हूं इस उम्र में रहता भी है। The

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

Representation of the People Act, 1951 की धारा 125 (ए) को आप पढ़ लो, पहले से प्रावधान है, 125 (ए) मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर कोई भी उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक किसी प्रकार का मिथ्या शपथ पत्र देता है, 6 महीने के लिये कारावास या जुर्माने से दंडित होगा। फिर आप यह संशोधन लाये तो लाये क्यों? अगर आपको संशोधन लाना था तो मूल एक्ट में जहां आपने reproduce की है, The Representation of the People Act की वेरियस धाराओं में एक धारा 125 (ए) को और शामिल कर देते। मेरी समझ में नहीं आया 'Notwithstanding' करके आप क्या कहना चाहते हो। मंत्री महोदय, मैं समझता हूं जब आप उत्तर दोगे तो उत्तर तो वही दोगे, मुझे कुछ न कुछ बताओगे और आपकी सारी डिग्रियां मैं इकट्ठी करता जा रहा हूं। आंकड़ों के आधार पर फर्जी अर्थशास्त्री, यह सारी डिग्रियां लेकर मैं समय रहेगा तो आपके निर्वाचन क्षेत्र में आकर लोगों को कहूंगा कि आपके जिम्मेदार मंत्री महोदय एक सीधे सादे 6 फीट 2 इंच के इंसान को जो जनता की सेवा के लिये संकल्पित है, उसको इस प्रकार की डिग्रियां देते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय, वह तैयारियां, वह दौर गुजर गया, वह दौर चला गया। जहां आज मैं हूं, कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। आ जायेगा दौर।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, एक और संशोधन जो मूल एक्ट 2009 में लेकर आये हैं 31 (1) का, इसमें क्या लेकर आये हैं, किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को नगरपालिका क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख से एक माह के भीतर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर सकेगा, यह पहले से प्रावधान है। अब आपने मंत्री महोदय, एक स्पष्टीकरण जोड़ा है। आप स्पष्टीकरण पढ़ लो और जब आपके पास सिरोही से आने वाले माननीय विद्वान सदस्य बैठे हैं तो वह पढ़ा भी देंगे, वर्ना आप पढ़ते नहीं। वह व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हक रखता है, उसने निर्वाचन में मतदान किया या नहीं किया। इसका मतलब आपने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। नगरपालिका चूरू में अगर किसी वार्ड में कोई भी नगरपालिका के चुनाव को अगर एक महीने के अंदर-अंदर मुझे चुनौती देनी है तो राजेन्द्र राठौड़ का वार्ड नंबर 55 में नाम होगा, तभी मैं दे पाऊंगा चाहे मैंने वोट दिया या नहीं दिया। आप मुझे यह बताओ, आप और हम सब लोग संविधान से गवर्न हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्विटी बिफोर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लॉ, कानून के बारे में सारे समान हैं। किसी को आप deprive नहीं कर सकते, वहां के नागरिक के तौर पर आप जो deprive करना चाहते हैं, आपके पास कितनी शिकायतें आईं? किस आधार पर अमेंडमेंट लेकर आये हैं, कितनी शिकायतों के आधार पर आपको लोगों ने कहा कि आप इस तरह का प्रोविजन करो, यह मेरी समझ के बाहर है। मैं समझता हूं कि आपने उन नामांकन पत्र रद्द करने पर...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका हाथों हाथ जवाब दे दूं। आप कहते हो कि संविधान की धारा 14, यह आर्टिकल 14 के बारे में कह रहे हो कि deprive नहीं कर सकते, इसमें deprive किया गया है। आप यह बता दो कि आपके विधान सभा क्षेत्र में जब आप चुनाव लड़ते हो तो फिर यह जरूरी क्यों रखा है कि आपका विधान सभा का मतदाता ही आपका प्रपोजर होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, विधान सभा का मामला एक है, सभापति महोदय, नगरपालिका में आप जानते हैं, मैं आपकी लोकप्रियता जानता हूं। आप अपने खुद के वार्ड में उतने लोकप्रिय नहीं हो, जितने आप वार्ड नंबर 35, 36, 37 में हो, क्योंकि वहां उस तरह के लोग रहते हैं जो आपको पूजते हैं। अगर वहां कोई चुनाव गलत हो गया तो राजेन्द्र पारीक जी वहां नहीं कर पाएंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि आप यह क्यों लेकर आये हो और फिर आपने लिखा कि अगर कोई नामांकन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत हो गया तो उसकी चुनौती देने की बात तो है, पर 31 (ए) में आपने एक महीने का राइडर लगा दिया। मतलब आज अगर मैं नोमिनेशन प्रस्तुत करता हूं और मेरा नोमिनेशन खारिज कर दिया, 31 (ए) में एक महीने का राइडर है, एक महीने के अंदर-अंदर करूंगा, तत्काल क्यों नहीं करूंगा मैं, मेरी समझ में नहीं आया।

इसी तरह जो अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 159 (4) में एक लाख की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में जोन विकास की योजना और उसके बाद एक लाख से कम वाली में सैक्टर योजना। मेरी समझ में नहीं आया, आप यह योजना क्यों बना रहे हो। मास्टर प्लान आपने पहले एप्रूव कर दिया, मास्टर प्लान पर ठप्पा आपने लगा दिया। इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है? इसके पीछे हिडन एजेंडा यह है कि इन सैक्टर प्लान में आप उस नगरीय क्षेत्र की कोई भी भूमि को ले आओगे, चाहे वह ग्रीन बैल्ट हो, चाहे वह और किसी कानून के तहत, जिस जमीन का उपयोग आप व्यावसायिक तौर पर नहीं कर सकते, रिहायशी तौर पर नहीं कर सकते, वह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करोगे आप। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, 12.1.2017 में गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में जो पूरे 35 निर्देश दिये हैं, वह इसलिए दिये गये कि ग्रीन बैल्ट और पेरीफैरी जोन में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन जोन नहीं रहेगा, पर्यावरण की बात है। आप एक रास्ता निकालना चाहते हो, गुलाब कोठारी की रिट याचिका में राज्य सरकार को जो 35 अलग- अलग निर्देश दिये हैं, आप यह जोनल प्लान और सैक्टर प्लान बनाकर इस तरह का काम करना चाहते हो, मैं समझता हूं इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। मैंने पहले कहा लिफ़ाफ़ा देखकर मज़मून भांप लेते हैं। मैं तो आपको जानता हूं, बहुत से लोग नहीं जानते। यह जो आज आप अमैंडमेंट लेकर आये हो, जब इसके फालआउट आएंगे, उस दिन आप और हम यहां रहेंगे तो मैं खड़ा होकर कहूंगा मंत्री महोदय, मैंने उस दिन कहा था लिफ़ाफ़ा देखकर मज़मून भांप लिया मैंने।

सभापति महोदय, इसीलिए अंत में मैं कह रहा हूं 194 में यह एक संशोधन लेकर आये हैं। इन्होंने नई धारा 194 (ए) इन्सर्ट की है और उसमें यह अधिकार ले रहे हैं, किसी भी नगरीय क्षेत्र में राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी भी प्रकार के भवन निर्माण को रोकने का अधिकार। आप जिनको मानते हो, जिन्होंने आपको लोक सभा में पहुंचाया, आज कहीं न कहीं उनकी आत्मा होगी, कितना दर्द होगा राजीव गांधी जी की आत्मा में। संविधान का 74वां संशोधन क्या इसीलिए लेकर आये थे। फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज की बात, लंबी चौड़ी बात आप कह रहे हो। विकेन्द्रीकरण की बात कह रहे हो। सभापति महोदय, आदमी का स्वभाव है, जिस तरह मैं प्योर डेमोक्रेट हूं, ये autocrat हैं। मतलब आदमी छुपता नहीं है अपने आप में। आप क्यों यह असीमित अधिकार लेना चाहते हो, आपकी निगाह क्या है। सभापति महोदय, यह कह देंगे कि इस जोन में ...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह न कोई डेमोक्रेट हैं, न आटोक्रेट हैं, यह तो हिपोक्रेट हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक डिग्री और मिली है मेरे को। सभापति महोदय, ये डिग्रियां मेरे आर पार जा रही हैं। आपने देखा होगा हिपोक्रेट कहते ही मेरे चेहरे के भाव बदल गये, मेरा चेहरा उदास हो गया। मंत्री महोदय, इसका जवाब भी लूंगा।

सभापति महोदय, अगर आप इस मूल एक्ट में 194 (7) (ई) में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

देखोगे, नगरपालिका को यह अधिकार दे रखा है अगर कोई अनधिकृत रूप से निर्माण हुआ है, अगर कोई बायलाज को वायलेट करते हुए किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी नोटिस देकर उसको हटा सकता है और 20 हजार तक जुर्माना कर सकता है। मेरी समझ में नहीं आया कि पहले से जो जुर्माने का प्रावधान है, उसको वापस रीराइट क्यों कर रहे हैं और आप यह अधिकार क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, आपका हेतु क्या है?

सभापति महोदय, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा लेकिन मंत्री महोदय, मैं आपको एक मित्र के रूप में एडवाइज दूंगा, थोड़ा-सा अध्ययन करने की प्रवृत्ति जो आपसे दूर हो गई है और जो यह अधिकारी कहते हैं कि आपकी क्या चाल है, देवानंद चलते हैं जिस तरह की चाल है, इसमें मत आओ, इसमें कुछ नहीं पड़ा। आज तो इसको आप सलेक्ट कमेटी में सौंप दो या जनमत जानने के लिये जारी कर दो। दुबारा आपके साथ बैठेंगे तो इसको पारित कर देंगे, मुझे यही कहना है।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल। माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे जो आपने विधेयक में संशोधन दिये हैं, उसी पर बोलें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, वह अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं में संशोधन लेकर आए हैं। बिंदु संख्या-5 “Amendment of section 159, Rajasthan Act No. 18 of 2009” माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि जोनल डवलपमेंट प्लान में वर्तमान में प्रत्येक जोन में भू-उपयोग निर्धारित किया जा सकता है? यदि नहीं, तो इस क्लाज का कोई मतलब नहीं रहता। अत: इसमें यह प्रावधान जोड़ा जाए कि मास्टर प्लान में कोई प्रावधान होने के बावजूद भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जोनल डवलपमेंट प्लान में भू-उपयोग निर्धारित कर सकते हैं।

बिंदु संख्या-6, जिसमें 194(A) नाम से धारा जोड़ी गयी है “Power of the State Government to prohibit the construction of the build-

(श्री बिहारीलाल)

ing in certain areas without permission.” इस अमेंडमेंट पर जिन माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, इस धारा को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? निश्चित तौर पर इसमें सरकार की मंशा राजनीतिक दुरुपयोग की रही है। यदि कोई क्षेत्र प्रतिबंधित करना है तो उसका उल्लेख इसी संशोधन में किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसमें दो-तीन छोटे-छोटे सुझाव देना चाहूंगा। बिंदु संख्या (3) के कालम 2 के (2) में दस हजार रुपये तक का जुर्माना इसमें जोड़ा जा सकता है। पेज नंबर 4 पर, 194(क) की लास्ट लाइन में जिसमें सन्निर्माण ‘भवन विनिमय 2017’ यह एक शब्द जोड़ा जा सकता है। 194(क) के पाइंट 3 की लास्ट लाइन- ‘जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा’ इसके बीच में यह बात जोड़ी जा सकती कि ‘और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार/नगरपालिका, नगर परिषद्, निगम के होने वाला हर्जा-खर्चा को वहन करना होगा’।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो और महत्वपूर्ण बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक सेवा का प्रावधान है जिसमें कर निर्धारक, राजस्व अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और आयुक्त शामिल हैं। ये अधिकारी स्थानीय निकायों के अधीन हैं या राज्य सरकार के अधिकारीगण हैं। यदि ये राज्य सरकार के नियोक्ता हैं एवं राज्य सरकार इनकी नियोक्ता है तो फिर ये राज्य सरकार की सूची में शामिल क्यों नहीं हैं। इन अधिकारियों को राज्य सरकार की सेवाओं की सूची में शामिल करते हुए इनकी भर्ती भी चयन आयोग से न कराकर आरपीएससी के माध्यम से की जानी चाहिए। इससे अधिक योग्य अधिकारियों की भर्ती की जा सकेगी। 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार के समय इन अधिकारियों की भर्ती आर.पी.एस.सी. से की गयी थी लेकिन सरकार बदलते ही 2013 में इन अधिकारियों की भर्ती डीएलबी स्तर पर किया जाना शुरू हुआ, जो कि एक गलत परम्परा है।

माननीय सभापति जी, राज्य सरकार के अधिशासी अधिकारी ई.ओ. और आयुक्त के पदों पर पूरे प्रदेश भर की स्थिति है कि आर.आई., एकाउंटेंट, ओ.ए., सेनेट्री इंस्पैक्टर जैसे अधीनस्थ कर्मचारियों को पदस्थापित किया जा

(श्री बिहारीलाल)

रहा है जिससे स्थानीय प्रशासन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। जोनल डवलपमेंट प्लान निर्माण हेतु जिन छह नगरपालिकाओं में करोड़ों के भ्रष्टाचार का एक परिदृश्य और एक बड़ी चर्चा राजस्थान में बड़े व्यापक स्तर पर हुई और उसमें सरकार की किरकिरी हुई है। उसका कारण यह था कि ईओ. और कमिश्नर रैंक के अधिकारियों के पदों पर अधीनस्थ कर्मचारियों को लगाया गया था। इसलिए इस एक्ट में यह भी संशोधन लाया जा सकता था कि अधिशासी अधिकारी और कमिश्नर के पद पर ऐसे अधिकारियों को लगाया जाएगा, जिससे ट्रांसफर, पोस्टिंग, जिससे इस प्रकार के निकायों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिल सके।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो छोटे-छोटे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी नोखा नगरपालिका उन सात नगरपालिकाओं में शामिल है, जिनमें पेयजल विभाग को नगरपालिका के अधीन दे दिया गया था। हमने कल पेयजल पर भी बात की। आसन पर अध्यक्ष जी विराजे थे, वे भी इसी समस्या से पीड़ित हैं और हमारी नगरपालिका व्यर्थ के कामों में करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, जो कि उनका क्षेत्र नहीं है। अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोलेंगे, सरकार आपकी खोल ही रही है। उसमें तीन करोड़ रुपये लगाएंगे। स्टेडियम के लिए खेल मंत्री ने कल बोला ही था, उसमें तीन करोड़ रुपये लगाएंगे, लेकिन पेयजल के लिए बिजली विभाग के 9 करोड़ रुपये बकाया हैं, वे नहीं भरेंगे। बिजली महकमा कभी भी बिजली कनेक्शन काट सकता है। शहर में जल के लिए किल्लत हो सकती है। इसलिए यह प्रावधान पूरी तरह फेल हुआ है। जलदाय विभाग को नगरपालिका एक्ट से निकालकर पुन: जलदाय विभाग को देने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी विराजे हैं। पिछले बजट सत्र में भी मैंने नोखा में तीन एसटीपी बनाने के लिए जो डीपीआर बनी हुई, उस बारे में आपसे चर्चा की थी। आपने उसके लिए निर्देशित किया, लेकिन नगरपालिका ने अभी तक भी आपको तीन एसटीपी के लिए जगह निर्धारित करके नहीं भेजी है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति जी, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। पूरा शहर, चाहे कानपुरा के चार वार्ड, चाहे जोरपुरा के चार

(श्री बिहारीलाल)

वार्ड हो, पूरा शहर इस समस्या से पीड़ित है। सीवरेज का पानी घरों में घुस जाता है। इससे हजारों परिवार परेशान रहते हैं। इस बात को भी आप गंभीरता से लें। हाई कोर्ट का निर्देश है कि खदानों में पानी नहीं डाला जाए, लेकिन एसटीपी का सिस्टम नहीं होने से ऐसा बदस्तूर किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है और बरसात के दिनों में हमेशा कम से कम तीन लोगों की बलि चढ़ती है और तीन-चार घर नेस्तनाबूद हो जाते हैं। नोखा की यह स्थिति है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि हमारे वहां के ई.ओ. को भ्रष्टाचार के आरोप में, साबित हो उससे पहले ही, पोस्टिंग हुई उससे तीन-चार महीने पहले के नक्शों पर भी साइन कर रहे हैं, उनको हटाया और हटाकर जालौर भेजा तो जालौर में पूरी सरकार की नाक कटायी भ्रष्टाचार के मामले में। जो दोषी हैं, उन पर तो कार्यवाही हो, लेकिन वर्तमान में जिसने इसका भंडाफोड़ किया, मुकदमा दर्ज कराया, उसको भी इसमें मुलजिम बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मोठ के साथ घुन भी पिसे जा रहे हैं। इसकी एसओजी से जांच की जाए और इसमें निर्दोष को बचाया जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। प्लीज। किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी मंत्री जी ने हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता जी को हिपोक्रेट कहा तो मैं कहूंगी कि वे हिपोक्रेट नहीं हैं लेकिन आप जरूर आर्टिक्यूलेट हैं। इसलिए कि हमारी विधान सभा जब शुरू हुई 2018 में चुनकर आए और आप एक संशोधन लेकर आए, राजस्थान नगरपालिका एक्ट के तहत था, वह संशोधन था कि हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे, सदस्यों से हमारा चेयरमैन इलेक्ट नहीं होगा और चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्ट होगा। यह संशोधन आप लेकर आए और हम लोगों ने बड़ा आर्ग्युमेंट किया। हमने कहा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, थ्रू पार्षद होना चाहिए चेयरमैन का इलेक्शन, लेकिन नहीं माने। उस सबके बाद में आपने उसको पास कराया, पास कराकर फिर इसी साल 2019 में...

श्री सभापति: आपका समय बचे तो इस पर बाद में बोल लेना। ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपसे पहले ही आग्रह कर चुका हूं, 32 लोग तो विधेयक पर बोलेंगे, उसके बाद अनुदान पर बोलेंगे। आज की तो यह चर्चा ही नहीं है, आप कहां इसे बीच में ले रही हैं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैंने तो अभी शुरू ही किया है। मैं उसी आर्बिट में ही बोल रही हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि संशोधन पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आपके जो विधेयक हैं, उस पर आपकी जो चर्चा है, आप केवल उस पर ही बोलें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति जी, मैं आपके आदेशों की ही पालना करूंगी। यह जो संशोधन लेकर आते हैं, बार-बार। सोच-विचार कर संशोधन लाने चाहिए, यही मेरा आग्रह था क्योंकि एक बार यह संशोधन लाना, फिर दूसरी बार कहना कि नहीं, हम तो डायरेक्ट पार्षदों से कराएंगे, यह गलत था। चलिए खैर। ये अभी जो संशोधन लेकर आए हैं, इस संशोधन के अंदर इस विधेयक में इन्होंने जो कहा कि जुर्माना राशि बढ़ाना, यानी इससे इन्होंने एक मात्र उद्देश्य यह बताया कि इससे राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां बढ़ेंगी। इसमें इन्होंने कहा कि इसमें जुर्माना राशि बढ़ाने में निर्वाचन प्रक्रिया की जटिलताएं हैं, ये जो बढ़ा रहे हैं, उससे जटिलताएं बढ़ रही हैं। ये जो शुल्क बढ़ा रहे हैं या जुर्माना राशि है, उससे और जटिलताएं बढ़ेंगी। इससे आप कार्यपालिकाओं को और ज्यादा अधिकार दे रहे हैं और इससे ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

इन्होंने ध्वनि विस्तारकों पर जुर्माना राशि दो हजार रुपये से पांच हजार रुपये की है। माननीय मंत्री जी जब अपना रिप्लाई दें तो यह जरूर बताएं कि जितने भी ध्वनि विस्तारक हैं, वे अनुमति के विरुद्ध उपयोग करते हैं। ऐसे कितने प्रकरण इन्होंने राजस्थान के अंदर, जिसमें यह शास्ति इन्होंने वसूल की हो, यह जरूर बताएं, जब ये अपना रिप्लाई दें। क्यों 2 हजार से 5 हजार कर दे, 5 हजार से 10 हजार कर दें, लेकिन उसकी पालना भी होनी चाहिए। यह केवल संशोधन के लिए संशोधन लाये हैं।

ये एक यह संशोधन लेकर आए हैं, शपथ-पत्र में मिथ्या घोषणा करने के संदर्भ में। शपथ-पत्र में मिथ्या घोषणा करने के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता में पहले से ही दंड के प्रावधान हैं। दंड संहिता की धारा 191, 192,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

193 के अंदर शपथ-पत्र में अगर कोई भी मिथ्या या असत्य कथन करने पर उसको तीन वर्ष का कारावास होता है। यह सज़ा का प्रावधान है तो ऐसे में नगरपालिका अधिनियम के अंदर फिर से इस प्रकार इसको अलग से कारावास होगी, शास्ति लगाएंगे, यह सारा लाने का क्या औचित्य, यह मुझे पता नहीं। जब रिप्लाई करें तो बताएं।

साथ-साथ जो बहुत विशेष यानी दो-तीन तो बड़ी सिम्पल-सी थी, इनको एक संशोधन करना था। मुख्य रूप से जो संशोधन करने की बात इन्होंने कही है, वह है धारा 194 का (क), 194 में यह कहते हैं कि भवन निर्माण की अनुमति दी जाती है, धारा 194 के अंदर। अब यह जो भवन अनुमति दी जाती है, इसके अंदर ही अलग-अलग क्लाज दिये गये हैं। उसमें एक क्लाज यह है कि बिना अनुमति के अगर कोई भी निर्माण कर लेगा तो उसको ध्वस्त करने का प्रावधान है। इसके बाद में एक 'एफ' और है जिसके अंदर एक और उप धारा है जिसके अंदर कहा गया है अगर वह बिना अनुमति के कर लेते हैं तो सरकार को सीज करने के भी पावर हैं। यह बात भी समझ में आई लेकिन बिना अनुमति के अगर कोई बना लेता है, उसे कम्पाउंड करने की है, वह जो 1996 रुल्स के अंदर, वह पूरा प्रावधान खतम हो गया। अब कम्पाउंडिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं रहा है तो उसके बारे में अच्छा होता कि ये कोई प्रोविजन इसमें रखते कि कोई कम्पाउंडिंग के भी कहीं न कहीं कोई प्रोविजन हैं क्योंकि करोड़ों रुपये नहीं, अरबों रुपये होगा पूरे राजस्थान की नगरपालिकाओं के अंदर जिस प्रकार कामर्शियल बिना अनुमति के हो रहे हैं और कन्वर्जन कर रहे हैं, उनको हम लोग कम्पाउंड नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए कोई न कोई कानून बनाते कि उसे कैसे हम लोग कम्पाउंड कर सकते हैं ताकि उसका पैसा भी नगरपालिका के अंदर आता और कम्पाउंडिंग चार्जेज जब नगरपालिका के अंदर आ जाते तो नगरपालिका भी स्ट्रोंग होती। लेकिन आप उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि वह अपनी जमीन के ऊपर बनाए, रेंजीडेंशियल की परमिशन के अन्दर कामर्शियल बनाएं लेकिन कामर्शियल चार्जेज नहीं ले सकते क्योंकि कम्पाउंडिंग के कोई रुल्स अभी आपके पास मौजूद नहीं हैं।

इसके साथ-साथ आपने जो इंट्रोड्यूस किया है, वह इंट्रोड्यूस किया है 194(क)। अब इस 194 के बाद में इन्होंने एक ओर बीच में डाल दिया 194 (ए), अब इस 194(ए) में मास्टर प्लान में माननीय मंत्रीजी क्योंकि मैं खुद नगर परिषद् की चेयरमैन रही हूं आज से 26 साल पहले, इसलिए यह कह

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सकती हूं कि नगरपालिका के पावर्स, आटोनोमस बाडी है नगरपालिका और उस आटोनोमस बाडी को अपने आप निर्णय लेने का पूरा अधिकार है और उन निर्णयों की पालना करने का लेकिन गवर्नमेंट इसके अंदर बीच में जाकर और किस प्रकार से उसके फालआउट्स आते हैं? उसका एक उदाहरण आपके सामने देना चाहती हूं। 194(क) के अंदर आपने क्या कहा कि गवर्नमेंट को इसके अंदर पावर होंगे कि संशोधन के नाम पर क्षेत्र विशेष के पावर सरकार ले रही है, एक क्षेत्र विशेष के पावर सरकार ले रही है कि सरकार इसके अंदर चाहे तो परमिशन दे सकती है और सरकार चाहे तो परमिशन रोक सकती है। अगर नगरपालिका ने कोई परमिशन दी है तो गवर्नमेंट के पास अधिकार होंगे कि उसको रोक दे यानी नगर परिषद् जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, एक तरह से जो उसका मूल अधिकार है, उसके ऊपर कुठाराघात करने की बात हो गई। यह जो कम्पाउंडिंग रुल्स हैं, उसे इन्होंने यहां बैठकर तो बनाए नहीं।

अब आपका जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान में अबव वन लाख को एक कर दिया, बिलो वन लाख को एक कर दिया। मैं बिलो वन लाख की ऐसी नगरपालिका से आती हूं, राजसमंद नगरपालिका की बात करूं तो इसमें जो एक लाख से कम पापुलेशन के लोग हैं। मास्टर प्लान बना 2011 में। वह मास्टर प्लान दस साल के लिए हुआ 2011 से 2021, यह प्रभावी रहेगा 2025 तक, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब आपने दस साल तक बनाया और इस मास्टर प्लान में जो आपने कहा एक जोनल प्लान, अब जोनल प्लान आपने एक और इंट्रोड्यूस कर दिया। उसमें कहा कि जोनल प्लान में नगर परिषद् के प्रस्ताव जो भेजेंगे या तो वे या स्व-प्रेरणा से राज्य सरकार, जो भी इसमें उचित समझेगी, इस प्रकार की योजना बना सकते हैं। अब स्व-प्रेरणा से राज्य सरकार, जो छोटी-सी नगरपालिका है, उसमें नगरपालिका के जो प्रस्ताव आएंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। यह तय कर लें आप। अपने रिप्लाई में बता दें कि मास्टर प्लान को हमने जो बनाया 2011 में जो मास्टर प्लान लागू हो गया है, उसको डी-नोटिफाई करेंगे या उसके अंदर एक जोनल प्लान बनाएंगे और उस जोनल प्लान से जो हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे नगरपालिका से, उस जोनल प्लान के अंदर उस नगरपालिका के प्रस्ताव को जगह देकर उसी को मानेंगे। इसी को थोड़ा आप स्पष्ट कर देंगे तो हमें यह ध्यान में आ जाएगा क्योंकि जिस प्रकार आबादी बढ़ रही है। अब दस साल का मास्टर प्लान बनाना। इतनी रैपिडली पापुलेशन ग्रोथ हो रही है,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इतनी रैपिडली एरिया का डवलपमेंट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम दस साल का मास्टर प्लान नहीं बना सकते हैं। इसको थोड़ा शार्ट करना चाहिए। इसको आप पांच साल का बनाइए, तीन साल का बनाइए और उसकी फिर कड़ाई से पालना करिए। जो मास्टर प्लान बनाने वाला होता है टाउन प्लानर, उस टाउन प्लानर का तो ट्रांसफर हो जाता है। टाउन प्लानिंग पूरी खतम हो जाती है, जहां के लिए जो चीज बनाई गई है, वहां नहीं होता है। कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई कम्पाउंडिंग नहीं कर सकते। बिलकुल एक तरह से नगरपालिका को पंगु बनाने का काम यह सरकार कर रही है।

माननीय सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि जो भी मास्टर प्लान बने, उस मास्टर प्लान का फालआउट, जो अभी हमारे उपनेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इसके दूर में जाकर फालआउट आएंगे सामने, तब पता चलेगा। इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं कि राजसमंद के अंदर हाउसिंग बोर्ड एरिया है, जो हाउसिंग बोर्ड एरिया को इन्होंने नोटिफाई किया कि ये जो पूरी जमीन है, इसको हाउसिंग बोर्ड के अंदर लेंगे और उसकी अवाप्ति शुरू की। अवाप्ति का एक नोटिस दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा जो फाइनल नोटिस होता है, वह फाइनल नोटिस उन किसानों के पास चला गया कि आपकी जमीन अवाप्त की जाती है। जब तीसरा नोटिस उनके पास गया तो फिर क्या हुआ? यहां पर कुछ तथाकथित लोग आए और वे आकर, आप ही मंत्री थे उस समय, यह पिछले कार्यकाल की बात बता रही हूं और आप ही के पास आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि जो यह हाउसिंग बोर्ड का एरिया है, इसको आप अवाप्ति से मुक्त करो। अवाप्ति से मुक्त नहीं हो सकता जब तीसरा नोटिस चला जाता है तो उसके बाद यह अवाप्ति से मुक्त नहीं करते। लेकिन इन्होंने विशेष परिस्थिति में जो पावर्स, जो मैं आपको कह रही हूं, 194(क) जो इन्होंने इसमें जोड़ा है, इसमें विशेष पावर, जो सरकार के पास आ जाते हैं और सरकार चाहे तो उसे रोक सकती है, सरकार चाहे तो उसे रिलीज कर सकती है, उस पावर को इन्होंने उस समय यूज करके हाउसिंग बोर्ड कालोनी की जो अवाप्त लैंड थी, उसको डी-एक्वायर कर दिया। एक्वायर्ड लैंड को डी-एक्वायर किया और डी-एक्वायर करने का यह नतीजा हुआ कि उस अवाप्त लैंड को पहले ही किसी भूमि दलालों ने खरीद रखी थी, वह कौड़ियों के दाम से खरीदी थी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जब डी-एक्वायर हो गई वह लैंड तो डी-एक्वीजिशन लैंड फिर एकदम कीमती जमीन हो गई। उन्होंने करोड़ों-करोड़ों रुपये उस पर कमाए। माननीय सभापति जी, इस आशंका से, जो इसके फालआउट्स आने वाले हैं, आज अगर कोई नगरपालिका चुनकर आती है, जिस प्रकार आप और हम सब चुनकर आए हैं जनता के बीच से, नगरपालिका का पार्षद, नगरपालिका का सभापति, वह सारे जो निर्णय करते हैं, नगरपालिका स्वायत्तशासित है। उन्हें पता है कि कहां निर्माण होना चाहिए, उन्हें पता है कि कहां निर्माण नहीं होना चाहिए? वह अपने शहर को जितना सुंदर बना सकते हैं शायद यहां पर बैठकर हम उतना नहीं सोच सकते जितना वे सोचते हैं। इसके बाद में भी सरकार इस प्रकार के पावर्स ले लें कि इस जोन के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे और इस जोन के अंदर...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, एक उदाहरण और दूंगी। उदयपुर के अंदर नोन-कंस्ट्रक्शन जोन बना दिया लेक के चारों ओर। अब इस नोन-कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर परमिशन नहीं देनी है, यह नगरपालिका तय करती है लेकिन राज्य सरकार के पास फाइल आती है। तुरंत उसको परमिशन मिल जाती है और होटल्स बन जाते हैं वहां पर। वह परमिशन यहां राज्य सरकार से मिल जाती है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री संयम लोढ़ा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इस प्रकार से गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं होकर नगरपालिका के पास पावर होनी चाहिए। ये जो संशोधन लेकर आए, ये जो संशोधन हैं, इन संशोधन से इनकी मंशा दिख रही है कि बहुत गलत है। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए 6 महीने के लिए आप परिचालित कीजिए। आने दीजिए वहां से सारे सुझाव, उसके बाद आप सदन में लाएं, फिर चर्चा करें। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: विराजिए। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, स्टेट कमीशन के सजेशन पर कुछ अमेंडमेंट चुनाव से मुतल्लिक और मास्टर डवलपमेंट प्लान और अदर प्लान्स को लेकर सरकार ये संशोधन लेकर आई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या

(श्री संयम लोढ़ा)

कभी-भी सरकारें अपने मास्टर प्लान के प्रति जो शहरों के लिए बनाती है, उसके प्रति गंभीर रही है? जो मास्टर प्लान आप बनाकर लागू करते हैं, जब मंत्री महोदय उत्तर दें तो बता देना कभी, मास्टर प्लान में जो प्रपोजल आपने दिये हैं, जो चीजें प्रपोज की हैं, कभी उसके लिए फंड प्रोविजन रखा है, एक भी चीज के लिए?

माननीय सभापति महोदय, 2008 से 2013 तक की हुकूमत के वक्त में ये सारी नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान बनाए गए थे। एप्रूव तो इनका चीफ टाउन प्लानर ही करता है, लेकिन इन्होंने फर्म को काम देकर वह मास्टर प्लान बनवाए और फर्म ने कैसे मास्टर प्लान बनाए कम्प्यूटर पर? इसको यहां ले लो, उसको यहां ले लो, यहां से सड़क निकाल दो, यहां से बाईपास निकाल दो। सभापति महोदय, वैसे तो हम लोग भी बहुत गंभीर नहीं होते इस मास्टर प्लान के प्रति। हम कभी मास्टर प्लान को नहीं देखते हैं, पर उस दौरान मुझे मास्टर प्लान देखने का अवसर मिला तो मेरे खुद के कस्बे में मैंने देखा कि इन्होंने जो मास्टर प्लान मेरे होम टाउन का प्रपोज किया, ऐसी जगह से बाईपास प्रपोज किया जहां पूरे रास्ते में मकान बने हुए थे। मुझे फिर आर्ग्यू करना पड़ा, टाउन प्लानर के पास खुद अपियर होना चाहिए, मैंने कहा आप यह क्या कर रहे हो, तो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा ही है।

दूसरा, एक जगह इन्होंने वेयरहाउस प्रपोज कर दिया जबकि आलरेडी उस शहर में पूरी मण्डी का एरिया खाली पड़ा हुआ है। मण्डी यार्ड के रूप में पचासों बीघा जमीन पड़ी हुई है, यह नहीं देखा और दूसरी जगह जहां आलरेडी लेन कटी हुई है, रेजीडेंशियल में कन्वर्ट है, वहां वेयर हाउस प्रपोज कर दिए।

तीसरा, मेरे होम टाउन का मेन बस स्टैण्ड, जहां से मेन रोड जा रहा था, जहां बैंक, होटल बने हुए हैं, उसको रेजीडेंशियल में प्रपोज कर दिया। जब मैंने यह सारी बातें चीफ टाउन प्लानर के सामने रखीं तो उन्होंने कहा कि मैं यहां जोधपुर से भेजता हूं, वह आए और सारे बदलने पड़े।

इसी तरह से सिरोही में भी किया गया। मैं यह समझता हूं कि पूरे राजस्थान में यह नोन सीरियसनैस रही। सिरोही का बाईपास प्रपोज कर दिया जिसको बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपया चाहिए। अब आप सालों तक उसको बना तो सकते नहीं हो, पैसे नहीं है, तो उस पर दूसरे निर्माण ही होंगे। संयोग से जब हाई कोर्ट में गुलाब कोठारी वाली पिटीशन

(श्री संयम लोढ़ा)

लगी तो हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, आप लोगों के घरों का उजाला खा गए। आप लोगों के घरों की हवा खा गए। रेजीडेंशियल एरिया में कोई आदमी छोटा मकान बनाकर निवास कर रहा है, आपने अनुमति देकर या बिना अनुमति वहां अट्टालिकाओं का निर्माण कर दिया। ऊंची-ऊंची इमारतें छोटे मकान वालों की रोशनी रोक रही है, उनकी हवा को रोक रही है।

माननीय सभापति महोदय, तत्कालीन सरकार के महाधिवक्ता को राजस्थान उच्च न्यायालय में कितनी बार लताड़ पड़ी है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। कोई सीरियसनैस नहीं। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा 73वां कांस्टीट्यूशन अमैंडमेंट पंचायती राज के लिए आया, 74वां नगरपालिकाओं के लिए आया। हमारे महबूब नेता राजीव गांधी खुद के जीवन में अमैंडमेंट लाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य सभा में सहयोग नहीं किया, पारित नहीं हो सका। उसके बाद नरसिम्हाराव जी ने उसको लागू किया। अब भी हम यह भावना क्यों नहीं रखते कि हमारी स्वायत्तशासी संस्थाओं को हम स्वायत्तशासी बनाएं, हम यह सोच क्यों नहीं रखते? क्यों आज भी हम सारे अधिकार अपने पास निहित रखना चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हम यह बनाएं?

जोनल प्लान, मंत्री महोदय, आप जब उत्तर दें तब बताना कि 2018 के अंदर जोनल प्लान के नाम से राजस्थान की अलग-अलग नगरपालिकाओं से कितने करोड़ रुपये उठे हैं। सभापति महोदय, जोनल प्लान की आड़ में 65 करोड़ रुपये का भुगतान हो गया और संबंधित नगरपालिकाओं ने नक़्शे तक सब्मिट नहीं किए। यहां तक पता नहीं है कि वह क्या बनाकर देकर गए। कई नगरपालिकाओं के अंदर तो नक़्शे ही मौजूद नहीं हैं जो जोनल प्लान बनाने वाली फ़र्म ने बनाकर दिए थे ।

मंत्री महोदय, मैं आपको यह सुझाव देना चाहूंगा कि शहर की प्लानिंग का काम है, यह स्थानीय निकाय के जन प्रतिनिधियों पर, आपके टैक्निकल आदमियों पर छोड़ो ताकि वहां की ज़रूरतों के मुताबिक वह प्लान करे और आपको बताए। आप चाहो तो टाउन प्लानर वगैरह रखे हैं, उनकी देखरेख में करवा सकते हो। वे बेहतर ढंग से जरूरत समझ सकेंगे। यहां बैठे हुए लोग जो मौक़े पर जाकर देखते नहीं, प्लान बनाकर यह आपको प्रस्तुत कर देते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करूं स्वायत्त शासन विभाग में काम देखने के लिए क्या एजेंसी है? एक सैक्रेटरी, एक ज्वाइंट सैक्रेटरी है, एक डिप्टी सैक्रेटरी भी है, है तो डायरेक्टर, नीचे 40-40 नगरपालिकाओं पर आपने एक डीडीआर बिठा रखा है। हाई कोर्ट और आफिस के बीच रोज लेफ्ट राइट करता रहता है। किसी नगरपालिका में क्या हो रहा है, क्या काम देखना है, क्या सुपरवाइजरी करना है, आपके पास कोई सुपरवाइजरी अथोरिटी नाम की चीज नहीं है। करोड़ों रुपये आप नगरपालिकाओं को दे रहे हो। आपके पास मोनिटरिंग करने का कोई इंतजाम है? अभी एक पूर्व वक्ता कह रहे थे कि आपने आर.आई. को एग्जिक्यूटिव आफिसर का चार्ज दे दिया, ओ.ए. का चार्ज दे दिया। अपने कस्बों के मास्टर प्लान का एग्जीक्युशन एक आर.आई. के भरोसे छोड रहे हैं।

सभापति महोदय, अगर सरकार गंभीर है, ग्राम पंचायत में हम कितना स्टाफ रख रहे हैं, पूरी पंचायत समिति में मोनिटरिंग करने के लिए उसके ऊपर एक बीडीओ रख रहे हैं। ज़िले के सारे बीडीओज पर मोनिटरिंग करने के लिए एक ए.सी.ओ. रखते हैं, उन सब मोनिटरिंग करने के लिए एक सी.ओ. रखते हैं। आपका जिला स्तर पर कोई इंतजाम है? एक जिला स्तर पर आपका कोई अधिकारी है जो ज़िले की नगरपालिकाओं के काम को सुपरवाइज कर सके? आप किसके भरोसे आगे बढ़ना चाहते हो? थोड़ा अपना नजरिया बदलो, थोड़े पैसे खर्च करो। कुछ अधिकारियों के सरकार से पद लो। कलेक्टर आपको लैंड अलाटमेंट करता है, आपने आदेश निकाल दिए नगर परिषद् क्षेत्र के अंदर जितनी भी भूमि होगी वह स्थानीय निकाय को ट्रांसफर की जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): समाप्त ही करना है तो ठीक है, आपकी आज्ञा है। पहले तो आपने 25-25 मिनट बोलने दिया।

श्री सभापति: अब आपके जो संशोधन हैं उन पर बताएं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा।

अभी पूर्व वक्ता भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मंत्री जी, आपके खुद के हाथों से जिस अधिकारी के खिलाफ आपने एंटीकरप्शन के मुक़दमे में अभियोजन की स्वीकृति दी, खुद के हाथों से, वह बढ़िया स्तर की नगरपालिका

(श्री संयम लोढ़ा)

में ए कैटेगरी की नगरपालिका में मुख्य पद पर विराजमान है। कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? अगर कोई पहले वाले अभियोजन स्वीकृति देकर गए होते और आप कहते कि मुझे पता नहीं, जब तो बात अलग होती। आपके हाथों से अभियोजन स्वीकृति हुई है। एसीबी का ट्रैप केस है, वह और भ्रष्टाचार को बढ़ाए जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं वह सरकार के काम ही आने वाली है। मेरे होम टाउन में मैं एक नाड़ी को डवलप करना चाहता था, लोगों को शाम को जाने के लिए ऐसी जगह उपलब्ध करवा सके। मैं उसका मौका देखने गया, सोचा कि पास में एक पार्क और बनाया जाए। मुझे आफिसर ने कहा कि साहब वह जमीन पड़ी है, देख लेते हैं, हम पास में गए तो मुझे बताया गया कि इस पर तो हाई कोर्ट का स्टे है। मैंने कहा फाइल लाओ, मुझे पता नहीं क्या जंची कि मैं खुद ही नगरपालिका चला गया। जब मैंने नगरपालिकाओं का रिकार्ड मंगाया तो हाई कोर्ट में 2000 से 2020 तक के 40 मुक़दमे पैंडिंग हैं और नगरपालिका को यह पता नहीं है कि अगले मुक़दमे की पेशी कब है। कोई आदमी नगरपालिका में यह बताने की स्थिति में नहीं है कि पेशी कब है। कोई यह बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या जवाब दिया गया। ऐसे मुक़दमे भी हैं जिसमें करोड़ों रुपये की जमीन फंसी है, करोड़ों रुपये की रेवेन्यू फंसी है।

मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं, लंबी बात नहीं कहूंगा, खतम करूंगा। थोड़ी कृपा करो और आप इस पर थोड़ा ध्यान दो। पहले शहरी आबादी 15 परसेंट थी, आज लगातार शहरी आबादी का आंकडा बढ़ रहा है 15 से 24 हो गया, अब 24 से ऊपर हो गया। लोग शहर की तरफ रोज हज़ारों की तादाद में बढ़ रहे हैं, हमारी प्राथमिकता में नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इन सब पर ध्यान दें।

सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के लोग सफाई का काम करते हैं। अपनी छाती पर हाथ रखकर कहिए दूसरा कौन करता है। पिछली सरकार ने हज़ारों की तादाद में नोन वाल्मीकि को सफाई कर्मी लगा दिया, कोई काम कर रहा है? सिरोही में लगा हुआ आदमी अपने रिश्तेदार अधिकारी से सिफारिश कराकर जोधपुर चला जाता है। डैपुटेशन पर जालौर चला जाता है। वाल्मीकि समाज के लोगों के पद खा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा,

(श्री संयम लोढ़ा)

पिछली सरकार में जितने फर्जी सर्टिफ़िकेट ठेकेदारों के लेकर नोन वाल्मीकि ने नियुक्तियां ली हैं, जांच करवाकर कार्यवाही करो, नहीं तो आपका जो सफाई का सपना है यह सफाई का सपना धरा रह जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं। हम योग्यता के मापदण्ड लेकर आते हैं, पिछली सरकार ने 10वीं पास का मापदण्ड रखा। सभापति महोदय, आंकड़े निकलवा कर देख लेना, पार्षदों के रूप में जितने मनोनयन किए, ज्यादातर लोग नोन मैट्रिक थे। शिकायतें हुईं, लोग हाई कोर्ट तक गये। कोई कार्यवाही नहीं हुई। वे नोन-मैट्रिक लोग मनोनीत हो करके यूं का यूं काम करते रहे, आप इसमें कुछ भी प्रावधान करो। अभी भी आपके एक वाइस चेयरमैन थे, फालना के अंदर, इलेक्टेड वाइस चेयरमैन, जा करके सरपंच का चुनाव लड़े और सरपंच बन गये। वोटर लिस्ट के अन्दर नाम को कोई अधिकारी देख रहा है कि वह किस पद पर काबिज है कि नहीं है। तो यह अमेंडमेंट जो आप लाये हो कि वोटर भी जा करके उसमें पार्टी बन सकता है, यह अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। जो मैंने संशोधन दिये हैं, मैं वे संशोधन वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल के ऊपर बोलने की अनुमति दी, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 माननीय मंत्री महोदय व सरकार लेकर आई है। अभी मेरे पूर्व वक्ता संयम जी कह रहे थे, मैंने पहली बार देखा कि बिलकुल अंतरात्मा की आवाज के ऊपर कह रहे थे, लेकिन इन्होंने जाते-जाते लास्ट में यह कहा कि जो संशोधन दिये हैं, उनको मैं वापस लेता हूं। यहीं गड़बड़ कर गये।

सभापति महोदय, वास्तविकता के अन्दर अगर बात करें, वह तो धन्यवाद है गुलाब कोठारीजी की रिट को कि जिसकी वजह से ये गोचर जमीनें बच गईं, आपके ग्रीन बैल्ट्स बच गये। इसकी वजह से आज वास्तविकता यह है, नहीं तो आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति इन सम्पूर्ण जमीनों के ऊपर कब्जा कर बैठते। मंत्री महोदय, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। आप एक बार जयपुर के आसपास चक्कर काट लो। जे.डी.ए. की बेशकीमती जमीनें, जो गोचर जमीनें थीं, जो जे.डी.ए. के अन्दर आ गईं। उन जमीनों में एक का भी

(श्री रामलाल शर्मा)

उपयोग नहीं हो रहा है और उनको डवलप करने के लिये जे.डी.ए. के करोड़ों रुपये खर्च हो गये। आप आनन्द लोक में जाकर देख लो, शिवदासपुरा में जाकर देख लो, बस्सी में जाकर देख लो, आस-पास करोड़ों रुपये की जे.डी.ए. ने वहां सड़कें डाल दीं, जे.डी.ए. ने वहां लाइट्स लगा दीं, लेकिन एक प्लाट बेचने का काम नहीं किया। आखिरकार, वे गोचर जमीनें गायों के चरने की थीं, उनको भी आपने समाप्त कर दिया। इस प्रकार का जो आप एक्ट लेकर आये हो, इस एक्ट के अन्दर दो-तीन बातें, मोटी-मोटी, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा।

एक तो आपने यह कहा कि सरकार छह महीने के कारावास का प्रावधान कर रही है। एक तरफ सरकार यह कह रही है कि शैक्षणिक योग्यता को हम समाप्त करते हैं। अब यह मान लो कि खुदा न खास्ता एक अनपढ़ महिला पार्षद का चुनाव लड़ रही है, उसके पति ने उसका शपथ-पत्र दिला दिया, उसने तो उसका अंगूठा लगा दिया। उसकी क्या गलती है। आप उसके पति को जेल भेजोगे, जिसने अंगूठा लगवाया या जिसने उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ा, उसको जेल भेजोगे? गलत शपथ-पत्र किसने दिया?

सभापति महोदय, एक तरफ आप यह कह रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता, अगर पढ़ा-लिखा व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो उसको आप सज़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो अनपढ़, उसके दायरे में है, प्राथमिकता में है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्दर सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक तो सभापति महोदय, मुझे इस बात के ऊपर आपत्ति है।

दूसरा, आपने यह कहा कि एक लाख से अधिक आबादियों के मास्टर प्लान बनाने का हम काम करेंगे। सभापति महोदय, इसमें समय भी निर्धारित कर देते कि हम इतने दिनों के अन्दर मास्टर प्लान बना देंगे और मास्टर प्लान बनाने के बाद स्थिति क्या है। आज जयपुर के अन्दर जे.डी.ए. का मास्टर प्लान बना हुआ है। मेरे चौमूं के अन्दर एक कचोलिया रोड है। सभापति महोदय, 40 फुट की रोड है, उसके दोनों तरफ बड़ी-बड़ी आबादी बसी हुई है, इमारतें बनी हुई हैं। कामर्शियल एक्टिविटीज हो रखी हैं। उस रोड को आपने मास्टर प्लान में डाल दिया कि सौ फुट की रोड होगी। क्या उन मकानों को आप तोड़ोगे, उन बिल्डिंग्स को आप तोड़ोगे? अगर आप तोड़ोगे तो उनको आप उनका मुआवजा दे देंगे? तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि एक तो

(श्री रामलाल शर्मा)

मास्टर प्लान की एक निर्धारित समय-सीमा है, वह तय की जाये कि कितने दिन में करेंगे। आपकी आड़ के अन्दर, मास्टर प्लान की आड़ के अन्दर, डवलपमेंट करने वाले जो वर्क हैं, वे सारे रुक जाएंगे कि मास्टर प्लान में है, अभी हम यह काम नहीं कर सकते। यह रेजीडेंशियल जोन होगा या कामर्शियल जोन होगा या फैसेलिटी के अन्दर जायेगा, यह कहकर आप विकास के कामों को रोकने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, मेरा तीसरा निवेदन इस बात के लिये है कि इस समय आप यह संशोधन लेकर आते कि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वह पीने के पानी की है। वाटर रिचार्ज का अगर संशोधन लेकर आते कि आज जितने भी निर्माण हो रहे हैं, चाहे आवासीय हो, चाहे कामर्शियल हो, उन निर्माणों के अन्दर वाटर रिचार्ज सिस्टम कम्पलसरी है। यदि वह वाटर रिचार्ज सिस्टम नहीं पाया गया तो हम इनके ऊपर इतना मुआवजा या इतनी वसूली करने का, आप पर हम पैनल्टी लगाने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से यह संशोधन इन परिस्थितियों के अन्दर ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप वह काम तो कर नहीं रहे हैं।

सभापति महोदय, एक कलेक्शन की बात है। आज वास्तव में कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता जाहिर की है, आप यह जो चालान की राशि दो हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर रहे हो, इनको वसूल कौन करेगा? आपके डिपार्टमेंट तो खाली पड़े हैं। कई नगरपालिकाएं तो ऐसी हैं, जो आर.आई. क्या यू.डी.सी. के पास ई.ओ. का चार्ज है। उस ई.ओ. को मानता कौन है? आज उसका कहना मान कौन रहा है? उसके पास इतना सक्षम स्टाफ नहीं है कि वह कार्यवाही कर सके और आज बिना योजना के जो रेजीडेंशियल निर्माण हैं, उसके अन्दर कामर्शियल एक्टीविटीज हो रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, भवन बन रहे हैं। आपने कितनों के ऊपर कार्यवाही कर दी? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा इतना निवेदन है कि सरकार जो यह संशोधन लेकर आई है, कहीं न कहीं सरकार बायस्ड होकर, मेरे को लगता है कि जो मुझे आशंका है, मैं अभी बता दूं। मुझे लगता है कि सरकार इस मास्टर प्लान के बहाने गरीब आदमी की जमीन को तो ग्रीन बैल्ट के अन्दर डालने का काम करेगी और अपने चहेते लोगों की जमीनों को कामर्शियल जोन में डालने का काम करेगी, ताकि इनके लोगों को यह फायदा पहुंच सके। इसलिये मैं चाहता हूं सभापति महोदय, इस बिल में जल्दबाजी

(श्री रामलाल शर्मा)

करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाना मेरे खयाल से उचित रहेगा।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, कानून बनते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। जो भी सरकार आती है, वह अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उसके अन्दर अमेंडमेंट लाती है। वह पब्लिक की सोच को नजरअंदाज कर देती है। उसका परिणाम है कि वे जो भी नियम, कायदे, कानून बनाते हैं, वह सब टूटने के लिये बन जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिये गये हैं, जिसके अन्दर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं सिर्फ विरोध करने के लिये विरोध करूं, ऐसी बात नहीं है। स्वायत्त शासन मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल दो-तीन बातों के ऊपर आपका संक्षेप में ध्यान आकर्षित करते हुए मेरी बात को समाप्त करूंगा।

इन अमेंडमेंट्स के अन्दर इस तरह की कोई धारा का भी प्रावधान करना चाहिये था, जिससे अवैध निर्माण जब भी होता है तो अवैध निर्माण के समय के अन्दर जो भी कोई अधिकारी वहां पोस्टेड होता है और वह उसके लिये जिम्मेदार होता है, उस अधिकारी की ऐसी जिम्मेदारी तय की जाये, बाद में होता है कि इसको तोड़ दिया जाये। लेकिन वह अवैध निर्माण होता ही क्यों है, ऐसी कोई धारा का प्रावधान कर दो, जिसके कारण जब अवैध निर्माण होता है और वह अधिकारी वहां पर मौजूद होता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कोई ऐसा चार्ज लगाया जाये, बाद में उससे वसूली करने का कोई प्रावधान, इस एक्ट के अन्दर ऐसा कोई अमेंडमेंट कर देते तो निश्चित रूप से जो आपकी भावना है, वह फलीभूत होती नजर आती।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी रामलाल जी कह रहे थे कि जहां-जहां पर भी आपका चेयरमैन है या नगपालिका के अन्दर आपके पक्ष का कोई चेयरमैन है, वहां पर तो कर्मचारी ठीक-ठाक स्थिति के अन्दर हैं। मेरे

(श्री अभिनेश महर्षि)

विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, राजलदेसर, छापर नगरपालिकाएं हैं, तीसरी रतनगढ़ है। राजलदेसर नगरपालिका के अन्दर, आपके आने के बाद में एक साल के अन्दर 6 बार ई.ओ. का तबादला हुआ है। एक बार हुआ, पुन: लगा। फिर ए.पी.ओ. हुआ, पुन: लगा। दो व्यक्तियों ने वहां पर ऐसी धमा-चौकड़ी मचा रखी है कि कोई भी आदमी एक दिन, तीन दिन, पांच दिन के लिये ई.ओ. आया तो इस अमेंडमंट के अन्दर कोई ऐसा कानून बना दो कि एक बार उसकी पोस्टिंग कर दो कम से कम छह-आठ महीने के लिये तो, जे.ईएन. वहां पर होता नहीं है, ई.ओ. वहां पर होता नहीं है, क्लर्क के सहारे पर पूरी नगरपालिका चलती है तो आपके दिमाग के अन्दर जो विकास का रोड मेप और नक्शा तैयार किया हुआ है, वह पूरी तरह से फेल हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह है कि नगरपालिकाओं के अन्दर ऐसा कोई सक्षम अधिकारी, पैसा नगरपालिकाओं के अन्दर पड़ा है, लेकिन नगरपालिका, अब ई.ओ. नहीं है उसके पास, किसी के पास में वित्तीय पावर नहीं दिये हुए हैं। हम बार-बार कलेक्टर साहब को कहते हैं। कलेक्टर साहब को कहकर वहां पर एक बार कोई जे.ईएन. की पोस्टिंग करवाते हैं। ऊपर से डी.डी.आर. का मैसेज आ जाता है कि आप डाइरेक्ट किसी की पोस्टिंग नहीं कर सकते। उसको तुरंत प्रभाव से ए.पी.ओ. कर दिया जाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि शहर का डवलपमेंट, हम उनको स्वायत्तशासी कहते हैं तो निश्चित रूप से उनको वह अधिकार तो दीजिये, उनको वह कर्मचारी तो दीजिये, जिससे काम हो सके।

कई बार पार्षद चुन कर आते हैं, हम भी जन प्रतिनिधि हैं, चुन करके आते हैं। हमारे को एक एम.एल.ए. लैड, एम.पी. लैड दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि अनेक पार्षद लोग बातें करते हैं कि हमें भी एक ऐसा फंड, लैड दिया जाये पार्षद के हिस्से के अन्दर, क्योंकि वे भी जनता के चुने हुए हैं। उनके वार्ड के अन्दर उनके विकास के कार्यों के लिये उनको पैसा चाहिए होता है। अगर चेयरमैन उनके पक्ष का होता है तो वह पैसा उसको दे देता है। चेयरमैन यदि उसके पक्ष का नहीं होता है तो पार्षद को किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलता है, इसलिये पार्षद, जो दूसरे पक्ष के पार्षद होते हैं,

(श्री अभिनेश महर्षि)

उनको अपने क्षेत्र के अन्दर, अपने वार्ड के अन्दर डवलपमेंट का किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलता है। इस एक्ट के अन्दर आप अमेंडमेंट के साथ में ऐसा भी कोई प्रावधान कर दीजिये कि जिससे उनको भी कोई पैसा मिल सके और अपने वार्ड का वह डवलपमेंट करवा सकें।

पार्षदों के मानेदय की बात भी आती है, पार्षदों को जो मानदेय दिया जाता है, वह बहुत कम दिया जाता है। इसके अन्दर अमेंडमेंट करके ऐसा कोई अमेंडमेंट लाइये, जिससे पार्षदों के मानदेय के अन्दर भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाये तो वह भी काम हो सके।

यह जो मास्टर प्लान बनता है, यह सही कहा मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने कि मास्टर प्लान यहां एयरकंडीशनर कमरों में बैठकर बन जाता है। मास्टर प्लान के बारे में प्रैक्टिकल वहां से जो भी आपके जन-प्रतिनिधि हैं, जो भी आपके अधिकारी हैं, वहां पर प्रैक्टिकली जाकर यदि मास्टर प्लान बनाया जाए तो शहर के विकास के अंदर उस मास्टर प्लान का कोई महत्व होगा।

(15.00 बजे)

मैं बहुत लंबी-चौड़ी बातें नहीं करूंगा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही हैं उनको रिपीट नहीं करूंगा लेकिन निश्चित रूप से यह सुझाव यदि इस अमेंडमेंट बिल के अंदर और ले आते तो यह बहुत अच्छा अमेंडमेंट हो जाता इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित कर दिया जाए। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं और राजस्थान नगरपालिकाओं से संबंधित, नगर निगम और नगर परिषद् से संबंधित आपने जो भी संशोधन आज इस विधान सभा में पेश किये, कुछ प्रावधान आपने इसके संशोधन में किये जो मूल अधिनियम, 2009, उसकी धारा 23 में संशोधन किया। उसमें आपने दो हजार रुपये के स्थान पर पांच हजार रुपये,

(श्री अविनाश)

धारा-28 में आपने उम्मीदवारी के संबंध में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। धारा-31 के अंदर, धारा 159(क) के अंदर भी आपने संशोधन किये। चूंकि, संशोधन के संबंध में मेरे से पूर्व जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, जो संशोधन के संबंध में बात की, जो सुझाव दिये। मैं सहमत हूं कि इससे पूर्व सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि नगरपालिकाओं के अंदर अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में आज भी कोई इस तरीके के आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होने से नगरपालिका क्षेत्र में कचरे के ढेर पड़े रहते हैं और हम यह कल्पना करते हैं कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम लोग, उसके उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं लेकिन स्थानीय राज्य सरकार, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करे। डम्पिंग यार्ड की व्यवस्था अभी तक नहीं है, अगर वह व्यवस्था भी आप लोग कर देंगे तो स्वच्छ भारत मिशन का सपना भी साकार हो सकता है।

अभी आपने कुछ दिनों पहले नगर निगम को, जयपुर, कोटा और जोधपुर, इनमें जो एक-एक नगर निगम था, उसको आपने दो-दो का बना दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि बम्बई जैसा महानगर है, उसमें भी एक मात्र नगर निगम है, महा नगरपालिका है लेकिन आपने इससे पहले जब हम लोग सवाल पूछते हैं सरकार से तो उसको धरातल पर लाने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास में जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो गुणावगुण के आधार पर हम इसको वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेंगे तो मैं यह चाहूंगा कि आप लोगों ने जब यह दो-दो नगर निगम बना दिये तो कहीं न कहीं आपके आने वाले समय में वित्तीय संतुलन का आधार बनेगा, इस पर भी सोचने की जरूरत है।

आपने कुछ दिनों पहले वार्डों का पुनर्गठन भी किया। माननीय सभापति महोदय, यह इतना असंतुलित प्रकार से आपने जो वार्डों का पुनर्गठन किया, कहीं पर 300 की आबादी के वार्डों को बना दिया, कहीं आपने एक-एक हजार की आबादी के जो मतदाता थे, उनका भी वार्ड बना दिया। कुल मिलाकर जितना असंतुलन आपने वार्डों के पुनर्गठन में किया, यह आपकी सरकार की हठधर्मिता थी, उसके कारण न तो आपने जन-प्रतिनिधियों की राय को समझा और न उनसे पूछा। आज भी जितने लोगों ने उसके ऊपर आपत्तियां दीं, उन

(श्री अविनाश)

आपत्तियों पर आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई और न सुनवाई के लिए उनको बुलाया गया तो इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आने वाले समय में इस पर भी कोई न कोई सरकार निर्णय ले।

आपने इसमें जो संशोधन किया, मैं यह चाहूंगा कि नगरपालिका की जो जमीन और सम्पत्ति होती है, उसके ऊपर अतिक्रमण के बहुत मामले आते हैं। आने वाले समय में अगर इन अतिक्रमणों पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि यह अतिक्रमण कहीं न कहीं अधिकारियों और उन लोगों की मिलीभगत से होते हैं और वह अतिक्रमण समय से पहले ही अगर आप नहीं करने देंगे तो इस प्रकार की समस्याओं का बहुत ही समाधान हो जाएगा।

सफाई कर्मियों के बारे में भी अभी आपने कहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज को यह प्रथम अधिकार होता है कि शहर की सफाई व्यवस्था में उनको अधिकार प्रदान करे लेकिन जिस तरीके से सफाईकर्मी भर्ती के अंदर नोन वाल्मीकि समाज को भी शामिल किया गया और मैं स्पेसिफिक एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरे जैतारण नगरपालिका क्षेत्र का, जो अनुभव प्रमाण पत्र जिन आवेदकों ने प्रस्तुत किये, मैं यह कहता हूं कि 90 परसेंट वह अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी थे। अगर आप उनकी विस्तृत रूप से जांच कराएंगे तो सारे के सारे अधिकारी दोषी होंगे जो इस लाटरी प्रक्रिया में शामिल थे और जिन्होंने इस आवेदन को आगे के लिए भेजा था। आज वाल्मीकि समाज जो सफाई व्यवस्था के नाम पर जाना जाता है, उसके ऊपर अन्य जाति के लोगों को भी ले लिया गया।

दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सफाई कर्मियों के नाम पर तो आप भर्ती कर लेते हैं लेकिन जो आवेदक होते हैं, जो उसमें पास हो जाते हैं, उनको अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया जाता है जबकि मुख्य रूप से जो काम होता है एक सफाईकर्मी का, आज मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में सवा सौ के करीब सफाई कर्मियों की भर्ती निकली, उनमें से आधे से भी कम लोग हैं, जो सफाई कर्मियों में लगे हुए हैं और अन्य जो लोग हैं उनको आफिस के अंदर लगा दिया जाता है, वह सुबह से शाम तक अधिकारियों की चाटुकारिता करते हैं और अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे उनको देते हैं। जो उनका मूल कार्य है, उसके ऊपर होता नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): एक मिनट में खतम कर दूंगा। अभी मैंने इससे पहले भी कहा कि नगरपालिका का मुख्य अधिकारी जो ई.ओ. होता है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि ईओ. के पद के विरुद्ध आर.आई., एस.आई., ओ.ए., यू.डी.सी., ऐसे पद के व्यक्ति को उसमें लगा दिया जाता है।

मैं मेरी नगरपालिका क्षेत्र की बात करूंगा कि मेरे वहां पर सरकार ने 47 करोड़ रुपये की सीवरेज की परियोजना दी, वह सीवरेज की परियोजना आज सिर्फ इसलिए बदहाल स्थिति में है कि वहां पर ई.ओ. के पद पर एक आर.आई. लगा हुआ था, एस.आई. लगा हुआ था और एक जूनियर इंजीनियर, जे.ईएन. जो था उसके भरोसे पर पूरी नगरपालिका की, शहर के 20 वार्ड की, 47 करोड़ रुपये की परियोजना को उसने धूमिल कर दिया। आज उसका कारण बताऊं कि एस.टी.पी. पर वह गंदा पानी पहुंच नहीं पा रहा है, आज वह पानी के चैम्बर भर चुके हैं और जो गंदा पानी है वह शहर की मुख्य सड़कों पर बाहर आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसका जिम्मेदार कौन है?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): अगर उस ई.ओ. के पद पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता तो कहीं न कहीं यह परियोजना सफल हो जाती तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जिस प्रकार के यह कार्य किये, उसमें नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगम की जो डी.एल.बी. संस्था है, उसको कहीं न कहीं पर ध्यान देने की जरूरत है और मैं यह चाहूंगा कि आप यह जो संशोधन यहां पर लेकर आये हैं, उसको छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, मैं इसलिए खड़ा हूं।

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, उसमें मैं अपने आपको समाहित करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को या माननीय मंत्रीजी को इस बारे में भी विचार करना चाहिए था कि जो शहरों में, विशेषकर कोटा शहर में लगभग 20 हजार लोग वन विभाग की जमीन पर बस गये हैं जो

(श्री मदन दिलावर)

नगर निगम की सीमा में आता है, जो नगर विकास न्यास की सीमा में आता है, उसके बारे में भी विचार करना चाहिए था और उसके बारे में विचार यह करना चाहिए था कि उन लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं मिलें इसलिए वन विभाग से डिलीट कराने के लिए, वन विभाग को अन्यत्र इतनी ही जमीन देने की बात करना चाहिए था ताकि उन 20 हजार लोगों को उसका लाभ मिल सकता था। आज वह लोग बिजली से, पानी से और सड़क से वंचित हैं और इसलिए वंचित हैं क्योंकि वन विभाग वाले उसमें अपना रोड़ा अटकाते हैं, अपनी बात कहते हैं कि यह हमारी जमीन है इसलिए आप निर्माण नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं है, मैंने दो-तीन घंटे पहले इसी विधान सभा में सूअरों के बारे में बात की थी, कुत्तों के बारे में बात की थी और बंदरों के बारे में बात की थी पर माननीय मंत्री महोदय ने मेरी बात को बहुत ही मजाक में उड़ाने की कोशिश की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेहरबानी करके विधेयक पर जो है, उसी पर आप चर्चा करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, विधेयक पर ही बोल रहा हूं। इसमें इस प्रकार का संशोधन लाया जाना चाहिए था कि सूअरों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उनके जो मालिक हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बंदरों को, कुत्तों को कैसे यहां से हटाया जा सकता है?

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मेरा यह गंभीर मामला है इसलिए माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को हलके में लिया है, यह ठीक नहीं है।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, संशोधन तो मैं दे रहा हूं पर मुझे यह पता है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो ठान रखा है वैसा ही बिल वह पास करेंगे पर, माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कह दूं कि यह सीधा-सीधा स्वायत्तशासी संस्थाओं के ऊपर अतिक्रमण है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

राज्य सरकार एक ओर तो स्वायत्तता की बात करती है और दूसरी ओर उनके अधिकारों को अपने में निहित करने की बात भी करती है जबकि जितनी भी स्थानीय निकाय हैं, वहां पर बोर्ड चुना हुआ है और समितियां भी बनी हुई हैं जो बिल्डिंग बायलाज बनाती हैं। कहीं यह लगता है कि उनके बिल्डिंग बायलाज में गलती है तो मंजूरी भी आपको राज्य सरकार से ही वह देते हैं तो वहीं उसको आप दुरुस्त करवा देंगे तो शायद यह नौबत नहीं आएगी।

माननीय सभापति महोदय, आपको तो पता ही है कि जो ज्यादातर नियम परिवर्तन कराते हैं न, तो कोई-न-कोई बड़े प्रभावशाली भू-माफिया होते हैं, जिनका इतना प्रभाव होता है कि वह अपने प्रभाव के बूते चाहे राज्य सरकार हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे नगर परिषद् हो, उनसे भी नियम चेंज करवा देते हैं। बात हुई थी माननीय गुलाब कोठारी की रिट की, मैं भी उनको धन्यवाद दूंगा कि उस व्यक्ति ने, जो सरकार में नहीं है, फिर भी राजस्थान के शहरों की चिन्ता की और जिस मनमाने तरीके से हम अपने खुद के शहरों को उजाड़ रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, कैसी ट्रैफिक की व्यवस्था, कैसे प्रदूषण बढ़ गया, इस सबमें हमारी कहीं-न-कहीं अनदेखी रही है। मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुलाब कोठारी की रिट पर जो आदेश दिये हैं, कहीं आपके इन नये संशोधनों से उन पर अतिक्रमण नहीं हो जाए और जो आदेश जनहित के हैं, वह लागू रहने चाहिए।

अब आपने सैक्टर प्लान का, जोन प्लान का एक नया प्रावधान डाल दिया। जब पहले मास्टर प्लान बना हुआ है, तो इसकी आवश्यकता लगती नहीं और कौन से शहर में कैसी योजना कहां बननी है, स्थानीय निकाय से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। स्थानीय निकाय को ही यह अधिकार होना चाहिए कि अपना जोन विकास प्लान या सैक्टर प्लान पास करे और कहीं राज्य सरकार को लगे कि उसमें स्थानीय निकाय ने कहीं गड़बड़ की है, चूक की है तो राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर पर उसको दुरुस्त कर दें, पर कम-से-कम राज्य सरकार स्वायत्तशासी संस्था की स्वायत्तता पर कहीं डाका नहीं डाले, एक तो मेरा यह आग्रह रहेगा।

दूसरा, सबसे बड़ा परिवर्तन यह चाहते हैं धारा 194(क) को नई जोड़कर, यह जो अवैध निर्माण होते हैं, माननीय सभापति महोदय, कहीं-न-कहीं हमारी स्थानीय निकायों की बहुत बड़ी लापरवाही है और यहां तक कह दूं कि बदमाशी भी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मकान का निर्माण इजाजत लेकर ही

(श्री ज्ञानचंद पारख)

करवाना चाहता है लेकिन जो लालफीताशाही है, जो बदमाशी है, जिसकी वजह से लम्बे समय तक उसको इजाजत नहीं मिलती तो मजबूरन उसको अवैध निर्माण की ओर बढ़ना पड़ता है। हम नियमों में प्रावधान तो डाल देते हैं कि एक महीने में इजाजत देना अनिवार्य है, पर कोई-न-कोई कमी निकालकर उसको लम्बा करते रहते हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि कोई ऐसी पालिसी बन जाए कि यदि कोई व्यक्ति अपने मालिकाना हक के भूखण्ड पर मकान निर्माण करना चाहता है, जैसा वहां कि मास्टर प्लान में निहित है, तो उसकी इजाजत स्वत: ही मान ली जाए या उसके विरुद्ध गलत हो तो ही कार्यवाही करें, तो शायद हो सकता है कि यह सारा जो नया संशोधन ला रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं तो यही आग्रह करूंगा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। यह जनहित का सबसे जुड़ा हुआ विषय है इसको छह महीने के लिये जनमत के लिये परिचालित किया जाए, यही मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल। (व्यवधान) विराजिये, अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। समय की सीमा का आप बिलकुल ध्यान नहीं रखते। मर्जी आये तब ही खड़े हो जाएं, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) आपकी शुभकामनाओं के लिये धन्यवाद। श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों को मजबूत करने के लिये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में कतिपय संशोधन प्रस्तावित करने का विनिश्चय करने की बात को लेकर यह जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, इसमें धारा 23 की विद्‌यमान उप-धारा 2 'यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बन्धन के उल्लंघन' के लिये 2 हजार रुपये की जगह 5 हजार

(श्री नारायण बेनीवाल)

किये जाने का प्रावधान का मैं इसमें कोई औचित्य नहीं समझता। आज जो समस्त स्थानीय निकाय है, वहां सारे के सारे जो अधिकतर मैरिज हाल हैं, उनके पास कोई परमिशन नहीं, उसके बाद यह जुर्माने की आड़ में, जैसे हाल ही में अभी राजस्थान पत्रिका परिसर के मामले को लेकर सदन में भी काफी चर्चाएं हुई। इसमें अधिकारी, कर्मचारी अपनी मनमर्जी से यह काम करते हैं कि किससे जुर्माना लेना है, किसका ध्वनि विस्तारक बंद कराना है, किसका नहीं कराना है, लेट तक चलाना है। इसके लिये मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि इसके अंदर कर्मचारियों को भी उत्तरदायी बनाने का कहीं-न-कहीं जिक्र होना चाहिए था ताकि हमारी जो मूल भावना है कि रात को 10.00 बजे बाद लाउडस्पीकर नहीं बजे। बच्चे, जो एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उस टाइम उनको इस परेशानी से नहीं गुजरना पड़े तो इसके अंदर आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, धारा 28 में संशोधन 'उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक उसके नाम-निर्देशन पत्र या शपथ पत्र इत्यादि में मिथ्या सूचना देता है या कोई सूचना छिपाता है तो ऐसी कार्यवाहियों के लिये इस धारा में दण्डनीय अपराध बनाया जाए।' माननीय सभापति महोदय, चुनावों से संबंधित जो भी लिटिगेशन विभिन्न न्यायालयों में, चाहे वह पंचायती राज की हो, चाहे वह स्वायत्त शासन विभाग की हो, बहुत लम्बे समय तक इसके अंदर बहुत ज्यादा समय भी लगता है, इसके लिये कहीं-न-कहीं एक समयावधि भी तय हो और इसके अंदर एफिडेविट, जैसे अभी पूर्व वक्ता हमारे चौमूं से आने वाले विधायक ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक तरफ तो आपने शिक्षा की योग्यता है उसको हटा दिया तो अनपढ़ आदमी यदि कहीं सिग्नेचर या अंगूठा लगा देता है तो उसके अंदर कौन व्यक्ति उत्तरदायी होगा? इसके लिये कोई-न-कोई ठोस कार्ययोजना की मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा और धारा-31 'कि सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका कौन फाइल करेगा और कहां फाइल होगी?' इसमें यह स्पष्ट है कि इसमें जो जिला न्यायाधीश, माननीय सभापति महोदय, पूरे जिले में बहुत सारी नगरपालिकाएं होती हैं, लेकिन जिला न्यायाधीश सिर्फ एक जगह होता है तो इसके स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश एवं सैशन न्यायाधीश को, यह जुरिस्डिक्शन उनका आना चाहिए था, ताकि चार-पांच जगह हो, ए.डी.जे. कोर्ट हैं तो त्वरित न्याय भी मिल जाता और अधिनियम 18 की धारा 159 का संशोधन-'मास्टर प्लान

(श्री नारायण बेनीवाल)

विकास योजना के लिये जनसंख्या की शर्त, जो एक लाख है, इसको हटाकर 50 हजार करनी चाहिए थी।' वैसे तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मास्टर प्लान नाम जो है, इसको लेकर बहुत दुरुपयोग हुआ। गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार को लेकर, और हम हमेशा सुनते आये हैं, मास्टर प्लान की धज्जियां जिस हिसाब से स्वायत्त शासन विभाग में उड़ती नजर आयी, उस पर कोई न कोई ठोस नीति बननी चाहिए थी। मैं तो इसमें आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि इसको घटाकर 50 हजार कम-से-कम किया जाए, क्योंकि ऐसी नगरपालिकाएं बहुत हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है और धीरे-धीरे वही नगरपालिकाएं बड़ी बनेंगी, वही नगर परिषद् बड़ी बनेंगी तो आप यदि सुचारु रूप से अभी से यहां मास्टर प्लान विकसित करोगे तो आने वाले दिनों में इन सब कानूनों में यह जो पेचिदगियां हैं, उनसे बचने का हम लोग मिलकर प्रयास कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, भवन निर्माण अधिनियम 18 में धारा 194(ए) का अन्त:स्थापन-'कतिपय क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना भवन संनिर्माण प्रतिषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति' और इसमें जुर्माना 20 हजार कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, जुर्माना कोई हल नहीं है। इसमें कहीं-न-कहीं सम्बन्धित कार्मिक और अधिकारी है, उनकी भी भूमिका इस एक्ट के अंदर तय करनी चाहिए थी ताकि इसके ऊपर लगाम लगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी उप धारा (1) के उपबंधों का या धारा (2) के अधीन अधिरोपित शर्तों के प्रतिकूल परिनिर्मित किसी भवन को तोड़ सकेगा।' अभी यहां माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए नहीं हैं। मैं यह कह रहा हूं कि कितने ऐसे भवन, जो बन गये और आपने तोड़ दिये। भवन को तोड़ना बहुत बड़ी बात है। आदमी कहीं न्यायालय में चला जाता है तो मामला लम्बा चला जाता है। इसके लिये कोई-न-कोई ठोस कार्ययोजना के लिये निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, एक मिनट, आन्ध्रा और कर्नाटक सरकारें हैं, वह अध्यादेश लेकर आयी हैं। इस मामले में उनका अध्ययन करके,

(श्री नारायण बेनीवाल)

मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो भी प्रकरण हैं, उनको नियमित करने की हम कोई-न-कोई ठोस कार्ययोजना बनायें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, भूमाफिया और पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या है, व्यक्ति बड़ी बिल्डिंग बनाता है, पार्किंग का लाइसेंस ले लेता है, लेकिन पार्किंग की जगह वह अपनी दूसरी कामर्शियल एक्टिविटीज शुरू कर देता है तो इसको लेकर आप उन लोगों से पार्किंग का शुल्क लेकर सरकार कहीं-न-कहीं पार्किंग को डवलप कराये, ऐसी नीति लेकर आनी चाहिए थी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि इस राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: विराजिए। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए आप भी बिल लाये हैं, मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए सरकार को निवेदन करूंगा। मुझे लगता है कि सरकार का बिना मंत्रिमंडल के एजेंडे के, मंत्रिमंडल में बिना डिस्कस के माननीय मंत्री महोदय क्यों लाये होंगे, पता नहीं उनका छिपा हुआ एजेंडा क्या है, मेरी समझ के बाहर है क्योंकि हमारे यहां पर, हमारे देश में कोलकाता, मुंबई जैसी दो-दो करोड़ की महानगरपालिका हैं, वहां भी एक ही नगरपालिका है, एक ही निगम काम करता है।

श्री सभापति: विधेयक पर बोलें, आप विधेयक पर। आप विधेयक पर चर्चा करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मुझे लगता है कि यह और हमारी राजस्थान की सरकार पर एक हजार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा नगरपालिकाओं का, सभापति महोदय।

श्री सभापति: रामप्रताप कासनियां।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): इसको ध्यान करने के लिए मेरा आपसे निवेदन है आनन-फानन में ये बिल लाये हैं और माननीय सभापति महोदय, ये सी.ए.जी. की रिपोर्ट है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): 000

श्री सभापति: बोलिये, माननीय सदस्य, बोलिये आप।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। विराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, 2009 के राजस्थान नगरपालिका अधिनियम संख्या 18 की धारा 23 में संशोधन। मैं इन संशोधनों में समय बर्बाद नहीं करूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि पता नहीं इस बिल में क्या संशोधन है, क्या नहीं है? इसमें संशोधन सिर्फ और सिर्फ माल बटोरने का है।

सभापति महोदय, अगर कोई संशोधन लाते नगरपालिका की आय बढ़ाने का, अगर नगरपालिका के इर्द-गिर्द कोई किसानों को राहत देने की बात करते, अगर कोई किसान चाहे पांच बीघा खातेदारी भूमि और रिहायश...

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। विराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, ये कोई चर्चा है क्या? यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

(15.22 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: विराजो अब। बहुत दिन हैं, अब बैठो आप, अभी बहुत दिन बाकी हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन यह है कि कम से कम बिल इतनी जल्दी पास करने का, कारण क्या है कि सीखने का मौका है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, आप एप्रिशिएट करेंगे कि आज समाज कल्याण के मंत्री हैं, उनको ज्यादा बोलना है। पहले ही अपन ने दिन में फैसला किया था कि टाइम की शार्टेज है। मेरा निवेदन है कि मोटा-मोटा बिंदु जिस पर आपको चर्चा करनी है वे सब आ चुके हैं, बार-बार रिपीट करेंगे तो वे ही हैं। आप कोई हाईलाइट करना चाहें तो मंत्री जवाब देकर उसको फिर आगे बढ़ाएं, नहीं तो फिर चर्चा का तो कोई अंत ही नहीं है। डिबेट बिल के स्कोप के बाहर जाकर हम नगर निगम और नगर परिषद् की जो हमारे यहां समस्या है,

(श्री अध्यक्ष)

उसको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब बिल के सम्बन्ध में, जो धाराओं के सम्बन्ध में बहुत अच्छा विवेचन हो चुका है, पाइंट वाइज पाइंट डिस्कस हो चुका है, उसमें कोई अपन बात करें तो ठीक है, बाकी अपने को डिमांड करनी है तो फिर इसकी डिमांड अलग रखें। यह मेरा निवेदन है फिर हमारा परपज ही डिफीट हो जायेगा, जो 10 बजे तक हाउस खतम करना है, फिर 4 बजे तक खतम नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना तो ठीक है, मैं समझ रहा हूं लेकिन इसके आधार पर जिन बातों के लिए यह सारा बिल आया है, इसका उद्देश्य यह है कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कहां-कहां कमियां हैं उसको ठीक करना है। मैं सोचता हूं कि इसमें वे सब बातें भी कवर होती हैं कि जिस बात के लिए आप ला रहे हो, उसमें कुछ ऐसी चीजें लाते जिसके कारण से नगर निगम की या नगरपालिका की आय बढ़ने के स्रोत बनाने के लिए हम कोई अमेंडमेंट लाते तो स्वागत होता।

मैं सोचता हूं इसमें क्योंकि फाइन दो हजार से पांच हजार किया 23 में, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है अगर आपको ध्वनि के कारण से लगता है तो मैं सोचता हूं कि उसका पालन होना चाहिए। अगर अपन कानून बना दें, अभी आपके पास जो कानून है, उस कानून का भी अगर राजस्थान में कहीं पालन किया हो और किसी नगरपालिका में अगर इसका दो पैसा भी जमा हुआ हो तो वह आप रिप्लाई में जरूर बता देना कि इस कानून की पालना में हमने दो हजार रुपये से पूरे साल भर में राजस्थान में नगरपालिकाओं की इतनी आय हुई और अब इस आय को बढ़ाने के लिए हम पांच हजार कर रहे हैं।

मैं सोचता हूं इसकी उपयोगिता तब हो जब कानून को बनाने का कोई अर्थ निकले तो मैं सोचता हूं, केवल लाने के लिए लाये लेकिन इसका मुख्य मुद्दा जो है, वो आगे है। यह सारा का सारा कानून जिसने भी ड्राफ्ट किया, उसका इसमें कोई ज्यादा तर्क-वितर्क नहीं है कि किसमें हो या कोई गलत सूचना दे दिया हो, उसके आधार पर उसका निर्णय, वह नहीं है। इसकी जो सारी मार है वह आपकी 194-क पर है। 194-क को, इसका मतलब राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं के, नगर निगम के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को छीनकर अपने यहां से दादागीरी चलाने का और भ्रष्टाचार को जन्म देने के लिए धारा जोड़ी है। इस एक धारा को सही दिखाने के लिए उसके आजू-बाजू 4 धाराएं जोड़ करके यह बताएं कि नहीं, हम तो बड़े भले का काम कर रहे हैं, बड़े वाले का काम कर रहे हैं। यह दो जगह जहां आपने किया, यहां आपकी नीयत साफ नहीं लगती है। मैं सोचता हूं इसके कारण से यहां से अधिकार लेंगे, अगर उसने कोई इल्लीगल बनाया है तो वहां भी उनको काम करने का अधिकार है, अगर उन्होंने प्रारम्भ में नहीं किया तो भी, जैसे आप यहां चाहोगे जिसको अधिकार दे दोगे, चाहे जिसको रोक लोगे तो एक तरह से आप नगरपालिकाओं को पंगु बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले रहे हो। अभी तो ये केवल छोटा-सा प्रोविजन दिख रहा है लेकिन सरकार जब भी, जहां भी चाहेगी, जिस काम को भी चाहेगी उस काम को रोकने के लिए आपने यह अधिकार का प्रयोग किया है।

सारा का सारा जो अपन राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 ला रहे हैं, इसकी जड़ में अगर कोई चीज है तो जिसका भी दिमाग लगा होगा वो केवल और केवल इस धारा के आजू-बाजू लगा है ताकि वो कैसे अपने अधिकारों को अपने हाथ में लेकर के, आज प्रयोग करोगे, बहुत अच्छी बात है आज आप हो, सरकारें आती रहेंगी, सरकारे जाती रहेंगी, पार्टियां बनेंगी और पार्टियां जायेंगी लेकिन अगर इस तरह का कानून अपने हाथ में ले लिया तो आपने नगरपालिकाओं को कमजोर करने का काम किया है और जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जिस आधार से 73वां और 74वां अमेंडमेंट किया था इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, उस पर आप सीधा कुठाराघात कर रहे हो।

अब तक भी आपके पास कौन सा अधिकार नहीं था? अगर किसी चीज की वो गलत हो गई तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार आज भी आपके पास है लेकिन आप एक-एक मकान को इस बात में देखोगे कि यह ठीक बन रहा है कि यह ठीक नहीं बन रहा है, यह केवल और केवल भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला कानून बना रहे हो।

इसी तरह से, आपने 159 में जो परिवर्तन करने का प्रयास किया है, मैं सोचता हूं कि अगर कहीं का कोई मास्टर प्लान पास हो गया, उस मास्टर प्लान को अलग रख करके और आप कोई सैक्टर प्लान बनाने का है तो यह भी वो ही षड्यंत्र है कि जो बड़े-बड़े भूमाफिया हैं, उन माफियाओं के आधार पर बने हुए मास्टर प्लान को भी खतम करके, उसकी इच्छा के अनुसार उसको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जमीन को एक्वायर करने, डीएक्वायर करने का रास्ता इसमें से निकाल रहे हो। मैं सोचता हूं यह कभी भी जनता के भी हित में नहीं होगा और दूसरा उन नगरपालिकाओं को जिनको हम मन की भावना से सशक्त करना चाहते हैं उसको कमजोर करने का रास्ता इस बिल में दिखाई देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार शांति से बैठ करके इस पर विचार किया जाये और जितना आवश्यक हो उतना उसमें सुधार करें, उसमें कोई न नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं इसलिए हमने जनमत जानने के लिए आपके सामने पेश किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन भी माननीय सदस्यों ने आज इस चर्चा में भाग लिया है मैं उनका सबका धन्यवाद देता हूं और उनके द्वारा जो अच्छे सुझाव दिये गये हैं वे भी मैंने नोट किये हैं। यह संशोधन जो 5 संशोधन हैं, खंड 2 की 23 धारा 2 में और खंड 3 की 28 में और खंड 31 की, ये तीनों के तीनों संशोधन कोई हम लाये नहीं हैं, हमसे कहा गया है और हमसे ही नहीं कहा गया बल्कि पंचायती राज से भी कहा गया है कि आप इस तरीके का संशोधन करिये। ये उस संस्था को मजबूत करने के लिए है जो चुनाव करवाती है और उस संस्था ने भी अपनी मजबूती इसलिए मांगी है कि वक्त गुजर गया, जो दो हजार रुपये पहले हुआ करते थे, अब उस दो हजार की वैल्यू क्या है, इसलिए पांच हजार किया गया है। यह संशोधन हमारी तरफ से नहीं आया है, आप यह मानकर चलें, हम तो उनको मजबूत करने के लिए ही ये संशोधन लाये हैं। मुझे इतना कहना है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना।

अब सवाल दो धाराओं का आता है। एक धारा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब अगर मैं एक-एक का भी जवाब दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं आप तो मोटा-मोटा बता दो, बस मोटा-मोटा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वैसे मैं दो-तीन का तो जवाब दूंगा क्योंकि यह जो आउट आफ ट्रैक चले गये, संशोधन क्या थे और बोल क्या गये। कोई तो बोल गया कि,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

साहब, वहां पर ई.ओ. नहीं है और ई.ओ. का चार्ज क्लर्क को दे रखा है। कोई बोल गया कि मास्टर प्लान ऐसे बनाना चाहिए वैसे बनाना चाहिए, ये हैं, वो हैं, दुनिया भर की बातें बोल गये। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम कम है। अभी डिमांड भी चालू होंगी। जोनल डवलपमेंट प्लान की बात है। जोधपुर हाई कोर्ट ने भी यह फैसला दिया कि आप जोनल डवलपमेंट प्लान पहले बनाएं और उसके बाद मास्टर प्लान में करें। जो हमने किया।

हमने यह देखा है कि एक लाख से ऊपर की पापुलेशन के जो शहर हैं, वहां तो जोनल प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन एक लाख से नीचे वाली में जोनल प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वहां की नगरपालिका आवश्यकता महसूस करती है तो बना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह वैकल्पिक है। सिर्फ इतनी-सी बात है। इसमें और कुछ नहीं है।

अब रह गया सवाल इस बात का जिस पर आपको सबसे ज्यादा शक हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का एक दरवाजा खुल जाएगा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट, 1959 में, जो कि 2009 तक लागू था, उसमें यह प्रोविजन था। उसी में ही यह प्रोविजन था। उसकी धारा 171 यह कहती थी कि सरकार को यह अधिकार है कि वह चाहे जहां पर नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर सकती है। मैं सही कह रहा हूं कटारिया साहब, आप देख लें इसको। आप देख लें। मेरी बात को नोट कर लें। अगर गलत हो तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा। सैक्शन 171, राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट, 1959 का, 2009 के बाद जब हमने दूसरा एक्ट बनाया तो उसको भूल गए। हम उसका प्रोविजन इसमें नहीं डाल पाए। अब इसमें भी सिर्फ इतना-सा प्रोविजन है कि मूल अधिनियम की धारा 194 के पश्चात् 194 (ए) जोड़ी इसीलिए जा रही है कि नगरीय निकायों के क्षेत्र विशेष को जनहित में निर्माण निषेध घोषित करने की शक्तियां राज्य सरकार लेना चाहती है।

मान लीजिए, कोई एक शहर है, उस शहर में आसपास मंदिर हैं या कुछ ऐसी जगह है जहां पर कि कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए। उस पर्टिकुलर एरिया को आप घोषित कर सकते हो। आज यूनेस्को ने आपको हैरिटेज का दर्जा दे दिया, सिटी घोषित कर दी। यह भी कहा कि नो कंस्ट्रक्शन जोन इसको बनाएं। हमने उसके बायलाज बनाए। अब उसको नो कंस्ट्रक्शन जोन भी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

घोषित किया जाएगा। इसको भी राज्य सरकार ही करेगी। अगर यह शक्ति नहीं होगी तो कहां से करेगी? यह हैरिटेज का दर्जा ही छिन जाएगा।

आप यह देखिए कि हैरिटेज हो, चाहे पुरातात्विक हो, चाहे पर्यटन के स्वरूप हों, उनको संभालने के लिए होना चाहिए। आज भी नाथद्वारा हो, जैसलमेर हो, ऐसी कई जगह हैं जहां पर लैंड यूज चेंज की मना है। दूसरी कई चीजों की मना है ताकि किसी तरह का बिगाड़ न पैदा हो। यह अलग बात है कि बावजूद इसके भी कुछ न कुछ होता है। अवैध निर्माण भी होते हैं। अतिक्रमण भी होते हैं। ये सब बातें होती हैं। लेकिन मेरा कुल मिलाकर यह कहना है, इन 2 सैक्शन के बारे में कि यह तो आलरेडी पहले था। 2009 के म्यूनिसिपल एक्ट में हम इसको भूल से शामिल नहीं कर पाए। आप पुराने एक्ट का 171 पढ़ लें। अब उस वक्त भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल गए तो आज कौनसे दरवाजे बंद होंगे। यह 171 आपके टाइम पर भी मौजूद था और हमारे टाइम पर भी मौजूद था।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो सांगानेर वाले माननीय सदस्य ने एकदम उलटकर के बात कर दी। इन्होंने तो 2 नगर निगम बनाए, आपको अधिकार ही नहीं था। आपने न मुख्य मंत्री जी से पूछा और न ही आप कैबिनेट में गए। एक्ट पढ़ो आप। कानून पढ़ो कि किस तरीके से 2 नगर निगम बनाए जाते हैं। आपने अपील करवा करके देख ली। आप डीबी में गए थे? उसका क्या हुआ? डीबी ने मोहर लगा दी कि राज्य सरकार को 2 नगर निगम बनाने का अधिकार है। इस तरह से इधर-उधर की कई बातें यहां पर आई हैं।

कटारिया साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुद के यहां ही देख लें। उदयपुर का देख लें। झील निषेध, यह जो आपका क्या कहते हैं?

श्री अध्यक्ष: फतेह सागर।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लेक, लेक का जो नो कंस्ट्रक्शन जोन है, यह हमने तो नहीं किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नियमों का पालन केवल गरीब आदमी को करना पड़ता है। उसके चारों तरफ, उसी एरिये में जो बड़ी-बड़ी होटलें बनीं, वह आपने और मैंने, सबने अपनी आंख से देखी है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, बिलकुल। आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों को, जिस वक्त बनी, कैसे बनी? नो कंस्ट्रक्शन जोन होते हुए भी कैसे बनी? इस बात को डिस्कस करने की आवश्यकता है। मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने को तैयार हूं लेकिन मैं यह बता देता हूं कि राज्य सरकार ने तो उसको नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित नहीं किया था। उसको हाई कोर्ट ने किया है। मैं आपसे इसलिए यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, हैरिटेज की दृष्टि से देखा जाए, इन चीजों को देखने से अगर मान लीजिए किसी शहर के, किसी एक एरिया को आप नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करते हो तो इसमें एतराज क्या है?

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किरण जी बोलीं, वे तो आउट आफ ट्रैक चली गईं। पता नहीं आईपीसी की धाराएं बोलने लग गईं। आप अच्छी खासी चेयरमैन रही हो। आप चेयरमैन थीं और मैं मिनिस्टर था। आपको क्या नगरपालिका का एक्ट भी मालूम नहीं है? नगरपालिका का एक्ट कम से कम चेयरमैन को तो मालूम होना चाहिए।

जहां तक सवाल इस बात का है कि नगरपालिकाओं का प्रशासन बिगड़ रहा है, तो यह राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, यह चुने हुए प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है। वह चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर इतना अच्छा प्रशासन दें और शहर का डवलपमेंट इस तरीके से करें कि लोग उनकी वाहवाही करें। अगर ऐसे ही आदमी चुन लिए जाएं कि जिनको शौक ही नहीं हो, वह सिर्फ इसलिए कि हम पार्षद का ठप्पा और मोहर लेकर के घूमते रहें तो निश्चित रूप से वहां पर बिगाड़ होगा। आज भी राजस्थान में कई नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जिनका प्रशासन बहुत ही सुंदर है। जिन्होंने अपने शहर को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं रखी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत की। ऐसी भी कई नगरपालिकाएं हैं। ऐसी भी हैं जहां पर बिगाड़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। जहां-जहां तक हमसे संभव हो सकता है, वहां पर सुधार करने का, कोई विधायक महोदय प्रपोजल लाकर के देते हैं तो उन प्रपोजलों को मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह..

श्री अध्यक्ष: रिजैक्ट किया जाए। रिजैक्ट किया जाए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माफ करना, एक तो आवाज समझ में नहीं आती। यह सरक जाता है बार-बार।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 6, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल जी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि इसे पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

माननीय सदस्य, जो दूसरा बिल है, वह दोनों डिमांड के बाद लिया जाएगा। डिमांड पर चर्चा प्रारम्भ की जाती है। सबसे पहले, श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट।

माननीय मंत्री जी। माननीय अर्जुन बामनिया जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,73,87,25,78,000/- (एक सौ तिहत्तर अरब सत्यासी करोड़ पच्चीस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 30 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: मास्टर भंवर लाल मेघवाल।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की प्रस्तुति

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,36,73,03,000/- (पिचहत्तर अरब छत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख तीन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 33 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या 33 पर विचार हो रहा है। यह तथ्य सरकार के ध्यान में आया होगा कि सामाजिक पिछड़ों का कल्याण करना है तो इस अवधारणा के आधार पर सोचा होगा कि समाज में समरसता हो, समानता हो और जो समाज में रहने वाले लोग हैं, वे सब मिल जुलकर रहें। आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से समानता रहे और सब में समभाव रहे, इस भाव से यह किया होगा। हम देखते हैं कि सब लोगों की चिंता यह है कि समाज में जो असमानता है वह समाप्त हो, जो समरसता समाप्त हो गयी है वह वापस समरसता हो और जो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं वे भी बराबरी पर आयें और इसीलिये सरकार गरीब लोगों को पढ़ाने के लिये छात्रावास की अवधारणा लायी। गरीब लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, प्राइवेट स्कूलों के छात्रों की तरह वे भी पढ़ सकें, उनको भी वे सुविधायें मिल सकें इसलिये आवासीय विद्यालयों की अवधारणा आयी। आवासीय विद्यालयों की यह परिकल्पना थी कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो कई बार अच्छे विद्यालयों की तरफ देखते हैं कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं, मैं सामान्य से विद्यालय में पढ़ता हूं जहां छत भी नहीं है, जहां पढ़ाने वाले अध्यापक भी नहीं है और न ठीक प्रकार का भवन है। उसके मन में एक कुण्ठा सी पैदा होती है। सरकार ने इसको समझा इसीलिये आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की कि आवासीय विद्यालयों में अच्छी शिक्षा मिलेगी। वहीं वे रह सकेंगे, वहीं पढ़ सकेंगे और सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त एक कैम्पस होगा और वे भी ठीक प्रकार से अपना काम कर सकेंगे।

(15.41 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं यह सरकार है, इस सरकार ने पिछले कार्यकाल में इस अवधारणा को तोड़ने की कोशिश की है। इसने एक भी आवासीय विद्यालय खोला नहीं, राजस्थान

(श्री मदन दिलावर)

में एक भी छात्रावास खोला नहीं और जो योजनायें थीं, उनको भी कमजोर करने की कोशिश की है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आवासीय विद्यालय बनाये गये तो उनके कुछ रूल्स बने थे कि आवासीय विद्यालयों में बच्चे कैसे रहेंगे, कब छुट्टी लेंगे, टीचर्स को वहीं रहना है, रात्रि को नहीं जाना है और उनको अप-डाउन नहीं करना है। इसी आधार पर इंटरव्यू लेकर अच्छे अध्यापकों का सलेक्शन करके वहां पर उनको नियुक्ति दी जाती थी ताकि वहां बच्चों को 24 घण्टे अध्यापक उपलब्ध हो सके इसलिये कोशिश भी यह की गयी थी कि बच्चों का और अध्यापकों का एक मूवमेंट रजिस्टर हो, उस रजिस्टर में अध्यापक कब आ रहा है और कब जा रहा है, कहां जा रहा है, बच्चा कहां जा रहा है, कब जा रहा है। यानी बिना अनुमति के बच्चा आवासीय विद्यालय से बाहर न जाये, अध्यापक पढ़ाई पर ध्यान लगाये और सब बच्चों का साथ रहे, यह आवासीय विद्यालयों को अवधारणा थी, उसको पूरा करे। परन्तु उसके बिलकुल पालना नहीं की गयी। हमने यह भी कोशिश की थी, जब मैं यह विभाग सम्भालता था कि बच्चों में व्यसन न हो, अध्यापकगण व्यसन न करें, शराब न पियें, तम्बाकू उत्पाद न खायें लेकिन अब खुला छोड़ दिया गया है। कई आवासीय विद्यालयों में तो ऐसे टीचर्स को लगा दिया गया है प्रतिनियुक्ति पर कि चौबीसों घण्टे दारू पीते रहते हैं, चौबीसों घण्टे नशे में रहते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। उनको देखने वाला भी नहीं है। मैं किसी समाज कल्याण डाइरेक्टर के बारे में क्या कहूं, पिछले दस सालों में ऐसा कोई आयुक्त होगा या डाइरेक्टर होगा जो समाज कल्याण के सभी आवासीय विद्यालयों में गया होगा। सभी आवासीय विद्यालय किसी आयुक्त ने आज तक देखे नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं कि बच्चों में जो गंदी आदतें पड़ गयी हैं उनसे भी उनको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। यानी आवासीय विद्यालयों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। फिर उसमें स्वच्छता की उनको सब प्रकार की सुविधायें मिलें, वहां के शौचालय लगातार साफ-सुथरे रहें, वहां के मूत्रालय ठीक रहें लेकिन आज आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की स्थिति यह है कि सारे के सारे गंदे पड़े हुए हैं। वहां के बच्चे बीमार होकर रहते हैं लेकिन उस बीमारी से बचाने वाला वहां कोई नहीं है। मुझे ध्यान में नहीं आता है कि कोई जिलाधिकारी जाकर वहां के शौचालय को देखता होगा, मूत्रालय को देखता होगा, वह यह भी देखता होगा कि ठण्ड में बच्चे गर्म पानी से स्नान करते हैं या ठण्डे पानी से

(श्री मदन दिलावर)

उनको वहां स्नान करना पड़ता है। इससे कई बच्चों को ब्रेन हेमरेज होने का डर रहता है। कई बच्चे इस डर के मारे दो-दो, तीन-तीन दिन तक स्नान नहीं करते हैं। इसके बारे में भी कोई सोच नहीं रहा है। चाहिये तो यह था सरकार को कि हमारे सभी छात्रावासों में कम से कम चार-चार गीजर और एक आवासीय विद्‌यालय में गर्म पानी से स्नान करने के लिये दस-दस गीजर की व्यवस्था करती लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों बच्चों की सोच नहीं है सरकार की, इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। क्यों नहीं सोचा गया कि बच्चों का बिस्तर ठीक हो, सर्दी में ओढ़ना-बिछोना ठीक हो? क्यों नहीं पुराने समय की परम्परा के हिसाब से हम कम्बल देते आते हैं, उस पर ही क्यों चल रहे हैं? क्यों नहीं बच्चों के लिये हम व्यवस्था करें रज़ाई की, खोलीदार रज़ाई की व्यवस्था करें, कवरदार रज़ाई की व्यवस्था करें ताकि हर सप्ताह उसकी धुलाई होती रहे और बिस्तर गंदे न रहे। लेकिन इस बात के बारे में सोचा नहीं गया और उसके कारण से आज आवासीय विद्‌यालय और छात्रावास तबेले बनकर रह गये हैं। अधिकांश अध्यापक वहां पर रहते ही नहीं हैं। अप-डाउन करते हैं, रात्रि विश्राम नहीं करते हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसी कारण से मैं आपको यह कहने में संकोच नहीं करता, हिचकिचाहट नहीं करता कि कुछ भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब इस विभाग को सम्भालता था तब के आवासीय विद्‌यालयों के रिजल्ट की हम चर्चा करें, तो सौ प्रतिशत प्रथम श्रेणी में बच्चे पास होते थे, 100 परसेंट बच्चे प्रथम श्रेणी में पास होते थे आवासीय विद्‌यालयों के, आज रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा रहता होगा क्योंकि बीस परसेंट सेशनल नम्बर मिलते थे। उस समय ये मार्क्स नहीं मिलते थे फिर भी आज रिजल्ट कम रहने लग गया है, बच्चे फेल भी होने लग गये हैं, थर्ड डिविजन, सैकण्ड डिविजन पास भी होने लगे हैं। इतना सारा खर्चा करने के बाद हम इस ओर क्यों नहीं ध्यान देते हैं कि रिजल्ट हमारा क्यों कम हो रहा है।

हम कभी सोचते हैं कि हमारे आवासीय विद्‌यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में से कितने बच्चे आईएएस में पास हुए हैं, आरएएस में पास हुए हैं, कितने डाक्टर्स बने हैं, कितने इंजीनियर्स बने हैं, इनका लेखा-जोखा हम क्यों नहीं रखते हैं? हम इन पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, जब करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिये और हमें यह भी देखना चाहिये कि इसका

(श्री मदन दिलावर)

परिणाम क्या है, इस परिणाम के बारे में हमको विचार करना चाहिये। इन विद्यालयों की जो अवधारणा थी, वह गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने की अवधारणा थी, अनुशासित और संस्कारित बच्चे बनें, यह अवधारणा थी। हम सोचते थे कि जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसके लिए वहां एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उसको अधिक पढ़ाने की कोशिश करते थे ताकि शेष छात्रों के साथ वह भी बराबर आ सके। हम संस्कार की दृष्टि से भी कोशिश करते थे कि महीने में एक बार उस क्षेत्र का, वहां का रहने वाला या आसपास का जो विद्वान है, जो अच्छा जानकार है, जो प्रेरणा देने वाला पुरुष है, ऐसे लोग बच्चों के साथ बैठकर महापुरुषों की जीवनियों के बारे में भी चर्चा करते थे, उनको अच्छे प्रेरक कहानी किस्से सुनाते थे। सप्ताह में एक दिन इस प्रकार का होता था लेकिन वह भी बंद हो गया। जब संस्कार ही नहीं रहेगा बच्चों में, अनुशासन ही नहीं रहेगा और जहां आपने उस आवासीय विद्यालय का तबेला बना दिया है तो हम क्यों नाटक यह कर रहे हैं? क्यों यह नाटक कर रहे हैं कि हम एससी का, एसटी का, ओबीसी का और घुमक्कड़ लोगों का, इन सबका भला चाहते हैं? हम केवल यह बताना चाहते हैं बजट में हमने आपके लिये कर दिया है इसलिये आप वोट देना हमको, हमने आपके लिये कर दिया, इतना पैसा रख दिया है लेकिन इस पैसे का उनके लिये क्या उपयोग हो रहा है, यह हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? यह हम सब लोगों को सोचना चाहिए था, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आवासीय विद्यालय में नियमित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख होनी चाहिए। अब देखरेख करने के लिए हम क्या देते हैं? 400 रुपये एक विजिट के। महीने में तीन बार जाएगा और ऐसे डाक्टर को देते हैं जो निष्प्रभावी हो, जिसके बारे में रोगियों की ओपिनियन ठीक नहीं हो, जो खाली बैठा रहता हो। ऐसे डाक्टर को चुनकर हम लाते हैं ताकि हमारा नाम हो जाए कि हम बच्चों को दिखा रहे हैं। एक विजिट के 400 रुपये देते हैं यानी 1200 रुपये महीने में हम डाक्टर लगाकर उन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहते हैं। क्या इससे काम होगा? ऐसा ही वह डाक्टर होगा। ऐसा ही स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो बच्चे बीमार होते रहेंगे। जब बच्चा बीमार हो जाता है तो हम उसे एडमिट कराकर उसका इलाज नहीं कराते, बल्कि उसे घर भेज देते हैं। घर उसका कहां होता है? जहां डाक्टर उपलब्ध नहीं होता है, जहां कम्पाउण्डर उपलब्ध नहीं होता है, जहां दवाएं

(श्री मदन दिलावर)

उपलब्ध नहीं होती हैं। वहां उसे मरने के लिए भेज देते हैं। होना यह चाहिए कि जो बच्चा बीमार हो गया है, उसे अस्पताल में एडमिट कराकर उसका इलाज कराएं, उसे स्वस्थ करें, पर इसकी चिंता किसी को नहीं है, क्योंकि वहां प्रिंसिपल तो रहता ही नहीं है। वहां टीचर्स तो रहते ही नहीं हैं। वहां केवल रसोइये के आधार पर आवासीय विद्यालय चलता है, इसलिए पता नहीं क्यों इस बारे में यह सारा विचार किया जा रहा है?

मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? आवासीय विद्यालय की मैं चर्चा करूं तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आज जिस प्रकार का वातावरण है, रोज हम सुन रहे हैं कि बालिकाओं के साथ छेड़खानी हो जाती है, बालिकाओं के साथ कई प्रकार के अपराध होने की बात हम सुनते रहते हैं। क्यों नहीं, हम आवासीय विद्यालयों में कैमरे लगा देते जहां बालिकाएं पढ़ती हैं? यह विचार हमें क्यों नहीं आ रहा है ताकि कोई भी अपराध करने की हिम्मत न करे। सीसीटीवी कैमरे में सारा का सारा आ जाएगा तो उसे इस बात का डर लगेगा कि यहां कैमरे लगे हुए हैं। क्यों नहीं, हम कैमरे लगाने पर विचार करते? कैमरे जरूर लगाने चाहिए। यह बहुत ही चिंता का विषय है हमारे लिए।

आवासीय विद्यालय में पुस्तकालय क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चे विद्यालय द्वारा दिया गया अपना होम वर्क जब पूरा कर लेते हैं और जब वे खाली रहते हैं तो पुस्तकालय में जाकर पढ़ सकें, कुछ सोच सकें, अच्छी किताबें पढ़ सकें, महापुरुषों की जीवनियां, क्रांतिकारियों, शहीदों, बलिदानियों, संतों, देशभक्तों और अच्छे वैज्ञानिकों की जीवनियां पढ़ सकें ताकि उनसे प्रेरणा ले सकें, पर ऐसा नहीं हो रहा है। यह झूठमूठ का नाटक करने की कोशिश न करें कि हम अनुसूचित जाति के भले की बात सोचते हैं।

अब बात होती है कि पर्ची भी ऑनलाइन डालें। आवासीय विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय तो है, पर कम्प्यूटर लैब नहीं है। आखिर में कम्प्यूटर नहीं है, कम्प्यूटर लैब नहीं है, कम्प्यूटर शिक्षक नहीं हैं, पर कम्प्यूटर सब्जैक्ट है। सभापति महोदय, हम क्या करना चाहते हैं? आखिर हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं? हम सब लोगों ने चिंता की कि छात्रावासों का जो पैसा एक छात्र पर खर्च होता है, उसे सरकार ने बढ़ाकर ढाई हजार रुपये कर दिया। अच्छी बात है, पर उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका जो अनुदानित छात्रावासों में पढ़ते

(श्री मदन दिलावर)

हैं? सरकारी छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चे पर हर माह ढाई हजार रुपये खर्च होंगे और जो अनुदानित छात्रावास में पढ़ने वाला बच्चा है, उस पर दो हजार रुपये खर्च होंगे। यह कैसा भेदभाव है? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस सरकार की समझ में नहीं आती।

माननीय सभापति महोदय, आजकल जमाना बदल गया है। सब आटोमेटिक काम करना चाहते हैं। आज भी हमारे यहां आप जानते हैं कि आवासीय विद्यालय में चार-चार सौ बच्चों की स्ट्रैंथ रहती है। भोजन बनाने के लिए भी रसोइयों की संख्या बहुत कम होती है और भोजन बनाने वाले रसोइयों में भी कोई पचास साल का हो गया है, कोई पचपन साल का हो गया है। जो पच्चीस-तीस साल से काम कर रहे हैं, उन्हें हमने नियमित नहीं किया है। वे साढ़े तीन सौ रुपये महीने में लगे थे और सरकार के सीधे कान्ट्रेक्ट पर लगे थे। हमने बेईमानी करके उन्हें प्लेसमेंट एजेंसी में कर दिया है और जब वे हमसे खुद को नियमित कराने की बात कहने के लिए आते हैं तो हम कहते हैं कि तुम प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी हो, हमारे नहीं। वे लगातार कान्ट्रेक्ट बेसिस पर 20-25-30 साल से लगे हुए थे, पर हम उन्हें नियमित नहीं कर रहे हैं। उन्हें मात्र चार हजार रुपये दे रहे हैं तीस साल काम करने के बाद। क्या हम यह शोषण नहीं कर रहे हैं? हम तो गरीबों का भला चाहते हैं न। हम तो गरीबों की भलाई चाहते हैं न। फिर उनका शोषण क्यों कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं, फिर उन्हें संविदा से क्यों हटा दिया गया? मैं चाहता हूं कि उन्हें नियमित किया जाए ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, उनका बुढ़ापा ठीक प्रकार से गुजर सके और उन्हें भी पेंशन मिल सके, इसलिए जरूरी है कि उन्हें नियमित किया जाए।

जैसा मैंने कहा कि आटोमेटिक जमाना हो गया है तो फिर उनकी रोटियां स्वचालित मशीनों से क्यों नहीं बनतीं? मैंने कहा कि रसोइये कम हैं, कितनी देर लगती होगी रोटी बनाने में। कई बार तो बच्चे भूखे ही स्कूल चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं कि अभी भोजन नहीं बन पाया है। अब वे चार-पांच कर्मचारी भी कब तक भोजन बनाएंगे? उन्हें सुबह भी बनाना है, शाम को भी बनाना है, नाश्ता भी देना है उन्हें, चाय भी देनी है उन्हें और चार हजार रुपये में यह सारा काम कराएंगे हम यानी रसोइया सुबह छह बजे से उठेगा, रात को दस बजे तक नहीं सोएगा और चार सौ लोगों का भोजन बनाएंगे चार-

(श्री मदन दिलावर)

पांच लोग मिलकर के और उन्हें पैसा हम चार हजार रुपये देंगे। क्या यह न्यूनतम वेतन का उल्लंघन नहीं है? माननीय सभापति महोदय, यह न्यूनतम वेतन का उल्लंघन है। हम ज्यादती कर रहे हैं उन लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं, आप विद्वान आदमी हैं। पालनहार योजना यह सरकार इसलिए लायी थी कि जिन बच्चों के मां-बाप नहीं हैं, जिन बच्चों के पिताजी एक्सपायर हो गये हैं और मां विधवा हो गयी हैं, जिन बच्चों के मां-बाप में से कोई एक या दोनों विकलांग हैं या जिनके मां-बाप को आजीवन कारावास हो गया है या जिनके मां-बाप एड्स से पीड़ित हैं, ऐसे बच्चों के लिए योजना बनायी गयी थी। इसकी अवधारणा क्या थी? अवधारणा यह थी कि एक छात्रावास में रहने वाले बच्चे पर जितना खर्च होगा, वह इन्हें हम नगद देंगे, घर बैठे पालेंगे बच्चों को ताकि वे बच्चे सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। जिनके मां-बाप नहीं होते हैं, उन बच्चों का पालन-पोषण कौन करेगा और कोई करता भी है तो उनके साथ क्या दुर्गति होती है, किस प्रकार का अत्याचार-अनाचार उनके साथ होता है। इसलिए लायी गयी थी यह योजना। आज छात्रावास में रहने वाले बच्चे पर ढाई हजार रुपये महीने खर्च होते हैं और पालनहार योजना के अंतर्गत बच्चे को हम एक हजार रुपये देते हैं। क्या यह उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? क्योंकि उनके मां-बाप नहीं हैं न, इसलिए सरकार भी नहीं सोचती है। क्योंकि उन बच्चों की मां विधवा है न, इसलिए सरकार भी नहीं सोचती है। क्योंकि मां-बाप विकलांग हैं, इसलिए सरकार उनके बारे में भी नहीं सोचती। यह सरकार गरीब लोगों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है। यह सरकार गरीब लोगों का शोषण करने वाली सरकार है और इसलिए इस प्रकार की बात कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, 'अनुप्रति योजना' सरकार अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए लायी थी ताकि उन बच्चों का आईएएस में सलेक्शन हो जाए, आरएएस में सलेक्शन हो जाए, उनका कोचिंग संस्थान में सलेक्शन हो जाए, पीएमटी-सीपीएमटी की कोचिंग में सलेक्शन हो जाए, आईआईटी और इंजीनियरिंग कालेज की कोचिंग में सलेक्शन हो जाए। उस कोचिंग का सारा का सारा खर्च तो सरकार देगी जो कि अलग योजना है और

(श्री मदन दिलावर)

इसमें जब सलेक्शन हो जाएगा तो प्रोत्साहन के रूप में हम जो राशि देंगे, वह उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए थी, लेकिन बहुत दिनों के बावजूद भी इन्होंने आरजेएस की तैयारी करने वाले, कोचिंग करने वाले छात्रों को इसमें शामिल नहीं किया है। पता नहीं क्यों, ध्यान नहीं आया? शुरू-शुरू में हो सकता है कि ध्यान में नहीं आया हो, लेकिन यह योजना तो बहुत सालों से चल रही है न। इस योजना को बीस-पच्चीस साल हो गये। क्यों नहीं माननीय मंत्री जी ने देखा कि हम और भी शामिल कर सकते थे? आरजेएस की तैयारी करने वाले लोगों को या आरजेएस में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों को हमने इसमें शामिल क्यों नहीं किया, यह हमें सोचना होगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो इस पर भी चर्चा करें, इस पर बताएं कि आखिर इस पर क्यों नहीं विचार किया गया?

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार का भी शेयर होता होगा, जिन गांवों की जनसंख्या में 40 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं,

(16.00 बजे)

50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, ऐसे गांवों पर ध्यान देकर उनका विकास करना होता है। उसको कई बार हम संबल विलेज कहते हैं, उनका विकास करना होता है। मेरी जानकारी के अनुसार इस साल में एक भी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं और भारत सरकार से मिलने वाले पैसे से यह सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों को तनख्वाह बांट रही है। मंत्रीगण, यह मंत्री मण्डल मौज-मस्ती कर रहा है, विकास नहीं कर रहे हो आप। उन अनुसूचित जाति के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनके वहां पानी के हैण्डपम्प क्यों नहीं लगे? उनके लिए सड़क क्यों नहीं बने? उनके नाली क्यों नहीं बने? उनके लिए रोड क्यों नहीं बने? आखिर उस पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? यह दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था पर क्योंकि ये गरीब लोग हैं इसलिए उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि जिस गांव की जनसंख्या 800 है और उसमें 40 प्रतिशत से भी ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं तो उस गांव में एक सामुदायिक भवन बनना चाहिए, वे अपने रसोई का, भोजन का आदि का सबका काम कर सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अब आप। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): दो मिनट, मैं प्रथम वक्ता हूं। माननीय सभापति महोदय, देवनारायण योजना में, एसटी योजना में, सारी योजना में स्कूटी वितरण होता है लेकिन अनुसूचित जाति की योजना में अनुसूचित जाति की बालिकाओं को स्कूटी का वितरण क्यों नहीं होता? आखिर क्या पाप किया है इन्होंने कि उन्हें स्कूटी का वितरण नहीं होता?

माननीय सभापति महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया तो उसमें आया कि जो हमारी पालनहार योजना है उसमें 12 हजार आवेदन पैण्डिंग पड़े हुए हैं, जांच में पड़े हुए हैं। कोई देखने वाला ही नहीं है। एट्रोसिटी के मामले में मैं बात करूं तो लगभग ढाई हजार आवेदन पड़े हुए हैं। जिनके साथ अन्याय होता है, एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज होता है, जिसमें बलात्कार होता है, मर्डर हो जाता है, प्राणघातक हमले होते हैं, जिनका अपमान होता है, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा यह राशि दी जाती है, उसमें ढाई हजार से ज्यादा पैण्डिंग चल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति का भला चाहने वाली तथाकथित सरकार है और इसलिए इन्होंने 17 जनवरी, 2013 को एक आदेश जारी किया। सभापति महोदय, इन्होंने यह आदेश जारी किया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की जो सीटें नहीं भरी जाती थीं योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण से, उसमें इन्होंने राइडर लगाया कि यदि तीन साल तक नहीं भरी जाएगी तो उसको सामान्य जाति के छात्रों से भर लेंगे। यह 17 जनवरी, 2013 को आदेश निकाला। फिर एक आदेश 23 जनवरी, 2020 को निकाला कि ये तीन साल नहीं, अब दो साल में ही भर लेंगे, यानी दो साल में ही हम उन पदों को भर लेंगे। सभापति महोदय, यही नहीं, इन्होंने यह भी कह दिया कि जो व्यक्ति आरक्षण का कहीं भी लाभ लेकर आएगा, चाहे उसने छात्रवृत्ति ली हो, चाहे वो आरक्षण लेकर विद्यालय में, महाविद्यालय में भर्ती हुआ हो, उसको भी इसका लाभ नहीं देंगे। यही नहीं, सभापति महोदय, बहुत सारे अन्याय अनुसूचित जाति के साथ करने की इस सरकार ने कोशिश की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। श्री मुरारी लाल।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा। श्री मुरारी लाल। आपका अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: मैंने अगला नाम पुकार लिया है। माननीय सदस्य, आप विराजें। अगला नाम पुकार लिया है। यह परम्परा नहीं है। अगला नाम पुकार लिया है। आप बैठें। आप बैठें। श्री मुरारी लाल।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। अगला नाम पुकार लिया। बैठें आप। अगला नाम पुकार लिया। श्री मुरारी लाल।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 व मांग संख्या 33 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, देश आजाद होने से पहले हमारे देश में परिस्थितियां ऐसी रहीं चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, चाहे हमारे राजा-महाराजाओं का शासन रहा हो, विशेषकर दलित-आदिवासी लोगों के साथ में जो सामाजिक व्यवस्था उस टाइम थी उसकी वजह से उनको शिक्षा नहीं मिल पाई और वे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सब रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ गये और उनके साथ में अत्याचार होते रहे। जब देश आजाद हुआ तो विशेषकर हमारे कांग्रेस के नेताओं ने उसमें संघर्ष किया और एससी, एसटी के लोगों ने भी उसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। जैसे ही देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय संविधान सभा का चेयरमैन एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिसने उसी समाज में जन्म लिया। वे अच्छी तरह से समझते थे कि दलित की स्थिति क्या होती है, एसटी की, आदिवासी की स्थिति क्या होती है। इस बात में हमारे जो प्रधान मंत्री थे पंडित जवाहर लाल नेहरू, उन्होंने सोची-समझी एक व्यवस्था के तहत बाबा साहब को संविधान सभा का चेयरमैन बनाया।

मान्यवर, जैसे ही भारत का संविधान लिखा, बाबा साहब ने कल्पना की थी कि समता मौलिक समाज की स्थापना हो। जो गरीब तबके हैं, एसटी

(श्री मुरारी लाल)

के तबके हैं, एससी के तबके हैं, ओबीसी के तबके हैं, उनको समानता का अधिकार मिले और उसी के तहत भारतीय संविधान में हमको आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन दु:ख इस बात का है कि लम्बे समय के बाद भी जो उनकी कल्पना थी, जो उनका सोच था, जो हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना थी, उस पर हम सब, चाहे राज इनका रहा हो, अभी हमारे माननीय सदस्य कई ऐसी बातें कर रहे थे, चाहे किसी का भी राज रहा हो लेकिन हम इतने नहीं बढ़ पाये, इतने खरे नहीं उतर पाये और उसी का कारण रहा कि इतने लम्बे अंतराल के बाद आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी हमारी जो सरकारी सेवा है उसमें इतने समय के बाद भी हमारे पद बहुत ज्यादा खाली हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी हाल ही में एक घोषणा की है कि हमारा एससी, एसटी का बैकलाग पूरा किया जाएगा। हम सब मिलकर उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि भारतीय संविधान के अन्दर जो आरक्षण है वह आनुपातिक रूप से प्रपोर्शनल टू पापुलेशन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश के अन्दर एससी की जनसंख्या करीब 18 परसेंट है और एसटी की जनसंख्या करीब 10 से 11 परसेंट है और राजस्थान के अन्दर भी एससी की जनसंख्या करीब 16 परसेंट है और एसटी की जनसंख्या करीब 14 परसेंट है। अभी मालविया साहब भी बोल रहे थे कि 60 से 70 एमएलए एससी, एसटी के हैं और मैं समझता हूं कि चाहे सरकार आपकी बनो चाहे हमारी बनो, सरकार बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग एसटी, एससी के लोगों का ही रहता है। इसलिए हमारा आरक्षण प्रपोर्शनल टू पापुलेशन बढ़ाया जाए, 14 और 18 किया जाए। इसमें पहले तो यह राइडर था कि 49 परसेंट से अधिक नहीं रहेगा पर अब तो वह राइडर भी टूट गया। 10 परसेंट, 5 परसेंट दे दिया तो यह राइडर हमारे लिए ही है क्या? मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इस आरक्षण व्यवस्था को 14 और 18 परसेंट किया जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन यह था कि अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि हमारे टाइम पर वैकेंसी निकली थी लैक्चरर्स की और 1448 पद निकाले थे जिनमें हमारे एससी, एससी के 542 पद आरक्षित वर्ग के थे। अगले शुद्धि पत्र में आपने क्या किया? आपके टाइम पर, 1248 पदों को यथावत रखते हुए एससी, एससी वर्ग के आरक्षित पदों की संख्या 542 से घटाकर 379 कर दी

(श्री मुरारी लाल)

गई और 153 पद जनरल से भर लिये गये। दिलावर साहब, कहां गये? अब यह बताओ कि यह अत्याचार है या नहीं? दूसरा मैं आपको एक निवेदन करूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन की ओर सम्बोधित करें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): एक लिपिकीय भर्ती थी 2013 में। लिपिकीय भर्ती, 2013 के अन्दर 7536 पद थे, उसमें हमारे 1995 पद एससी के थे, 1100 पद एसटी के थे। उस समय हमारे लड़के क्वालिफाई नहीं हो पाए और 632 लड़कों का ही सलैक्शन हो पाया और 1200 पद हमारे खाली रह गये। अब आपने तीन साल की बात कही है तो उसमें यह है कि तीन टर्म तक, तीन टर्म तक भर्तियों को रैगुलराइज करेंगे। आपने दुबारा वैकेंसी निकाली थी 2018 में और 11255 पद निकाले थे पर आपने हमारे उन 1200 पदों को भुला दिया और उसमें सीधा 16 और 12 परसेंट के हिसाब से आरक्षण दे दिया। जब 2018 के जो लड़के पास हुए उसमें हमारे लड़के थ्री टाइम पास हो गये और आज भी वे लड़के बाहर भटक रहे हैं। (व्यवधान) आज भी हमारे वे लड़के बाहर भटक रहे हैं। मेरा आपके निवेदन है कि हमारे उन 1200 लड़कों को पदस्थापित किया जाए क्योंकि वे लड़के मैरिट में आए, 153 कालेज के लैक्चरर, आप से भी मिले होंगे, मुझसे भी मिले, उनका भी पदस्थापन करवाया जाए।

मान्यवर, हम रोज घटनाएं सुनते रहते हैं, दलितों के साथ में अत्याचार-अत्याचार-अत्याचार। मैं समझता हूं कि जब तक भेदभाव चाहे जातिगत हो, चाहे छुआछूत हो, जब तक हम सरकारी पदों पर ठीक ठाक नहीं आएंगे, तब तक यह भेदभाव खतम हो ही नहीं सकता। चाहे वह कितना ही कमजोर आदमी हो, यदि उसका लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा तो उससे कोई छुआछूत नहीं करता। इसलिए यदि इस आरक्षण व्यवस्था को हम विधिवत रूप से लागू करें तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही जो हमारे संविधान की मूल भावना थी, उसकी पालना होगी।

जहां तक जनजाति का मामला है, उसकी भी यही हालत है। 1975 के अंदर जनजाति विभाग का गठन हुआ था। उसमें हमको दो भागों टीएसपी, नोन-टीएसपी में बांट दिया, 45 परसेंट लोग तो हमारे टीएसपी क्षेत्र के हैं और 55 परसेंट हमारे नोन-टीएसपी क्षेत्र के हैं। इसमें मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जब वैकेंसी निकलती हैं तो हमारे टीएसपी क्षेत्र में योग्य लड़के नहीं मिलते हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि उनको नोनटीएसपी से भरा जाए। हमारी

(श्री मुरारी लाल)

सहमति से हुआ था बंटवारा, मालविया साहब बैठे हैं। अन्य जो पद हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, अन्य जो पद हैं, उनको भी चाहे छोटे पद हों चाहे बड़े पद हों, हम बैठकर हमारा समझौता कर लेंगे, नौकरियों में कम से कम ऐसा नहीं हो कि हमारे भाई मिलते नहीं हैं तो उनको सामान्य वर्ग से भर लिया जाता है। उस दिन भी मैं बोला था, जो भारत सरकार की नीतियां हैं। पब्लिक सैक्टर को प्राइवेट सैक्टरों में देते जा रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान यदि हो रहा तो मैं समझता हूं कि एससी/एसटी के लोगों को हो रहा है क्योंकि ये ही सरकारी नौकरियों पर डिपेंड हैं। उस दिन भी मैं बोला था और आज भी बोल रहा हूं, या तो पब्लिक सैक्टरों को बेचना बंद करो और या फिर प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण लागू करो। इसके लिए हम सब मिलकर विधान सभा में एक संकल्प पारित करके भारत सरकार को भेज सकते हैं। यह बहुत जरूरी है, नहीं तो आप देख लें एक-एक नौकरी खतम होती जाएगी, अत्याचार नहीं रूकेंगे, चाहे सरकार आपकी हो या हमारी हो, क्या हालत हो रही है। क्या हालत हो रही है, एफआईआर, अब वो तो कोई भी आंकड़े पेश कर देगा, चाहे आपका टाइम हो या हमारा टाइम हो। इसलिए मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत जरूरी मैटर है, नहीं तो धीरे-धीरे स्थिति ऐसी हो जाएगी, सोची समझी नीतियों के तहत हाई कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे कोई और माध्यम हो, एक ही मामला है। अब कैसे इस आरक्षण को खतम करें, कैसे उल्टा-सीधा करें, इनको नौकरियों से रोकें।

मान्यवर, जैसा आप बता रहे थे। हमारे एससी के 36 आवासीय विद्यालय चल रहे हैं और 398 छात्रावास चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनमें और सुधार की आवश्यकता है। चाहे भत्ता बढ़ाओ, चाहे और कुछ करो, साथ-साथ में मां-बाड़ियां चल रही हैं करीब 2582, उसमें हमारे करीब 77 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने कैम्प लगाये थे, बच्चों की कोचिंग के लिए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा फोकस आप टीएसपी एरिये में रखते हो, थोड़ा-थोड़ा हमारी तरफ भी रख लिया करो। आपने रोजगार कैम्प लगाये, बहुत अच्छी बात है, एकाध कैम्प हमारे साइड में भी लगा दो। जब हम आपको भाई मानते हैं। हमने इच्छा से हमारा बंटवारा चलाकर, पहले आपको पता है, किया था। हम चाहते हैं कि आप सारी सर्विस में आपका हिस्सा लो।

(श्री मुरारी लाल)

हमारा हिस्सा हम रखें, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें हैं। इनको भी हमारी तरफ, क्योंकि हास्टल्स में भी आपको ज्यादा जरूरत हैं, हम मानते हैं। हमारे साइड में भी मैं समझता हूं करीब ये 398 जो हमारे हास्टल हैं, हमारी 55 परसेंट जनसंख्या है तो हमारे 60-70 ही हैं, आवासीय विद्यालय 20-25 ही हैं। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि इधर की साइड में भी, मेरे दौसा में करीब 30 परसेंट के आसपास एसटी के लोग रहते है, 30 परसेंट के आस-पास लोग रहते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप जब भी प्रस्ताव भिजवाओगे तो निश्चित हमारी साइड में कुछ आवासीय विद्यालय जरूर आप देंगे।

तीसरा, मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारे बहुत दिनों से कैडर नहीं है, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुख्य मंत्री महोदय का। पिछली बार मालविया साहब ने बहुत ट्राई किया था। 1975 से लेकर अब तक हमारे जनजाति विभाग का कैडर ही नहीं है। इस बार कैडर का जैसा मंत्री जी बता रहे थे, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारे विभाग का कम से कम कैडर होगा।

एक दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारे बच्चे काफी पढ़ रहे हैं। हमारे अच्छे-अच्छे कोचिंग सेन्टर हैं। जैसे एलन है, बंसल है। इनसे थोड़ा टाइ-अप करें और हमारे बच्चों को उसमें भेजें। टाइ-अप में खर्चा हम यहां पर करते हैं, यदि वहां भेजेंगे तो निश्चित हमारे बच्चों को वहां पर अच्छी एजुकेशन मिलेगी और उनको सफलता मिलेगी।

तीसरा, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है। सब समाजों के हास्टल बने हुए हैं। मुझे पता लगा कि महारानी कालेज में आपने माडा-टाडा के तहत हास्टल बनाया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हमारा एकल छात्रावास के नाम से एक हास्टल बना दें, ताकि हमारे पूरे प्रदेश से जो बच्चे आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में वहां रहें और वे बच्चे पढ़ें। मैं समझता हूं कि इन बातों पर आप जरूर ध्यान देंगे।

महाराष्ट्र पैटर्न की हम सब बात करते हैं। महाराष्ट्र पैटर्न में, जैसा मैंने बताया कि भारतीय संविधान बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन जब तक लोगों की नीयत साफ नहीं होगी, उनको फायदा मिलने ही नहीं देते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र पैटर्न बहुत अच्छा है। राजस्थान में लागू भी कर दिया, 13 परसेंट पैसा हमारा ट्राइबल में खर्च होना चाहिए लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक चार-पांच परसेंट से ज्यादा पैसा खर्च हुआ ही नहीं है। यदि टोटल बजट का 13 परसेंट पैसा ट्राइबल बैल्ट पर खर्च हो जाए तो हमको ये दिन नहीं देखने पड़े।

(श्री मुरारी लाल)

वही स्थिति हमारे दलित भाइयों की है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस पर भी आप जरूर काम करेंगे, क्योंकि मुख्य मंत्री चाहते हैं कि कमजोर तबके के लोग, दलित तबके के लोग उठें।

जो बैकलाग की बात हम कर रहे थे, आर्डर तो निकाल दिये, लेकिन जब तक उसकी मानिटरिंग नहीं होगी, बैकलॉग की जब तक मोनिटरिंग नहीं होगी, लोग-बाग़ उन पदों को नहीं भरेंगे, ये गारंटी है इस बात की। एक बाबू ऐसी मक्खी बैठा देता है, ऊपर तक सब फेल हो जाते हैं, एक बाबू बैठा देता है। जैसा मैंने बताया, मैं स्वयं एक दिन, माननीय हायर एजुकेशन मंत्री जी बैठे हैं, मैं वहां गया था तो 153 लड़के पिछले डेढ़ दो साल से भागे फिर रहे हैं। वहां एक मैडम बैठी है। मैंने उससे कहा मैडम, आप आरएसएस की तो नहीं हो, बोली क्यों? क्यों इन एससी/एसटी वालों को लटका रखा है? तुम्हारा काम ही यही है। आप यह बताओ, आज तक उन लड़कों को पोस्टिंग नहीं मिली तो कृपया इस बैकलाग को, बैकलाग का आर्डर तो निकाल दिया। एक कमेटी ऐसी बनाई जाए, जिसमें कुछ एमएलए को लें, कुछ आफिसर्स को लें और उस पर रेगुलर मोनिटनिंग करें, ताकि वे लोग-बाग़ बेईमानी नहीं कर सकें। मैं समझता हूं कि यदि यह बात हो जाएगी तो निश्चित हम लोगों को उसका फायदा होगा।

हमारे कुछ प्रमोशन के मैटर हैं। इसमें भी हमको सुधार की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आप जरूर लागू करेंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के जारी होने के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। इसको दूर करने के लिए पूर्व की भांति पदोन्नति नियम एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियमों की पालना कर समाधान करवाया जाए।

महोदय, कार्मिक विभाग द्वारा हाल ही में दिनांक 14.11.2019 को ऊर्जा विभाग को दी गई राय की तर्ज पर राजस्थान के सभी विभागों में लागू करवाया जाए क्योंकि इससे 11.09.2011 की अधिसूचना में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। ये बहुत से ऐसे काम हैं, नहीं तो लोग-बाग़ क्या है कि हमारे पेरेलल, अभी हम खड़े नहीं हुए, उससे पहले ही...

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें जल्दी एक मिनट में अपनी बात आप।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सर, उसमें मेरा निवेदन है कि ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिन पर निश्चित आप काम करेंगे। दूसरा, आज तो राज हमारा ही है। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र की दो-तीन बात आपको बता देता हूं। एक तो नांगल राजावतान, नांगल राजावतान मीणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें एक आवासीय विद्यालय, कई जगह खोलें, लेकिन वह ऐसा पाइंट है, जहां पर बहुत ही जरूरी है। तीसरा, हास्टल दो-तीन और जगह गांव चौरडी है, खानवास है और एक रामबाग तितरवाड़ा है, ये सब बातें ऐसी हैं। जहां पर हमारे हास्टल होंगे तो निश्चित हमारे बच्चों को फायदा होगा।

सबसे बड़ी बात एक और है। आप बड़ी सोची-समझी नीति के तहत हम ट्राइबल को बांटना चाहते हो। भई, हम आदिवासी हैं, ये भी आदिवासी, जो यूएन ने 9 अगस्त को ट्राइबल डे घोषित किया है। आप ये बताइये, जब आपकी सरकार थी तो आपने वहां तो 9 अगस्त की छुट्टी घोषित कर दी। पूरे राजस्थान में क्यों नहीं की? यह पक्षपात हुआ कि नहीं? इसलिए मेरा निवेदन है कि जब 9 अगस्त को ट्राइबल डे घोषित यूएन ने कर दिया तो पूरे प्रदेश में उस दिन की छुट्टी होनी चाहिए। जिस तरह से डूंगरपुर में ट्राइबल डे के दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, और प्रोग्राम होते हैं, बड़ा आयोजन होता है, इसी तरह जयपुर में भी ट्राइबल डे पर एक प्रोग्राम होना चाहिए...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बैठें ।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय मंत्री महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जरूर ट्राइबल डे पर छुट्टी होगी और हमारे जो बड़े-बड़े प्रोग्राम सांस्कृतिक होते हैं, हमारी मूल संस्कृति वह बची रहे। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित ये जो बातें बताई हैं, इन पर गौर करेंगे। यह बिलकुल तयशुदा बात है कि जब तक हम नौकरियों में नहीं रहेंगे, जब तक हम नौकरियों में सम्पन्न नहीं होंगे, चाहे एसटी के हों, चाहे एसी के हों, जब तक हम पदों पर नहीं आएंगे, तब तक हमारे खिलाफ अत्याचार बंद नहीं होंगे। वैसे आप आंकड़े तो पेश कर देते हैं। बताओ क्या हालत हो रही है, किस तरह की घटनाएं अब हो रही हैं, किस तरह की घटनाएं पहले हो रही थीं, एफआईआर की लोग बात करते हैं, कई एफआईआर तो तब दर्ज होती है, जब वीडियो वायरल हो जाते हैं। यह तो अब नए युग में नैटवर्क चल गया, सोशल मीडिया

(श्री मुरारी लाल)

चल गया, नहीं तो पहले पता ही नहीं चलता था। इसमें बहुत सी एफआईआर ऐसी हैं, जो उनके माध्यम से दर्ज होती हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब बैठें आप। श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर)।

श्री मुरारी लाल (दौसा): आजादी के 70 साल होने के बाद में भी यदि हमारी स्थिति यही रही तो हम विधायक इस विधान सभा में हैं, हम एससी/ एसटी वालों के लिए विशेषकर शर्म की बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मुरारी लाल (दौसा): 000

श्री सभापति: श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर)।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या-30 व 33 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस सदन में एससी-एसटी के सभी सदस्य महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो हम इस पर बहस कर रहे हैं तो मैं सर्वप्रथम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं मेरी ओर से और आप सभी उपस्थित महानुभावों की ओर से क्योंकि देश आजाद होने के बाद में यदि केंद्र में मंत्रालय खोला जनजाति का तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोला है और आज हम उसके ऊपर सब बहस कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में नंद लाल जी मीणा को यहां पर सर्वप्रथम ट्राइबल मिनिस्टर बनाया था। मैं इस बारे में शेखावत साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज स्वर्ग में गए। उन्होंने भी हमारे क्षेत्र में इस उदयपुर संभाग के अंदर पंचायती राज में जनजाति के लोगों को आरक्षण देकर के हमारे वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे क्षेत्र में एक पंचायत के अंदर 18-18, 20-20 सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं। यह मेहरबानी है तो भैरोंसिंह जी शेखावत साहब की है।

मैं इस अवसर पर यह भी कहने से नहीं चूकूंगा कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में, हम लोग आज से 30-40 साल पहले मायलो खाते थे, हमको गेहूं नहीं मिलता था। हम किसी वार-त्यौहार पर गेहूं की रोटी खाते थे। मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं उन शेखावत साहब को जिन्होंने इस राजस्थान में काम के

(श्री गोपीचंद मीणा)

बदले अनाज योजना लागू कर, उससे हमारे क्षेत्र में राशन कार्ड के माध्यम से हमको आज गेहूं मिल रहा है। यह देन है शेखावत साहब की।

मैं इस अवसर पर यह भी कहने से नहीं चूकूंगा कि हमारे उदयपुर संभाग में टीएसपी एरिया में 45 परसेंट आरक्षण यदि जनजाति लोगों को दिया है तो वह राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने देकर के हमारे क्षेत्र को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मैं इस अवसर पर, हमारे यहां पर जनजाति के मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं हमारे सभापतिजी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस टीएसपी एरिया में जितने भी नोन टीएसपी के हमारे अधिकारी/ कर्मचारी आज नौकरी कर रहे हैं, उनको आप नोन टीएसपी में भेजें। उससे हमारे टीएसपी एरिया में पद खाली हो जाएंगे और हमारे जितने बालक-बालिकाएं हैं पढ़े-लिखे, उनको नौकरी का अवसर मिलेगा, यह मैं आपसे गुजारिश करता हूं।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर आपके द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ के एरिया में जितने भी बालक-बालिकाएं जो पढ़ रहे हैं हास्टल्स में, हमारे छात्रावास हैं, उनके अंदर आश्रम है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए कि उनमें अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए। मैं कई हास्टल्स में गया हूं, छात्रावासों में गया हूं, आश्रम में गया हूं लेकिन वहां पर साफसफाई नहीं है, टायलैट्स बहुत खराब हैं जिसके लिए विशेषकर हमारे कमिश्नर साहब को आप निर्देश करें कि वहां पर जाकर के बच्चों की साफ-सफाई रखें, ताकि बच्चे पढ़-लिख करके होशियार बन सकें। उनमें कई कमियां हैं उन कमियों को पूरी कराने में आपकी अहम भूमिका बनी रहे, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

मैं ज्यादा नहीं कह करके आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में बेणेश्वर धाम जो त्रिवेणी संगम है, वागड़ का प्रयाग है, आदिवासियों का कुंभ है, वहां पर कुछ काम स्वीकृतशुदा भी पड़े हैं, जिन कार्यों को आप जितना भी जल्दी हो सके, उन कामों को कराने की कोशिश करें और वहां त्रिवेणी संगम पर तीनों नदियों के ढाले पर संत मावजी महाराज के गेट बना करके उस क्षेत्र के अंदर संत मावजी महाराज का नाम रोशन कराने में आप की अहम भूमिका बनी रहे।

दूसरी बात, पिछले टाइम में कनक मल जी कटारा जब टीएडी मंत्री थे उस टाइम एक एनीकट बनाया था, वह एनीकट आज सुरक्षित है लेकिन उसके

(श्री गोपीचंद मीणा)

दोनों तरफ साइड वाल कट गई है और यदि उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारी बहुत बड़ी क्षति होगी, जिसके लिए आप थोड़ा बजट पास करके उस एनीकट के दोनों तरफ की साइड वाल का काम कराने की कोशिश करें।

मैं इस अवसर पर आपसे और गुजारिश करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में आप यदि हमारा विकास चाहते हैं, भला चाहते हैं तो हमारे जितने भी यह इल्लीगल ढाबे खोल रखे हैं, जहां मदिरापान होता है, मांस-मटन की जो दुकानें चलती हैं, इन दुकानों को रोकने का काम करेंगे ताकि हमारे बच्चे वहां पर पढ़ सकें, नहीं तो पढ़ने वाले बच्चों ने भी मदिरापान करना शुरू कर दिया है। कई जगह पर यह स्थिति होती है कि शाम के टाइम में यह बच्चे खा-पी करके और रात को निकल करके चोरियां भी करते हैं। कई जगह इनको पकड़ा भी है तो मैं चाहूंगा उदयपुर संभाग में आपका फोकस रहे और इस प्रकार से इल्लीगल ढाबे जो ग्रामीण इलाके में चला रखे हैं, उनको बंद कराने का काम करेंगे तो हमारे बच्चे पढ़-लिख करके अपना आत्मबल मजबूत कर सकते हैं।

आपने पिछले समय में जो, वर्तमान की स्थिति तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि दो बार बजट पेश हुआ है लेकिन एक भी मां-बाड़ी केंद्र नहीं खुले हैं। मैं इसलिए आपको कहना चाहूंगा कि पिछले टाइम में राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धरा जी के नेतृत्व में भाजपा के राज में तेरह सौ मां बाड़ी केंद्र खोल करके टीएसपी एरिया के लोगों को लाभ पहुंचाया। मैं चाहूंगा आज कई जगह ऐसी आवश्यकता आपको लगती है, वहां पर भी मां-बाड़ी केंद्र खोल करके उस क्षेत्र के लोगों को लाभ दिलाने का काम करें और जितने बच्चे, जो आज शिक्षाकर्मी के रूप में काम कर रहे हैं उन लोगों का मानदेय आप हर साल में 10 परसेंट बढ़ाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं उन बालकों के लिए भी कुछ मानदेय बढ़ा करके उनको भी लाभ दें। चूंकि उनका दूसरा कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे वह अपना जीवनयापन कर सकें।

मैं इस अवसर पर यह भी कहने से नहीं चूकूंगा कि पूर्व में लिफ्ट वगैरह सैंक्शन करा रखी हैं, मेरे क्षेत्र की बात कहूंगा भाटोली करके डोलपुरा में एक लिफ्ट स्वीकृतशुदा पड़ी है, उस लिफ्ट का आप काम शुरू करके उस क्षेत्र के काश्तकारों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे।

मैं इस अवसर पर आपके बीच में मांग रख रहा हूं, पंचायत समिति धोवड़ा जिसके अंदर आत्रिया लोलकपुर में एक बालिका छात्रावास खोल करके

(श्री गोपीचंद मीणा)

उस क्षेत्र की बालिकाओं को लाभ मिले, ट्राइबल बैल्ट है और एक पंचायत समिति सावला में जो हमारी ग्राम पंचायत लिंबाता है वहां पर एक बालिकाओं का हास्टल खोला जाए ताकि वहां पर बच्चियां पढ़ सकें।

मैं इस अवसर पर पेयजल के संबंध में कहना चाहूंगा कि मेरे यहां दो पंचायतों के अंदर पाइप लाइन बिछा रखी है लेकिन दो पंचायतों में टंकी बनाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं। एक तो ग्राम पंचायत खेड़ाआसपुर में, एक तालूरा के ग्राम पंचायत घाटड़ा में। यह दो टंकियां आपके द्वारा बनें तो हमारे क्षेत्र को पानी का लाभ मिल सकता है।

मैं इस अवसर पर आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि अभी हमारे जितने भी जनजाति के लोग हैं, जिनको कहीं न कहीं बाहरी क्षेत्र से कुछ ऐसे घुसपैठिए आए हैं, उनका धर्मांतरण करा रहे हैं जिसके लिए भी आपसे मैं गुजारिश करूंगा, वह धर्म परिवर्तन कराने वालों की जो फंडिंग आ रही है वह कहां से आ रही है यह भी आप थोड़ा विचार करें ताकि क्षेत्र के लोगों को भ्रमित करके धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसके बारे में पूरे क्षेत्र के जितने भी हमारे ट्राइबल बैल्ट के विधायक महोदय हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपन सभी इस पर ध्यान दें। इस प्रकार की अराजकता फैलाने वालों, समरसता का भाव बिगाड़ने वालों के लिए भी हम सबको सोचना पड़ेगा।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कई सारी विकास की कमियां हैं जिसके बारे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा। हमारे बीच में पिछले समय में नंद लाल जी मीणा के द्वारा जो काम होता था जिसका में जिक्र करूंगा। उस टाइम में जहां कई लिफ्टें चलती थीं, जहां कई स्कूलों के अंदर कई छोटे-मोटे काम होते थे जिसके लिए कमिश्नर साहब को पावर दे रखा था 5 लाख रुपये तक की स्वीकृति जारी करने का, जिसके बारे में भी आपसे कहूंगा क्योंकि आपके पास फाइल आएगी तब तक तो वह लोग नीचे बैठेबैठे उनको छह-छह महीने हो जाते हैं तो कमिश्नर साहब को थोड़ा पावर दें, क्योंकि उनको आपने पावर नहीं दिया है। एक हैंडपंप का टोंटा भी स्वीकृत नहीं कर सकते वह तो इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं।

दूसरी बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे जितने भी विधायक उपस्थित हैं, हम आपके बारे में कुछ सोच रहे थे लेकिन जिक्र करने पर हमें पता चला कि आप बीमार थे। हमारी परामर्शदात्री की जो बैठक होती थी, वह आप नहीं कर सके। मैं चाहूंगा इस सत्र के बाद अर्जेंट मीटिंग बुलाकर जिस क्षेत्र में जो

(श्री गोपीचंद मीणा)

जो काम हैं, वह इनके द्वारा आप कराएं। जो आप एक भी स्वीकृति जारी करते हैं उसके लिये हमारे विधायक महोदय की चिट्ठी आनी चाहिये या स्वीकृति की कापी जाये ताकि उस क्षेत्र के विकास के काम में हम भी ध्यान रख सकें कि उस विकास के काम में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं है। इसलिए सभी विधायकों को स्वीकृति की सूची मिलनी चाहिये। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपसे अनुरोध करूंगा, आप हमारी सारी बातों का ध्यान रखेंगे। हम आपके साथ हैं लेकिन हमारे विकास में आपकी अहम भूमिका बनी रहे और हमें दरकिनार करने का काम नहीं करें, हमारे साथ भेदभाव नहीं करें। जो पैसा भारत सरकार का आ रहा है, उन पैसों का सदुपयोग हो, यह भाव रखते हुए मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं आप हमारी बातों पर ध्यान देकर क्षेत्र का विकास करेंगे। यही बात कहता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास व मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति जी, पूरे राजस्थान में देवनारायण छात्रावास योजना के अंतर्गत ज्यादातर छात्रावासों की स्थिति दयनीय है। जो सुविधाएं छात्र व छात्राओं को मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पा रही हैं और वह उससे वंचित हैं। इतना ही नहीं 31 जिलों में लड़कियों के लिये छात्रावास नहीं है, जिससे ओबीसी वर्ग की छात्राएं परेशान हैं। इस बजट में देवनारायण बजट नहीं है, न ही बजट में कोई विवरण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार देवनारायण योजना के लिये अलग से बजट जारी करे। सरकार देवनारायण योजना के तहत कम से कम जयपुर में एक हजार लड़कियों के लिये छात्रावास व जोधपुर व कोटा में भी लड़कियों के लिये 500-500 कैपेसिटी के छात्रावास बनाए, क्योंकि समाज के लड़के तो कहीं भी प्राइवेट जगह मकान लेकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं परंतु लड़कियों को बहुत परेशानी होती है। देवनारायण योजना के अंतर्गत जो विद्यालय चल रहे हैं उन्हें डाइरेक्ट शिक्षा विभाग हैंडल करें। गुरुकुल योजना के अंतर्गत 500 लड़के व लड़कियों का चयन होता है, उसकी संख्या सरकार 500 के स्थान पर 1000 करे जिससे समाज के कमजोर तबक़े को मदद मिल सके। गत 10 वर्षों में राज्य सरकार

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

की तरफ से प्रत्येक छात्र को 50 हजार रुपये के हिसाब से धनराशि दी जाती है, जो बहुत कम है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसे बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाये, जो अति आवश्यक है क्योंकि महंगाई व अन्य जरूरतों को देखते हुए यह बहुत जरूरी है। बड़े शहरों में बच्चियों के लिये छात्रावास खुलने इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि वहां लड़कियां चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, वहां पर मेडिकल, इंजीनियर, आरएएस, आरपीएस, आरजेएस व अन्य नियुक्तियां पाने के लिये कोचिंग लेती हैं। इस प्रकार मेडिकल की लड़कियों को एमबीसी स्कालरशिप न मिलने से भी भारी दिक्कतें आ रही हैं। एमबीसी से संबंधित नौकरियों में विसंगतियों को दूर करके नौकरियों की स्वीकृति दें जिससे हजारों एमबीसी के छात्रों का भविष्य सुधर सके, क्योंकि वह छात्र ओवर एज होते जा रहे हैं।

मैं व मेरा समाज माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी का विशेष रूप से आभारी है जिन्होंने गत वर्ष सरकार बनते ही गुर्जरों को 5 परसेंट आरक्षण दिया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 73 गुर्जरों के बच्चों ने आरक्षण पाने के लिये शहादत बीजेपी की पूर्व सरकार के समय दी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। साथ ही माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी हाल ही में 53 हजार नौजवान बेरोजगारों के लिये भर्ती की घोषणा की है। इससे पूरे राजस्थान भर में बच्चों को लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि देवनारायण योजना में कितने बजट का प्रावधान है? मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि जो गुर्जर समाज अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिये लंबे समय से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा था और गत बीजेपी की सरकार ने उन्हें आरक्षण के नाम पर गोलियों से भूना और 73 नौजवानों ने शहादत दी, उसी समाज के 26 नौजवान युवक व युवतियों का सलेक्शन माननीय अशोक गहलोत जी के आरक्षण देने के कारण आरएएस और आरपीएस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर होकर आज वह एसडीएम व डीवाईएसपी जैसे पदों पर राजस्थान में ही सेवा कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों में माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का नाम हमेशा याद किया जायेगा।

अपने मेनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने एमबीसी की छात्राओं का हास्टल

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

जयपुर में बनाने की घोषणा की थी। मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि उस हास्टल की शुरुआत भी जल्दी से जल्दी करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं अभी हमारे साथी माननीय सदस्य मदन दिलावर जी और माननीय सदस्य, गोपीचंद मीणा जी आरक्षण की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की बहुत हितैषी है और तमाम तरह की बातें कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश जब से आजाद हुआ है, सन् 1947 से लेकर सन् 1998 तक एससी का रिजर्वेशन मात्र 8 परसेंट था, इसी प्रकार एसटी का आरक्षण भी केवल 6 परसेंट था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 1998 में जब माननीय श्री अशोक गहलोत साहब इस सूबे के मुख्य मंत्री बने और माननीय डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी उच्च शिक्षा मंत्री बने, उस समय इन्होंने एससी के आरक्षण को 8 परसेंट के स्थान पर 16 परसेंट किया और इसी प्रकार से एसटी के आरक्षण को भी 6 परसेंट के स्थान पर डबल 12 परसेंट देने का काम किया, यह मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। ओबीसी का 21 परसेंट किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि इस तरह से आरक्षण से निश्चित तौर से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा नदबई में जहां चार विद्यालय हैं, उन चार विद्यालयों में पहला विद्यालय है कला विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, नदबई। दूसरा है, आदर्श टैगोर शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय, नदबई। तीसरा है, श्रीराधे एसआर सीनियर सैकण्डरी स्कूल, नदबई। चौथा विद्यालय है, सीनियर सैकण्डरी आदर्श विद्या मंदिर, नदबई। इनमें कला विद्या मंदिर में छात्रों की कुल संख्या 198 है, छात्राओं की संख्या 106 है। इसी प्रकार आदर्श टैगोर में छात्रों की संख्या 285 और छात्राओं की संख्या 142 है। इसी प्रकार श्रीराधे सीनियर सैकण्डरी स्कूल में छात्रों की संख्या 82 और छात्राओं की संख्या 58 है। इसी प्रकार सीनियर सैकण्डरी आदर्श में 225 छात्र और 97 छात्राएं हैं। देवनारायण योजना के तहत इनको यह स्कूल आबंटित किये गये हैं, जिनमें कुल 789 छात्र और 403 छात्राएं हैं, जिनकी कुल संख्या 1192 बैठती है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार निजी विद्यालयों को साल में एक बार कुल 5 करोड़ 96

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

लाख रुपये जो जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, उन प्राइवेट विद्यालयों को देती है, उनके स्थान पर नदबई विधान सभा में कम से कम 1000 बैड के सरकारी छात्रावासों का निर्माण कराया जाये।

इसके साथ ही सरकार के द्वारा एमबीसी जातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए निजी क्षेत्र में संचालित उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों का चयन कर उनमें देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत गुर्जर समाज के छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करायी जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र पर 50 हजार रुपये की राशि सरकार द्वारा निजी विद्यालय को दी जाती है। उच्च विद्यालय होने के लिए निम्न मानक होने आवश्यक हैं। भवन, विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन और संचालन के लिए पर्याप्त कमरे। छात्र व छात्राओं के लिए पृथक से गुणवत्तापूर्ण शौचालय होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों की लैब होनी चाहिए, तीनों संकायों की क्लासें चलना अनिवार्य है। कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और आवासीय परिसर के लिए स्कूल की कक्षाओं के संचालन के लिए प्रयोग होने वाले भवन से पृथक होना आवश्यक है। विद्यालय की कक्षाएं व छात्र एवं छात्राओं का आवासीय परिसर एक ही बिल्डिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। साथ ही, छात्र/छात्राओं के लिए पौष्टिक व ताजा भोजन, नाश्ता मिलता हो।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार निजी विद्यालयों में देवनारायण गुरुकुल योजना के साथ-साथ सरकार की टीएडी व एससी, एसटी आदि योजनाओं के अंतर्गत लगभग एक हजार छात्र/छात्राएं आवासीय होस्टल में पढ़ते हैं, बड़े शर्म की बात है कि ज्यादातर विद्यालय इन योजनाओं में केवल और केवल दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकार की गाढ़ी कमाई को खा रहे हैं। उन्होंने केवल और केवल शिक्षा को ही कमाई का साधन बना लिया है। शिक्षा विभाग समय-समय पर समीक्षा नहीं कर पा रहा है। ये विद्यालय अब उच्च प्रतिष्ठित रहे या नहीं रहे, नदबई क्षेत्र के स्थानीय अभिभावक अपने बच्चों को फीस देकर सही शिक्षा दिलाने के लिए इन विद्यालयों का चयन नहीं करते हैं और कुछ विद्यालयों में स्थानीय अभिभावक शिक्षा ग्रहण की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के मुख्यालय पर एक निजी विद्यालय कला

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्र संख्या 466 है, जिसमें से 300 छात्र/छात्राएं देवनारायण गुरुकुल योजना व सरकार की जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना एवं एसटी, एससी विकास योजनाओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। मात्र 162 छात्र/छात्राएं हैं जो नदबई और उसके आसपास के क्षेत्रों के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। सभापति महोदय, इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस विद्यालय में सही शैक्षणिक स्तर नहीं होने के कारण नदबई के स्थानीय अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। सरकार एक करोड़ पचास लाख रुपये केवल एक विद्यालय को हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए देती है। साथ ही इस विद्यालय का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें आवासीय परिसर व कक्षाएं एक ही भवन में संचालित होती हैं। गत 28 फरवरी, जो अभी गयी है, 28 फरवरी को सरकार की योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा अंकिता मीणा की संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाकर मौत हो गयी थी, जिसको मैंने मजबूती के साथ पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के साथ सदन में उठाया था।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यह आवासीय विद्यालय सरकार की गाढ़ी कमाई को चूना लगा रहे हैं। कई मायनों में इन उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों के स्थान पर सभी जिला मुख्यालयों, उपखंड मुख्यालयों पर देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा यहां संचालित आवासीय विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए। कई बार सुनने में आता है कि निजी स्कूल संचालक चयनित छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को 10-15 हजार रुपये देकर और केवल कागजों में बच्चों की पढ़ाई दिखाकर पूरे 50 हजार रुपये खा जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आगामी शिक्षण सत्र से पहले इन आवासीय विद्यालयों के उच्च प्रतिष्ठित होने की समीक्षा होना अति आवश्यक है और विद्यालय उच्च प्रतिष्ठित नहीं रह गये हैं, उन्हें अगले सत्र से बच्चे आबंटित नहीं किये जाएं। वर्तमान में पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्राओं को अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति: श्री धर्मेंद्र मोची, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

सूचना

पीलीबंगा में अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे विशेष सूचना पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज सुबह पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की रावतसर क्षेत्र में अतिवृष्टि होने के कारण एवं बरसात व तूफान अधिक होने के कारण फसलें और सरसों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां सर्वे कराया जाए एवं किसानों की जो पकी हुई फसल का नुकसान हुआ है उसका सही ढंग से सर्वे कराया जाए। सभापति महोदय, नुकसान का मतलब नुकसान होता है, कहीं 5 परसेंट, 10 परसेंट नहीं, पूरा नुकसान हुआ है। उनकी फसलें पूरी तरह पकी हुई थीं। काफी नुकसान हुआ है। सुबह से बारिश हो रही है इसलिए विशेष ध्यान दें। मेरी सूचना को ध्यान में रखकर इस कार्य पर गौर करें।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की अनुदान की मांग पर चर्चा में शामिल होने का मौका दिया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। सभापति महोदय, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है

(श्री नारायण बेनीवाल)

तो धरातल पर ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए। इसलिए जनतंत्र में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लायी गयी। जनतंत्र में तंत्र, जन को न्याय और सुरक्षा प्रदान करने तथा उसकी सेवा व कल्याण के लिए कार्य करने के लिए होता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां प्राचीन काल से ही ''सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय'' राज्य व्यवस्था संबंधी परिकल्पना की अनुपालना करना ही शासन के लिए श्रेष्ठ और स्वीकार्य माना गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।'' अर्थात् सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बनें और किसी को भी दु:ख का भागी न बनना पड़े। इस लक्ष्य की प्राप्ति शासन का परम दायित्व होता है। यही दायित्व इस सदन और सरकार का होना चाहिए। सैकड़ों सालों से आक्रमणकारियों, अत्याचारियों से इस राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले महान क्रांतिकारियों और लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए उच्च स्तरीय चिंतन, मनन, अध्ययन कर एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था देने वाले संविधान निर्माताओं का भी यही संकल्प रहा है।

माननीय सभापति महोदय, वैलफेयर स्टेट की अवधारणा की रोशनी में आज के विषयों की बात करें तो सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा किसी एक विभाग का दायित्व नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण सरकार, इसकी पूरी मशीनरी, सभी जन प्रतिनिधियों और हर उस व्यक्ति का दायित्व है, जो किसी दूसरे की मदद करने में सक्षम हैं। सभी सरकारी विभागों के आपसी समन्वय के बिना हम राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक राजकीय सेवाओं के लाभ नहीं पहुंचा सकते। विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के विशिष्ट उद्देश्य से बनाये गये विभाग की समस्त योजनाओं का यदि समुचित क्रियान्वयन ही हो जाए तो भी हम पीड़ित, वंचित, शोषित व दलित जनता को काफी राहत दे सकते हैं परंतु प्रत्येक विभाग की सभी योजनाओं की तरह इस विभाग में भी क्रियान्वयन के स्तर पर ही फैल्योर होता है।

माननीय सभापति महोदय, अकर्मण्यता, लापरवाही और लीपापोती करने वाली मशीनरी और अनावश्यक औपचारिकता के कारण असली लाभार्थी तक लाभ नहीं पहुंच पाते हैं। योजनाएं और नीतियां लालफीताशाही और

(श्री नारायण बेनीवाल)

नौकरशाही की भेंट चढ़ जाती हैं। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए सबसे पहले चिंतन और मनन इन बातों पर करना है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को विभिन्न सरकारी कल्याण की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है? प्रदेश में एससी, एसटी के प्रति उत्पीड़न को रोकने, उनके मान-सम्मान व अधिकारों की रक्षा किस स्तर तक हो रही है? अभी सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों ने जब दलित उत्पीड़न और दलित शब्द ज्यों ही सुनायी पड़ता है, उसको हमेशा पकड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। दलित शब्द आते ही पकड़ लो, लेकिन मैं सदन में सब से, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, मैं यही निवेदन करुंगा कि दलित को सिर्फ एक वोट का आधार न बनाया जाए। दलित उत्पीड़न की हम बात करते हैं। अभी सदन चलने के बाद नागौर की घटना हुई, बाड़मेर की घटना हुई। और तो और आपने देखा होगा, हमारे दो दलित विधायक यहां विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर आये हैं। उसमें भी सत्ता पक्ष के विधायकों की बिना बात सुने, जो उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंची, उसकी बिना बात सुने, आप लोगों ने अपना राज धर्म निभाया कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर हम दलित उत्पीड़न की सिर्फ बातों से दलितों का उत्पीड़न कैसे रोक पाएंगे, इस पर क्या नीति बने, इस चीज पर हमें गौर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, और तो और आप प्रशासनिक स्तर पर देखिए, हम दलित उत्पीड़न की बात करते हैं। हमारे दो माननीय विधायकों पर धारा 302 जैसे मुकदमे दर्ज हो गये। उनको धक्के देकर एसडीएम स्तर के व्यक्ति ने वहां से जातिसूचक गालियां देकर निकाला। उन्होंने पूरा प्रयास किया। एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और सारा सिस्टम एक संवेदनशील सरकार की बात करते हैं। ऑनलाइन एफआईआर की..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप डिमांड पर अपनी बात करें। इस पूरे विषय पर सदन में पहले चर्चा हो चुकी है। आप अपनी बात डिमांड पर करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): मैं डिमांड पर ही बात कर रहा हूं। सामाजिक कल्याण-जब दलित को उत्पीड़न से बाहर नहीं निकालोगे तो समाज का कल्याण कैसे होगा? 32 दिन के बाद उस एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वापस आप उसी बात पर आ गए। जिस मांग की आज यहां चर्चा हो रही है, वह बात करो। यह बात पूरी हो चुकी है पहले।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, दलित उत्पीड़न की बात हम कर रहे हैं। जब एमएलए, एमपी बनकर आता है तो भी दलित ही रहता है वह। ऐसा थोड़े ही है कि उसका क्राइटेरिया चेंज हो गया। मैं इस सदन से यह मांग भी करूंगा कि ऐसे मामलों में कोई ठोस कार्ययोजना आप लोग बनाएं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में अवयस्क बालक-बालिकाओं के अधिकारों, सम्मान एवं सुरक्षा के संबंध में हम कितने गंभीर हैं? इस मामले में भी कोई ठोस कार्ययोजना बननी चाहिए। महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा की आवश्यकताओं पर क्या ठोस कदम सरकार उठाएगी? प्रदेश में दिव्यांगों एवं वृद्धजन का क्या रोडमैप सरकार ने बनाया है, उसका फीडबैक क्या है? इस चीज पर भी विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों की जमीन सामान्य को बेचान के लिए क्या नीति हम लोगों को बनानी चाहिए? जैसा माननीय विधायकों ने कई बार यह मुद्दा उठाया कि एक एससी/एसटी के व्यक्ति की जमीन 20 हजार रुपये बीघा में बिक रही है। उसके पड़ोस में सवर्ण जाति की जमीन दो लाख रुपये बीघा में बिक रही है तो कहीं न कहीं दलित व्यक्ति का शोषण है। इसके ऊपर भी कोई ठोस नीति बनाएं।

माननीय सभापति महोदय, गाड़िया लुहारों, घुमन्तू वर्ग के लोगों को स्थायी आवास के लिए क्या योजना बनी? वे क्रियान्वित हुई या नहीं? इस पर भी कोई ठोस कार्ययोजना बनाएं। अभी साथी विधायक महोदय ने भी देवनारायण शिक्षा योजना की बात की। इसकी क्या क्रियान्विति हुई? अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त जो वित्त निगम बने हैं, वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाओं की क्रियान्विति की क्या स्थिति है? आर्थिक रूप से पिछड़ों के कल्याण के लिए योजनाएं सही तरीके से लागू हो रही हैं या नहीं? वास्तव में सामाजिक कल्याण के बारे में यदि हम ठोस तरीके से सोचें तो इन सब बातों पर हमें गौर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है

(श्री नारायण बेनीवाल)

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध जो तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, इस हेतु पुलिस को प्रो-एक्टिव होना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि आज तेजी से साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, पोर्न साइट और ऐसी बहुत सारी चीजें, जो इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर हमारी पुलिस अभी तक ढंग से कोई कार्ययोजना बना नहीं पाई। यदि सामाजिक कल्याण पर ईमानदारी से हमें विश्लेषण करना है तो इन सब बातों पर सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये बिना हम किस सामाजिक कल्याण की कल्पना कर रहे हैं? चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, खाली पदों को भरना, आवश्यकतानुसार नए पद सृजित करना जरूरी है। चिकित्सा तंत्र का प्रभावी निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण आवश्यक है। यदि हम हर व्यक्ति को शिक्षा के समुचित अवसर नहीं दे पाएं तो भी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। शिक्षा व्यवस्था इस तरह की बनाई जाए कि हम सुनागरिकों का निर्माण कर सकें। राज्य में दहेज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बाल श्रम बेरोकटोक चल रहा है, माताओं-बहिनों के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं, वृद्धों के प्रति उपेक्षा का भाव आ रहा है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम सबका भी यह कर्तव्य है कि हम इन समस्याओं के लिए न केवल सरकार से मांग करें बल्कि जन-चेतना भी जगाएं। यदि हम बच्चों, वृद्धों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों, रोगियों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, वंचितों, शोषित, दबे-कुचले वर्ग और सब तबकों तक सुराज का लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हम सबको और सभी विभागों को मिलकर काम करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 और मांग संख्या 33 पर बोलने का जो अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं आपके माध्यम से हमारे बीच में जनजाति मंत्री विराजमान हैं और पूर्व के चार जनजाति मंत्री मौजूद हैं। डाक्टर दयाराम जी परमार साहब हमारे सदन में हैं। महेन्द्रजीत जी मालविया जो पूर्व जनजाति मंत्री थे, वह भी मौजूद हैं। वर्तमान में मंत्रीजी मौजूद हैं और कनकमल जी कटारा जनजाति

(श्री अमृतलाल मीणा)

मंत्री रहे इस क्षेत्र के, इस विधान सभा से। नंदलाल जी मीणा 2013 से 2018 में रहे। वाकई में इस विभाग का जो उदय हुआ, गठन हुआ 1975 में हुआ। उसके हिसाब से हम इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। जनजाति मंत्री जी, आप भी उस क्षेत्र से आते हैं। ट्रायबल बैल्ट से आते हैं, पहाड़ी इलाके से आते हैं, नदी-नालों को पार करते हुए भी आते हैं। मैं भी वहीं से आता हूं और सदन में 60 और 70 जो ट्रायबल बैल्ट से विधायक 25 से अधिक आ रहे हैं। इस जयपुर क्षेत्र की अलग बात है, टोटल 25 और 9, 34 विधायक जनजाति बैल्ट से हैं। दोनों दलों के 68 के आसपास आते हैं।

(16.55 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी, 2019 का जो बजट पेश हुआ, आपको इस विभाग से 339 करोड़ मिले। आज 26 दिन बाकी है। 2019-20 का वर्ष समाप्त होने वाला है और आधे से कम की राशि आपने खर्च की है। यह बड़े दुःख की बात है। उस क्षेत्र में क्या चाहिए? जाने के लिए सड़क चाहिए, नदी-नाले पार करने के लिए पुलिया चाहिए, पीने के लिए हैंडपम्प का टोंटा चाहिए। बिखरी हुई बस्ती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर कोई पंच-पटेलाई करनी है, सभापति महोदय जी, आप भी वहीं से आ रहे हैं। आप भी मंत्री रहे हैं। आपको भी कड़वा अनुभव है। मेरा यह कहना है कि पंच-पटेलाई करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए क्योंकि कच्चे घर हैं, एक-एक घर है, पटाल हैं, उनके लिए सामुदायिक भवन की जरूरत होती है। इससे बड़ी हम आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हो? वहां का जनजाति आपके ऊपर बहुत बड़ी आशा लगाकर बैठा है क्योंकि आपका बहुत बड़ा विभाग है। आयुक्त है, तीन उपायुक्त हैं, 263 अधिकारी/कर्मचारियों का विभाग है। 1975 में जब गठन हुआ, जन्म हुआ, 8 जिले 45 तहसीलें और 5696 गांव हैं। बहुत बड़ा मामला है।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 महीने हो गए, आपकी परामर्श परिषद् की मीटिंग आज तक नहीं बुलाई। इसमें बुलाने की क्या व्यवस्था है? साल में कितनी बार बुलाना पड़ता है, नहीं बुलाना पड़ता है, हमें अवश्य बताएं। हमें पता है। इस क्षेत्र के जनजाति भाइयों का, बंधुओं का, माताओं का, बहिनों का, बच्चों का, बालकों का, छात्रावासों के सबके हित में

(श्री अमृतलाल मीणा)

नहीं है क्योंकि आधे से कम बजट अभी तक खर्च हुआ है। माणिक्यलाल जी वर्मा शोध संस्थान है बहुत बड़ी। वहां अधिकारी मस्ती लेने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, आप कोई भी जाइए। उनको चिंता ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि उसको हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए या फिर उसमें सुधार लाना चाहिए। आपके अधिकारी/कर्मचारी गोवा में जाकर, बड़े-बड़े अक्षरों में आ रहा है, राजस्थान की पत्रिका में, अख़बार में आ रहा है कि इनके अधिकारी जनजाति विभाग के फंड से पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। होटलों में ठहर रहे हैं। दारू-पानी पी रहे हैं। इस प्रकार का बजट जो खर्च हो रहा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(17.00 बजे)

मेरा यह निवेदन है, आयुक्त कार्यालय में जितने भी अधिकारी-कर्मचारी हैं। आपको पता है, आप भी मंत्री रहे, डा. दयाराम परमार साहब भी मंत्री रहे। अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो चार पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, उनसे राय ले लो। इनसे भी दिक्कत है तो हमारे से राय लो कि हमें समग्र विकास कैसे करना है, सड़कों का कैसे करना है, पुल का कैसे करना है, होस्टल का कैसे करना है। होस्टलों में स्थिति बहुत खराब है, पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के बिस्तर सही नहीं है, तौलिये सही नहीं है, बाथरूम सड़े हुए हैं, फाटक नहीं है। हम उद्धार करना चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा।

आप उपाध्यक्ष हैं, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष हैं। जब मंत्री जी बीमार थे उस समय हम मिले। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, दो-चार सड़कें दे दो, नदी पार करने के लिए पुलिया दे दो, हैण्डपम्प के खोके दे दो। नहीं हो तो और कुछ दे दो। लेकिन जिस प्रकार का विभाग जिस सोच के साथ खुला है, 1975 में जिस मेहनत के साथ इस विभाग का उदय हुआ, इस विभाग का उसके अनुरूप विकास नहीं हो रहा है। मेरा यह भी निवेदन है कि नहीं करना चाहते हो तो पूरे राजस्थान के मूल विभाग में मिला लो। राजस्थान के सभी विभागों में 13 परसेंट पैसा जा रहा है। शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग, वन विभाग, पेयजल आदि विभागों में जा रहा है, 13 परसेंट पैसा जनजाति विभाग दे रहा है। उसकी निगरानी कौन कर रहा है? 263 कर्मचारी मस्ती मार रहे हैं। कोई निगरानी करने के लिए तैयार नहीं है। देखरेख करने के लिए तैयार नहीं है। यूसी, सीसी, सब्मिट

(श्री अमृतलाल मीणा)

करनी है कि पैसा कहां जा रहा है। हम चुनकर आए हैं, आज 15 महीने होने के बाद भी यह है, हमें बहुत पीड़ा होती है।

भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में जनजाति अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए बात हुई। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक से अधिक ध्यान केन्द्रित करना था। अनुसूचित क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के निर्माण, समन्वयन, नियंत्रण व निर्देशन कर, जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं इनके उत्थान के लिए काम करना है।

आश्रम छात्रावास आपके पास है। आदिवासी विद्यालयों की संचालन योजना भी आपके पास। माडल पब्लिक रेजीडेंशियल स्कूल का संचालन भी जनजाति विभाग कर रहा है। एकलव्य माडल भी आपके द्वारा हो रहा है। बहूद्देशीय छात्रावासों का संचालन भी जनजाति विभाग कर रहा है। कालेज छात्रावासों का संचालन भी आप कर रहे हैं। आश्रम छात्रावासों की विशेष कोचिंग भी करा रहे हैं। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है 2019-20 में जनजाति क्षेत्र के बहुत बालकबालिकाएं बैठीं, पर मात्र मेरे ससुराल का एक बच्चा पास हुआ है। वह बराबर पास हुआ है या नहीं हुआ है यह भी अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा विषय प्रश्न में आया था। यह बहुत बड़ी विडंबना है। कौन देखेगा, कौन मोनिटरिंग करेगा क्योंकि देखने वाले अधिकारी, लैक्चरर, टीचर सारे पार।

इसके बाद आश्रम छात्रावास के छात्राओं हेतु शैक्षणिक भ्रमण कराना, जनजाति आश्रम हेतु उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता करना, स्कूल में जो भी नि:शुल्क वितरण होता है जैसे स्कूटी, साइकल, पेयजल की व्यवस्था करना, जिला स्तर पर खेल सुविधा का विकास करना, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। देने वाले भी श्रीनाथ जी और पाने वाला भी श्रीनाथ जी, सभापति महोदय, यह स्थिति है।

जनजाति क्षेत्रों के सम्पूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण करना, जिसमें आपके गोटीयांबा है, मानगढ़ धाम है, बेणेश्वर धाम है। मैं जल उत्थान की बात कर रहा हूं। उस क्षेत्र में बहुत बांध हैं। पहाड़ी इलाका है। जाने के रास्ते में ढलाननुमा खेती है, उसके लिए हमने पिछली बार भी निवेदन किया और अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि उनके लिए लिफ्ट की

(श्री अमृतलाल मीणा)

योजना की जाए। नहरों का तो आज तक नहीं हुआ। नहरों का सुदृढ़ीकरण करना, जल संग्रहण कर एनीकट का निर्माण करना, कुओं को गहरा करना, सबसे बड़ी मांग है उस क्षेत्र में, पुराने कुओं को सही किया जाए, गहरे नहीं हैं तो गहरे किए जाएं। जनजाति विभाग से अपन निवेदन करते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): दो मिनट। मैं कुछ सुझाव के तौर पर कहूंगा।

श्री सभापति: सुझाव बहुत अच्छे हैं।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा..

श्री सभापति: आप जल्दी-जल्दी दीजिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, कल-परसों भाषण दिया गया, हम 60-70 विधायक यहां आते हैं। आधे उधर हैं और आधे इधर हैं। जो बात होनी चाहिए वह आज तक नहीं हुई। एक दूसरे को उछालते हैं, उससे हमें बहुत पीड़ा होती है। चाहे जनजाति भाई बंधु उधर का है एससी, एसटी की अगर कोई बात कहता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, फेफड़े फूल जाते हैं, लेकिन क्या करें, विधान सभा में बैठे हैं। किसी से लड़ नहीं सकते। किसी से माथा-फोड़ी भी नहीं कर सकते। किसी से कुश्ती भी नहीं लड़ सकते।

मेरा निवेदन है आपने कहा था, 2020-21 में बजट आना चाहिए था 8794 करोड़, हमारी भी आंखें खुल गई। आपने कहा कि अगर 13.5 परसेंट हो तो 10 हजार करोड़ रुपये के आसपास जनजाति विभाग में सभी विभागों का बजट आता है। यह सत्य है, इसकी मानिटरिंग कौन करेगा?

श्री सभापति: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): दो मिनट की बात है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अनुसूचित जाति, जनजाति उप योजना के संबंध में नीति आयोग का तीन वर्षीय कार्यक्रम मसौदा जो उप योजना में निर्धारित है, आबंटन सुनिश्चित कराने के अलावा, अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या अनुपात तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए दर्शाई गई बजट राशि में किसी भी प्रकार की एकरूपता नहीं है। यहां अलग बात करते हैं, दरवाजे के बाहर जाकर अलग बात करते हैं, बाजार में अलग बात करते हैं, किताबों में अलग है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इसमें जो राशि है वह लैप्स नहीं होनी

(श्री अमृतलाल मीणा)

चाहिए। मान लीजिए 303 करोड़ खर्च हो गए, 24 दिन रहे हैं, क्या होगा, 300 करोड़ बचे हैं वह अगले बजट में शामिल कर देना चाहिए, मेरी ऐसी राय है।

श्री सभापति: अब समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री इन्द्राज जी गुर्जर।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): बहुत कहना था। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 व 33 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज इस महत्वपूर्ण डिमांड पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं, जिससे सभी समाज प्रभावित हैं, सबके हित कहीं न कहीं इस बात को लेकर जुड़े हैं।

सभापति महोदय, जब-जब देश में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब-तब 36 कौम को, सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है। कांग्रेस की मंशा रही है कि किस तरह से अंतिम छोर के व्यक्ति को हम मुख्य धारा में लेकर आएं। इसी के परिणामस्वरूप इस बजट में 8500 करोड़ रुपये का प्रावधान समाज कल्याण विभाग के लिए किया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस सरकार की बात करें, 2008 से 2013 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे घर में बुजुर्ग माता-पिता, दादा-दादी थे उनके मान-सम्मान को जीवित रखने के लिए हमारी सरकार उनके लिए पेंशन योजना लेकर आई। हमारे विपक्ष के साथी इस बात की उस समय मजाक बनाते थे लेकिन आज धीरे-धीरे उस बात को सब लोगों ने महसूस किया। फिर 2018 में हमारी सरकार बनी और सबसे पहले हमारे बुजुर्गों की पेंशन में 250 रुपये बढ़ाने का काम किया। विधवा पेंशन बढ़ाने का काम किया। सभापति महोदय, विधवा की हालत क्या होती है, वह विधवा ही समझ सकती है। हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं। सुख-दु:ख में सबका अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में जाना होता है। कई बार हम ऐसी घटनाएं देखते हैं तब यह महसूस होता है कि विधवा का जीवनयापन करना कितना कठिन होता है।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के एक गांव में मेरा जाना हुआ। कोई जवान मौत हुई थी। उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे थे। घर पर बिलकुल छप्पर था और उस महिला के हालात जब देखे तो आंखों में आंसू आने की स्थिति आ गई। उसके चार-चार आपरेशन हो रखे थे। एक बीघा जमीन थी। आप सोचिये, अगर यह विधवा पेंशन नहीं हो और यह पालनहार योजना नहीं हो तो वह विधवा अपने बच्चों का पालन-पोषण कैसे कर सकती है। हमने ऐसे बहुत ज्यादा परिवार देखे, जिन परिवारों के हालात इस तरीके के थे। आज एक हजार रुपये पालनहार योजना में मिलते हैं। विधवा को पेंशन मिलती है। मैं सरकार से मांग करूंगा, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं कि कर्मचारियों का डी.ए. हम बढ़ा देते हैं तुरंत, ध्वनिमत से हम सब लोग भी पारित कर देते हैं। हमारी तनख्वाह की बारी आती है, हम तुरंत बढ़ाते हैं। सब लोग ध्वनिमत से पारित करते हैं लेकिन अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। मैं आपसे सदन के माध्यम से मांग करता हूं, अगर इस राजस्थान में सबसे पहले बढ़ाने की कोई बात है तो पालनहार योजना में पैसा बढ़ाया जाए और विधवा की पेंशन बढ़ाई जाए। जैसा कि, मैं धन्यवाद भी देता हूं हमारी सरकार को कि समय-समय पर इन्होंने इनमें पैसा बढ़ाया। अभी थोड़ी देर पहले मदन दिलावर साहब बोल रहे थे, अच्छी मांग की, मैं आपकी मांग का समर्थन भी करता हूं कि कम से कम ढाई हजार रुपये पालनहार योजना में एक बच्चे को मिलने चाहिए।

सभापति महोदय, हजार रुपये में, आज स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, महंगाई का दौर है। एक विधवा महिला के दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, अगर उसको दो-दो, ढाई-ढाई हजार रुपये मिले, हजार-पन्द्रह सौ उसकी पेंशन हो जाए तो सात-आठ हजार रुपये में वह विधवा महिला अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकती है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कम पड़े तो हम लोगों की पेंशन में या हम लोगों की सैलेरी में से आप पैसे काटकर दे दीजिये। लेकिन इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिये क्योंकि बहुत परिवार देखे हैं। मेरा भी 15 साल का फील्ड का अनुभव है, जहां मैं घूमता हूं। कई बार ऐसे वाकये देखे हैं कि जिन परिवारों के पास दो समय

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

का खाना भी नहीं है, उन परिवारों में जवान मौत हो जाती है, कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। रिश्तेदार, मिलने वाले सब बारह दिन तक रहते हैं। तेरहवें दिन कोई नहीं मिलता। वह महिला कैसे उन बच्चों को पालती है, यह हम सब लोगों के लिये सोचने की बात है कि आजादी के 72 साल बाद भी अगर ऐसे हालात हमारे देश में हैं तो यह बहुत सोचनीय विषय है। माननीय मंत्री महोदय विराजे हैं, मैं आपसे मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बात करके पालनहार योजना में आप पैसा जरूर बढ़वाएं, यह हम सब लोगों की भावना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं देवनारायण योजना की आपसे बात करूं कि शुरू में जब देवनारायण योजना लागू हुई तो उसका 800 करोड़ का बजट था। जिस गुर्जर समाज ने 5 प्रतिशत आरक्षण हासिल करने के लिये अपने 72 शहीदों का बलिदान दिया, जो जनजाति के रूप में आज भी गांवों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको उठाने के लिये देवनारायण बोर्ड का गठन हुआ, देवनारायण योजना ले करके आये। शुरू में 800 करोड़ के बजट का प्रावधान किया। इस बजट में कितना प्रावधान हुआ, यह हम सब लोगों को पता नहीं है। मंत्री महोदय, आप अपने जवाब में यह बताने की कृपा करें कि देवनारायण योजना के तहत कितने बजट का प्रावधान इस बजट के अन्दर किया गया है। मंत्री महोदय, एक बात के लिये, मैं आपको इस बात का धन्यवाद भी देता हूं कि देवनारायण योजना के तहत हमारी मेधावी बच्चियों को स्कूटी दी जाती थी। देवनारायण स्कूटी योजना के नाम से उच्च शिक्षा विभाग ने उस योजना का नाम बदलने की कोशिश की। हम सब लोगों ने मांग की, आपसे मांग की, माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा क्योंकि गुर्जर समाज में इस बात को लेकर भारी आक्रोश था। मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने पुन उस योजना का नाम देवनारायण योजना के नाम से रखा।

माननीय सभापति महोदय, गुर्जर समाज की पांच प्रतिशत की मांग जो काफी समय से चली आ रही थी, समय-समय पर पूरी भी हुई और फिर कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया में उलझती गई। दोनों सरकारें आईं, हमारी सरकार भी आई, बी.जे.पी. की सरकार भी आई। हर बार जो सरकार आती थी, मैनिफेस्टो में घोषणा करती थी कि हम इसको नवीं अनुसूची में डलवाने का

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष में बैठे साथियों से निवेदन करता हूं कि केन्द्र में आपकी सरकार है, राजस्थान की सरकार ने नवीं अनुसूची में डलवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस विधान सभा से पारित करके केन्द्र में भेजा है। आप हमारी सिफारिश करें और इस मांग को पूरा करवाने का काम करें।

सभापति महोदय, अभी जब गुर्जर आरक्षण की लड़ाई चली, रेल रुकी और फिर समझौता हुआ, उस समझौते में प्रक्रियाधीन भर्तियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने का वादा सरकार ने किया था। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या आप उन प्रक्रियाधीन भर्तियों में एम.बी.सी. वर्ग को चार प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि समय-समय समाज के लोग हम लोगों से इस बारे में पूछते हैं। हम लोगों को इस बात का जवाब देना पड़ता है कि आपकी सरकार है और आप क्या करना चाहते हैं, आप सरकार से मांग करिये कि प्रक्रियाधीन भर्तियों की जो वार्ता हुई, वह अभी गुर्जर समाज को नहीं मिल पा रही है। अभी हाल ही में जो एल.डी.सी. भर्ती हुई, उसमें भी पांच प्रतिशत का पूरा लाभ गुर्जर समाज को नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जन घोषणा पत्र में, कांग्रेस पार्टी ने जो जन घोषणा पत्र विधान सभा चुनावों में दिया, उसमें यह लिखा था, हमारे समाज की मांग थी कि हम जयपुर में हमारी बच्चियों के लिये एक हजार कमरों का छात्रावास बनाएंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उस छात्रावास को जल्दी से जल्दी बनाएं, ताकि दूर से आने वाली हमारी बच्चियों को छात्रावास का लाभ मिले क्योंकि गुर्जर समाज में वैसे भी महिला शिक्षा की कमी है। महिला शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। हम सब लोग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गम्भीर रहते हैं कि अच्छा शानदार छात्रावास बने, ताकि बच्चियों को उसमें पढ़ने की सुविधा मिले।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एम.एल.ए. लैड में एक प्रावधान है कि हम विकलांग लोगों को उसमें स्कूटी दे सकते हैं। मुझे भी विधायक बनने के बाद इस बात का पता चला और मेरी मंशा थी कि विकलांग साथी, जो हमारे गांवों में, ढाणियों में रहते हैं, गरीब तबके के लोग हैं। उनका सम्मान जीवित रखने के लिये, क्योंकि विकलांग का न कोई दोस्त होता है, न उसके

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

परिवार वाले उसको बहुत ज्यादा पूछते हैं, न उसके रिश्तेदार उसको बहुत ज्यादा पूछते हैं। कोई ट्राइसाइकल से घूमता है, कोई पैदल घूमता है तो मैंने मेरे एम.एल.ए. कोटे से 25 विकलांगों को स्कूटी देने के लिये सैंक्शन जारी की लेकिन माननीय मंत्री महोदय, वह सैंक्शन आज तक अटकी हुई है। समाज कल्याण विभाग को हमने उसमें कार्यकारी एजेंसी बनाया। आज तक उसका अता-पता नहीं है। कई बार, दो-तीन बार मैं भी इस बात का पत्राचार कर चुका। उसमें एक राइडर और लगा दिया कि आप 70 हजार रुपये दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मेरी कोशिश थी, मेरी सोच थी कि जब हम दे रहे हैं तो उनको एक अच्छी स्कूटी दें। मैंने उसको लिखा कि इनको पैट्रोल चालित होंडा स्कूटी, होंडा एक्टिवा दिया जाए, यह अच्छी स्कूटी आती है, मजबूत आती है ताकि दस साल तक इनको कम से कम परेशानी न हो लेकिन उन्होंने यह कहा कि इसकी कीमत 84 हजार रुपये है तो कृपया आप इस राइडर को हटाएं और अच्छी स्कूटी उन विकलांग भाइयों को मिले ताकि वह भी मान-सम्मान के साथ हमारे समाज में जी सकें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन करने की घोषणा की और धन्यवाद इस बात का भी देता हूं कि ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण में आठ लाख और सम्पत्ति का जो प्रावधान था, उसमें से हमारी सरकार ने यह सम्पत्ति के प्रावधान को हटाया क्योंकि कई बार हम जब गांवों में जाते हैं तो सवर्ण के नाम से यह समझा जाता है कि वह अमीर है लेकिन हालात उनके भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। बहुत ज्यादा गरीब है। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, प्लीज।

श्री सभापति: समाप्त करें, आपका टाइम पूरा हो गया। आप प्लीज, समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, हम नए लोग हैं, हमें थोड़ा-सा मौका दीजिए, पुराने लोग तो बहुत बोलते हैं।

श्री सभापति: आप तो नौजवान आदमी हो, आपको फर्राटे से बोलना चाहिए, आप मेरे से सीखो। हां, आपका भी अभी ले रहा हूं। (व्यवधान)

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, ई.डब्ल्यू.एस. में पहली बार सम्पत्ति का प्रावधान हटाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: प्लीज, आप समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह बात आप और हम सब लोगों के लिए है, केवल आपके ही इलाके के ही नहीं, हमारे भी इलाके के लोग पीड़ित हैं कि एस.सी., एस.टी. के लोगों को जमीन बेचान की अनुमति नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा नुकसान हमारे इलाके में हो सकता है, जनजाति क्षेत्र में नहीं हो। मजबूरी में गरीबी में जो जमीन बेचता है, उसको आधी रेट पर जमीन बेचनी पड़ती है।

श्री सभापति: कृपया, समाप्त करें। आप विराज जाइए। अंकित नहीं होगा, आप विराज जाइए। प्लीज, आप विराजिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): 000

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख। आप विराजिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): 000

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, कितनी आर्थिक विषमता का दर्द हमारा समाज झेल रहा है। हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ था और उसमें यह कहा गया कि 29 परसेंट आबादी ऐसी है जिनको एक समय का भी भरपूर खाना नसीब नहीं होता, भोजन नसीब नहीं होता है। 34 परसेंट परिवार ऐसे हैं जिनके पक्की छत नहीं है और यह जो विषमता है न, कोई जाति बहुत गरीब तो कुछ जातियां बहुत अमीर हैं। गांव में गरीबी है और वहां पर आय कम है जबकि शहर में उससे बहुत अधिक आय है। कोई वर्ग है तो उसमें भी काफी बड़ा अंतर है।

माननीय सभापति महोदय, जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बहुत पहले उन्होंने एक सोच दी, एक दर्शन दिया एकात्मक मानववाद का कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है, वह भी इंसान है और उसको भी जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सुविधा है, उसका भी वह हकदार बनता है और ऐसे में चुनी हुई सरकारों का यह दायित्व होता है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसके कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए कोई न कोई ऐसी योजनाएं लाकर उसको भी समानता की ओर थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दे। होता क्या है? अभाव में जन्म लेता है, अभाव में जीवन जीता है और अभाव में ही मर जाता है। माननीय सभापति महोदय, कई बार यह पीड़ा होती है कि देश में लाखों कुत्ते होंगे जो मनुष्य से ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे हैं पर मनुष्य उससे खराब जिंदगी जीने को मजबूर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर माननीय राहुल गांधीजी को जरूर याद करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि लोक सभा चुनाव के पहले जब चुनाव प्रचार अभियान चालू हुआ, उनका जन घोषणा पत्र निकला तो उनको भी यह समस्या समझ में आयी कि कम से कम एक परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपये होनी चाहिए, साल की 72 हजार रुपये। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उनकी वह सोच थी और उन्होंने एक वादा भी किया था कि यदि केन्द्र में हमारी सरकार आयी तो हम प्रत्येक परिवार को कम से कम 6 हजार रुपये महीने का मिल जाए, सरकारी खजाने से वह बंदोबस्त करेंगे। केन्द्र में उनकी सरकार नहीं आयी तो कोई दिक्कत नहीं पर उनकी पार्टी की जिन-जिन राज्यों में सरकार है, कम से कम वह अपने नेता का यह संदेश अपनाकर जहां-जहां पर उनकी सरकार है, वहां प्रत्येक परिवार को मासिक रूप से 6 हजार रुपये की व्यवस्था कर दे। उसकी इनकम अगर 6 हजार से कम है तो जो अंतर की राशि है, मंत्री महोदय, वह अंतर की राशि सरकार अपने खजाने से दे, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, और भी प्रदेशों में कांग्रेस सरकार है पर मैं यह चाहूंगा कि राजस्थान पहल करने वाला प्रदेश बने कि उसने राहुल गांधीजी की बात को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया, ऐसी मेरी अंदर की भावना है और एक बार यदि यह यहां पर लागू हो गया न तो हो सकता है कि आने वाले लोक सभा चुनाव में जनता आपकी बात पर भरोसा करके दिल्ली में भी आपको और कुछ एक्स्ट्रा दे दे, पर यहां पर लागू नहीं हुआ न, यह कर देंगे आप? माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया कि मैं कर दूंगा, बैठे-बैठे दे दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, अब बात सामाजिक न्याय की करते हैं, बात गरीब के कल्याण की करते हैं पर आपको तो पता ही है कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं में जो बजट प्रावधान था, उसमें भी इस वर्ष कटौती कर दी है। वर्ष 2019-20 में तो आपने प्रावधान किया था 8128.97 करोड़ रुपये का, कोई गरीब कम हो गये, कोई विकलांग, विधवा कम हो गयीं या आपने कोई जन कल्याणकारी योजना बंद कर दी? पर आपने इसको घटाकर 2020-21 में 7709.67 करोड़ रुपया किया, यानी 419.30 करोड़ रुपया आपने इसमें कम कर दिया। अब आपकी जो जन-कल्याणकारी योजना चल रही है न, अब एक तरफ तो आप बात करते हो कि हमने पेंशन की राशि बढ़ा दी, हर वर्ष संख्या पेंशन वालों की बढ़ेगी। यह आपने जो 419.30 करोड़ रुपये कम किया है, इसका मतलब है कि आप उनको पेंशन देना बंद करोगे या समय पर पेंशन दोगे नहीं और एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. कल्याण की जो योजना है न, उसमें भी आपने पिछले वर्ष से कटौती की है। 2019-20 में आपने प्रावधान किया था बजट का 1720.73 करोड़ रुपया पर 2020-21 में आपने 1666.95 करोड़ रुपया कर दिया। इसमें भी आपने 55.75 करोड़ रुपया कम कर दिया। अब कैसे सामाजिक न्याय होगा? एक तरफ तो माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि जो विधवा के संतानें हैं उनमें पालनहार की राशि बढ़ाई जाए, छात्रावासों में सुविधा बढ़ाई जाए।

माननीय मंत्री महोदय, आप तो बहुत दबंग हो, मजबूत हो, माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात करके इस बजट को कम से कम डेढ़ा करवाएंगे न, तब जाकर आपकी सारी योजनाएं ढंग से चलेंगी वर्ना आपकी सारी योजनाएं बीच में ही अधूरी रह जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, यह जितनी भी योजनाएं आपकी डिपार्टमेंट की हैं, चाहे विधवा पुत्री विवाह है, माननीय मंत्री महोदय, आपके जवाब में आप बता देना कि आपका शासन आने के बाद में जो विधवा पुत्री विवाह की योजना है, उसमें आपने विधवा पुत्रियों को राजस्थान में कितना पैसा दिया? एक-एक साल से मेरे क्षेत्र में विधवा पुत्री के आवेदन आपके विभाग में लंबित पड़े हैं पर आपने एक साल में किसी विधवा पुत्री को जो आपकी चालू योजना है, उसकी राशि भी नहीं दी है। चाहे बी.पी.एल. पुत्री की विवाह की योजना है

(श्री ज्ञानचंद पारख)

तो उसमें भी आपने एक साल में किसी भी उस गरीब बी.पी.एल. की पुत्री को शादी का पैसा नहीं दिया, जो आपकी योजना है, जिसके लिए आप बात करते हो।

पालनहार की बात हो गयी, मैंने धन्यवाद भी दे दिया। ज्योंही मैंने क्वेश्चन लगाया, आपने राशि भिजवा दी पर माननीय मंत्री महोदय, पूरी राशि भिजवा देते। अब फिर आपने यह आधा भेजा है, आपने पूरा भेजा ही नहीं और जितना अब बकाया है न, एक बार कम से कम 31 दिसम्बर तक का पैसा हर विधवा का पालनहार का जो बनता है, वह उसके खाते में चला जाए, यह मेरी आपसे विशेष मांग रहेगी।

छात्रवृत्ति के प्रकरण भी बहुत सारे आपके बाकी हैं तो उनका भी निस्तारण हो जाए। आप एक तरफ तो गरीब के बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं और वह धक्के खाता है छात्रवृत्ति के पैसे के लिए।

माननीय सभापति महोदय, आपको तो याद होगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार बजट में एक बहुत ही महती घोषणा की थी गरीब की पुत्री के विवाह में सहयोग की हथलेवा योजना और बाद में आपको भी याद होगा कि शुरुआत में घोषणा की थी, बी.पी.एल. की, एस.सी., एस.टी. की पुत्रियों की और बाद में जब अधिकांश सदस्यों ने मांग रखी कि मात्र एस.सी., एस.टी. ही नहीं, बी.पी.एल. की प्रत्येक पुत्री को तो बाद में बजट रिप्लाई में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको जोड़ते हुए बीपी.एल. की प्रत्येक पुत्री को हथलेवा की राशि की घोषणा की थी। आपका अभी तक कोई भी आदेश न तो आपके विभाग में पहुंचा और न महिला कल्याण के विभाग में पहुंचा है। एक साल बाद भी आपकी हथलेवा योजना की कहीं शुरुआत भी नहीं हुई है। क्यों आप किसी गरीब की बेटी के साथ में मजाक करते हो? एक बार आपकी घोषणा सुनकर वह खुश होता है कि मुझे राशि मिलेगी। लेकिन जब चक्कर लगाता है कि इस योजना की शुरुआत हुई है इसका कोई आवेदन फार्म बना क्या? उसको निराशा मिलती है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत दयालु हैं, मैं मानता हूं इस बात को और मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक भी नहीं है। गरीबों के प्रति उनके मन में दया भी है। यह योजना आपकी कहां अटक गयी? इसको शुरुआत कर दो, ताकि हमारी बेटियों को उनकी शादी का पैसा मिल जाए। हमारे समाज में कैसी विषमता है? एक तरफ तो करोड़ों रुपयों की शादी होती हैं। हमने देखा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

है, हम जाते भी हैं उसमें। आलीशान शादी होती है। उसमें कितना खर्चा, कितना पैसा लगता है और दूसरी तरफ उस गरीब को अपनी बेटी को देने के लिये नाममात्र का सामान भी नहीं होता। आपकी योजना लागू हो जाएगी न, तो शायद उस गरीब की बेटी को भी कुछ-न-कुछ मिल जाएगा और इसमें मैं आपसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि यह जो आपकी हथलेवा योजना है, यह अलग से रहेगी या इसको भी आप विधवा पुत्री विवाह या बी.पी.एल. में जोड़ देंगे? यह तो आप पहले से दे रहे हो, यह कोई नई योजना नहीं है और घोषणा आपकी नई है तो पहले वाली राशि भी मिलेगी या पहले वाली योजना तो आप बंद कर दोगे और बाद में जो आपकी हथलेवा योजना है, उसकी राशि दोगे तो उसमें कटौती हो जाएगी। पहले ज्यादा राशि मिलती थी। इस हथलेवा योजना में जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उसके अनुसार पहले से भी कम राशि मिलेगी तो इसको भी आप दिखवा देना।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक विशेष विषय पर माननीय मंत्री महोदय जी को बहुत आग्रह करना चाहूंगा। यह जो अवैध शराब के निर्माण और व्यवसाय में जातियां लिप्त थीं, जिनके लिये सरकार ने नवजीवन योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था? वर्षों से जो परम्परागत रूप से अवैध शराब का निर्माण करते हैं और अवैध शराब का व्यवसाय करते हैं और उस जहरीली शराब को पीने के कारण कई बार मृत्यु भी होती है और वह स्वास्थ्य के लिये ज्यादा हानिकारक भी होती है। उसके लिये नवजीवन योजना चालू की थी और प्रावधान क्या किया था आपने? आबकारी की जितनी भी आय होगी, उसका एक प्रतिशत, यह प्रावधान है आपका कि आबकारी की आय का एक प्रतिशत हम नवजीवन योजना में करवाये जा रहे कार्यों के लिये खर्च करेंगे। शुरुआत में यह योजना बहुत अच्छी चली और मैं धन्यवाद भी दूंगा माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को कि अपने पिछले कार्यकाल में जब पाली में शराब दुखान्तिका के समय 22 लोगों की मृत्यु हो गयी थी, उस समय पाली आये थे। कुछ और जातियों को भी उसमें जोड़ा गया। इसमें विशेष तौर से हमारे पाली के भाट हैं, उनको जोड़ा। प्रावधान बढ़ाये नहीं आपने पर नयी छह-सात जातियों को आपने उसमें जोड़ दिया। जब आपने नई जातियां जोड़ दीं, इसमें परिवार बढ़ गये तो जो आबकारी की आय का एक प्रतिशत का प्रावधान था, उन जातियों के अनुपात में वह आपको अनुपात भी बढ़ाना है, यह भी मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ जातियों का जिक्र किया था, जो वाकई में आजादी के 73 साल बाद भी ऐसा जीवन जी रहे हैं, अगर उनको देख लें तो हमारी आत्मा कांप जाए। मेरे क्षेत्र में भी, मेरे शहर में भी भील जाति रहती हैं। उनकी आधी से ज्यादा महिलाएं विधवा होंगी गरीबी की वजह से, कुपोषण की वजह से और अभी भी उनमें अशिक्षा बड़ी मात्रा में है। हमारी ऐसी जातियां, जो आजादी के 73 साल बाद भी अपने कल्याण, उत्थान के लिये सरकार की ओर मोहताज है, सरकार की ओर मुंह देख रही हैं, उनको चाहे नवजीवन योजना में जोड़कर, चाहे उनके लिये और कोई योजना बनाकर, हम उनके उत्थान और कल्याण का काम भी करें तो शायद सबके लिये बहुत अच्छा होगा यह। मेरे क्षेत्र में बावरी भी हैं। ये लोग अंग्रेजी बबूल की कटाई का काम करके उसका कोयला बनाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। उनमें बहुत ज्यादा गरीबी है। साठिया जाति भी है। मजबूरी में उनकी बहन-बेटियों को जिस्म-फरोशी का धंधा करना पड़ता है। ऐसी कई जातियां हैं। ऐसी जातियों को हम चिह्नित करें और उनको भी नवजीवन योजना में जोड़कर उनका उत्थान, कल्याण या समाज की मुख्य धारा में कैसे उनको लाएं, उनके बच्चे भी पढ़ सकें, उनको कोई सम्मानजनक रोजगार मिल जाए, उसकी आवश्यकता है।

नवजीवन योजना में आपने क्या किया? जो इतनी अच्छी योजना थी, उसमें यह था, माननीय सभापति महोदय, कि नवजीवन योजना में जुड़ी हुई जो भी जातियां हैं, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल जाए, इसलिए उनको जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, वहां सरकारी खर्च पर पढ़ाएंगे, उनके वाहन का शुल्क भी सरकार देगी, उनकी साल की दो ड्रेस, जूते-मोजे, कपड़े, बैग और पानी की बोतल, पुस्तकें-कापियां, सब सरकार की ओर से। मेरे क्षेत्र में लगभग हजार बच्चे पढ़ते हैं और माननीय मंत्री महोदय, इस योजना ने उनके जीवन में जो परिवर्तन लाया है, वह इतना सुखद है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने बुद्धि बहुत दी, पर किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जब सरकार ने साथ दिया न, तो उनके बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे नंबर ला रहे हैं और उनकी जीवन-शैली भी आज हम जैसों के बराबर दिखने लग गयी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह रहेगा कि यह जो शिक्षा का काम है, उसमें अब आपने राइडर लगा दिया कि नवजीवन योजना में यदि शिक्षा लेनी है तो पहले उसको आर.टी.ई. में फार्म भरना पड़ेगा। वहां से वह

(श्री ज्ञानचंद पारख)

फार्म रिजेक्ट होगा, वहां उसका सलेक्शन नहीं होगा, तभी हम उस पर कंसीडर करेंगे। यह नया राइडर लगा है। यह वित्त विभाग ने लगाया है। नवजीवन योजना में जुड़ी हुई जातियां हैं न उनका कोई भी बच्चा यदि शिक्षा लेना चाहे, मेहरबानी करके पहले वाली योजना की भांति आप उसको शिक्षा दे दो, आने वाला कल उसका बहुत अच्छा होगा और हमारे समाज के लिये वह बहुत लाभकारक भी साबित होगा।

माननीय मंत्री महोदय, आपको याद होगा, मैंने पिछली बार एक प्रश्न के जरिये भी आपसे बात की थी। यह मात्र आठवीं-दसवीं तक आपने नवजीवन योजना में पढ़ा दिया और उसके आगे आपने प्रावधान नहीं किया तो उससे रोजगार के नये अवसर उसके लिये पैदा नहीं होंगे। मैंने आपसे आग्रह किया था कि हायर एजुकेशन में भी आप प्रावधान करें। जो इस योजना में पहली से पढ़ रहा है और जब तक वह पढ़ना चाहे, जब तक उसकी योग्यता है, वहां तक उसको शिक्षा मिलती रहे और साथ में ही तकनीकी शिक्षा, आई.टी.आई., पोलीटेक्निक कालेज में यदि कोई बच्चा रूचि रखता है और उसकी मैरिट में वह आता है तो उस बच्चे को आई.टी.आई. या पोलीटेक्निक कालेज में भी आप एडमिशन दो तो शायद वह तकनीकी शिक्षा लेकर अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सके और अवैध शराब के निर्माण का जो काम उसके परम्परागत तरीके से चला आ रहा था, उससे वह मुक्ति पा सके। वर्ना आपने दसवीं पढ़ाकर उसको छोड़ दिया न, तो मजबूरी में वापस वही अवैध शराब बनाएगा और मान लो, आपके पास पैसा कम है न, तो मेरा आपको एक सुझाव भी है कि जो नवजीवन योजना की जातियों वाली आबादी बस्ती है न, उसमें आपने विकास कार्यों का प्रावधान कर रखा है। यह सड़कें हम बना देंगे एम एल ए कोटे से, हम नहीं बनाएंगे तो म्यूनिसिपैलिटी बना देगी। उनकी बस्ती में सड़क या नाली बनाने से उनका विकास नहीं होगा। बस्ती का विकास तो हो जाएगा। उसका विकास तो शिक्षा से ही होगा इसलिए मेरा बार-बार आपसे आग्रह रहेगा माननीय मंत्री महोदय, कि शिक्षा के लिये आप किसी को मना मत करो। जितने बच्चे इस योजना में आते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं उच्च शिक्षा तक, तकनीकी शिक्षा तक तो सारे रास्ते उनको खोल दो तो हमारे लिये बहुत बड़ी बात होगी, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक पहले इसमें यह जो अपने ट्रेनिंग कैम्प्स हैं, इनमें कौशल शिक्षा का प्रावधान भी था। प्रावधान अब भी है,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

प्रावधान को हटाया नहीं है। पर अब हम उदासीन हो गये, हमारे अधिकारी उदासीन हो गये। शुरुआत में हमने बहुत सारे कैम्प लगाये और हर बस्ती में लगाये। विभिन्न ट्रेड के भी लगाये कि जिसकी जिसमें रूचि है, जो रोजगार पैदा कर सके, तीन महीने का, चार महीने का कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का कैम्प लगता था। वहां वह सीखता था और कोई-न-कोई अपने लिये रोजगार पैदा कर देता था पर पिछले तीन सालों से हमने ट्रेनिंग कैम्प लगाने बन्द कर दिये। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जहां भी इच्छुक है कोई भी युवा या युवती, और किसी ट्रेड में वह प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो मेहरबानी करके उन कैम्पों के जरिये वापस आप उनको प्रशिक्षण देकर उनके हाथों में ऐसा कोई हुनर दे दो जिससे वह आने वाले कल में अपने लिये सम्मानजनक रोजगार पैदा कर सके।

अब एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कौशल शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं, अपनी ओर से बहुत कैंप लगवा रहे हैं, जगह-जगह सेंटर खुलवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि यदि किसी ने कौशल सीख लिया तो वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। हम कब तक सरकारी नौकरी देंगे और कितने बेरोजगार हैं हमारे पास, पर कौशल हुनर देना हमारे हाथ में है, उसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। माननीय सभापति महोदय, सरकार से बारबार आग्रह रहेगा और सरकार से बार-बार मांग रहेगी कि ट्रेनिंग कैंप के जरिये हम जितनी आबादी को कौशल शिक्षा का ज्ञान दे सकें, हमको देना चाहिए ताकि कम से कम आने वाले कल में वह सरकार का मोहताज नहीं रहे और अपने परिवार के लिए रोजगार पैदा कर सके।

माननीय सभापति महोदय, आज श्रम का भी विषय है पर माननीय श्रम मंत्री जी हैं नहीं। श्रम कल्याण की योजनाओं में आपको पता ही है, माननीय मंत्री महोदय ने एक बार नहीं कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि श्रम कल्याण की योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ, इस बात को स्वीकार किया। भ्रष्टाचार को खतम करने की जरूरत है योजना को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हमने उस भ्रष्टाचार के डर से योजनाओं में जितने भी आवेदन पड़े हैं उन आवेदनों को लंबित कर रखा है। चाहे किसी मजदूर की बेटी का ब्याह हो शुभ शक्ति में, कोई बच्चा-बच्ची पढ़ रहा है शिक्षा कौशल में, किसी की मृत्यु हो गई, मेरा आग्रह रहेगा कि जो श्रम कल्याण की

(श्री ज्ञानचंद पारख)

योजनाएं आपने लागू की हैं उनमें वाकई में कोई पात्र मजदूर है, आप पूरी जांच करो, जांच की मना नहीं है जांच होनी चाहिए, जो अपात्र व्यक्ति है, जो गलत व्यक्ति घुस गया है उसको नहीं मिलना चाहिए पर जो वाकई में निर्माण श्रमिक है, जो मजदूर है, सुबह से शाम तक मजदूरी करने के बाद ही परिवार का पूरा पेट नहीं पाल सकता, उसके कल्याण की जो योजना बनी है उस योजना को और आगे बढ़ाकर उस गरीब को आप लाभ दो जो उसका हकदार बनता है। गलत को काटो आप, बिलकुल मना नहीं है।

माननीय सभापति महोदय लास्ट एक मिनट। अंत में मैं आपसे वृद्धाश्रम की बात जरूर कहूंगा। पता नहीं आजकल के हमारे बच्चों को क्या हो गया, माता-पिता की पूरी सेवा नहीं करते। पहले हमारे समाज में ऐसी स्थिति नहीं थी पर आज जिस वृद्ध को देखोगे तो वो अपने बेटे बहू से प्रताड़ित नजर आयेगा और ऐसे में जगह-जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि वृद्धाश्रम के मामले में भी सरकार ने पहल की है और मैं विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उनका उदाहरण भी दूंगा। मेरी लास्ट बात है। जब पिछली बार मुख्य मंत्री थे, वो पाली आये थे और मैंने उनसे आग्रह किया। एक सभा में हम साथ बैठे थे। मैंने आग्रह किया कि पाली में इतना अच्छा वृद्धाश्रम है, आप पांच-दस मिनट का समय निकालकर उस वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर लें और माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे हां भी भर दी, शाम का एक समय ही तय हो गया। बीच में मैं मेरे घर आ गया तो बाद में कुछ लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री को कह दिया कि ये तो और विचारधारा के लोग हैं जो इस वृद्धाश्रम को चलाते हैं। पर मैं मुख्य मंत्री जी को विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझसे एक बार कमिटमेंट कर लिया, मेरे पास समय पर फोन आता है कि आपको वहां चलना है। मैंने कहा, साहब, बिलकुल तैयार हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, पर मैं आपको पांच मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, मेरे और प्रोग्राम हैं, उनके कोई उद्घाटन थे। मैंने कहा पांच मिनट ही मिल जाये बहुत हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी पांच मिनट के लिए वहां पधारे और एक घंटा रुके, उन्होंने दृश्य देखा तो उन्होंने एक-एक वृद्ध से बात की। अगला कार्यक्रम जो तय था, जहां भीड़ इकट्ठी हो गई, एक घंटे से भी ज्यादा समय दिया और जाते-जाते मुख्य मंत्री सहायता कोष से एक लाख रुपये की राशि पाली के वृद्धाश्रम को हाथों-हाथ दी। ये वृद्धाश्रम ऐसी चीज है,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आप भी जाओगे तो आपकी आंखें भर जाएंगी, इसलिए जो वृद्धाश्रम चलाते हैं उनको आप कितनी मदद कर सकते हो, वह करो।

पाली का एक आग्रह रहेगा कि पाली में वृद्धाश्रम के साथ-साथ लव कुश आश्रम की भी एक डिमांड आपके यहां आई हुई है, एक प्रार्थना-पत्र आया हुआ है, जहां वृद्ध होंगे वो छोटे बच्चों को पाल देंगे। आपके विभाग से जवाब आ गया कि पहले जो आपके अनाथालय हैं वो चलते नहीं हैं इसलिए इसका औचित्य क्या है? आपके अनाथालय नहीं चलते होंगे, वो विषय नहीं है। अगर कोई संस्था अनाथ बच्चों को पाल देती है, उनका पालन-पोषण करती है तो आपके लिए तो वो सहायक बन रही है और यह जोड़ी बैठ जायेगी, बूढ़े आदमी को भी बच्चे चाहिए और बच्चे को बूढ़ा चाहिए, ये जोड़ी बैठ जाएगी तो पाली में जो लव कुश आश्रम की एक डिमांड आपके पास आई हुई है, एक प्रार्थना-पत्र आपके पास आया हुआ है, उसको आप निकलवा कर वहां अनुमति दिलवा दें, स्वीकृति दिलवा दें, यही आपसे निवेदन है। आपने मुझे इतना समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव। श्री बलजीत जी (अनुपस्थित)। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमारी ग्रामीण सभ्यता की बुनियाद आदिवासियों ने रखी है, घने जंगल, पहाड़ उन सबके बीच में हमें खेती करना उन्होंने सिखाया है। उन्होंने ही जंगल साफ किये, वो जमीन तैयार की और आज जिस विकसित सभ्यता पर हम गर्व करते हैं उसकी बुनियाद उन्होंने रखी है। माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी भाइयों के पुरखे बहुत भोले थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हम ये रियासत अपने नाम करवा लें, ये जमीन हम अपने नाम करवा लें, हमेशा इस सोच में रहे कि ये जंगल तो हमारा ही है, ये पहाड़ हमारे ही हैं, कभी ये नहीं सोचा कि कल हमें इसका भी प्रमाण देना पड़ेगा कि इस जमीन का पट्टा कहां है। बाद में बहुत ही सभ्य लोग आये, वन कानून बनाये और जिन आदिवासियों के मां-बाप ने ये जंगल और पहाड़ बचा करके रखे थे, उन्हीं के वहां से बेदखल होने की नौबत आ गई।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि जब आदिवासियों ने अपने त्याग और बलिदान से

(श्री संयम लोढ़ा)

हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है, सम्पन्न किया है, सम्मानित किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वह घटना कि जब जंगल में राम भूखे थे तो वो एक आदिवासी महिला ही थी कि भगवान राम कहीं जहरीला फल नहीं खा लें, एक-एक फल जिसने पहले खुद चखा, खुद खाया और उसके बाद में भगवान राम को खाने के लिए दिया। हल्दीघाटी का वो इतिहास जिस पर पूरा भारतवर्ष गर्व करता है, कितने ही आदिवासियों ने अपने सीनों पर वो भाले खाये हैं, अपना खून बहाया है, उसके बाद में इतिहास की ये गौरव गाथा लिखी गई।

माननीय सभापति महोदय, अब हम आज की बात करें। अभी कुछ समय पहले जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के दौरे पर आए थे। उन्हें ऐसी पंचायतें भी मिलीं कि जहां उज्ज्वला योजना का एक भी कनेक्शन नहीं मिला। 1989 में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के खिलाफ अत्याचार रोकने का कानून आ गया, कितनी ही सरकारें अलग-अलग दलों की आई और गई, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के पुनर्वास की योजना के नियम नहीं बनाये गये और राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर अभी दो महीने पहले जबरदस्त फटकार लगाई कि आपने उसके रूल्स क्यों नहीं बनाये।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी व्यवस्था में, जनजाति व्यवस्था में हमारी ग्राम सभा सर्वोच्च है। वनाधिकार के पट्टे देने के मामले में ग्राम सभा ने जब प्रस्ताव भेज दिया तो किस आधार पर राजस्थान में 35 हजार दावे खारिज कर दिये गये? आप वापस उनको पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते थे और माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 2005 से पहले के कब्जे के वनाधिकार पत्र जारी करें और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आस-पड़ौस के मौखिक साक्ष्य के आधार पर भी आदिवासियों को वनाधिकार पत्र जारी किया जाये। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई, राजस्थान में सभी जगह पर यह प्रक्रिया फिर से की गई लेकिन नतीजा क्या निकला? वो ही हमारे फोरेस्ट के अधिकारी, वो ही मानसिकता, वो ही सोच, आसपास के लोगों से जा करके पूछना नहीं और उनके वनाधिकार के दावों को खारिज कर दिया।

(श्री संयम लोढ़ा)

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सभापति महोदय, 2013 का आपका वो अनुभव, आप हेलीकाप्टर में बैठ करके आये थे, वो लीलुड़ी बड़ली जहां सामंती राज के खिलाफ, ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ जो शुल्क लगाया गया था, सैकड़ों की संख्या में भीलों ने, आदिवासियों ने, गमेतियों ने अपना बलिदान किया था और आपकी मौजूदगी में उस स्मारक की आधारशिला रखी गई थी, क्या हुआ? आज हम बड़ी-बड़ी बातें जरूर करते हैं पर पांच साल जब आप राज में रहे, टेंडर हुए उस काम के, कार्यादेश हुए, उस काम को एक इंच आगे बढ़ाने का काम आपने नहीं किया, लीलुड़ी बड़ली, भूला के पास में।

माननीय सभापति महोदय, हम चाहे कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें करें, क्या हम राजस्थान के आदिवासी को पुलिस अत्याचार से मुक्त कर पाए हैं? आज भी आदिवासी एरिये के थानों के अंदर पुलिस के अधिकारियों में लगने की होड़ लगी रहती है, क्योंकि वहां आदिवासियों के मामलों को थाने से बाहर निपटाने में पैसा मिलता है,उनकी जमीनें बिकती हैं और पुलिस के अधिकारियों का पेट भरा जाता है।

सभापति महोदय, वह मौताणा, इस 70-75 साल की आजादी के बाद भी हम कहते हैं कि सभ्य हैं। क्या हम अपने आदिवासी भाइयों की वह मानसिकता बदल पाए? अपने भाई की मौत के ऊपर, उसकी लाश को घंटों रखकर, इस तरह से पैसा वसूल करने की सोच रखना अनैतिक है। हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना सीखना चाहिए। यह कोर्ट, अदालतें, न्याय व्यवस्था किसलिए कायम की गई हैं? चर्चा तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में हम इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, मैं क्या सरकार से पूछ सकता हूं कि एक आदिवासी बच्ची को तो आप 65 परसेंट पर स्कूटी देते हो और देवनारायण योजना में आप 50 परसेंट पर स्कूटी देते हो, यह फर्क आप किस आधार पर करते हैं? क्या आदिवासी बच्ची के 50 परसेंट और 65 परसेंट में अलग चश्मा लगता है? कोई अलग तरह का एग्जामिनर लगता है? कोई विशेष परीक्षा उनके लिए आयोजित होती है? मुझे बड़ा खेद है कि इतने अनुभवी लोग शासन में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी एक छोटे से निर्णय को करने में आपने एक साल का वक्त गुजार दिया।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 17 साल से जनजाति परामर्शदात्री कौंसिल बनी हुई है। आपने कितनी जगह जाकर के यह देखने का प्रयास किया कि आदिवासी किस स्थिति में खड़ा है? आदिवासी से मतलब सिर्फ जनजाति क्षेत्र का आदिवासी नहीं है। माडा का आदिवासी भी उसमें आएगा, बिखरी जनजाति का आदिवासी भी उसमें आएगा। जो लोग माडा में लाभान्वित नहीं हैं, जो बिखरी जनजाति में लाभान्वित नहीं हैं, उनकी स्थिति का अध्ययन कौन करेगा? वह पिछड़ते ही जा रहे हैं। उनको न तो कोचिंग की सुविधा है, उनको न एकलव्य आवासीय विद्यालय की सुविधा है, उनको न ही किसी विशेष तरह के प्रोत्साहन हैं। जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में 15 लाख आदिवासी निवास करते हैं। उनके क्या हालात हैं? जोधपुर संभाग के एक भील समुदाय के गजेटेड आफिसर का नाम सरकार बता दे। जोधपुर संभाग का सीधे आरएएस में आदिवासी समाज से एक अधिकारी निकला तो आप नाम बता दीजिए। हम इस 70 साल की गौरव गाथा को जब तक अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक नहीं ले जा सकेंगे, तब तक हमारे सारे दावे व्यर्थ हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मुझसे पूर्व एक वक्ता ने प्रधान मंत्री जी के कौशल विकास का जिक्र किया है। मैं ज्यादा लंबी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको एक स्टैंड अप इंडिया योजना का फीगर बता देता हूं जो एससी, एसटी और महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना के साथ लाई गई थी। इस योजनान्तर्गत 40 लाभार्थियों को कुल 136 करोड़ 42 लाख की स्वीकृति जारी की गई। 31 दिसम्बर, 2019 तक मात्र 12 करोड़ रुपये वितरित किए गए। बातें करना अलग है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सेन्टर स्पोंसर्ड स्कीम्स, जो यह राजस्थान सरकार ने खुद उपलब्ध कराई है, यह कहां कमजोरी आई है या आ रही है? मैं इस प्रदर्शन का दोष हमारे मंत्री महोदय को तो दूंगा नहीं क्योंकि सभी पूरे मन से, पूरी इच्छा शक्ति से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासियों और दलित समुदाय के लोगों को लाभ मिले लेकिन यह आंकड़ा कहीं न कहीं कमजोरी प्रदर्शित करता है।

(श्री संयम लोढ़ा)

यह जो बैंकिंग योजनाओं के अंदर आपने फीगर उपलब्ध करवाया है दिसम्बर 2019 तक का, आपका टार्गेट था 48547 और अचीवमेंट है 11785 का। वित्तीय लक्ष्य आपका 6248.70 लाख का था और उपलब्धि 1578 लाख है। इसी तरीके से महाविद्यालयी जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में आपने टार्गेट 27524 का निर्धारित किया था और आपका अचीवमेंट 2785 का है। वैरी सैड। कक्षा 11 एवं 12 की जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृति, टार्गेट आपने तय किया था 33292 का और आपकी उपलब्धियां दिसम्बर, 2019 तक मात्र 2172 हैं। महाविद्यालयी जनजाति विद्यार्थियों को कमरा किराया पुनर्भरण लक्ष्य तय किया 18750 और आपकी उपलब्धि दिसम्बर, 2019 तक मात्र 379 है।

इतना ही नहीं, 2017 में बीजेपी की सरकार तो घोषणा करके गई थी कि निजी मेडिकल कालेजों में आदिवासियों के बच्चों का प्रवेश होगा तो हम उन्हें विशेष स्कालरशिप देंगे, 2 साल राज रहा, यह तो भूल गए लेकिन अब पीएमटी, पीईटी, आईआईटी प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग, आपने लक्ष्य निर्धारित किया 342 का और उपलब्धियां मात्र 39 हैं। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय कि इन सब में आप पूरी इच्छा शक्ति और मन से लगें जिससे आने वाले वक्त में उपलब्धियों को अर्जित किया जा सके।

सभापति महोदय, जहां तक इस सरकार के बजट का सवाल है या पिछले बजट का सवाल है, We are outstanding in social security. राजस्थान की सरकार का हिन्दुस्तान की कोई सरकार मुकाबला नहीं कर सकती चाहे कितने ही संसाधनों की सीमा हो। पहले ही साल में समाज के हर तबके के लिहाज से जो वृद्धि, जो प्रोत्साहन यह सरकार लेकर के आई है, वह बेमिसाल है।

सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कुछ मामलों को लेकर आलोचना की। हो सकता है कि किन्हीं बिन्दुओं पर उपलब्धियों में लक्ष्य उस रूप में प्राप्त नहीं हो पाए हों लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का 2018-19 में क्या फीगर था? 5 लाख 2 हजार 274 लाभार्थी थे। मात्र एक साल में इस सरकार ने उस फीगर को 7 लाख 37 हजार 851 पर पहुंचा दिया। क्या रातों-रात पैदा कर दिए? यह जाहिर करता है कि किस प्रतिबद्धता के साथ में हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों ने काम किया है। जिन लोगों के गलत नाम काटे गए, जिन लोगों को किन्हीं कारणों से वंचित

(श्री संयम लोढ़ा)

किया गया, उन सारे लोगों को इस सरकार ने फिर से जोड़ा। करीब 2 लाख 30 हजार नए नाम जोड़ने का काम किया। यह कम उपलब्धि नहीं है।

सभापति महोदय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 2018-19 में आपका फीगर 2 लाख 33 हजार 409 था। इस सरकार ने दिसम्बर तक उस फीगर को 3 लाख 43 हजार 855 तक पहुंचाया है। यह विधवा पेंशन का है। इसका मतलब आपके राज में, पिछली सरकार के वक्त में विधवाएं भी दर-दर की ठोकरें खाती रहीं। अगर आपने सही तरीके से पेंशन स्कीम की मोनिटरिंग की होती और अपने प्रशासन को यह संकेत नहीं दिया होता कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है तो यह हालात नहीं होते।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, 2018-19 में लाभार्थी 19203 थे और इस साल 25702 हैं। कुछ तो काम किया ही होगा, नहीं तो यह फीगर कैसे बढ़ा?

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी को देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को देना चाहता हूं।

(18.00 बजे)

लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, 2 लाख 78 हजार 120 लोगों को यह प्रदान की गयी। उस सरकार की तरह से नहीं जो मात्र 500 रुपये महीना, दिन के मात्र 20 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम पर देकर पूरे हिन्दुस्तान के अंदर किसानों की मसीहा होने का दावा कर रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सहयोग एवं उपहार योजना, 2018-19 में 1487.25 करोड़ रुपये खर्च किये, इस साल दिसम्बर, 2019 तक 1649.28 करोड़ रुपये खर्च किये।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं हमारी सरकार की सबसे शानदार उपलब्धि बच्चों के लिये पालनहार योजना है। 2018-19 का फीगर है 3,13,220 और दिसम्बर 2019 तक इस सरकार का फीगर है 3,53,791, आप कितना ही यह कहें कि रिवाइज एस्टीमेट में अनुमान कम हो गया, प्रावधान में कमी कर दी। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि सामाजिक न्याय और लोगों के सुरक्षा के लिहाज से कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता देने में चाहे

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार के खजाने में कमी हो लेकिन गरीब आदमी के लिये सरकार का खजाना सदैव खुला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी, आप यहां पर मेरा मार्गदर्शन करना कि आपने जो प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है उसमें अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत व्यय, राज्य योजना का व्यय आपने दिया है, 62 हजार 17 करोड़ रुपये। अनुसूचित जाति उप योजना का आपने दिया है 385 करोड़, यह फीगर पिछली सरकार की तुलना में कम है। इसका क्या कारण है, वह आप अपने जवाब में स्पष्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता को पता चल सकेगा। इसका भी बताना कि सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स में जो केन्द्रीय सहायता मिलती है उसमें आपके प्रगति विवरण के मुताबिक 2018-19 में आपने कोई फीगर कोट नहीं किया है। 2019-20 में आपने 3,503 करोड़ रुपये कोट किया है और खर्चा 1,333 करोड़ रुपये बताया है तो क्या कारण है? भारत सरकार ने क्या आपको सहायता देने में विलम्ब किया, पैसा देने में विलम्ब किया?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम समाज में इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते हैं? चन्द्रगुप्त मौर्य की ताजपोशी का समय था तो एक समुदाय के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, यह पिछड़े वर्ग से आता है, यह शासक नहीं बन सकता तो चाणक्य ने कहा था, "जन्मना नहीं, कर्मणा", कर्म के आधार पर व्यक्ति माना जाएगा। महात्मा गांधी ने भी कहा था, "वैष्णव जन तो तेने कहिये, जो पीर पराई जाणे रे," लेकिन इसके बाद भी हम उस जाति, जन्म के आधार पर लोगों के शोषण और लोगों को छोटा समझने और लोगों को नीचा समझने की मानसिकता से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इसी सदन का एक वाकया याद दिलाऊंगा, अभी कुछ वक्ता जिक्र भी कर रहे थे नागौर की एक घटना का जिसमें अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया। इस सदन में बहुत जोरदार तरीके से मामला उठा लेकिन थानेदारजी जब मौके पर गये, चार लोग जो मौके पर थे, अपराध में शामिल थे, थानेदार मौके पर गया, एफआईआर लिखी उस थानेदार ने, उस

(श्री संयम लोढ़ा)

एफआईआर में उन चार लोगों के नाम नहीं लिखे और बाद में सरकार ने दावा किया कि हमने तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिन लोगों का एफआईआर में नाम नहीं लिखा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस आधार पर थानेदार को सस्पैंड नहीं करना चाहिये था कि वह मौके पर गया और उन चार लोगों के नाम नहीं लिखे? क्या उस एसपी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिये थी, जिसके थानेदार ने मौके पर उपयुक्त लोगों के नाम नहीं लिखे? बाद में डीवाईएसपी को जांच दी गयी, उसने बाकी के लोगों को गिरफ्तार किया तो क्या तो थानेदारजी कर रहे थे और क्या एसपी कर रहा था? क्या मौके पर लैप्स नहीं था?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इस मौके पर कि इस सरकार को लाखों की संख्या में दलित और आदिवासी लोगों ने वोट दिये हैं। उसको महसूस होना चाहिये कि यह सरकार उसकी है, इस सरकार में उसकी भागीदारी है, आज भी उसके साथ में इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं कि सामाजिक समारोह में दलित, आदिवासी समाज के आदमी को नीचे बैठना पड़ता है, आज भी उनका बच्चा घोड़ी पर बैठकर शादी करना चाहता है तो उसको घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके गांव में ग्राम सेवक बैठा हुआ है आपके पटवारी बैठा हुआ है, आरआई बैठा हुआ है, जब तक आप यह आदेश जारी नहीं करेंगे कि किसी के भी हलके में ऐसी घटना हो गयी तो ग्राम सेवक, पटवारी, बीटकर्मी जो बीट का कांस्टेबल है, तुरंत घर भेज दिया जाएगा, तुरंत सस्पैंड होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सख्ती दिखाइये, अगले दिन से ही ये अत्याचार बंद होते हैं या नहीं होते हैं, आप देख लेना। माननीय सभापति महोदय, हम लोग वोट की राजनीति से डरते हैं, इसमें भी वोट को हम देखते हैं, अपराधी किस समुदाय का है, उस समुदाय के लोग राज़ी होंगे या नाराज होंगे, इसके आधार पर हम अपराधों को तय करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं और आपसे भी विनती करना चाहता हूं आपके एरिये में ज्यादातर क्राइम एससी का एसटी के खिलाफ होता है। क्या सहायता देते हो? एट्रोसिटी

(श्री संयम लोढ़ा)
एक्ट में तो आप सहायता दे नहीं सकते, किसमें सहायता देते हो उनको? मैं आपसे विनती करूंगा कि पीड़ित प्रतिकर योजना बनी हुई है, इसका कलेक्टर को अध्यक्ष बना रखा है, ऐसे मामले जिनमें आदिवासी के खिलाफ आदिवासी ने अपराध किया है, आदिवासी को शारीरिक क्षति पहुंची है, आर्थिक क्षति पहुंची है, इसमें प्रावधान में शामिल कीजिये और आदिवासी समुदाय को पीड़ित प्रतिकर योजना में लाभ दिलाइये। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री मेवारामजी। कृपया सभी माननीय सदस्य समय का ध्यान दें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, क्या यह मेरे लिये ही लागू होगा?

श्री सभापति: खूब बोलें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 पर चर्चा हो रही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पर। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरी विस्तृत रूप से बात रखी कि किस तरह से देश आजाद हुआ और जो संविधान बना, संविधान इसलिये बना कि ऊंच-नीच, गरीब-अमीर, सबको समानता का अधिकार हो, यह हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस संविधान को रचा और उसी के तहत आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में भी जो बाबा साहेब की इच्छा थी और ये सारे एक समाज की जो नीति आज तक प्रयास होने के बाद भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पायी। आज भी कह रहे हैं कि 29 परसेंट आबादी को एक टाइम भोजन मिल रहा है, गरीब लोग जिनको रहने के लिये मकान नहीं है, जोतने के लिये जमीन नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में 8500 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान रखा है। इसमें विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, असहाय और गरीब जो अपना पेट पाल नहीं सकता उसके लिये हमारी सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को किस तरह से मदद मिले, इसका पूरा प्रयास किया। चाहे पेंशन में बढ़ोतरी करने की बात करो, पालनहार योजना की बात करो, हथलेवा योजना की बात करो, अभी

(श्री मेवाराम जैन)

सारी बातें बतायीं, किस तरह से हमने इनमें बढ़ोतरी की। किस तरह से वे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह योजना जिनके लिए बनी है, उसका लाभ उन्हें मिले। चाहे आरक्षण की बात करें, नौकरी की बात करें, जितनी भी ये योजनाएं हैं, उनका आम आदमी को लाभ कैसे मिले, इस पर पूरा ध्यान सरकार दे रही है और देना भी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज समाज कल्याण छात्रावास हैं, उनमें जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां एक अच्छा भवन हो। आजकल टूटे हुए भवनों की रिपेयर की प्राब्लम चल रही है। उसमें फर्नीचर की बात हो, अच्छा खाना हो, बच्चों के लिए वहां अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे दे सकें और वहां जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति हो, आईआईटी हो या पीएमटी हो या जितने भी छात्र हों, उन्हें किस तरह से छात्रवृत्ति मिले, किस तरह से जो गरीब परिवार से हैं, उन्हें कैसे ऊंचा उठाया जाए, यह प्रयास सरकार के रहे हैं।

आज एक रुपये किलो गेहूं, आज जिस तरह से जो हालात हैं, हम कह रहे हैं 29 परसेंट परिवारों को एक समय का भोजन नहीं मिल रहा है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक रुपये किलो गेहूं दे करके यह संदेश देना चाहा कि आम आदमी को किस तरह से लाभ मिल सके और उसके साथ-साथ आज आवश्यकता है, चाहे मुख्य मंत्री आवास योजना हो, प्रधान मंत्री आवास योजना हो, उसके अंदर भी आज ऐसे कई परिवार हैं, जिनका वह आवास नहीं बन रहा है, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। या तो वे गोचर में बैठे हैं या आगोर में बैठे हैं या वन विभाग की जमीन में बैठे हैं, उनके लिए आवास नहीं बन रहे हैं। आवश्यकता है इसमें या तो संशोधन करें या उन्हें शिफ्ट करें। जो आवास योजना है, इसके लिए हमें करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एसटी के लिए आरक्षण है और जिस तरह से हमारा एरिया, चाहे जोधपुर डिवीजन करें, बीकानेर करें, इस एरिया में जो एससी के लोग हैं, इसमें इस आरक्षण का लाभ उन्हें कतई नहीं मिल रहा है। इसका कारण है, आप देख लें, उस भर्ती की कैलकुलेशन निकाल लें। पुलिस की भर्ती हुई, अगर पांच सौ की भर्ती हुई तो उसमें दो या चार लड़के भी नहीं मिलते। हमारे जो गरीब परिवार हैं, भील

(श्री मेवाराम जैन)

परिवार हैं, उनके बच्चों का सलेक्शन उसमें नहीं हो रहा है और उसमें जो इस साइड के हैं दूसरे लोग, उनको मिल जाता है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि उनके लिए या तो उसमें से कोई अलग परसेंटेज फिक्स कर लें कि कैसे उनको लाभ मिले।

और तो और, अब एसटी के लिए कृषि कनेक्शन भी प्राथमिकता से मिलता है। एसटी के लिए वह कनेक्शन भी वहां नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं सरकार से चाहूंगा कि कम से कम एसटी को कृषि कनेक्शन में तो प्राथमिकता दें ताकि वे कृषि करके अपना पेट पाल सकें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं का आम आदमी को किस तरह से हम लाभ दे सकें, इसके लिए जो वृद्धावस्था पेंशन है, अब साढ़े सात सौ और पांच सौ रुपये से कुछ नहीं होना, एक विधवा कैसे अपना पेट पाल सकेगी? इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी, वे बहुत दयालु हैं और मैं तो चाहूंगा कि इसमें उनकी पेंशन बढ़ायी जाए।

पालनहार योजना में वह बच्चा, जिसके मां-बाप नहीं है, 1500 रुपये में कैसे उसका पालन हो सकता है? मैं चाहूंगा कि इसके अंदर भी राशि बढ़ायी जाए ताकि वह अपना पेट पाल सके। सभापति महोदय, चाहे विकलांगों की बात करें, चाहे भिक्षावृत्ति की बात करें, हम चाहते हैं कि भिक्षावृत्ति खतम हो। सरकार भी चाह रही है कि कोई भी यहां भिक्षा मांगने वाला नहीं हो। उसके लिए योजना भी बनी है और हम चाहेंगे कि वह सख्ती से लागू हो और उसका लाभ मिले।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने सभी, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इन सबमें, जिस तरह से इन्होंने जो अव्यावहारिक शर्तें थीं, उनको हटाया और किस तरह से उन्हें इसका लाभ मिले, इसका भी सरकार ने प्रयास किया। इसके साथ-साथ सरकार ने आर्थिक पिछड़ा बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा है कि एक गरीब को किस तरह से हम लाभ दे सकें, उसका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठा सकें, यह सरकार का प्रयास है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अपराधियों की बात की जा रही है, एससी-एसटी के मुकदमों की बात की जा रही है, मैं एक ही उदाहरण की बात करूंगा कि कोई

(श्री मेवाराम जैन)

भी मुकदमा हो गया तो उसमें उस गरीब को न्याय कैसे मिले। पहल तो हमारी यही होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई अन्याय कर रहा है, वह छूटे नहीं, राजनीति नहीं हो और उसे लाभ कैसे मिले। यह प्रयास होना चाहिए, परंतु उसमें भी राजनीति हो रही है। आज जगह-जगह आप देख रहे हैं, टीवी चैनल, अख़बार, सारे उसमें एक ही चीज से भरे हुए हैं, जबकि यह कोई नहीं सुझाव देता कि इसके लिए कोई ऐसी नीति बने, जिस परिवार के साथ ज्यादती हो, उसे न्याय मिले, मुआवजा मिले। उस व्यक्ति का परिवार कैसे अपना जीवन पाल सके, उसके लिए कैसे व्यवस्था हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए।

आप बाड़मेर गये। एक बाड़मेर प्रकरण हुआ, वहां गये और क्या स्टेटमेंट दिया? मतलब मुझे सुनकर दु:ख हो रहा है कि वहां जाकर कहा कि परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि आप मुकदमा वापस लें। उन्हें डर है कि आपको खतम कर देंगे। मतलब इस तरह की बात करना, उनको जाकर सहायता देने की बात तो अलग कि आप गये देखने, सांत्वना दें, उनके लिए जाकर कुछ पैसे दें कि आप गरीब हैं तो उसको कुछ न कुछ सहायता दें, उसकी बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति और उकसाने की बात। यह हमें खतम करना पड़ेगा। किस तरह से गरीब को न्याय मिले, इसमें हम प्रयास करें।

अंत में यही कहूंगा कि आज के इस विभाग में बहुत कुछ गुंजाइश है और बहुत कुछ करने की भी आवश्यकता है कि हम इसमें किस तरह से गरीब आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 30 और 33 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, देश आजाद होने से पहले समाज बंटा हुआ था अलग-अलग जातियों में। उस समय इस तरह से लोगों को बांट दिया जाता था कि जिसका पिता जो काम करता है, वही काम उसके बेटे को करना पड़ेगा और इस तरह से समाज में बहुत गहरी खाई थी। मेरा यह मानना है, अगर उस वक्त समाज यूं बंटा हुआ नहीं होता तो हमारे माथे पर एक कालिख है और हमें फील होता है

(श्री बलजीत यादव)

कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की गुलामी जो सही, शायद वह हमें सहनी नहीं पड़ती।

जब प्लासी में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ ईस्ट इण्डिया कम्पनी का, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेना ने युद्ध लड़ा तो जो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात हुआ, वह तो एक अलग चीज है, लेकिन जितने लोग युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों के साथ, उससे कितने ही ज्यादा लोग बाहर इस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। वे भारत के लोग ही थे, भारत के लोग ही अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहे थे लेकिन चूंकि समाज को बांटकर रखा गया था कि जो क्षत्रिय है वही युद्ध करेगा, दूसरे लोगों का यह काम नहीं है तो उन लोगों ने उस युद्ध में भाग नहीं लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि जो अंग्रेज सेना थी, वह सिराजुद्दोला की सेना से जीत गई। वहीं से अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा, अंग्रेजों को लगा कि भारत के अन्दर लोग जातियों में बंटे हुए हैं, भारत के लोगों को हराया जा सकता है और ऐसे वहां से शुरुआत हुई। मैं समझता हूं कि अगर सिराजुद्दोला के वक्त जनता एकजुट होती तो अंग्रेजों के कदम हमारे यहां पर नहीं पड़ते और अंग्रेजों की जो गुलामी हमारे पूर्वजों ने सही वह हमें नहीं सहनी पड़ती। शायद इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब देश आजाद हुआ तो हमारे जो भी वहां उस वक्त के नेता थे, संविधान निर्माता थे, उन सबने इस बात को शायद महसूस किया और इस बात को महसूस करते हुए जो कमजोर जातियां थीं, तबका था उनको कैसे लाया जाए, कैसे बराबर में लाया जाए, कैसे इस खाई को पाटा जाए और हिन्दुस्तान की 36 बिरादरी के सभी लोग बराबर समान रूप से कैसे रहें, इस बात के लिए शायद यह व्यवस्था की गई, सामाजिक सुरक्षा दी गई उन जातियों को जो उस वक्त उपेक्षित महसूस की जा रही थी। आजादी के बाद इतना समय होने के बाद फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आज भी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत से लोगों को वह सुरक्षा नहीं मिल पा रही है।

मैं अभी हमारे सभी माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था और सुनकर मैंने महसूस किया कि आज भी वहीं लोग, बहुत से लोग करने जा रहे हैं, समाज को जातियों में बांटते जा रहे हैं। कोई कह रहा है सामाजिक सुरक्षा मेरी जाति की हो, कोई कह रहा है मेरी जाति की हो। मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा 36 बिरादरी की जातियों की होनी चाहिए। हिन्दुस्तान की

(श्री बलजीत यादव)

जनता में जो भी उपेक्षित है, कमजोर है, दबा है, कुचला है, उन सबकी होनी चाहिए और वह किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। ऐसी विस्तृत सोच और ऐसी दूरदृष्टि हम सबको रखनी पड़ेगी। हम यहां पर वे लोग हैं जो नीतियां बनाते हैं, जो लोग कानून बनाते हैं, मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को बड़ा दिल रखते हुए, बड़ी सोच रखते हुए हम सबको अपनी बात रखनी चाहिए न कि सिर्फ शार्ट कट रास्ते से लाभ कैसे प्राप्त हो, ऐसी बात यहां पर कही जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर बात रखी कि हमारे एसटी, एससी के लोगों को अभी भी लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सहमत हूं, बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं बेझिझक इस सदन में कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो मेरे गांव में गरीब था वह पहले भी जूती गांठने का काम करता था, उसका पिता मजदूरी करता था वह आज भी कर रहा है। यह सोचने की जरूरत है कि एक कलेक्टर बन जाता है, उसी के घर में एससी के कलेक्टर बन रहे हैं, उसी के एसटी में आईएएस बन रहे हैं, उसी के घर में आईपीएस बन रहे हैं लेकिन जो एक गरीब मजदूर था, एससी का गरीब था, आज भी उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था बने, वो सब भी लाभ लें। मैं किसी का छीनना नहीं चाहता, मैं कोई उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मेरी यह इच्छा है कि जो दबा, कुचला आदमी है उसको लाभ मिले। एक तो चीफ सैक्रेटरी बन जाता है, उसके बेटे को भी आप आरक्षण दे रहे हो और जो मेरे गांव का गरीब हरिजन है उसको भी आरक्षण दे रहे हो तो वह उसका कैसे मुकाबला करे। वह चीफ सैक्रेटरी का बच्चा तो बड़ी-बड़ी अच्छी कोचिंग में पढ़ता है, उसको तमाम तरह की फैसेलिटी होती है लेकिन मेरे गांव के उस गरीब बच्चे को वह सुविधाएं नहीं होती हैं इसलिए उसको जरूरत है सामाजिक सुरक्षा की कि उसको आगे कैसे लाया जाए। मैं समझता हूं कि उसको आगे लाने की दिशा में भी सरकारें काम करेंगी।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जो अन्य स्टेट की युवतियां राजस्थान के किसी युवा से शादी कर लेती हैं तो उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाते हैं। यह बताइये कि अगर कोई युवती यहां पर शादी करती है राजस्थान के युवा से तो क्या उसकी जाति बदल जाती है? क्या उस युवती के साथ इसलिए अन्याय किया जाएगा कि उसने यहां क्यों शादी की? क्या उस शरीफ

(श्री बलजीत यादव)

लड़की, जिसके माता-पिता ने योग्य लड़का देखकर उसकी शादी कर दी, अब वह अपना कैरिअर बनाना चाहती है राजस्थान में तो आप उसको इसलिए बाहर रखना चाहते हो कि आपने राजस्थान के लड़के से क्यों शादी की? सभापति महोदय, कुछ नहीं करना है, मेरी यह पीड़ा कई बार रहती है, कुछ लोग समझ सकते हैं कि मैं किन्हीं का विरोध करता हूं पर मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, मुझे तो समाज में जो चीजें गलत लगती हैं उन चीजों को रखना चाहता हूं। कुछ नहीं करना है, बार-बार मैं यहां पर बोल चुका हूं, मुझे नहीं पता कि सरकार को क्या प्राब्लम है, सरकार को सिर्फ एक बार कैबिनेट में पास करवाकर उसको नियम में डलवाना है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी की हैं और दूसरे स्टेट में भी अगर उसको लाभ मिल रहा है तो यहां भी मिल जाएगा लेकिन सरकार नहीं करना चाहती। तरह-तरह के बिल आते हैं, चाहे जरूरत है या नहीं है फिर भी बिल आते हैं, लेकिन कितने बड़े लोगों के साथ, कितनी तादाद के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। सलैक्शन हो जाता है, किसी की नौकरी लग जाती है इस जमाने में और नौकरी लगने के बाद उसका प्रमाण पत्र नहीं बनता, उसको वंचित कर दिया जाता है। अभी पंचायत के चुनाव हुए कहा कि जिसका प्रमाण पत्र पहले बना हुआ है, जो हरियाणा की युवती ने शादी की, उसका बना हुआ है उसको लाभ मिलेगा, लड़ सकती है लेकिन अभी शादी की है उसको लाभ नहीं मिलेगा। यह कैसा कानून है? यह कैसा न्याय है? मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी बातों को गम्भीरता से ले और ऐसी चीजों में रूचि लेकर सुधार करे तथा उन लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा दे।

तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ तब एससी, एसटी के हमारे भाई लोग थे, वे कमजोर थे। हो सकता है यह डर था संविधान निर्माताओं को कि इनकी जमीन को कोई हड़प न ले, कोई छीन न ले। वह उस वक्त की परिस्थिति थी पर सभापति महोदय, आज 70 साल से ज्यादा हो गये, आज भी एससी, एसटी का जो व्यक्ति है उसकी जमीन एक लाख रुपये बीघा में बिकती है और उसके पड़ौस में ही दूसरी जाति के भाई की जमीन है वह बिकती है चार लाख रुपये प्रति बीघा में। मैं चाहता हूं कि उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों। आज कानून व्यवस्था सुदृढ़ है तो वह रखिये, किसी की जमीन कोई नहीं हड़प सकता लेकिन वह अपनी जमीन को बेचता है एक लाख रुपये में और दूसरे की चार लाख में बिकती है। सभापति महोदय, ऐसा-ऐसा चल रहा है कि बड़ी तादाद में एससी, एससी की जमीन को कम्पनियों के

(श्री बलजीत यादव)

नाम से सस्ते दामों में और फिर वहां पर आपकी जमीन जैसे एक्वायर होने वाली है, कोई रीको में जाने वाली है उसको वे बेचकर दिल्ली, मुम्बई के बड़े-बड़े धन्ना-सेठ उसकी जमीन का प्रोफिट लूटकर ले जाते हैं तथा भारी मुआवजा ले जाते हैं। उसको चीज को करके वे कोई कालोनी काट देते हैं। उसने एससी वाले से लाख रुपये में ली और कालोनी काटकर उसको बीस लाख रुपये बीघा में बेच देता है। मैं कहना चाहता हूं कि एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है कि आज की परिस्थितियां बदल गई हैं तो उसके साथ अन्याय न हो, वह भेदभाव न हो।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय। इसलिए यह विचार करने की जरूरत है।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि देखिये अभी भी समाज के अन्दर बहुत से लोग हैं उनके साथ ठीक से न्याय नहीं हो पा रहा है। जैसे मुझसे पहले हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि विकलांग जो व्यक्ति है उसको हम स्कूटी देना चाहते हैं तो उसमें तरह-तरह की रूकावटें हैं। एमएलए लैड से देना चाहते हैं, जैसे भी दो तो इसके लिए सरकार इसमें व्यवस्था करे। जो गरीब का, गांव का बच्चा है, जो बेचारा बाहर पढ़ता है उनको आप होस्टलों में रखते हो, उन होस्टलों की क्या हालत है, कैसे हैं? बजट भी जा रहा है तो कोई खा रहे हैं, कोई कमा रहे हैं लेकिन उसके लाभ मिल नहीं पा रहे हैं और वे सलेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। आप अगर उनका रेशो देखते हैं तो जिस प्रतिशत में खर्चा कर रहे हो उसका रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे कि हमारी मन्शा अगर साफ है, हम चाहते हैं कि दबा, कुचला व्यक्ति आगे आए, बराबर खड़ा हो तो ठीक से उसकी मोनिटरिंग होनी चाहिए कि जो पैसा जाए, उसका लाभ मिले। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: बलजीत जी, समाप्त करें। श्रीमती अनिता जी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे मांग संख्या 30 और 33 पर बोलने का अवसर दिया। निश्चित रूप से भारतीय समाज की जाति व्यवस्था ने भारत को बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों में डाला और इसी बात का विचार करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक अलग व्यवस्था की कि किस तरह से भारतीय समाज को एकरस किया जाए, इसमें समानता स्थापित की जाए क्योंकि वे पक्के

(श्रीमती अनिता भदेल)

राष्ट्रभक्त थे और वे चाहते थे कि यह हिन्दुस्तान कैसे आगे बढ़े। हिन्दुस्तान तभी आगे बढ़ सकता है जब यहां का अनुसूचित जाति और जनजाति का समाज है वह आगे बढ़े। उसी नाते से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इन दो उद्देश्यों को लेकर इसका गठन हुआ। सामाजिक न्याय वंचित लोगों को मिले और उन वर्गों का सशक्तिकरण भी हो, इस लक्ष्य को हमें हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद हासिल करना था, लेकिन आज भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल कतई नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों जितनी घटनाएं हुई हैं वे दर्शाती हैं कि आज भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग किस तरह से सहमे हुए और दबे हुए से रहते हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों के बावजूद भी उनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो उदाहरण देकर आपको निवेदन करना चाहूंगी। वे दो उदाहरण क्या हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करती हूं कि 2019-20 में अनुसूचित जाति की जो बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं के ऊपर, स्कूलों में और छात्रावासों में बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। ऐसी 20 बलात्कार की घटनाएं एक साल में हुई हैं। वह बच्ची जो किसी तरह से हिम्मत करके पढ़ने के लिए तैयार होती है और जब वह पढ़ने स्कूल में जाती है। उसके साथ ऐसी घटना कारित हो जाए तो कैसे वे अभिभावक उसको इजाजत देंगे और कैसे वह दुबारा हिम्मत करेगी कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल में जाऊं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि नौकरियों में आरक्षण के कारण से, जिस समुदाय को नौकरियों में आरक्षण मिला। वह आगे बढ़ा और उनके बच्चे शैक्षिक रूप से अच्छी कंडीशन्स में अच्छी कोचिंग क्लासेज में प्रवेश लेते हैं लेकिन जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, ये वे लोग हैं जो शिक्षा से आज भी दूर हैं क्योंकि, आरक्षण तो उसी को मिल सकता है जो शिक्षित होगा जब शिक्षित ही नहीं होगा तो उसको आरक्षण लाभ मिल ही नहीं सकता है इसलिए इन 70 सालों में इस वर्ग के सिर्फ 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत लोगों ने ही अभी तक आरक्षण का लाभ लिया है। अभी भी 70 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया क्योंकि, वे शिक्षा से वंचित हैं। यदि वे शिक्षित भी हो रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, जैसा कहा गया है, जब शिक्षित होता है और वह वर्किंग

(श्रीमती अनिता भदेल)

कंडीशन्स में किसी तरह से पढ़ता है तो उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह बच्चा मैरिटोरियस बने। जब वह मैरिटोरियस नहीं होता है तो उसके मन में कुंठा आती है क्योंकि, सामाजिक समरसता के लिए यह कानून बनाया गया। ये संवैधानिक प्रोविजन सामाजिक समरसता के लिए किये गये थे लेकिन, आज वे ही प्रोविजन उसके लिए दु:खदायी बनते हैं। वह जब पढ़ने जाता है तो उसको कहते हैं, कहां जाता है रे, तुम तो एससी के लोग हो, तुम्हारा तो ऐसे ही सलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें मेहनत करने की क्या जरूरत है। जब ये शब्द वह सुनता है तो उसके दिल में बिलकुल तीर के जैसे बात लगती है कि मुझे क्या सुना रहा है तो कई बार उसको घृणा होती है। आज भी उसको यह कहकर जलील किया जाता है कि तुम्हारा सलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। तुमको क्या जरूरत है पढ़ने की, तुमको मैरिटोरियस आने की क्या जरूरत है। इसीलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय को कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी जो लोग वंचित हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, उस विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान की सबसे बड़ी वाल्मीकि बस्ती है और उस वाल्मीकि बस्ती में, मैं गिनती के चार-पांच नाम बता सकती हूं, जिन परिवारों में पढ़े-लिखे लोग हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की है। बाकी आज भी उन परिवारों में ग्रेजुएशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। वे दसवीं, बारहवीं कर लें तो उनको लगता है कि हमने ठीक ठाक सी शिक्षा प्राप्त कर ली। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि वाल्मीकि समाज के लिए, एससी में सारी जातियां आ जाती हैं लेकिन, यह जो वाल्मीकि समाज है, इस वाल्मीकि समाज के लिए स्पेशली कुछ अलग प्रकार की योजनाएं लेकर के आएंगे। जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय 2008-13 के बीच में अवैध शराब बनाने वालों के लिए नवजीवन योजना लेकर के आए, निश्चित रूप से यह बहुत अच्छी योजना है, ज्ञान जी ने भी इसका जिक्र किया और जो सुझाव उन्होंने दिया है। वह सुझाव मैं रिपीट नहीं करूंगी, परंतु मैं उनके समर्थन में यह बात जरूर कहूंगी कि भौतिक डवलपमेंट तो हो जाएगा, सड़क, नाली सब कुछ बन जाएगी, पर शिक्षा से किसी तरह उन परिवारों को जोड़ दिया जाए तो फिर आपको उनको दुबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसी प्रकार से वाल्मीकि समाज, चूंकि वाल्मीकि समाज सफाई के काम से जुड़ा होता है और सफाई के काम से जुड़े होने के कारण से, अभी चूंकि पिछली सरकार ने, माननीय वसुन्धरा जी ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती की। उन भर्तियों में 70 प्रतिशत तो वाल्मीकि समाज के लोग आए और 30 प्रतिशत लोग अदर्स समाज के लोग भी आ गये। चूंकि, संवैधानिक प्रोविजन है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं पर बाकी समाज भी बहुत बड़ी तादाद में रहता है। आज भी उसको किसी के घर में प्रवेश नहीं दिया जाता सफाई के लिए, वह घर में प्रवेश करके खाना नहीं बना सकती, वह बर्तन साफ नहीं कर सकती, सिर्फ सफाई के लिए उसको काम दिया जाता है। इसलिए और कोई काम बचा नहीं है। प्राइवेट में जिस तरह से शोषण होता है, ठेकेदारी प्रथा में वह आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 10 हजार पर साइन करवाया जाता है और दिया जाता है 7 हजार या 6 हजार रुपये। इसलिए मेरा निवेदन है कि वाल्मीकि समाज के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं, जैसे नवजीवन योजना माननीय मुख्य मंत्री जी लेकर आये हैं, उस प्रकार की कोई योजना आप लेकर के आएं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहूंगी कि हमने जब पालनहार योजना शुरू की थी। हमारे बारां से आने वाले जो माननीय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने यह पालनहार योजना प्रारम्भ की। यह पालनहार योजना में अनाथ बच्चों को 1000 रुपया मिलता है। एक तरफ तो हम आवासीय विद्यालयों में ढाई हजार रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम एक हजार रुपये दे रहे हैं। उन बच्चों को दे रहे हैं, जो अनाथ हैं तो ऐसे अनाथ बच्चे जिनको ज्यादा आवश्यकता है तो कम से कम हम उसको बढ़ा नहीं सकते तो उसको इक्वल कर दे, कम से कम इनको हम ढाई हजार रुपये दे दें ताकि जो उसका पालक है, जो उसको पाल रहा है, वे भी उसकी अच्छे से देखरेख कर सकें और उसकी व्यवस्था कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगी चूंकि यह बहुत अच्छी योजना थी, मिड-डे मील वाली। माननीय अशोक गहलोत जी ने उस समय गेहूं की घूघरी बांटना शुरू किया था 1998 के समय में। जब वसुन्धरा जी आई तो उन्होंने पलटकर के इसको दोपहर भोजन नाम दिया और मिड-डे मील की व्यवस्था की। उसमें सब प्रकार का भोजन मिलना चाहिए। अब ये मिड-डे मील की व्यवस्था क्यों की गई ताकि शिक्षा में हमारे अनुसूचित

(श्रीमती अनिता भदेल)

जाति, जनजाति के बच्चों का ठहराव सुनिश्चित हो सके और वे स्कूलों में रूककर, पढ़ाई का काम अपना पूरा कर सके पर, ये मिड-डे मील की व्यवस्था के लिए जिन रसोइयों को आपने लगा रखा है। अभी ज्ञान जी भाई साहब ठीक कह रहे थे। उन्होंने राहु ल जी का उदाहरण दिया कि वे 6 हजार रुपये प्रतिमाह देना चाह रहे थे और हम अभी क्या दे रहे हैं। हम उनको दे रहे है 1320 रुपये। उसमें उनको बनाना भी है और वितरण भी करना है। यदि विद्यालय में 500 की संख्या है तो 500 के लिए उनको खाना बनाना भी है और वितरण भी करना है। यह तो पूरे दिन का काम हो गया। ऐसे में 1300 रुपये में उनकी कैसे गृहस्थी चलने वाली है। चूंकि, इसमें भी गरीब और विधवा महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं माननीय मंत्री महोदय। वे भी अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की ज्यादा महिलाएं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन रसोइयों का मानदेय भी आपको बढ़ाना चाहिए।

एक और निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने महिला कल्याण कोष की राशि को एक हजार करोड़ रुपये बढ़ाया है, अच्छी बात है पर, अभी मैं कुछ सारणियां देख रही थी, संयम जी, जो सिरोही से आते हैं, उन्होंने उल्लेख किया, जिन चीजों में राज्य सरकार की परफोरमेंस अच्छी है, उनका तो उन्होंने उल्लेख किया, पर जिन चीजों में परफोरमेंस अच्छी नहीं है, उनके बारे में वे गोल कर गये। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, यह मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से इस बात के लिए हम कह सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी की वर्कर्स जो मानदेय कर्मचारी हैं, वे भी अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग से ही आती हैं। ये जो आंगनबाड़ी की वर्कर्स हैं ये जीवन भर 60 साल की उम्र तक मानदेय सेवा में रहती हैं और 60 साल बाद में जब ये मानदेय सेवा से हटती हैं तो उनको 10 हजार रुपये बीमा की राशि दी जाती है। यह प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने गलत उत्तर बताया, उसको मैं..

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह महिला बाल विकास का है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ये सामाजिक सेवाओं में ही है। चूंकि आप बैठे हैं, वे बैठी नहीं हैं। इसलिए आपको ही निवेदन करूंगी,

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय मंत्री महोदय। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रही हूं यह जो योजना है 2006-07 से शुरू है। ये 6 साल से लगातार जारी है। इसमें कोई रूकावट कभी बीच में आई नहीं। माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी थीं, उन्होंने जो अंशदान की राशि, जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं जमा कराती थीं, उस अंशदान की राशि को खतम करके, उन्होंने कहा कि यह अंशदान की राशि भी सरकार जमा कराएगी और सरकार अंशदान की राशि जमा कराने लगी, लेकिन हो क्या रहा है। अब व्यावहारिक कठिनाई क्या है कि जो हमारे सीडीपीओज हैं, जो बाल विकास अधिकारी हैं। उन्होंने ठीक समय पर उनके प्रीमियम की राशि जमा नहीं कराई, पुरानी वाली योजनाओं में और इस वजह से उनको जो 10 हजार रुपया मिलना है, वह 10 हजार रुपये भी उनको नहीं मिलते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उन्होंने जमा कराया है वह और 10 हजार रुपये अलग, वह मिलना होता है। वह भी उनको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये एक हजार करोड़ रुपया, जो महिला कल्याण कोष में डाला है। मैं क्या समझूं, क्या हमारी जो कार्मिक हैं, उनको जो मिलने वाली राशि है, वह राशि उन सबको इस साल में पूरी मिल जाएगी क्या? मैं ऐसा मानूं तो मुझे लगेगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह काम अच्छा किया है।

माननीय सभापति महोदय, यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता, यह तो आपसे ही संबंधित है। अनुप्रति योजना के बारे में, आपको बहुत अच्छे से ज्ञान है। योजना क्या है, इसके बारे में मुझे नहीं बताना है। अब आप देखिए, 2016-17 में 208 लोगों को लाभान्वित किया, 55 लाख रुपये इसमें व्यय हुआ। 2017-18 में 67 लोगों को लाभान्वित किया, 17 लाख उस पर खर्च हुए। 2018-19 में 54 लोगों को लाभान्वित किया, 14 लाख रुपये इस पर खर्च हुए और 2019-20 में क्या हुआ? एकदम यह घट गया 54 से कितना आ गया? 38 आ गया और उसमें सिर्फ 11 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है तो एक बार दिखाएं क्योंकि हम तो कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में एससी/एसटी के लोग जाएं तो यदि इन योजनाओं का लाभ वे प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से जा पाएंगे, नहीं तो सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक सहयोग और उपहार योजना है। अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके बारे में जिक्र

(श्रीमती अनिता भदेल)

किया। हथलेवा योजना के बारे में आपने डिटेल से वर्णन भी किया। वास्तव में यह सब जगह कंफ्यूजन है कि हथलेवा योजना लांच होगी तो क्या यह योजना बंद हो जाएगी और यदि यह योजना बंद होगी तो फिर नुकसान होने वाला है। उन विधवा परिवारों की महिलाओं को इसलिए नुकसान होगा क्योंकि हथलेवा योजना में तो राशि कम है और इस योजना में शिक्षा के आधार पर राशि है। यदि वह 10th क्लास पास है तो उसको दस हजार रुपये मिलेंगे और यदि वह ग्रेजुएट है तो उसको बीस हजार रुपये मिलेंगे तो यदि बीस हजार रुपये वाली पात्र बालिका है तो उसको इससे नुकसान होने वाला है इसलिए हथलेवा योजना के नियम बनाते समय एक बार इस योजना को आप ध्यान से देख लीजिएगा और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस योजना में भी हमारा जो टार्गेट है पिछले साल का, वह भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने पिछले साल 5769 बालिकाओं को लाभान्वित किया और इस साल सिर्फ हमने 4564 बालिकाओं को ही लाभान्वित किया है और महिलाएं आशा करती हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इस योजना में 18 साल का यदि बेटा होता है तो हम इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं को नहीं देते हैं। मेरा निवेदन यह है कि 18 साल से छोटा यदि बेटा है, वह कमाने लायक नहीं है और 18 साल से यदि वह एक दिन भी बड़ा हो जाता है मान लो, वह महिला इस योजना के लाभ से वंचित हो जाती है। अब 18 साल होते ही तो हमें भी मालूम है व्यावहारिक रूप से कि कहीं कोई कमाने नहीं जाने वाला है इसलिए यह जो राइडर है कि उसका बेटा अगर 18 साल या उससे बड़ा है, तो इस राइडर को आप हटाएंगे तो विधवा महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा और वे इस योजना का लाभ उठा पाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में जिक्र करना चाहूंगी। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यह अच्छी बात है कि मुख्य मंत्री जी ने एक रुपये किलो का गेहूं उनके लिए निर्धारित किया, पर व्यवहार में हो क्या रहा है? मंत्री महोदय, व्यवहार में यह हो रहा है जो अब मैं आपको बयां करना चाहती हूं कि जो पात्र व्यक्ति है खाद्य सुरक्षा योजना का यदि उसके घर में 5 मैंबर हैं और पांच-पांच किलो के हिसाब से उसको 25 किलो गेहूं मिल रहा है तो 25 किलो गेहूं एक रुपये किलो के हिसाब से 25 रुपये का हो गया। अब वह जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

राशन डीलर है वह उस व्यक्ति को 25 रुपये दे देता है और उसको कहता है कि तू तो इस पर अंगूठा लगा दे। तू 25 रुपये ले जा, तेरे को गेहूं नहीं लेना है तो 25 रुपये ले जा और वह जो 25 किलो गेहूं है ऐसे इकट्ठा करके वह बोरियां की बोरियां मिलों को सप्लाई कर रहा है तो कितने रास्ते खोज लिए उन्होंने इसकी ब्लैक मार्केटिंग के लिए तो यह ऐसा हो रहा है इसलिए इसको भी चैक कराएं और एक जागरूकता की जरूरत है कि यदि आपके हिस्से का वह गेहूं है तो वह मिल तक नहीं जाए कम से कम, वह सरकार में जमा हो जाए या कैरी फारवर्ड हो जाए दूसरे महीने के लिए। जो राशन डीलर इस प्रकार से कर रहे हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, सिर्फ दो-तीन विषय हैं इससे ज्यादा नहीं है। मैं अलग-अलग विषयों पर बोल रही हूं ज्यादा नहीं बोल रही हूं इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं.

श्री सभापति: थोड़ा जल्दी कर दें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां-हां, मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूं। माननीय सभापति महोदय, एक जो बाकी माननीय सदस्यों ने कहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगी एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। माननीय सभापति महोदय, यह वह पेंशन है जो विधवा महिला जवानी में विधवा हो गई मान लो और उसको पेंशन मिलनी है तो आप देखिए 18 साल से 55 साल की उम्र में 500 रुपये उसको पेंशन मिलती है। अब आप कल्पना करो कि 21 साल की कोई महिला है और उसके दो बच्चे हो गए और उसके बाद में उसके हस्बैंड की डैथ हो गई तो उसको 500 रुपये ही पेंशन मिलेगी जबकि उसे तो ज्यादा पेंशन की जरूरत है इस उम्र में क्योंकि उसको बच्चों को भी पालना है तो ऐसी स्थिति में भले ही वृद्धावस्था की जो आपकी कंडीशंस हैं उनको आप रहने दीजिए, पर ऐसी उम्र में एक आप अलग से स्लैब बना दीजिए उम्र का और उसके बच्चे हैं तो उनकी पेंशन को आप बढ़ाने का काम करें, ताकि वह, क्योंकि पेंशन के आधार पर ही वह अपने बच्चों का जीवन यापन करती है इसलिए इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है।

श्री सभापति: अब समाप्त करें माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, बिलकुल समाप्त कर रही

(श्रीमती अनिता भदेल)

हूं बस एक लास्ट पाइंट। एक सामूहिक विवाह अनुदान योजना है माननीय सभापति महोदय, सामूहिक विवाह अनुदान योजना में उन्हीं परिवारों की बच्चियां ब्याही जाती हैं या बालक ब्याहे जाते हैं जो गरीब होते हैं। अब गरीब कौन हैं? गरीब में तो मैक्सिमम लोग अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग हैं। ऐसी स्थिति में सामूहिक विवाह अनुदान योजना लागू की गई। मुझे एक उदाहरण कोई बता दे कि जब से यह योजना प्रारंभ हुई तब से आज तक किसी संभ्रांत व्यक्ति ने या सशक्त व्यक्ति ने उस सामूहिक विवाह योजना में अपने बच्चों की शादी कराई हो। कोई नहीं कराता है। गरीबों के बच्चे ही इसमें शादी करते हैं तो मेरा निवेदन है कि इस योजना में जो कंडीशंस है उनको थोड़ा रिलैक्स करें और साथ में आप देखिए 2016-17 में 6901 लोगों को लाभान्वित किया था हमने, 2017-18 में 6856 लोगों को, 2018-19 में चूंकि इलेक्शन ईयर था, आचार संहिता लग गई थी 6 अक्टूबर को इसलिए 4149 और 2019-20 में आपने कितने जोड़ों को लाभान्वित किया? 1643, यह 1000 पर ही अटक गए, आप 6000 से 1000 पर अटक गए तो यह कैसे बढ़ सकता है, कैसे उनको लाभ दे सकते हैं इसका...

श्री सभापति: अब विराजिये आप। अब अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजें। प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: श्रीमती रमिला जी।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 व 33 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात रखूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 80% टीएसपी क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बालक-बालिकाओं का छात्रावास अलग-अलग बने, इसकी मैं मांग करती हूं। माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं कि मेरा क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक बिखरा हुआ क्षेत्र है और बिखरी हुई आबादी है, उसमें बहुत आबादी अलग-अलग जगह पर बसी हुई है, अलग-अलग ढाणियों में मकान बने हुए हैं। सभापति जी से और यहां मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरा क्षेत्र एक अलग क्षेत्र है और मेरा कुशलगढ़ क्षेत्र और एक बांसवाड़ा जिला यहां पर अधिकारी आने में बहुत डरते हैं। यह कहते हैं कि कुशलगढ़ जाते हैं तो यह काले पानी की सजा के तौर पर

(श्रीमती रमीला खड़िया)

जाना जाता है पर मैं इस सदन में कहना चाहती हूं कि हमारा क्षेत्र एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र जरूर है, अलग-अलग बस्ती जरूर है पर जब अधिकारी आता है तब आने के बाद वापस कुशलगढ़ से ट्रांसफर करवाने का नाम नहीं लेता है।

इसी तरह से मैं सभापति जी से कहना चाहती हूं और मेरी मांग रखना चाहती हूं कि जिस तरह से जनजाति क्षेत्र एक अलग-अलग क्षेत्र है, एक अलग-अलग ढाणियों से जाना जाता है और मेरा क्षेत्र बिजली, पानी, सड़क से बिल्कुल वंचित है। इसी तरह से जनजाति वर्ग, गरीब अन्य जातियों के लिए मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूं और यहां मंत्री जी भी बैठे हुए हैं कि जो हमारे टीएडी होस्टल्स हैं, इन होस्टल्स में अच्छे टीचर भी हैं, अच्छे लोग भी लगे हुए हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बिलकुल हमारे छात्रों का ध्यान नहीं रखते हैं। एक अभी तामेसरा की बात मैं करती हूं कि वहां के लड़के एक जन प्रतिनिधि के घर जाकर कहते हैं कि हमको खाना नहीं मिलता है, हमको रोटियां नहीं मिलती हैं, ऐसी जगह जिस टीचर को लगाया हुआ है यहां हमारे टीएडी मंत्री भी बैठे हुए हैं, उसको तत्काल वहां से रवाना किया जाए। हमारे यहां के लड़के बोलने से बहुत डरते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी और इस तरह से मैं मांग रखती हूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत भोलीभाली जनता रहती है और एक नदी-नाला, पानी से बिलकुल वंचित है। वहां ज्यादा से ज्यादा एनीकट बनाएं।

सभापति जी, आप भी जानते हैं सनावाला पुल जिसको पांच साल से अधिक हो गये हैं, वहां लोगों को आज भी जाने-आने में बहुत तकलीफ हो रही है। वहां एक बहुत दुखद घटना घट गई है। हमारे एसडीएम साहब उस पुल में बह गये और नीचे वाला पुल भी बह गया जो सनावाला और कलिंजरा के बीच में है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं पिछली सरकार के समय का सबलपुरा में एक पुल सैंक्शन हुआ था। वह क्यों नहीं बना, यह तो वह अधिकारी जानें और वह सरकार ही जाने। वह सबलपुरा का पुल एक नदी आई और बह गया। आज के दिन वहां से एक बाइक भी नहीं निकल सकती, ऐसी स्थिति है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि हमारा एक गरीब क्षेत्र है, मैं भी एक गरीब किसान की बेटी हूं, इसलिए मैं गरीब की बात करती हूं। 2011 की जनगणना में जो हमारे आवास आये थे, उसमें किसी को मिले हैं,

(श्रीमती रमीला खड़िया)

किसी को नहीं मिले हैं। मैं सरकार से मांग करती हूं कि जिनके पास मकान बनाने के लिये जमीन नहीं है, उनको कहीं न कहीं जमीन दी जाये। जो हमारे जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वह कई वर्षों से बैठे हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में एक कृषि उपज मंडी में बसे हुए हैं। आये दिन कृषि मंडी वाले आते हैं और उनको कहते हैं कि आपको यहां से हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन इनको यह नहीं बता रहे हैं कि आपको इस जगह जाकर बैठना है और यहां आपको जमीन दी जायेगी। मैं सरकार से मांग करती हूं कि मेरे क्षेत्र की जो भोली भाली जनता है, उसको कहीं न कहीं एक कोने में जमीन दी जाये ताकि वह मकान बना सके। मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 और मांग संख्या 33 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, राजस्थान के गांधी जिन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया है, इसके लिये मैं तहे दिल से इनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही भीमराव जी अंबेडकर को नमन करता हूं और कांग्रेस पार्टी को भी याद करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो आज यहां एससी और एसटी के कोई प्रतिनिधि नहीं बैठते। आज जो आरक्षण दिया है, वह कांग्रेस की देन है, इसलिए आज हम एससी और एसटी के सदस्य यहां सदन में बोल रहे हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, मेरा आब्जेक्शन है, यह अपने आपको करेक्ट कर लें। एससी, एसटी को आरक्षण कांग्रेस की देन नहीं है। (व्यवधान)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): मैडम, आप बैठ जाइए, आप बोल रहे थे तो हम बीच में नहीं बोले। (व्यवधान) आप चुपचाप बैठ जाइए।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) अजमेर से आने वाले सदस्य, आप प्लीज विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): मैं जनजाति क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र से आता हूं। मैं नमन करता हूं साक्षरता की उस वीर भील कालीबाई देवी को कि जिन्होंने अंग्रेजों के सामने दांती से रस्सी काट कर गुरु जी को बचाया। मैं उस जमीन से आता हूं, आदिवासी बैल्ट से आता हूं। मैं पहली बार आया हूं मुझे

(श्री गणेश घोघरा)

बोलने का हक है, मुझे अधिकार है और यह अधिकार भी कांग्रेस की देन है। भोगेलाल जी पंड्या, हरिदेव जी जोशी, गुरु गोविन्द जी की देन है जिन्होंने वागड़ को शिक्षा में बढ़ाया है और हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की बहुत बड़ी देन है जिन्होंने हर गांव में राजीव गांधी स्कूल खोली थीं, जिसको आपकी सरकार ने आते ही राजीव गांधी का नाम मिटा दिया, यह आपने काम किया है और आज हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, यह काम बीजेपी का है। कांग्रेस पार्टी, गरीबों की पार्टी है। गरीबों की सुनती है, गरीबों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस का है। आज केन्द्र में सरकार में मोदी जी बैठे हुए हैं, आपकी सरकार बैठी हुई है। वहां पर आदिवासियों को जमीनों से बेदखल कर दिया, यह काम भाजपा का है, यह काम कांग्रेस का नहीं है। (व्यवधान) आरक्षण के समय तो बीजेपी थी ही नहीं। आसपुर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि मैं उनके बच्चे के बराबर हूं लेकिन जो माइलो खिलाया था, वह देश की प्रधान मंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी अमरीका से माइलो लाई थी, वह खिलाया था। वागड़ में आदिवासियों को माइलो खिलाने वाली इंदिरा गांधी जी थीं। अकाल राहत में काम के बदले अनाज की योजना भी अशोक जी गहलोत जी की देन है। (व्यवधान) बैठिए, बैठिए सुनिए, सुनने की ताकत रखिए।

श्री सभापति: माननीय गणेश जी एक मिनट। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आज हम एससी, एसटी पर बात कर रहे हैं और एक गरीब तबके का कोई आदमी बोल रहा है और हम ही उसको टोक रहे हैं, सुनने की क्षमता तैयार करो। ऐसा क्यों करते हो ...(व्यवधान) प्लीज नहीं। सुनो, अपना भाई बोल रहा है, अपने समाज के लिये बोल रहा है, हम सब मिलकर इनको सुनें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले जमीन के बारे में बात करूंगा। हमारे डूंगरपुर के सभापति जी बैठे हुए हैं, 8 गांव मास्टर प्लान में ले लिये हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं क्या आदिवासियों की, जनजातियों की जमीन नगर परिषद् ले सकती है? कौनसे नियम, कौनसे कानून के तहत ले सकती है? वहां पर पहले से पंचायत बनी हुई है, वहां के लोग पंचायत में वोट डाल रहे हैं और नगर परिषद् आदिवासी बहुल क्षेत्र में जबरदस्ती अतिक्रमण कराकर वह जमीन

(श्री गणेश घोघरा)

एक्वायर करके भू माफियाओं को प्लाट काट-काटकर बेच रही है जबकि वहां पर 75 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है फिर भी आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो जो नगर परिषद् के आस पास बैठे हुए हैं उन आदिवासियों का सर्वे करवाया जाये, विशेष शिविर लगाये जाएं, उनको खातेदारी हक दिलाया जाये, यह मेरी सरकार से मांग है। आधी जमीन उनकी डूंगरपुर से रतलाम रेल लाइन में चली गई। आधी जमीन रतलाम से खेरवाड़ा के हाईवे में चली गई। उन आदिवासियों की जमीन तो रेलवे और हाईवे में चली गई। अब थोड़ी बहुत एक बीघा, आधे बीघा बची है, वह भी नगर परिषद् लेना चाहती है। हमारे जनजाति मंत्री क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? मैं मांग करता हूं उन आदिवासियों को जमीन का खातेदारी हक दिया जाये, यह मेरी सरकार से मांग है।

(18.59 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं यहां विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों से भी कहना चाहूंगा, आप भले ही हंसी उड़ा लो, मैं फिर आऊं या नहीं आऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो इस बार आया हूं तो जो जनता की मांग होगी, उसको सही तरीके से उठाऊंगा। आपकी तरह से चुप रहने वाला नहीं हूं। आज टीएसपी एरिये में क्या मांग उठ रही है, वह आपको किसी को पता है क्या? जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिये और जो 12 परसेंट राज्य का एसटी को मिल रहा है, टीएसपी क्षेत्र को प्रशासनिक सेवा में 5.5 प्रतिशत पृथक् से आरक्षण मिलना चाहिये। यह युवाओं की मांग है, टीएसपी एरिये की मांग है। भले ही आप मेरे ऊपर हंस लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां की जो वाजिब मांगें हैं, उन्हें मैं उठाऊंगा और उठाता रहूंगा, यह मैं कहना चाहता हूं।

(19:00 बजे)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से मांग करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जनजाति बहुल क्षेत्र में उबड़खाबड़ जमीन है और वहां डूंगरपुर जिले में सिंचाई के लिए सुविधाएं नहीं हं। वहां पर कुओं से सिंचाई निर्भर है या बारिश पर निर्भर है, वहां खरीफ की फसल होती है। मेरे सामने जो सदस्य बैठे हुए हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार थी।

(श्री गणेश घोघरा)

टीएडी से कुएं सैंक्शन करवाये थे। खाली नरेगा से लेबर पेमेंट मिला, लेकिन उन आदिवासियों को मैटेरियल का पेमेंट आज तक नहीं मिला है। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन आदिवासियों ने अपने गहने गिरवी रखकर कुएं खुदवाये और गहरे करवाये, आज भी जो उनके गहने हैं, वे बनियों और व्यापारियों के पास गिरवी रखे हुए हैं। आज तक वे यह इंतजार कर रहे हैं कि उनको उन कुओं के लिए टीएडी मद से पैसा मिलेगा। टीएसपी एरिये से जो भी माननीय सदस्य आते हैं, उन सबको यह बात पता है।

हमारे डूंगरपुर जिले में भले ही बारिश खूब होती है, लेकिन वहां तालाब नहीं होने से और एनिकट नहीं होने से पूरा पानी गुजरात चला जाता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर आप नए तालाब बनायें, पुराने तालाबों को गहरा कराया जाए। जहां पर एनिकट की आवश्यकता है, वहां पर आप एनिकट बनाने की घोषणा करें। मैं आपसे मांग करता हूं कि मोजोला नदी पर एनिकट बनाया जाए। फारखी माता एनिकट बनाया जाए, बणिया वाले नाके में एनिकट बनाया जाए और कंडुला, देवल लिफ्ट योजना में जो छोटे-छोटे तालाब बने हुए हैं, लिफ्ट योजना के माध्यम से वहां आदिवासी गरीब परिवारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवायी जाए। यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): अभी तो मेरे पांच मिनट नहीं हुए हैं, बोलने तो दो, कम से कम। हमारे यहां जनजाति परामर्शदात्री की बैठक समय-समय पर होनी चाहिए, वह नहीं होती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बैठक समय पर होनी चाहिए और जनजाति का पैसा जनजाति पर लगना चाहिए। जो जनजाति का पैसा आता है, उसे दूसरे विभागों में लगा देते हैं। पता नहीं, वहां पर संभागीय आयुक्त बैठे हुए हैं, कमिश्नर बैठे हुए हैं, लेकिन आदिवासियों के बारे में कोई स्कीम नहीं बनाते हैं। ये सरकार को मिस-गाइड कर रहे हैं कि हम आदिवासियों के लिए यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, आज भी मालमाथा से कालापाड़ा, देश को आजाद हुए 72 साल हो गये, वहां लोग जंगल से पैदल जाते हैं, किलोमीटर का रास्ता है। वहां शेर भी है एवं और भी जानवर हैं, फिर भी लोग वहां से जा रहे हैं, वहां पर आज तक रोड नहीं बना है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री गणेश घोघरा)
जो मालमाथा से कालापाड़ा रोड नहीं बनी है, उस रोड की जल्दी से जल्दी स्वीकृति करायी जाए। जो आदिवासी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनके धर्म परिवर्तन को रोका जाए। जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनका आरक्षण खतम किया जाए।

श्री सभापतिः समाप्त करें। श्री राजकुमार रोत

श्री गणेश घोधरा (डूंगरपुर): दो मिनट बस। हम यह भी मांग करते हैं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग होना चाहिए। किसी भर्ती में आवेदन निकले, हमारे आदिवासियों का अलग धर्म कोड होना चाहिए, यह मांग मैं सरकार से करता हूं। बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत ।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज मांग संख्या 30 व 33 पर आपने बोलने दिया, उसके लिए आपको खूब-खूब जुहार। आज जनजातीय समाज कल्याण पर डिबेट हो रही है। सभी वक्ताओं ने अपनी-अपनी राय दी। सभी ने कुछ कमियां निकालीं, कुछ अच्छाइयां बतायीं। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ प्रावधान किये हैं कि शिड्यूल्ड एरिये में बेरोजगार युवाओं के लिए प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसमें 5 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 15 हजार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह जो आंकड़ा बताया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि वास्तविकता में इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि कई बार यह होता है कि बच्चों को सर्टिफिकेट बांट दिया जाता है और सरकार को आंकड़े दे दिये जाते हैं। मैं यह अपील कर रहा हूं कि उन लोगों को वास्तविकता में प्रशिक्षण दिया जाए एवं उनको फायदा दिया जाए। लंबे समय से वार्डन के कैडर को अलग करने की मांग चल रही थी। उसको अलग किया, उसके लिए धन्यवाद। आज जनजाति पर डिबेट हो रही है। शिड्यूल्ड एरिया में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो बजट होता है, टोटल बजट में से राज्य सरकार को 13 परसेंट बजट देना अनिवार्य है और केंद्र सरकार को भी 8 परसेंट बजट देना अनिवार्य है, अगर पूरे देश की बात करें तो लेकिन 1975 में जो उप योजना शुरू की थी उस उप योजना को

(श्री राजकुमार रोत)

कहीं न कहीं 2017 में समाप्त कर दिया गया है। इसी कड़ी में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, वह एक अलग तरह की यूनिट है। उसमें कोई भी सरकारी भर्ती निकलती है तो कई भर्तियों में अलग से विज्ञप्ति जारी होती है, उन भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था, अभी जो सभी तरफ से आरक्षण की बात हो रही थी। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो आरक्षण व्यवस्था है, जो राजस्थान में 5वीं अनुसूची है, 1935 के अधिनियम में 5वीं अनुसूची का प्रावधान था। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय एज इट इज वही 5वीं अनुसूची दी गयी। आरक्षण का मतलब, प्रतिनिधित्व का अधिकार। राज्यपाल महोदय की जो 2013 की अधिसूचना है और 2016 की अधिसूचना है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 45 परसेंट एसटी, 5 परसेंट एससी, और 50 परसेंट अनारक्षित वर्ग, सभी वर्ग से भरी जाएंगी। लेकिन दोनों सरकारों ने, अगर पिछली बार की बात करें।

मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। 2017 में पुलिस भर्ती हुई, उस भर्ती में एक भी अभ्यर्थी, न तो एसटी का लिया, न एससी का लिया। सामान्य वर्ग की जो अनारक्षित सीटें हैं, उसमें एक भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया। राज्यपाल की जो अधिसूचना है, उसकी कहीं न कहीं अनदेखी की गयी। मतलब पूरे आदिवासी समाज के साथ अन्याय हुआ है। अभी हाल ही में अध्यापकों की भर्ती हो रही है। उसमें 1166 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। 50 परसेंट के लिए यह कह रहे हैं कि जिनके 60 परसेंट हैं, वे ही जा सकते हैं। कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है। आज आने वाले समय में सभी युवा वर्ग महसूस कर रहा है कि हम लोगों को ठगा जा रहा है और वे किसी के साथ नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं, वे सच्चाई के साथ हैं, वे मुद्दों के साथ हैं। कोई यह न समझे कि उस क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं, कोई यह न समझे वहां के लोग हमारे साथ हैं। वे समझ चुके हैं कि सच्चाई क्या है? हकीकत क्या है? मुद्दे क्या हैं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि जो 1166 बच्चे दर-दर भटक रहे हैं, उनको नियुक्ति दी जाए।

अभी धर्म परिवर्तन की बात हो रही थी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि आदिवासी कौनसे धर्म में आता है? आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुजरात में कई इलाके ऐसे हैं, जहां जैन धर्म अपना रखा है। मध्य प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं, कई ईसाई बने हुए हैं, कई

(श्री राजकुमार रोत)

मुसलमान बने हुए हैं। जो 2021 की जनगणना हो रही है, आदिवासी समाज धर्म पूर्ण समाज है, वह किसी भी धर्म में नहीं आता है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि 2021 की जनगणना में पूरे शिड्यूल्ड एरिये के सभी अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि वे किसी भी धर्म में किसी भी आदिवासी को जबरदस्ती धर्म को अपनाने की अपील नहीं करे। आज बात हो रही थी कि वसुंधरा मैडम ने 45 परसेंट आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ ? कहीं न कहीं उस क्षेत्र के साथ कुठाराघात हुआ है। आज आजाद हुए 70-72 साल हो गये हैं, फिर भी आरक्षण के मामले में कहीं न कहीं हमेशा अन्याय हुआ है जब बैकलाग की बात आती है तो आज सभी विभागों में बैकलाग रिक्त पड़ा हुआ है, लेकिन बैकलाग की कभी भी बात नहीं होती है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिड्यूल्ड एरिये की विज्ञप्ति अलग जारी होती है, फिर भी उस क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं, उनका परीक्षा सेंटर जोधपुर है, जयपुर है, इन स्थानों पर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि सरकार को अवगतकराए और शिड्यूल्ड एरिये के जितने अभ्यर्थी है, उनका सेंटर शिड्यूल्ड एरिये के अंदर ही आना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, उस एरिये में वन विभाग सबसे बड़ा मामला है। आदिवासी समाज जो अब तक बसा हुआ है, कहीं न कहीं वन विभाग में बसा हुआ है। पडल जमीन में बसा हुआ है बिना नाम में बसा हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण बता दूं हमारे माननीय एमएलए साहब, प्रतापगढ़ से आने वाले, उसके मकान का भी अभी नोटिस मिला कि हटाया जाए। आज मेरा मकान बना हुआ है, वह भी कहीं न कहीं बिना नाम से बना हुआ है। अभी एफआरए के तहत पता नहीं किस हिसाब से, यह जो हमारा प्रशासन है, उस इलाके में कई लोगों ने पंचायत में अपनी ग्रामसभा में प्रस्ताव लेकर खण्ड मुख्यालय पर भेजा लेकिन वहां पर ये कागज कहां गायब हो जाते हैं। कई लोगों ने दो-दो, तीन-तीन बार लेकर भेजा हुआ है। उस इलाके में पर्यटन की बात होती है, देवस्थान की बात होती है। आदिवासी इलाके में आदिवासियों के जितने महापुरुष रहे हैं, आदिवासियों के जितने पूर्वज रहे हैं और आदिवासी समाज के जो सिरे हैं, कहीं न कहीं वन विभाग में बसे हुए हैं। आज उस एरिये से 12 विधायक आए हुए हैं। सबकी कुलदेवियां हैं, उन कुलदेवियों का पता

(श्री राजकुमार रोत)

करो, सभी वन विभाग में पड़ी हुई हैं। आज उस एरिये में हम चाहकर भी हमारे एमएलए कोटे से बजट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वह वन विभाग में है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि उस इलाके में जितने देवस्थान वन-विभाग में हैं, उनको सामुदायिक वन-पत्र दिया जाए। आगे की कड़ी में अभी वर्तमान सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि जिन लोगों को वन-पत्र मिलेगा, उन सभी वन-पत्र धारकों को मुर्गी पालन, बकरी पालन कराया जायेगा।

इसके आगे की कड़ी में मैं चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले की बात आती है तो 2016 में जैविक जिला घोषित किया गया है, तो टीएडी विभाग जो मुर्गी पालन की बात कर रही है, बकरी पालन की बात कर रही है. इसी के साथ ऐसा जोड़ दिया जाए कि हम बर्मी कम्पोस्ट खाद पैदा करें, केंचुआ खाद पैदा करें। जिन लोगों को वन-पत्र मिला है, उन सभी को केंचुआ खाद के लिए भी अनुदान दिया जाए। आज उस इलाके में उद्योग की बात होती है। उस इलाके में एक टिबुर पत्ता होता है और जामुन पैदा होते हैं. बील पत्र पैदा होते हैं। जब उद्योग की बात होती है तो कहीं न कहीं जो कौशल विकास की बात हो रही है तो उस इलाके में टिबुर पत्ते के लिए, जामुनों के लिए, ऐसे खाद्य पदार्थ तैयार किये जाएं तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे सीताफल है, वहां लोकल लैंग्वेज में अनुरा बोलते हैं। आज महाराष्ट्र में वह 100-150 रुपये किलो बिकता है लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई पालिसी नहीं बनी हुई है, इसलिए वह चीज भी बिगड़ रही है और लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है।

आगे की कड़ी में अभी जो हमारे माननीय एमएलए साहब ने उठाया था जमीन का मामला। वन अधिकार पत्र तो दे दिए गए लेकिन उन वन अधिकार पत्रों को विरासत में, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो विरासत में दर्ज नहीं हो रहा है। वन-पत्र जो मिल रहा है, उसका राजस्व रिकार्ड में भी नहीं हो रहा है। इसके कारण वह ऋण नहीं ले पा रहा है, सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। आज हमारे इतिहास की बात हुई कि इस सदन में उस इलाके से जितने जन प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, सबकी हमारी एक समस्या है कि जो शिक्षा नीति है, उस इलाके में जो बोली है, हम सब यहां आकर यह महसूस करते हैं कि हम कहीं गलत नहीं बोल दें क्योंकि वहां लोकल जो लैंग्वेज है, वह भीली लैंग्वेज है। वहां भीली लैंग्वेज है तो वहां कोई

(श्री राजकुमार रोत)

भी प्रोग्राम होता है तो भीली लैंग्वेज में हमेशा हमारी स्पीच होती है। यहां पर आकर हर कोई यह महसूस करता है। उस इलाके में जो बच्चे हैं स्कूल में, वे भी यही महसूस करते हैं कि कहीं हम गलत न बोल दें। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भीली बोली है, उसका संग्रहण किया जाए। हमारे इतिहास में, हमारी परम्परा में हर जगह वह चीज मिल जाएगी। आज संस्कृति कला की बात होती है तो आदिवासी की जो संस्कृति है, आदिवासी की जो परम्परा है, आदिवासी की जो रीति-रिवाज है, वे सबसे हटकर है। हमें जो आरक्षण मिला है. हमें जो प्रतिनिधित्व मिला है, कहीं न कहीं हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारी परम्परा के हिसाब से, हमारे रीति-रिवाज के हिसाब से मिला हुआ है लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस जिले में आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की परम्परा के बारे में एक म्यूजियम खोला जाए ताकि उनका संरक्षण हो पाए। आज राणा पूंजा भील की भी बात हो रही थी। जैसा हमारा डूंगरपुर है, डूंगरपुर का नाम राजा डूंगर बरंडा के नाम से हुआ, बांसवाड़ा का नाम बांसिया भील के नाम से हुआ है। डूंगरपुर में एक साल से राणा पूंजा भील की मूर्ति बनी हुई है वह आज तक नहीं लगाई गई है। बांसवाड़ा में बांसिया भील की मूर्ति बनी हुई है वह आज तक नहीं लगाई गई है। आज हम कहते हैं महाराणा प्रताप महान हुए। कहीं न कहीं राणा पूंजा का योगदान था लेकिन आज उस इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारे इलाके में शिक्षा की बात होती है। कई छात्रावास खुले। हमारे करोड़ों रुपये का बजट खपत हो रहा है। इसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम अगर भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं तो जो वार्डन है, उसकी भी बायोमेट्रिक अटेन्डेंस होनी चाहिए और जो बच्चा पढ़ने आ रहा है. उसकी भी बायोमेट्रिक अटेन्डेंस होनी चाहिए क्योंकि कई बार यह होता है कि एक बच्चा दस-दस बच्चों के साइन रजिस्टर में कर देता है।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): आगे की कड़ी में आज बाड़मेर में, जोधपुर में और बारां में भी आदिवासी समाज के भील समुदाय रहते हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनके लिए भी कहीं न कहीं अलग से प्रावधान किया

(श्री राजकुमार रोत)

जाए जैसे सहरिया के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, लास्ट में एक मिनट। अभी सिंचाई की बात होती है तो माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि हमारे इलाके से जितने प्रस्ताव आए हैं, एनिकट के लिए, उन सभी एनिकट की स्वीकृति की जाए। उस इलाके में गोविन्द गुरु, संत सुरमाल, दो ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने समाज के लिए सब कुछ किया तो उनके लिए भी म्यूजियम बनाया जाए, उनके पैनोरमा बनाए जाएं।

आज सामाजिक न्याय में भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो विवाह सहायता दी जाती है। जब बालिका का विवाह होता है, जो सहायता दी जाती है, उसका जो मापदंड है, उसमें कुछ शिथिलता दी जाए। अभी 6 महीने की अवधि दे रखी है, उसको बढ़ाई जाए क्योंकि 6 महीने में वह सारे डाकूमेंट क्लीयर नहीं कर पाता इसलिए कई ऐसे जोड़े हैं, जो इसका फायदा नहीं ले पाते। कम से कम इसकी अवधि 10 माह की जाए। आगे की कड़ी में....

श्री सभापतिः समाप्त करें। श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, एक मिनट लूंगा। उस इलाके में पेसा एक्ट के तहत जो प्रावधान है....

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए आप, अंकित नहीं होगा।

श्री राजकुमार रोत: (चौरासी): 000

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या,...

श्री सभापतिः एक मिनट, माननीय सदस्य। माननीय नेता महोदय, करीब 15 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और एक बिल भी बाकी पड़ा हुआ है जिसमें 17 लोग बोलने वाले हैं। समय की सीमा हमको निर्धारित करनी पड़ेगी वर्ना हो नहीं पाएगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय,...

श्री सभापति: दस बजे तक का उन्होंने राइडर लगा रखा है कि दस बजे हाउस पूरा करना है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, फिर करेगा कौन?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप।

श्री सभापति: आप इस पर विचार करें। माननीय सदस्य श्री हरेन्द्र निनामा। मुझे सब ध्यान है, आप विराजिए। अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं। अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिए आप। अंकित नहीं होगा किसी का भी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 33 जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जब से मत्स्य अवतार से मनुष्य का इस धरती पर जन्म होता है और पैदाइश होती है, उस समय से लगातार आगे बढ़ते-बढ़ते आदिवासी समाज तो हमेशा जंगलों में रहता आया है। एक जमाना ऐसा था, इतिहास बताता है कि जब कपड़ा नहीं मिलता था, धागे का उत्पादन नहीं हुआ था तो जंगली जानवरों का खाल उतार कर शरीर को ढंकने का काम आदिवासी समाज करता था। फल-फूल खाकर के भोजन के रूप में काम में लेता था। बैलों के माध्यम से खेती करने का काम करता था। इसके अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में भी पाये जाते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास से यहां बैठे हुए हैं। मैं लंबे समय से आस लगाकर बैठा था। मेरे साथी हैं, दोस्त हैं लेकिन आज 14-15 महीने होने के बाद में भी, हमने कई प्रस्ताव दिए, अभी तक आपका 339 करोड़ रुपया विकास का बाकी है। इसके अंदर कहीं न कहीं हम विधायकों का, जो टीएसपी एरिये से चुनकर आए हैं, उनका भी हक बनता है। हमने आपको प्रस्ताव दे रखे हैं, और मांगोगे तो दे देंगे, लेकिन आप पैसा देने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के गनोड़ा में संस्कृत कालेज चलता है, एक मात्र कालेज है। वहां छात्रों के लिए रहने के लिए कोई आश्रम छात्रावास नहीं है। मेरा

(श्री हरेन्द्र निनामा)

आपसे निवेदन है गनोड़ा में आश्रम छात्रावास खोलने का काम करें। मेरे प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट क्षेत्र में 30 पंचायतें हैं जिसमें पीपलदा ऐसा क्षेत्र है, अभी नव गठित है, वहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां भी छात्रावास खोलने की मांग करता हूं। घाटोल में अमरकुज ग्राम पंचायत के लिए भी आपसे मांग करता हूँ। जहां-जहां पुलिया नहीं है, नहरें नहीं हैं, ऐसे एरिया में नोन कमांड क्षेत्र में भी तालाब निर्माण हेतु बजट आबंटन करें। खासकर पीपलखूंट क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग है, मोकाटोक नामक एक स्थान पर कई बार तालाब का सर्वे हो चुका है, उस तालाब का काम शुरू कराने के लिए आप टीएडी मद से एक करोड़ पैसा दें। वहां तालाब बनेगा तो हरियाली आएगी, खेती होगी तो पीपलखूंट की जनता आपको याद करेगी।

मैं इस मौके पर महान आदिवासी व्यक्तित्व को याद करता हूं, हल्दीघाटी युद्ध में राणा पूंजा ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। एक समय यह आ गया था कि महाराणा घबरा गए थे, हिम्मत हारने वाले थे, लेकिन राणा पूंजा ने कहा मेवाड़ हूं, मेवाड़ हूं, मत घबराएं राणा। यह शब्द कहने के बाद महाराणा को हिम्मत आई और फिर ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और हल्दी घाटी का युद्ध जीता, तो आदिवासी कम नहीं थे।

राणा पूंजा खराड़ी जाति का था, हमारे सदस्य माननीय बाबुलाल जी बैठे हुए थे। मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत करके उदयपुर के पानरवा गांव में राणा पूंजा की मूर्ति का अनावरण किया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

यही नहीं, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने में आदिवासी कहीं पीछे नहीं रहा। मानगढ़ की पहाड़ी में गुरु गोविंद के नेतृत्व में भक्ति के मार्ग से जन जाग्रति पैदा करते हुए, वहा पर अंग्रेज ने तोप चलाई थी, हमारे 1500 आदिवासी भाई शहीद हो गए, इसका प्रमाण है। मानगढ़ की पहाड़ी हमारे लिए वरदान है। यह कोई कम बात नहीं है।

मैं भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूं। सारे एसटी, एससी के विधायक राजस्थान के सबसे बड़े हाउस में आज बैठे हैं, बोल रहे हैं, अगर संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया होता तो हम आज यहां आकर नहीं बैठते। दिल्ली के सदन में भी हम नहीं बैठ पाते।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं व सदन को भी

(श्री हरेन्द्र निनामा)

याद दिलाना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सहकारिता, सामाजिक, राजनीतिक बिन्दुओं पर अगर विचार किया जाए तो आदिवासियों का भला होगा।

साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बार राजस्थान की विधान सभा, विधान परिषद् बनी, जो मनोनीत थी, चुनाव नहीं हुए थे, उस समय हमारे बांसवाड़ा जिले में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, घाटोल से एक स्वतंत्रता सेनानी हरीराम जी निनामा पढ़े लिखे थे। एमएलए का फार्म भराने के लिए, कुशलगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए, कुशलगढ़ से विधायक के रूप में उनको जयपुर भेजा गया था। यह स्थिति बांसवाड़ा जिले की आजादी के बाद थी। आज बांसवाड़ा जिले में, सरकारें हमारी भी आईं, आपकी भी आईं लेकिन जनजाति विभाग का गठन 1977 में भैरोंसिंह जी शेखावत ने किया। मैंने खुद ने देखा, पढ़ते थे, बामनिया जी भी इस चीज को जानते हैं, मालविया जी भी जानते हैं। जब 15-15 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं होते थे, सरपंचों को 250 रुपये से ज्यादा खर्च करने का अधिकार नहीं था, ऐसी स्थिति थी। किसी बड़ के नीचे पंचायत भरती थी, हवेली वाले मकानों में स्कूल चलती थी। भैरोंसिंह जी शेखावत को इसलिए याद करता हूं कि उन्होंने राजस्थान में पहली बार काम के बदले अनाज योजना शुरू की। जहां गधे नहीं जाते थे वहां ट्रक गए। ट्रकों से गेहूं खाली हुआ। लोगों को अनाज मिला, राजस्थान का विकास हुआ, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है।

मैं पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज दरख्वास्त देते हैं, हमारे साथी चिल्लाते हैं कि सैकण्डरी स्कूल खोल दो, 12वीं स्कूल खोल दो, लेकिन वसुंधरा जी की सरकार में वसुंधरा जी ने एक लाइन में आदेश जारी कर दिया, पूरे राजस्थान में जितने 10वीं के स्कूल हैं उनको सीनियर सैकण्डरी स्कूल कर दिया जाए। इस तरह का काम किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। उनको बोलने दें।

श्री हरेन्द्र निनामा: (घाटोल) बांसवाड़ा में बेरोजगारों की बेरोजगारी मिटाने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई और एक हजार आदिवासी जवानों की भर्ती की गई। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं, मेरे प्रतापगढ़ के पड़ोसी भाई रामलाल जी बैठे हुए हैं..

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): हाडी रानी की स्थापना की, वहां महिला पुलिस की भर्ती हुई, यह भी हमारे लिए कोई कम नहीं है। मैं पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इस मौके पर याद करना चाहता हूं जिन्होंने देश के अंदर एक नीति लागू कर दी. प्रधानमंत्री सड़क योजना, यह पूरे हिन्दुस्तान में बड़ी उपलब्धि है। आज आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन यह काली सड़कें बनी हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। हमने हमारे राज में स्कूल, कालेज भी खोले, नाम परिवर्तन भी किए लेकिन आपकी कथनी और करनी से दिखता है कि राजस्थान का भला नहीं होने वाला। मेरा समय पूरा हो रहा है लेकिन सामने वाले भाइयों से कहना चाहूंगा, सत्ता में रहकर इतना जोश में नहीं आना चाहिए, राजस्थान की जनता कब हमको उधर बिठा दे, आपको इधर बिठा दे। जनता ने राम को नहीं छोड़ा। हमारे बागड़ी में एक भजन है जिसकी दो लाइनें कहना चाहता हूं। (व्यवधान) आरक्षण तो है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में मत बोलिए। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): भगवान राम को जनता ने नहीं छोड़ा। यह कुर्सी ऐसी हैं जिसको जनता कहीं न कहीं इस कुर्सी को हटाने का प्रयास हर समय करती आई है और करेगी। इसके लिए मैं भजन की दो लाइने गाना चाहता हूं।

श्री सभापतिः समाप्त करें। श्री बलजीत यादव।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): वाह वाह रे दुनिया मतलब की, दुनिया में कोई किसी का नहीं...

श्री सभापति: समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए। आप बोलिए।

सूचना

अलवर जिले में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान

श्री बलजीत यादव (बहरोड) सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे अलवर जिले में हुई

(श्री बलजीत यादव)

ओलावृष्टि की ओर कराना चाहता हूं। दूसरी बार जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है जिससे बहरोड़ सहित पूरे अलवर जिले के किसानों की फसल बुरी तरह तबाह हो गई है। सभापति महोदय, 29 तारीख को भी भारी ओलावृष्टि हुई थी और अभी भी बहुत भारी ओलावृष्टि हुई है। सरसों, गेहूं सब फसल चौपट हो गई।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर वहां के किसानों को मुआवजा दें ताकि वहां का किसान जो रो रहा है, टूटा हुआ है, उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, माग संख्या 30 अनुसूचित जनजाति एवं मांग सख्या 33 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, सदन में अनुसूचित जाति व जनजाति के माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले उस महा मानव को याद किया जाए, जिनकी मेहरबानी से, जिनके तप से, जिनकी तपस्या से हम इस जगह खड़े हैं। मैं सबसे पहले बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करता हूं।

आज चर्चा हो रही है, अभी घाटोल, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जो पहली बार चुन कर आये हैं और हमारे बंधु बार-बार उनको टोक रहे हैं। यहां टोकने से या वहां टोकने से किसी के नम्बर नहीं बढ़ रहे हैं। उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। पहली बार जीतकर आये हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उनकी बात सुनो। आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात कहिये। अपनी बात कहिये आप। इनकी पैरोकारी करने की जरूरत नहीं है आपको। (व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन) मेरा निवेदन है, सर, दस मिनट का टाइम दो। दूसरों को बीस-बीस मिनट, तीस-तीस मिनट का टाइम दिया है। पन्द्रह मिनट, आप जितने में कहोगे, मैं उतने में बोल लूंगा।

मेरा निवेदन है कि अभी माननीय सदस्य, मेरे हिसाब से दो बार जीत कर आये और टी.एस.पी. क्षेत्र का जो आदिवासी क्षेत्र है, उनकी बात कर रहे थे। टी.एस.पी. क्षेत्र के माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं। उनसे पहले भी टी.एस.पी. क्षेत्र के जो भी मंत्री बने, वहां के बने। वे यह बात कर रहे हैं कि हमारे यहां आवासीय विद्यालय हैं, उनके अन्दर अच्छी शिक्षा नहीं है। वहां जो कर्मचारी हैं, वे शराब पीते हैं, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, बच्चों का शोषण करते हैं। अपना भी हक बनता है, जनता ने अपने को चुन कर भेजा है। अपना दायित्व है, अपना कर्तव्य है कि ऐसा कौन कर रहे हैं, उनको वहां से, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का अपना भी दायित्व बनता है। यहां सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। अपन सब मिलकर काम करेंगे, तब होगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आजादी को 73 साल हो गये हैं। एस.एफ.सी., TFC, माडा, टाडा, जो भी योजनाएं चल रही हैं, अच्छी बात है। हम उनका समर्थन करते हैं। वहां आदिवासी लोग हैं, पहाड़ों के अन्दर, जंगलों के अन्दर बहुत विषम परिस्थितियों के अन्दर बरसात में, सर्दी में, गर्मी में रहते हैं। आज भी उनका जीवन बीस-तीस परसेंट के सिवाय, बाकी आज भी उनका जीवन आदिवासी के समान है। उनका जीवन सुधारने के लिये काम करें।

मेरा निवेदन है कि हमारा बाड़मेर जिला सीमावर्ती जिला है, वहां के रहने वाले एस.टी. के भाई, भील बंधु उन आदिवासियों से कम नहीं हैं। पिछली सरकार में भी मैंने निवेदन किया था, पिछले बजट में भी मैंने निवेदन किया, आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के एस.टी. के भाइयों के लिये कोई नई योजना लाएं। वहां उनकी शिक्षा का सुधार करने के लिये एक आवासीय विद्यालय खोला जाए। वहां कोचिंग सेन्टर खोला जाए। उसके उपरांत वहां रहने वाले एस.टी. के भाइयों के लिये कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाए। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने किसानों के लिये, 1,30,000 कनेक्शन पहले कर दिये, 53 हजार कनेक्शन की घोषणा की। उन कनेक्शंस के अन्दर ही आप प्राथमिकता

(श्री पदमाराम)

से बाड़मेर जिले को 5 हजार एक्स्ट्रा, एस.टी. के भाइयों के लिये देने की मेहरबानी करें तो सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। (व्यवधान)

हां, मेरे को मालूम है कि हमको दस मिनट से ज्यादा नहीं बोलने देंगे। मेरा यह निवेदन है कि आज अपन यहां खड़े हैं। आज आरक्षण की बात चल रही है। आज आरक्षण के अन्दर हमारे को जो भी सरकार ने संविधान के आधार पर हक दिया, वह किसी की मेहरबानी से नहीं हुआ है। संविधान जब पास हुआ, उस समय किसकी सरकार थी। वह संविधान किसने लागू किया। उसके बारे में मेहरबानी करके विचार तो करो। बीच में बोलने से या किसी के कहने से, किसी की न तो टिकट आज कट रही हैं और न ही कोई ज्यादा प्रशंसा हो रही है। आज जो समय चल रहा है, इस समय के अन्दर हमारे एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है।

हमारा बैकलाग बाकी है। कोई भी सरकार हो, उधर की हो, इधर की हो, कोई विचार नहीं कर रहा है। कोई मंत्री, कोई दूसरा, सिर्फ एस.टी. के लोग ही, एस.सी. के लोग ही बोलें और कोई विचार नहीं करना। जब वोट की जरूरत आती है, उस समय आगे बढ़कर सब करते हैं।

अभी जो चर्चा चल रही है. इसके अन्दर हमारे प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों में कहा एस.सी. के लोगों का खयाल नहीं किया। एस.टी. का ख्याल नहीं किया तो बैकलाग कहां से बढ़ा। उस समय आपका राज था. हमारा राज था। उसके अन्दर, हमारे हक के अन्दर, माननीय मदन दिलावरजी हमारे वरिष्ठ आदर्श हैं, ये कई बार जीत कर आये, मंत्री बने, इन्होंने कई तरह का नयापन किया, तो उनको भी बात करनी चाहिए। आज यह समस्या क्यों आई। हमारे बच्चे सड़कों पर क्यों हैं, क्यों? हमारा हक है। उससे ज्यादा हम नहीं मांग रहे। हमारे हक के आधार पर हमको आरक्षण मिले, बैकलाग भरा जाए। यह मैं सरकार से निवेदन करता हूं। सभी को मिलकर काम करना चाहिए। एक यह किसी पिछड़े वर्ग के लिये है, इसलिये यह किसी पार्टी या किसी की बात नहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि माननीय गहलोत साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके दिल के अन्दर एक टीस है, एक जज्बा है कि राजस्थान का पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोये। किसी गरीब की झोपड़ी के अन्दर किसी को एक चीखने की आवाज नहीं आये। पहले जब

(श्री पदमाराम)

2008 में सरकार बनी थी, उस समय पेंशन क्या थी, तीन सौ और चार सौ, उसको बढ़ाकर उन्होंने पांच सौ और साढ़े सात सौ किया। पांच साल इनकी सरकार थी। एक दिन भी उसके अन्दर विचार नहीं किया। एक बात भी उनके ऊपर नहीं बोले, उलटे यह कहें कि इन्होंने रेवड़िया बांटी। जब लास्ट में सरकार जा रही थी, उस समय इन्होंने आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स के फार्म भर दिये। मेरा निवेदन है, अभी माननीय वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं कि पिछले 2019-20 के बजट में कितना खर्च हुआ।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पदमाराम: (चौहटन) साहब, शुरू ही हुआ है क्या समाप्त करें।

मेरा निवेदन है कि बजट को छह महीने हुए हैं, छह महीने के अन्दर पूरा खर्च कैसे होगा। आप आंकड़े 15 महीनों के बता रहे हो और छह महीनों के अन्दर यह पूरा खर्चा कैसे होगा तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सोच है कि आगे हर गरीब के पास सुविधा पहुंचे। असहाय को, वृद्ध को सहारा देने के लिये पेंशन बढ़ाई। वे धन्यवाद के पात्र हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: इधर देखिये, आप इधर देखिये।

श्री पदमाराम: (चौहटन): जिस समय नम्बर आये, जगदीशजी, उस समय आप भी बोल देना, मना कोई नहीं करेगा। बीच में बोलने से यहां फीते नहीं बढ़ेंगे। जनता देख रही है।

मेरा आपसे निवेदन है, माननीय समाज कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री महोदय से कि आज हमारे छात्रावास बने कई साल हो गये। उनके भवन जर्जर हैं, उनके अन्दर रहने वाले बच्चों की सुविधा के लिये तो दो हजार से पच्चीस सौ रुपये बढ़ा दिये, परन्तु उनका नवीनीकरण करने के लिये, वहां उनके पार्ट टूट गये हैं, दरवाजे नहीं हैं, मकान ठीक नहीं है, उनका नवीनीकरण करने के लिये कुछ प्रावधान करें। गरीब आदमी के बच्चों को, उस होस्टल के अन्दर वह बच्चा जाता है, मेरा बच्चा नहीं जायेगा, अधिकारियों का बच्चा नहीं जायेगा, उद्योगपतियों का बच्चा नहीं जायेगा। वह किसान का बेटा, गरीब का बेटा, उसके अन्दर पढ़ेगा, जो बी.पी.एल. है। उनके मां-बाप के पास फीस देने के पैसे नहीं हैं, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। उनके खर्चे के लिये नहीं हैं, उनके लिये व्यवस्था करें। उनके बच्चों के अन्दर सोच है, ताकत है, सब कुछ है। परन्तु गरीबी ने उनको रोक रखा है। मेरा निवेदन है कि उनके

(श्री पदमाराम)

अन्दर सुधार करें। अपन अरबों रुपये कई योजनाओं के अन्दर खर्च करते हैं, यदि ऐसे सामाजिक कल्याण के लिये खर्च करोगे तो भगवान आपको शक्ति देंगे। राजस्थान का और ज्यादा विकास होगा, कोई नहीं रोक सकता है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि अभी जो चर्चा हो रही है, आज राज उनका हो, हमारा हो, हमारे दलितों के साथ ही अन्याय और अत्याचार क्यों हो रहे हैं। वे कौन कर रहे हैं। वे करने वाले कौन हैं, जो वाहवाही लूटने वाले उनको कहो कि बाबा साहब की मूर्ति को कौन तोड़ रहा है, बाबा साहब की मूर्ति पर जूतों की माला कौन पहना रहा है। उनके बारे में कुछ विचार तो करो। आप छाती ठोक ठोककर कह रहे हो, बिलकुल आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप आपके दल की बात नहीं करेंगे, आपका टिकट कट जाएगा। वह तो बात सही है। परन्तु मेरा निवेदन है, इस सरकार से निवेदन है कि ऐसा कानून बने।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): दूसरे समाज के सभी लोग हैं। उनके साथ अन्याय-अत्याचार नहीं हो रहा है। गरीब के साथ ही क्यों हो रहा है और बार-बार क्यों हो रहा है। जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी ऐसा अन्याय करने के बाद में भी...(व्यवधान)

श्री सभापतिः श्री फूल सिंह मीणा।

श्री पदमाराम (चौहटन): उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं होती है तो यह अत्याचार होते हैं तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके अन्दर नयापन लायें, कुछ नया सुधार करें, नयापन हो। (व्यवधान) आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा ।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-30 और 33 पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले वक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी वाहवाही की। अब मैं श्री गणेश घोघराजी को यह बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने क्या किया। आपके अनुजा निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विगत 2019-20 की आलोच्य वर्ष की वर्षवार प्रगति व लाभान्वित की संख्या मैं बता रहा हूं।

(श्री फूल सिंह मीणा)

वर्ष 2019-20 के अंदर 17000 का लक्ष्य था, उपलब्धि 3772 थी, प्रतिशत 22.19 रहा। गैर बैंकिंग योजना, जिसमें 19395 लक्ष्य था, 6229 उपलब्धि थी और 32.12 इनका प्रतिशत रहा। दक्षता विकास एवं प्रशिक्षण योजना, 4 हजार लक्ष्य था, 1773 उपलब्धि हुई, 44.33 प्रतिशत खर्च हुआ। आधारभूत सुविधाएं, संबल ग्राम योजना, न्याय के दिशा-निर्देश के तहत आधारभूत ढांचा निर्माण, एनिकट, सिंचाई, तालाब निर्माण आदि। इनमें 60 का लक्ष्य रखा उपलब्धि 18.33 प्रतिशत ही खर्च हुआ। अब आगे आ जाओ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, 4924 का लक्ष्य था, उपलब्धि जीरो, प्रतिशत भी जीरो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, 2058 का लक्ष्य रखा, उपलब्धि जीरो और प्रतिशत जीरो। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, 3168 लक्ष्य, उपलब्धि जीरो। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम 931 लक्ष्य, उपलब्धि जीरो, राष्ट्रीय एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम 3960, उपलब्धि जीरो, प्रतिशत जीरो। जनजाति स्वरोजगार एस.टी. पोप योजना 3 हजार का लक्ष्य उपलब्धि 72, प्रतिशत 2.4, यह कांग्रेस का इस वर्ष का है। हमारा बजट कहां पर खर्च हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं? यह आप देखें।

हमारे ऊपर जो दोष दे रहे हो। बिक्री योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह दिसम्बर, 2019 तक की प्रगति, आवासीय छात्रावास संचालन 1559.50 आबंटित, 1559 लाख 50 हजार, व्यय हुआ 912.74, लक्ष्य रखा है 3740, उपलब्धि 3081, छात्रावासों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन 70 लाख रुपया, व्यय हुआ 5 लाख 7 हजार रुपये, छात्रा 1400 का लक्ष्य और 101 को लाभान्वित उपलब्धि, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 20 लाख रुपये, छात्र 571, उपलब्धि जीरो। पी.एम.टी., पी.ई.टी., आई.आई.टी. कोचिंग एक करोड़ रुपये, 99.49 व्यय, संख्या 142, इसमें ठीक हुआ 141, कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता 80 लाख रुपये, संख्या 2285, उपलब्धि जीरो। स्कूटी वितरण योजना 3 करोड़ रुपया, 81.16 लाख रुपया खर्च हुए, व्यय का 750 का लक्ष्य रखा और उपलब्धि जीरो।

आवासीय विद्यालय संचालन 489.30 लाख रुपया, व्यय के लिए रखा है 268.92 रुपये और लक्ष्य रखा 540 और उपलब्धि 289 और बहूद्देशीय छात्रावास संचालन, कोटा 83.90 लाख रुपया, व्यय रखा 35 लाख 16 रुपये, 200 का लक्ष्य रखा और 126 की उपलब्धि।

(श्री फूल सिंह मीणा)

यह पूर्व सरकार की पूरी गणित है, वह हमारे श्री संयम लोढ़ाजी कहां पर चले गये? वह कहां से यह आंकड़ा लाये? यह भी देख लें। यह जनजाति स्वरोजगार योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत लाभान्वित एवं व्यय की गयी राशि का विवरण। लक्ष्य 2017-18 का 3297, उपलब्धि संख्या 1322 और वित्तीय प्रगति लाखों में 125 और 2018-19 में 3 करोड़ रुपये, उपलब्धि 119 और खर्च हुआ 2.40, 2019-20 दिसम्बर तक 3 हजार का लक्ष्य संख्या और उपलब्धि 72 और खर्च हुआ है 30 हजार रुपये, यह आपकी उपलब्धि है।

जनजाति का बजट दूसरे विभागों पर खर्च हो रहा है। जनजाति में कौन करे? आप लोग बोलो तो करे। यह आपका मैं गणित बता रहा हूं। माडा क्लस्टर, जनजाति कल्याण निधि, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2019-20, माह दिसम्बर, 2019 तक छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन 1 लाख 20 हजार आबंटन, व्यय हुआ जीरो। लक्ष्य24 उपलब्धि जीरा। प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 77 हजार, व्यय जीरो लक्ष्य 22, उपलब्धि जीरो। कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता 1 लाख 47 हजार, लक्ष्य रखा 42, उपलब्धि जीरो। जनजाति छात्राओं को स्कूटी 10 लाख ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, यह तो मैं मेरा अभी बता रहा हूं, मैं उनको यह बता रहा हूं कि यदि मैं इनको पूरा अलग से बताऊं तो अभी तो आधा घंटा और लगेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने यह जो बताया कि यह कहां से क्या आकड़ा लाये हैं? मेरी इस विधान सभा के अंदर मांगें भी खूब हैं। छात्रावासों के संचालन हेतु एक प्लेसमेंट एजेंसी 300 जनों की फर्जी भर्ती करके अधिक राशि के बिल बनाकर कमीशन उठाया है। स्वच्छ परियोजना संस्थान कभी स्वयंसेवी संस्था बनती है तो कभी सरकारी। आदिवासियों के सरकारी पैसों से मेरे भाई, पहले भी बताया कि पूरे हिंदुस्तान में मजे लेने के लिए अपना दौरा कर रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। ज्वाइंट डाइरेक्टर के पद पर इतना लगाव था कि 2010 से स्वच्छ प्रोजेक्ट पर प्रतिनियुक्ति पर आये, 2013 में तबादले के साथ वह पोस्ट भी ले गये।

(श्री फूल सिंह मीणा)

रिटायर हुए को संविदा पर वापस पुनः लगा दिया गया। ऐसा क्या था जो इसमें आकर जनजाति विकास, ए.सी.बी. की कार्यवाही में, माननीय सभापति महोदय, 53 करोड़ रुपये की एफ.डी. मिली है, वह कहां से आयी, किस खाते में हुई? जनजाति विभाग द्वारा अपने चहेते मैसर्स मोहन ट्रेडर्स, उदयपुर को खाद्य सामग्री का टेंडर समस्त राजस्थान में दिया जा रहा है जबकि उक्त फर्म मोहन ट्रेडर्स को घटिया सामग्री आपूर्ति के कारण उपभोक्ता भण्डार कानफैड के द्वारा ब्लैक लिस्ट करने की सूची उदयपुर टी.ए.डी. को भिजवाने के बाद में भी उसी को टेंडर दिया जा रहा है।

श्री सभापतिः समाप्त करें। श्री लाखन सिंह।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर जनजाति परिवारों के लिए एनिकट वगैरह और उनका बी.पी.एल. सर्वे करवाकर उन्हें जो बी.पी.एल. में, माननीय सभापति महोदय, आज मैं यह बताना चाहता हूं कि एपी.एल. के पास में जो गाड़ियां हैं, जिनके पास गाडियां और बंगले हैं वह बी.पी.एल. में हैं और जो बी.पी.एल. है, वह ए.पी.एल. में हैं तो इसका सर्वे दुबारा करवाया जाए और वंचित बी.पी.एल. को वापस उसका अधिकार दिलायें। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-30 और 33 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज से 70 साल पहले देश गुलाम था और अंग्रेजों की गुलामी से जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद देश की स्थिति क्या थी? समानता का अधिकार नहीं था। एक बहुत बड़ा समाज दबे कुचले, पीड़ित, शोषित वर्ग था जो दोहरी गुलामी झेल रहा था। अपने देश में ही दोहरी गुलामी झेल रहा था। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि देश में क्या स्थिति है। जब संविधान सभा बनी, देश का कानून बना तो बाबा साहब ने इन शोषित, पीड़ित समाजों के लिए आरक्षण की मांग रखी और जो संविधान सभा में लोग थे उन्होंने उस बात को माना और एस.सी., एस.टी. के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा। सरकारें आयीं और बनती गयीं और इस आरक्षण को आगे बढ़ाती रहीं। अधिकतम उस संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे और आगे भी सरकारें कांग्रेस की ही बनीं तो इन्होंने उस आरक्षण को आगे बढ़ाने

(श्री लाखन सिंह)

का काम किया। जिस तरह से आज की जो स्थिति हम देखते हैं कि इन समाजों में देश को आजाद होने के बाद भी इस तरह का अत्याचार और शोषण होता है। यह कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम होता है। अभी भी हमें हमारे इस कानून में और सुधार की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातें जनजाति और सामाजिक क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। स्कूटी वितरण में देवनारायण योजना और जनजाति योजना में स्कूटी वितरित की जाती है, लेकिन अनुसूचित जाति योजना में स्कूटी वितरित नहीं की जाती। सरकारें बदलती हैं और चली जाती हैं लेकिन ऐसा उन बच्चियों ने क्या गुनाह किया है कि उन बच्चियों को स्कूटी नहीं दी जाती। मेरा सरकार से और मंत्रीजी से भी निवेदन है कि अनुसूचित जाति में भी बच्चियों को स्कूटी दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से आज विद्यालयों में होस्टल बनाये जा रहे हैं। माडा के माध्यम से जो हास्टल बनाये जा रहे हैं, इन होस्टलों की जो स्थिति है कि सालों निकल जाते हैं, लेकिन उनकी कोई देखरेख और जांच करने नहीं जाते। इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है आपके माध्यम से, कि एक ऐसी टीम गठित की जाए कि हास्टलों का सर्वे होना चाहिए और जिस तरह से बहुत-सी बातें आयी हैं कि हास्टल में जो वार्डन होते हैं, वह दारू पीते रहते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पैण्ड किया जाए। अगर हम जांच ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा? माननीय सभापति महोदय, हास्टलों में निःशुल्क भोजन व्यवस्था, नाश्ता आदि की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जूते, कपड़े और सारे सामान वहां मिलते हैं। ठेके पर टेण्डर दिया जाता है, लेकिन इनकी अगर जाकर आप क्वालिटी देखो तो क्वालिटी बहुत कमजोर मिलती है। मुख्य मंत्रीजी ने प्रति व्यक्ति जो पैसा बढ़ाया है, उसके लिये बहुत धन्यवाद है। हो सकता है कि आगे क्वालिटी सुधर जाए।

माननीय सभापति महोदय इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर साक्षात्कार करके पांच वर्ष के लिये लगाया जाता है। एल.डी.सी. यू.डी.सी., कनिष्ठ लेखाकार, छात्रावास वार्डन, सहायक कर्मचारी की भर्ती स्वयं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करता है। सन् 2019-20 में अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं।

(श्री लाखन सिंह)

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां एक स्कूल है, जो वजीरपुर में है। डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, छान तहसील वजीरपुर में। वहां 31 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में सिर्फ 9 पद भरे हुए हैं और 22 पद खाली हैं। ऐसे विद्यालय खोलने से क्या फायदा है कि वहा पर टीचर ही नहीं हैं? अगर वहां पर अध्यापक नहीं हैं तो उनको पढ़ाएगा कौन? 31 पदों में से 9 पदों पर ही लगे हुए हैं इसलिए मंत्रीजी से निवेदन है कि यह नोट करें और वहां पर यह जो पद खाली हैं. उनको भरने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा करौली विधान सभा क्षेत्र है, वह डांग क्षेत्र है। अधिकतर पिछड़ा हुआ इलाका है। मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मासलपुर क्षेत्र में एस.सी., एस.टी. की 80 प्रतिशत पापुलेशन है, उस पर डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया जाए और ग्राम कटकड़ में जनजाति की आबादी में एक माडल रेजिडेंशियल आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, कुछ अनियमितताएं हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की गरीब कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का श्रम करें। इसमें शादी के बाद में जब 50 हजार रुपये दिये जाते हैं, तो इसमें ऐसी अनियमितताएं होती हैं कि दो-दो साल तक वह चक्कर काटते रहते हैं, डायरी बनाते हैं। आज भी करौली में ऐसे कई व्यक्ति मेरे पास आते हैं जिनको दो साल हो गये, उस गरीब की बच्ची की शादी हुई है लेकिन वह उनको 50 हजार रुपये नहीं मिल रहे और भ्रष्टाचार इतना पनप रहा है कि अगर कोई रिश्वत देकर आता है तो उसको पैसे जल्दी मिल जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण सामने हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री लाखन सिंह (करौली): इस पर भी लगाम लगायी जाए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी अनुदान दिया जाता है 50 हजार का और 30 हजार का, जो सामाजिक संस्थाएं कराती हैं। इनके लिये आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने यह आयोजन कराया है और उनको 15 हजार रुपये का जो अनुदान दिया जाता है प्रति जोड़े का, वह भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है और कहते हैं कि जनजाति विभाग में खूब पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं पहुंच रहा है।

श्री सभापति: क्या हुआ माननीय सदस्य?

श्री लाखन सिंह (करौली) वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन व पालनहार योजना का जो भुगतान है, यह बहुत अच्छी योजनाएं हैं। पालनहार में जिसका कोई नहीं होता, उसको पालनहार में पैसा दिया जाता है, यह पैसा वास्तव में एक हजार रुपये दिया जाता है, यह बहुत कम है। इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। इसका भुगतान समय पर दिलाया जाए। कई बार बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं और पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिलती इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाए। करौली जिले में अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बालिकाओं की शुभशक्ति योजना की राशि का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। बालिकाओं की शादी के दो-दो, तीन-तीन वर्ष बाद तक भुगतान नहीं किया जाता है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हू कि शुभशक्ति योजनान्तर्गत दी जाने वाली राशि का भुगतान समय पर किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 9.00 बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि सदन का समय 9.00 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9:00 बजे तक बढ़ाया गया।

श्री गोतमलाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और 33 पर बोलने के लिये जो आपने मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हम विपक्ष में हैं, पिछली सरकार के गुणगान गाएंगे और जो सत्ता पक्ष में हैं, वह अपना गुणगान

(श्री गोतमलाल)

गाएंगे। यह जनजाति मंत्रालय बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत साहब ने इस मंत्रालय को बनाया और इसका पहला मंत्री नन्दलाल मीणा को बनाया और उन्होंने यह किया कि जनजाति क्षेत्र में अलग से यह मंत्रालय बनाएंगे ताकि जनजाति क्षेत्र में अच्छा विकास हो, शिक्षा में बढ़ावा हो। अभी बहुत सारे सदस्य कह रहे थे कि वन विभाग में बहुत सारे आदिवासियों को अब तक पट्टा नहीं मिला है। हमने बहुत आन्दोलन भी किये थे। हमारे नेता, प्रतिपक्ष, गुलाब चन्द जी कटारिया के नेतृत्व में, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत जी ने 1980 के पहले जिन आदिवासियों का कब्जा है, उनको वनाधिकार का पट्टा दिया।

(20.00 बजे)

उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार बनी और उन्होंने इसको आगे बढ़ा करके 2005 तक करने का काम किया। बहुत सारे लोगों को इसका पट्टा भी मिला है और बहुत सारे लोग आज भी पट्टे के अभाव में उनके प्रधानमंत्री आवास भी पास हुआ है तो उनके काम नहीं हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि शेखावत साहब के उस कार्यकाल में बहुत सारे विकास के काम भी हुए। काम के बदले अनाज योजना के माध्यम से कच्ची सड़कें भी हुईं, हर पंचायत मुख्यालय पर उन्होंने आठवीं तक की स्कूलें भी खोली थीं और ये छात्रावास का काम भी हुआ था और छोटे-मोटे और भी विकास के काम हुए थे। उन्होंने अंत्योदय योजना भी शुरू की थी और जनजाति छात्रावास खोले गये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बीच में जनजाति मंत्री हैं, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि दो बजट हो गये और दो बजट में आपने एक बार भी ये बैठक नहीं बुलाई है। नंदलाल मीणा जनजाति मंत्री थे, जब भी विधान सभा चलती थी तो वे हमको अधिकारियों के साथ में बैठा करके हमारी जो भी समस्याएं थीं, वे सुनते थे। कितना बजट खर्च हुआ, कितना बजट शेष है और कौन-कौनसा काम है, हमको कराते लेकिन हमारे अर्जुन जी बामनिया साहब जब से मंत्री बने हैं हमारी एक भी बैठक नहीं बुलाई ...(व्यवधान) और अगर सरकार पैसे नहीं दे रही है तो हमको बताएं कम से कम आपकी स्थिति क्या है?

(श्री गोतमलाल)

हम चार-पांच एम.एल.ए. मुख्य मंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के पास में गये थे आसपुर, सलूम्बर, गढ़ी और घाटोल वाले, हमने उनको ये बात बताई कि हमारे जो जनजाति मंत्रालय बना है, इसका बजट आ रहा है उसमें हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, न हमारे कोई मीटिंग हो रही, हमको कुछ काम दो तो उन्होंने उनके कोई सैक्रेटरी थे उनको बुलाया और उन्होंने टी.ए.डी. वाले अधिकारी को फोन किया था, उन्होंने कहा कि आपके प्रस्ताव दे देना। हमने वहां पर अपने प्रस्ताव भी दिये और प्रस्ताव वापस उदयपुर गये। हम वहां संभागीय आयुक्त साहब से भी मिले, उन्होंने कह दिया कि ये प्रस्ताव तो वापस जयपुर जाएंगे तो हमारे प्रस्ताव जयपुर और उदयपुर के बीच में अटकते रहे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि आपका काम करने का जो तरीका है वह बिल्कुल सही नहीं है। स्वीकृति आपके अधिकारी और आप मिलकर कर रहे हैं और हमारे किसी एम.एल.ए. को नहीं पूछ रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

जनजाति क्षेत्र में 250 तक की आबादी की तो सारी सड़कें स्वीकृत हो गईं लेकिन 250 से कम आबादी के ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर जाने के लिए रास्ता नहीं है, बीच में नाला है तो वहां पर पुलिया बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारी गांव-ढाणी बिखरी हुई है, जहां पर तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच घरों की बस्ती है, वहां पी.एच.ई.डी. के नोर्म्स में नहीं आता, वहां हैंडपम्प नहीं लगाते हैं तो हम वहां हैंडपम्प लगाने की मांग करते हैं। कई हमारी जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं वह हम आपके पास में रख सकते हैं। आपको सरकार ने जनजाति विभाग का मंत्री इसलिए बनाया है कि आप हमारी सुनो और हम वहां जनता की सुन करके आपके पास में आएं। जब आप खुद ही हमारी बात नहीं सुनते हो, हमारी मीटिंग नहीं बुलाते हो तो हमारे जनजातीय क्षेत्र में विकास कहां होगा?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बालिका छात्रावास बने हैं तो उनमें जो पुराने टायलेट बने हुए हैं उनमें इतनी गंदगी आ रही है और उनके जो बिस्तर वगैरह हैं वह भी पुराने हैं, तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आपके अधिकारियों को भेज करके ऐसे जो पुराने छात्रावास हैं उनमें अगर टायलेट वगैरह बदलने की आवश्यकता है, वहां कमरों की कमी है तो कमरे बनाने की आवश्यकता है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में बच्चे ज्यादा हैं और वहां पर कमरे की आवश्यकता है तो कई ऐसी जो

(श्री गोतमलाल)

समस्याएं हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कम से कम अभी तो आप भी फ्री थे, आप ठीक भी थे पहले आप बीमार थे लेकिन अभी तो हम सब ठीक थे तो कम से कम एक मीटिंग इन सब अधिकारियों की हमारे साथ में बैठ करके आप कहते कि, कौन-कौनसी हमारी समस्याएं हैं। आज बहुत सारे जो नए एम.एल.ए. आये हैं उनको तो आपके अधिकारी जानते भी नहीं तो कम से कम आप हमारा ध्यान रखें और हमारे क्षेत्र में जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं उन पर आप पूरा ध्यान करें।

टी.एस.पी. एरिया की आप बात कर रहे हो, टी.एस.पी. एरिया में शेखावत साहब ने, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द जी कटारिया साहब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने उदयपुर संभाग में अलग से ग्रामीण क्षेत्र का 15 परसेंट, ऐसा कुछ परसेंटेज बढ़ा करके क्षेत्र में जो शिक्षा विभाग में भर्ती हुई थी, तो वहां पर पहली बार लोगों को नौकरी मिलने का काम किया। उसके बाद में हमारी माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने टी.एस.पी. क्षेत्र में 45 परसेंट अलग, वहां के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनको नौकरी मिलेगी इसलिए हमारे वहां के उस क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी ने दिया था।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोतमलाल (धरियावद): अब इधर से भी बड़ाई करेंगे क्योंकि इनको करनी पड़ेगी, सरकार है और हमारी सरकार में पूर्व में जो काम किये हैं तो हम भी तो उसको बता सकते हैं न, माननीय सभापति महोदय। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितना भी विकास का काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हमारे सबसे ज्यादा विकास के काम हुए।

आप कह रहे हैं आरक्षण है, हम मान रहे हैं, बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर जी ने संविधान में संशोधन करके एस.सी., एस.टी. का आरक्षण किया था लेकिन 1994-95 में अगर पंचायती राज में आरक्षण को लागू किया है तो वह हमारे पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी ने लागू किया है। वहां सरपंच एस.टी. का बन रहा है कोई एस.सी. का बन रहा है, प्रधान बन रहे हैं, यह सारे जो बन रहे हैं वह माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने आरक्षण ला करके हमको सबको अधिकार देने का काम किया है। जो काम जिन्होंने अच्छा किया

(श्री गोतमलाल)

है उनको कहना चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि आपकी सरकार ने काम नहीं किये, जिसने जो काम किया है वह बताओ और हमारी सरकार ने जो काम किये वह हम बताएंगे।

आगे भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा। बोलने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ हमारे साथियों ने कह दिया है कि जनजातीय क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला है। हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने पंचायत समिति स्तर पर एक अभियान चलाया था, शिविर लगाया था, लोगों ने आवेदन किये लेकिन उसमें कुछ ऐसे आवेदन भी आ गये थे जो पुराने नहीं हैं तो उसके साथ-साथ में जो पुराने हैं उनके भी अटक गये। उनके पास में जो सबूत मांगते हैं कि रसीद लाओ और पुराने जमाने में कोई रसीद नहीं काटते थे। जो फोरेस्ट का अधिकारी, फोरेस्टर वगैरह होते थे वह खर्चा पानी ले लेता और चलो ठीक है तो उनके पास में रसीद नहीं है, पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि उनके कुए हैं, मकान बने हुए हैं ऐसे वहां वन क्षेत्र में जो आदिवासी बसे हुए हैं उनको पट्टा दिलाने में, मंत्री महोदय, आपका भी पूरा सहयोग रहे और आप ऐसे शिविर लगवाओ।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोतमलाल (धरियावद): बस समाप्त कर रहा हूं, मैं वैसे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं और मेरा नम्बर वैसे ही लास्ट में आता है, पहले बोलता है वह ज्यादा बोल लेता है। मैं तो आपके माध्यम से मंत्री जी को कहूंगा कि हम भी जनजातीय क्षेत्र से जीत कर आते हैं, कम से कम हमारा भी ध्यान रखो, हम भी जनता को जवाब दें, वहां कुछ काम होने चाहिए। इसमें आप हमारे साथ भेदभाव मत करो। महाराष्ट्र पैटर्न लागू करो, नहीं करो पर जितना बजट आता है उसमें से हमारे जो पल्ले पड़ता है, थोड़ा-थोड़ा हम सबको दो ताकि हम भी जनता का विकास कर सकें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे आज मांग संख्या 30 और 33 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं डाक्टर भीमराव

(श्री गोपाल लाल मीना)

अंबेडकर जी को नमन करता हूं और कहना चाहूंगा कि अभी हमारे गणेश घोघरा जी ने कहा कि आरक्षण कांग्रेस की देन है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि एस.सी. और एस.टी. को आरक्षण देने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है और आज हम यहां पर बैठे हैं, चाहे पक्ष के बैठे हैं चाहे विपक्ष के बैठे हैं, हमारा आरक्षण डाक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मैं याद करूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जिन्होंने हमारे देश में सरकार रहते हुए हमारे एस.टी. और एस.सी. को आरक्षण दिया। अभी सामने बहुत सारे एस.टी., एस.सी. के विधायकों ने इसका विरोध किया, विरोध करना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी का जन्म ही 1980 में हुआ है तो इसलिए विरोध करना आपके लिए उचित नहीं है।

अभी माननीय सदस्यों ने जनजाति के लोगों की कई पीड़ाओं से यहां सदन को अवगत करवाया। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने आदिवासी क्षेत्रों में वन क्षेत्र में पट्टे देने का जो आदेश किया था टी.एस.पी. एरिया में बहुत से लोगों को पट्टे मिले। मैं सभापति जी के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि जो नोन टी.एस.पी. एरिया है उसमें वन क्षेत्र में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको भी पट्टे मिले, उनके फार्म भी भरवाये गये, सारे काम हो गये लेकिन उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले तो मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि उनको भी समय पर पट्टे मिलें ताकि वह जो वन क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं, उनको इसका फायदा मिल सके टीएसपी और नोन टीएसपी एरिया में स्कूटियां दी जा रही हैं। छात्राओं को इसके लिए 65 प्रतिशत अंकों की जरूरत होती है, लेकिन ऑनलाइन में उनका फार्म 75 परसेंट पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। मैं सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें। जो लड़कियां हैं उनके फार्म 65 परसेंट पर ही एक्सेप्ट हों, उन्हें भी स्कूटियां मिलें।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि जो संविधान के अनुसार हमें बजट आबंटन होता है, वह एसटी और एससी के अनुसार ही उनकी योजनाओं और उन ही विभागों में काम आए। हमारे वहां पहाड़ी क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में जहां पर आवश्यकता है, जहां हमारे लोग परेशान हैं, उनके पास सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। उनके लिए अगर

(श्री गोपाल लाल मीना)

बजट काम आएगा तो उन क्षेत्रों का विकास होगा। इस ओर आप विशेष ध्यान दें।

सभापति महोदय, हरदम यही होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी बजट पूरा नहीं होता था, लेकिन हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा जो बैकलाग कोटा है, उसके लिए उन्होंने आदेश फर्माए हैं कि बैकलाग कोटा पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने आदेश फर्माया है कि हम बैकलाग पूर्ण करेंगे। मैं साथ ही कहना चाहूंगा कि इसके लिए एक कमेटी बने ताकि हमारा बैकलाग कोटा पूर्ण हो पाए। इससे हमारे छात्रों को फायदा मिलेगा। सरकार इस ओर ध्यान दे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ समाज है। क्या कारण है कि सरकार द्वारा इन वर्गों हेतु जो बजट उपलब्ध कराया जाता है, वह पूरा खर्च नहीं हो पाता है? मेरा इसमें एक सुझाव है कि बजट खर्च करने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। अगर इसमें कोई लापरवाही करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो एसटी और एससी का बजट है, वह इन योजनाओं में ही पूर्ण खर्च किया जाए।

हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने गरीबों की पेंशन 500 रुपये से 750 रुपये की है और 750 से 1000 रुपये की है। यह अच्छी बात है। पिछली सरकार में भी उन्होंने मेरी विधान सभा के 30 हजार लोगों को पेंशन दी। पूर्ववर्ती सरकार ने जो गरीब लोग थे, उनकी पेंशन को रोका। इस बार पुन: पेंशन चालू करवा दी गई है। जहां गरीब लोग रह गए, दिव्यांग रह गए, पालनहार के लोग रह गए, उन सबके लिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनको पेंशन पूर्ण रूप से मिल जाए।

मैं आदरणीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं कहूंगा कि जो टीएसपी एरिया है और नोन टीएसपी एरिया है उसमें जो हमारा बजट आता है, नोन टीएसपी एरिये में भी उस बजट को पानी, बिजली, एनिकट आदि सभी क्षेत्रों में खर्च किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, जमवारामगढ़ क्षेत्र में अम्बेडकर विश्वविद्यालय को

(श्री गोपाल लाल मीना)

2013 में खोला गया था। उसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी को कि अभी हमारी सरकार आई और पुन: उसको खोला गया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): उसको पुन: खोला गया।

श्री सभापति: श्री प्रताप लाल भील। विराजिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): आपने तो बंद करने का काम किया था।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। श्री प्रताप लाल भील।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): अम्बेडकर विश्वविद्यालय और हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय को खोला गया।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 10 बच्चे थे, केवल 10 बच्चे।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): 000

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को धन्यवाद दूंगा। हां, हां, पूर्व।

श्री सभापति: इंटरवीन मत करो। आप इधर देखिए इधर। आप उनसे बात मत करिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): टीएसपी एरिये के विस्तार के लिए कैबिनेट में पास कराकर के भारत सरकार को भेजी। देश के प्रधान मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि टीएसपी एरिये का विस्तार किया। उसमें चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, पाली, सिरोही जिलों तक विस्तार हुआ। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें पूरा गोगुन्दा ब्लाक टीएसपी एरिये में नहीं था। अब टीएसपी एरिया होने से वहां पर किसानों की बिजली कनेक्शन की फाइलें

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

2012 तक की थीं, उन सभी 8 हजार फाइलों को एक साथ डिमांड नोटिस जारी हो गया। सभी को बिजली कनेक्शन देने का काम किया, लेकिन सरकार के परिवर्तन होने से अभी 2015 तक के ही कनेक्शन दे पाए हैं। पूर्व में भी मैंने यहां पर प्रश्न लगाया था। मुझे बताया गया कि हम बहुत ही जल्दी कनेक्शन करेंगे।

उसके अलावा मेरे यहां पर एकलव्य मॉडल विद्यालय की स्वीकृति हुई। यह 26 करोड़ रुपये की हुई जिसमें 240 लड़के और 240 लड़कियां वहां पढ़ रहे हैं। बालक छात्रावास का काम अधूरा है। आज ही मैंने प्रश्न लगाया था। उसमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वहां पर बहुत ही जल्दी छात्रावास निर्माण का काम हो जाएगा।

सभापति महोदय, हमारा एक छात्रावास रावच में हैं जिसकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। सन् 1985 में वह बिल्डिंग बनी थी। उसके बाद में उसका काम नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस बिल्डिंग का काम भी करें। वहां पर अभी 50 ही बैड हैं। इनकी भी आप संख्या बढ़ाएं। उसी के पास में एक विद्यालय है। उसकी बिल्डिंग का काम भी करवाना है।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां पर गत सरकार ने मां बाड़ी केन्द्र खोले थे। उन सभी के भवन नहीं बने हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन भवनों का निर्माण भी जल्दी कराएं।

इसके अलावा हमारे यहां एक समस्या और आ रही है कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। वन विभाग का एरिया आता है। वन विभाग के एरिये में यदि कोई कृषि का कनेक्शन थ्री फेज का लेना चाहता है तो विभाग उसको एनओसी नहीं देता है। वह यह कहकर के टाल देते हैं कि यह एक व्यक्तिगत कनेक्शन है। व्यक्तिगत में हम उनको परमिशन नहीं देंगे। राज्य सरकार के स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन काश्तकार को जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जंगल में बैठे हुए हैं उनको कृषि का कनेक्शन मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे यहां पर बार-बार एक समस्या आ रही थी कि छात्रावासों में जो हमारे बालक-बालिकाएं पढ़ रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी, बोर्ड की परीक्षाएं अभी चालू होने वाली हैं और अभी तक उनकी ड्रैस की छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। मैं इसके लिये मांग करूंगा कि इसकी भी बहुत जल्द व्यवस्था कराएं।

इसके अलावा मेरपुर और चाली में बालिका छात्रावास हैं वहां पर वार्डन

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

का जो पद है वह रिक्त है। इसका अतिरिक्त चार्ज किसी को दे रखा है। वहां पर एक चौकीदार के भरोसे अपनी बालिकाएं पढ़ती हैं। दो-तीन बार ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं, आपको पता है कि मेरपुर और कोटड़ा के बीच जंगल में वह छात्रावास है और वहां पर अपनी बालिकाएं अकेली रहती हैं एक चौकीदार के भरोसे तो कैसे काम चलेगा? मेरा निवेदन है कि वहां पर व्यवस्था करें। इसके अलावा एक सुझाव मेरा यह है कि हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर सामूहिक कुओं का निर्माण कराया जाए ताकि वहां पर उस पानी से सिंचाई का काम भी हो जाए और पीने के काम भी आ जाए।

माननीय सभापति महोदय, यदि आप जैसे मैंने बताया कि कृषि का कनेक्शन नहीं देना चाह रहे हैं तो सौर ऊर्जा की ऐसी व्यवस्था की जाए उसमें आपकी 100 परसेंट राशि जनजाति विभाग वहन करे और उन काश्तकारों को जिन्होंने वहां पर फाइल भरी है, डिमाण्ड भरी है, उन लोगों को कृषि का कनेक्शन सौर ऊर्जा के माध्यम से देना चाहिये। इसके अलावा एक समस्या और आ रही है, जो जनजाति क्षेत्र में कृषि कनेक्शन लेता है तो कनेक्शन लेने के बाद उसको बीपीएल में है तो उसको डिमाण्ड का पैसे के लिये 15 हजार रुपये जनजाति विभाग और देता है। वह साल भर से उसका पेमेंट नहीं मिलने के कारण फाइल नहीं भर पा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह काम भी अपने को करना है।

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर रोजगार की व्यवस्था के लिये तीन आईटीआई बने हुए हैं, स्वीकृत हैं उनको भी चालू कराए और पेयजल की व्यवस्था भी करानी है। हैण्डपम्प और पाइपें हमको दिलायी जाएं। सबसे पहले तो हमारे यहां पर एकलव्य मॉडल का जो छात्रावास है वह इसी वर्ष मंत्रीजी चालू करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30 और 33 पर बोलने के लिये मुझे मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मांग संख्या 33 पर बोल देता हूं। प्रतापगढ़ में एससी के विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं उनकी स्थिति भी गरीब आदिवासियों के बराबर ही है लेकिन उनका अलग से आज तक भी होस्टल नहीं है इसलिये उनके होस्टल की मांग करता हूं। गुर्जर समाज के लोग भी हमारे यहां रहते हैं उनके भी होस्टल नहीं हैं, उनके भी मैं हॉस्टल की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के समाज कल्याण के जो होस्टल्स हैं उनकी स्थिति बहुत गम्भीर है। वहां पर बिस्तर, पलंग आदि सारे टूटे हुए हैं उन सबकी व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, सुबह माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब कह रहे थे। वे मेरे पुराने गुरू भी रहे हुए हैं। आदिवासियों की जमीन को कौड़ियों के भाव लेकर आवासीय व वाणिज्यिक भू उपयोग में कन्वर्ट करके ऐसी स्थिति भी बनी है कि एक-एक बीघा जमीन आदिवासियों से ली लेकिन गरीब अनपढ़ थे वे, उनकी जान बूझकर चालाकी करके एक-एक बीघा की जगह, पांच-पांच बीघा, दस-दस बीघा खातेदारी करवा दी गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जमीन का राजस्व विभाग की टीम बनाकर उसमें जनजाति विभाग के सदस्य भी हों, पुलिस के अधिकारी हों, सब मिलकर जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर टीम बनायी जाए और दस किलोमीटर के रेडियस में जहां-जहां ऐसे लोग काबिज हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और जमीन वापस आदिवासियों को दिलायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में एक मेहन्दी खेड़ा गांव है, एक जाम्बूवेला गांव है, एक ग्यासपुर गांव है, इन गांवों में काफी समय पहले जब अमीन आये थे। सैटलमेंट के टाइम पर, उस समय जमीन उन आदिवासियों के नाम पर थी लेकिन उस समय उनके पास दस-बीस रुपये थे नहीं तो उस जमीन को या तो वे चरणोट करके चले गये या बिलानाम लिख कर चले गये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्व विभाग की टीम और अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की टीम जाकर, वह जमीन आदिवासियों को अलोट भी हो गयी थी, उसके कागज भी हैं, कोर्ट में वापस जीत भी चुके थे, उसके बाद भी वह जमीन उनको नहीं मिली है। वहां पर वन विभाग के

(श्री रामलाल मीणा)

अधिकारी जाकर बार-बार खाई खोदने की कोशिश करते हैं ऐसे मेहन्दी खेड़ा गांव, ग्यासपुर गांव, जाम्बूवेला गांव में वह जमीन वापस उनको दिलायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार जब थी तो गरीब आदिवासियों को जहां-जहां वे बिलानाम जमीन पर बैठे हुए थे, अभियान चलाकर खातेदारी के पट्टे दिये थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो न तो उनको बिलानाम जमीन को खाते करने के लिए कुछ दिया। अभी हमारे धरियावद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वसुन्धराजी के समय पर वनाधिकार के भी पट्टे मिले हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पांच साल के अंदर एक भी पट्टा वसुन्धरा जी के समय पर मिला हो तो आप सब मुझे बता दें। लेकिन अशोक जी गहलोत आते ही, ...(व्यवधान) अशोकजी गहलोत आते ही पूरे क्षेत्र में एक आर्डर जारी कर दिया कि ऑनलाइन भी पट्टे मिलेंगे, कैसे भी करके मिलेंगे, आदिवासी जहां भी जिस भी स्थिति में रह रहा है उसे वनाधिकार के पट्टे दिये जाएंगे। प्रभारी मंत्रीजी क्षेत्र में आये और हमारे वहां वनाधिकार के पट्टे मिले। माननीय सदस्य गणेश घोघराजी कह रहे थे, बीच में अनिता भदेल, पूर्व मंत्रीजी और हमारे अन्य साथी लोग कह रहे थे कि भाजपा की देन है आरक्षण लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर भीमरावजी अम्बेडकर नहीं होते तो आप और हम भी यहां नहीं होते और न तो मोदीजी होते और न आप होते। यह बात भी आपके सामने मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा आप सभी से निवेदन है अभी हमारे भाई घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे प्रतापगढ़ में हाड़ी रानी बटालियन की स्थापना की। आप इतिहास उठाकर देख लो, सारे कागज उठाकर देख लो, प्रतापगढ़ में हाड़ी रानी बटालियन की स्थापना अगर वसुन्धरा जी ने की हो, कहीं कोई नाम नहीं उनका, किसने कहा? महाराणा प्रताप बटालियन की स्थापना की, वह भी मेरे आंदोलन करने के बाद में की और उसमें सिर्फ 29 लड़के प्रतापगढ़ के लगे हैं, इसके अलावा नहीं लगे हैं, आप सबको पता होगा।

अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पर अत्याचार होता है, किसने कहा कि अत्याचार होता है, उलटे भाजपा के टाइम पर अत्याचार होता है। आप नन्द लालजी मीणा की बात कर रहे थे। नन्द लालजी मीणा डूंगरपुर गये थे। वहां के युवा भील प्रदेश की मांग कर रहे थे, भील प्रदेश की मांग खाली वहां के आदिवासी युवा ही नहीं करते हैं, वहां के आदिवासी सहित ओबीसी, जनरल, सभी लोग भील प्रदेश की मांग करते हैं। उनसे गलती इतनी-सी हो

(श्री रामलाल मीणा)

गयी कि मैं भी इनका समर्थन करता हूं। उसके बाद महारानी वसुन्धरा जी ने क्या किया, आप सबको पता है। नन्द लालजी मीणा के पावर खतम करके एक साल तक बिना पावर लाल बत्ती के घुमाया आप लोगों ने, यह अत्याचार नहीं है तो और क्या है, आप बताओ मुझे। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आज आप बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हो, उसके बाद में आप सबने देखा होगा। आदिवासी क्षेत्र है उदयपुर संभाग ...(व्यवधान)।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य। (व्यवधान) बोलने दें माननीय सदस्य, नये माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): इतना अत्याचार मत करो हमारे ऊपर। माननीय सदस्य, राम लालजी शर्मा, आप मेजें बहुत थपथपाते हैं कोई बात नहीं। माननीय सभापति महोदय, आज पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के बोलने का समय है तो थोड़ा बहुत समय देंगे, मेरे पर थोड़ी मेहरबानी करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी प्रतापगढ़ जिला देश आजाद होने के बाद भी था, ट्रांसफर हो गया था, वापस आया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, पहले जिला कार्यालय भी था, एडिशनल कार्यालय भी चलते थे, सारे कार्यालय पहले वहां पर चलते थे। इसलिये सिर्फ जिला कलेक्टर कार्यालय लिखा है और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं अब हुई हैं माननीय सदस्यों।

माननीय सभापति महोदय, आप सबको पता है कि मैंने पिछले सत्र में एक प्रश्न लगाया था जिसमें आदिवासी क्षेत्र के आदिवासियों के साथ में दारू के नाम पर एवं अन्य मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज किये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में क्योंकि उदयपुर संभाग पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और पांचवीं अनुसूची के नियम पूरे तरीके से लागू करें और उसमें लिखा हुआ था, मैंने कहा था कि ग्राम सभा के मार्फत से कितने केस सैटल किये गये तो उन्होंने कहा कि ग्राम सभा गठित नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अभियान चलाकर पूरे टीएसपी क्षेत्र में गांव-गांव में ग्राम सभाओं का गठन कराएं, शांति समितियों का गठन कराएं ताकि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके।

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे इस आदिवासी क्षेत्र में 2021 में जनगणना होने वाली है, उस जनगणना के अंदर क्योंकि भारत के संविधान में है, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर यह कहा गया है कि आदिवासी हिन्दू नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार से जैन समाज, ईसाई समाज, हिन्दू समाज का अलग से धर्म का कालम होता है उसी प्रकार से 2021 की जो जनगणना होगी, आप यहां से माननीय प्रधान मंत्रीजी को लैटर लिखें कि उसमें आदिवासी कालम अलग से हो ताकि हमारे यहां के लोगों के लिए व्यवस्था की जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने महाराणा प्रताप बटालियन की घोषणा मेरे प्रतापगढ़ में की थी, जिसकी वजह से आज मेरे प्रतापगढ़ में 2018 की जो पुलिस की वैकेन्सी आयी, उसमें मात्र आठ सीटें आयी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस के कान्स्टेबलों की जो संख्या है, उसे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्र मीणा। श्री समाराम गरासिया। विराजिए माननीय सदस्य। विराजिए आप।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी तक तो मैं बोल ही नहीं पाया हूं।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आदिवासी बार-बार रैली, आंदोलन करके 12 परसेंट में से 5.5 की मांग कर रहे हैं...

श्री सभापति: आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 000

श्री सभापति: समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और मांग संख्या 33 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिए आप। विराजिए माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। कुछ सीख लीजिए। विराजिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय जी, मांग संख्या 30 एवं 33 पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप। प्लीज सहयोग करें। विराजिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय जी, बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहां के आदिवासी बिखरी बस्तियों में, पहाड़ियों में दुर्गम स्थलों पर मकान बनाकर अपना जीवनयापन करते हैं तथा इनका परिवार खेती-मजदूरी पर आधारित है।

श्री सभापति: अभी कौन बोल रहे हैं? समाराम गरासिया।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय जी, यहां पर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। परिवार में एक-दो लोगों को छोड़कर सभी लोगों को निकट के राज्य गुजरात में मजदूरी करने के लिए पलायन करना पड़ता है, जबकि मनरेगा योजना के अंतर्गत सौ दिन का रोजगार देने का जो प्रावधान है।

श्री सभापति: ये कौन हैं?

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): पिछले 2019-20 में बांसवाड़ा जिले में मात्र 10536 लोगों को सौ दिन का रोजगार दिया गया...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए आप। अलाउ नहीं करूंगा मैं।

एक माननीय सदस्य: आपका नाम क्या है?

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): नाम मेरा था साहब रामलाल मीणा जी के बाद।

श्री सभापति: तीन से चार दफा आपका नाम बुला लिया, तब तो आप बाहर घूमेंगे। आपको उसी समय खड़े होना चाहिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): यहीं था सर मैं, खड़ा था न।

श्री सभापति: मैंने नाम पुकारा था श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): खड़ा था सर मैं यहीं।

श्री सभापति: कैलाशचन्द्र मीणा तीन-चार दफा नाम पुकार लिया, उसके बाद भी आप नहीं बोले। (व्यवधान)

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय जी, मेरे क्षेत्र के लोग पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्र होने के कारण पानी, चिकित्सा, सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर गम्भीर समस्या से जीवनयापन करने को मजबूर हैं। शिक्षा का अभाव भी है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि पूर्व मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने टीएडी विभाग का गठन करके आदिवासी क्षेत्र के कल्याण के लिए जो योजना बनायी, उसी बात को लेकर हम यहां पर आज चर्चा कर रहे हैं।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार के कुल बजट का 13.45 प्रतिशत बजट टीएसपी क्षेत्र को नियमानुसार मिलना चाहिए और सरकार अगर इसका आबंटन करती है तो पानी बिजली, सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, नहरों का नवीनीकरण आसानी से हो सकता है। टीएसपी क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे कई साथी बंधुओं ने अभी आदिवासी कोड के लिए, हिन्दू धर्म के लिए चर्चा का विषय रखा। आरक्षण का विषय भी बीच-बीच में आया। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब यहां ट्राइबल के जितने भी विधायक बैठे हैं, हम वाल्मीकि ऋषि के वंशज हैं और वाल्मीकि ऋषि ने भगवान से एक वरदान मांगा था कि चारजोग सेलावारा में हमारी (आदिवासी) वालसानी कोल ऊपर आनी चाहिए। राजगद्दी, गुरुगाड़ी, धरमगाड़ी वालसानी कोल आनी चाहिए। यह उन्होंने वरदान मांगा और वाल्मीकि ऋषि ने भगवान राम के पैदा होने के पहले रामायण लिखी और भगवान राम और पाण्डवों ने वनवास भोगा और उस समय आदिवासियों ने भगवान राम और पाण्डवों की पूरी सेवा की, उनकी सुरक्षा की, इसलिए मैं यह कहता हूं कि हिन्दू धर्म का प्रमुख अंग अगर कोई है तो आदिवासी ही हैं।

हमारे समाज में भ्रम फैलाने की बात की जा रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की बातें होना सदन में ठीक नहीं है। माननीय

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

सभापति महोदय, हमारे वागड़ का दुर्भाग्य है कि हमारे जनजाति मंत्री वागड़ क्षेत्र से आते हैं और बांसवाड़ा जिले की सम्पूर्ण स्थिति को जानते हैं, लेकिन वर्ष 2018-19 में हमारे बांसवाड़ा जिले में पांच हजार जनजाति के कृषकों को दो-दो लाख तक कुएं गहरे करने की स्वीकृतियां प्रदान हुईं और यहां तक कि पूरे उदयपुर सम्भाग को मिलाकर बीस से पच्चीस हजार किसानों के कुओं की स्वीकृतियां प्रदान की गयी थीं। आज दिन तक इन किसानों को मजदूरी का पैसा नहीं मिला। इन किसानों को सामग्री का पैसा नहीं मिला। किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ब्याज पर जमीन गिरवी रखकर उन्होंने अपने कुओं का काम पूरा करवाया। मेरा आपसे अनुरोध है कि तत्काल इनका भुगतान कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय जी, हमारे वागड़ क्षेत्र में पूर्व मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा राजे सिंधिया जी और हमारे वागड़ के नेता गुलाब चन्द जी कटारिया साहब ने वागड़ क्षेत्र और ट्राइबल बैल्ट का ध्यान रखते हुए गुरु गोविन्द विश्वविद्यालय हमारे उदयपुर से बांसवाड़ा को दिया।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): डूंगरपुर में मेडिकल कालेज दिया और केंद्र सरकार ने बांसवाड़ा में मेडिकल कालेज देकर हमारे इस आदिवासी क्षेत्र को ऊपर उठाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि 14-15 माह से हमारे क्षेत्र में जल ग्रहण, एनिकट, पुलिया निर्माण, जनजाति के लोगों के लिए सड़कें, विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, सीसी सड़कें, पहाड़ों एवं बिखरी बस्तियों में हैंड पम्प, सिंचाई के लिए निजी कूप निर्माण आदि स्वीकृत करना आवश्यक है। बालिकाओं की बिखरी बस्तियों में मां बाड़ी खोलने के लिए सौर ऊर्जा चलित लिफ्टें आदि की स्वीकृति जारी नहीं की गयी हैं, स्वीकृति जारी की जाए।

हमारे साथ पक्षपात किया गया है। हमारा दुर्भाग्य है कि परामर्शदात्री की बैठक भी आज दिन तक नहीं हो पायी है। हमारे ट्राइबल बैल्ट का विकास किस तरह से हो सकता है, यह एक सोचने का विषय है। माननीय सभापति महोदय जी, टीएसपी क्षेत्र के जनजाति आश्रम छात्रावासों की स्थिति खराब हो रखी है, दुर्दशा है, बालकों को विभाग द्वारा पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। वार्डन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि टीएसपी क्षेत्र के लिए बजट दिया जाए एवं प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मापदण्ड अनुसार समान रूप से कार्य स्वीकृत कराये जाएं।

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत समस्त वर्ग के लोग, चाहे वे सामान्य जाति के हों या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, सभी गरीब श्रेणी में आते हैं और सभी गरीब श्रेणी के लोगों को किसी न किसी तरह से लाभ मिलना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): मेरा आपसे अनुरोध है कि जनजाति विकास विभाग में प्रतिवर्ष आबंटित बजट का उपयोग पूरा नहीं होता है। एसटी वर्ग की सरकारी भर्तियों में सभी विभागों में चल रहे रिक्त पदों के बैकलाग को पूरा भरना आवश्यक है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): 000

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदौरा): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 30 और 33 पर आज पूरा यह सदन उस गरीब परिवार और गरीब तबके के लिए आने वाले एक वर्ष में क्या योजनाएं हाथ में ली जाएंगी, जिससे इनकी गरीबी दूर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, वे आत्मनिर्भर बन सकें, इस पर चर्चा कर रहा है। माननीय सभापति जी, यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, इस सदन में हम जितने भी बैठे हुए हैं, इसमें से तीस प्रतिशत लोग एसटी-एससी के हैं। 13 तो हम एसटी हैं और 17 एससी हैं। इसके करीबन 76 के आसपास विधायक यहां पर बैठे हुए हैं।

यह कहते हुए खुशी भी हो रही है और मन में दुख भी हो रहा है कि यह जो डिबेट हो रही है, यह विकास के लिए न होकर मैंने क्या किया, आपने क्या किया, इस पर हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं, कटारिया जी हमारे सबसे सीनियर हैं, वे भी पधारे हैं कि कटारिया जी के साथ में दस हमारे आदिवासी एमएलए लग जाएंगे तो हमारे दस आदिवासी एमएलए लग जाएंगे यहां पर धारीवाल जी के साथ में। मेहरबानी करके बीस कभी भी एक नहीं होंगे। अगर ये बीस कभी एक नहीं होंगे तो न तो इधर का विकास होगा और न उधर का विकास होगा।

(20.40 बजे)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

सच्चाई है, किसी को बुरा लगे चाहे। (व्यवधान) सुनेंगे तो मजा आएगा। शाम को एक रोटी ज्यादा खाएंगे।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

माननीय अध्यक्ष महोदय अब तो पधार गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय अब आ गये तो मेरे खतरे की घंटी बढ़ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर से कह रहे हैं कि आरक्षण हम लेकर आये, इधर से कह रहे हैं कि आरक्षण हम लेकर आये। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मुझे उस जमाने की याद है क्योंकि मैम्बर आफ पार्लियामेंट मैं भी रहा हूं। उस लोक सभा में आपकी एक सीट नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंदिरा गांधी जी को कि उन्होंने कांग्रेस के सांसद का इस्तीफा दिलवाया और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी को वहां सदन में बुलाया। क्यों बुलवाया? अटल बिहारी वाजपेयी मात्र भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, वे राष्ट्र की सम्पत्ति थी। इसलिए इस मौके पर कहना चाहता हूं कि चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, हम गरीबों के ऊपर दया करो। बेहतर क्या कानून बन सकता है, बेहतर क्या योजना ला सकते हैं। आज भी गांवों में जाकर देखते हैं कि मकान में लाइट नहीं पहुंची है, सड़क नहीं पहुंची है और कोई कहता है कांग्रेस की गलती, कोई कहता है भाजपा की गलती है। नहीं, कांग्रेस की भी गलती है तो भाजपा की भी गलती है और गलती जिसने की उसको तो छोड़ो, सब मिलकर उस आदमी को मुख्य विचारधारा में, विकास की धारा में लाओ। इस सदन में सात करोड़ की जनता ने 200 आदमियों को भेज दिया और हम आपस में बाहें चढ़ा रहे हैं, किसी को अच्छा कह रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी को आरक्षण की बात कह रहे हैं।

मैं धन्यवाद करता हूं डाक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की तपस्या की उनकी पूरी कमेटी ने और उस जमाने में इनका बड़ा लक्ष्य था कि आने वाला देश कैसा होगा, उस देश में गरीब लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा, एसटी, एससी का क्या होगा, ओबीसी का क्या होगा, माइनोरिटी का क्या होगा, कितना बड़ा विजन उन लोगों का था। उस वक्त उन्होंने एक व्यवस्था दी ताकि सब जनता ठीक ढंग से अपने जीवन को जी सके और उसी का परिणाम है कि आज कोई 70 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, अगर आरक्षण के चार शब्द संविधान में नहीं लिखे होते तो मैं भी जो आज बढ़िया कपड़े पहनकर घूम रहा हूं वह कोई हल जोतता या गुजरात में कहीं जाकर मजदूरी करता। यह स्थिति हमारी सबकी होती। आज कोई कहता है कि इस देश में कुछ विकास नहीं हुआ, कोई देश में आगे नहीं बढ़ा। कौन कहता है, क्यों ऐसा कहते हो? अगर कोई कहता है तो इस देश की इज्जत को

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

खराब कर रहे हो, आप सब मिलकर इस देश की इज्जत को खराब कर रहे हो। इस देश में क्या नहीं हुआ है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज टीएडी का मामला है, मैं जोरूणा के होस्टल में पढ़ता था और जब होस्टल में पढ़ता था तो अमरीका से ज्वार-बाजरा आता, तब हम खाना खाते थे। एक वक्त जान-बूझकर मैंने सब लड़कों को अन्धा कर दिया और अन्धा करके हास्पिटल में भर्ती करा दिया क्योंकि बाजार में गया था तो वहां गेहूं की रोटी भी देखकर आया था। मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं गेहूं की रोटी कैसे खाऊं चालाक आदमी था इसलिए सब बच्चों को अंधा किया और कलेक्टर को वायरलैस किया कि सब बच्चे ज्वार खाकर अंधे हो गए हैं। शाम पड़ते ही दस क्विंटल गेहूं आया और उस दिन मैंने अपने जीवन में गेहूं की रोटी खायी थी। आज धन्य हो, जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वाली उस कांग्रेस पार्टी को, पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू जैसे लोगों का विजन था उनके जीवन के अन्दर कि जो देश की नदियां बहकर जा रही हैं उनको बांधो, अन्न का उत्पादन करो, विदेशों पर निर्भर मत रहो और उसी का परिणाम है कि आज आदिवासी दो वक्त की रोटी खा रहा है, लड्डू भी खा रहा है, लापसी भी खा रहा है और मोटर साइकिल पर घूम रहा है, साइकिल पर घूम रहा है, मोबाइल चला रहा है, डाक्टर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, एसपी बन रहा है।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को कि जब पहली बार मुख्य मंत्री साक्षरता का अभियान चलाया -

''ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के,
पूछती है झोपड़ियां और पूछते हैं खेत,
कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के,
मेहनत करके पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो,
जय साक्षरता, जय-जय साक्षरता।''

उसका आज परिणाम है कि कटारिया जी और सब बैठे हुए हैं कि आज उदयपुर डिवीजन में 700 आदिवासी लड़के डाक्टर हैं और कई जगह तो पी ओ और सीईओ में हो गये हैं। यह उस साक्षरता आंदोलन और हमारे गांधीवादी मुख्य मंत्री का विजन था कि इस आदिवासी की झोपड़ी के अन्दर भी बच्चा डाक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बने। आज मुझे कहते हुए बहुत

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

खुशी है कि डूंगरपुर की एक बेटी और घाटोल की एक बेटी अभी यूपीएससी के अन्दर आईएएस बनकर कलेक्टर बनी है। वह एक बहुत बड़ा विजन हमारा था और यह आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो हम आज इस मुकाम पर नहीं होते।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत हैं करने के लिए। उस दक्षिणी राजस्थान के अन्दर, देश की आजादी के अन्दर इस आदिवासी समाज ने त्याग, तपस्या और प्राणों को न्यौछावर करने में कोई कमी नहीं रखी है। कहां जलियांवाला बाग़ की घटना घटी और कहां मानगढ़ में 17 नवम्बर, 1913 में, उस जमाने में भी हमने अलख जगाई थी, पढ़ाई की, लिखाई की, भक्ति की और देश की आजादी की। इस मानगढ़ के पहाड़ के ऊपर डेढ़ हजार आदिवासी भाइयों को अंग्रेजों ने गोली मार दी लेकिन फिर भी वह आदिवासी नहीं डरा और उस मानगढ़ के ऊपर गुरु गोविन्द ने गीत आया कि-

"मानगढ़ माथै वैराहे भुरेठिया मैं मांगू रै मैं मांगू, दिल्ली मां म्हारी कुर्सी है अहमदाबाद म्हारी जाजम है भूरेठ, न मानूं रै।"

नहीं माने। आखिर में अंग्रेजों को जाना पड़ा 15 अगस्त, 1947 को और देश आजाद हो गया। उस आजादी की सांस हम ले रहे हैं और उसी का हम मजा आज ले रहे हैं। देश की आजादी के बाद में सरकार आपकी रही हो, चाहे हमारी रही हो पर काम बहुत हुआ है। देश का भूगोल बदला है तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है, सब कुछ बदला है लेकिन जब हम अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में अगर हम खड़े होकर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है तो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की मांग के ऊपर मैंने अपनी बात रखी थी और आप तो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं क्योंकि आप भी हमारे उस ट्राइबल क्षेत्र से आते हो। चाहे वो इधर के साथी हों, चाहे उधर के साथी हों, चाहे सरकार हो, कोई भी हो, क्या वाकई में हम एसटी, एससी का भला करना चाहते हैं? यदि भला करना चाहते हैं तो अशोक गहलोत साहब ने पिछली सरकार में जो कानून बनाया था कि जो राज्य का बजट है उस बजट का 17 परसेंट एससी का और 13 परसेंट एसटी का और जो हमारी एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है उसके सामने तमाम विभाग बजट लेकर आए और ट्राइबल एडवाइजरी तय करे कि कहां सड़क चाहिए, कहां हमको होस्टल चाहिए, कहां हमको स्कूल चाहिए। अगर ट्राइबल एडवाइजरी तय करेगी तो

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

बात ठीक है, अन्य तो विभाग वाले कोई इंटरनेशनल सड़क जा रही है तो सड़क पर लिख देंगे कि यह ट्राइबल वालों को उसका फायदा हो गया। कोई बड़ी लाइन लाइट की निकलकर जा रही है तो लिख देंगे कि इसका फायदा हो गया। इसको हम फायदा नहीं मान सकते हैं। हमको तो उस ट्राइबल क्षेत्र की ढाणी में, मजरे में, उस गांव में, उस गरीब के गांव तक, गरीब के झोपड़े तक विकास की बात पहुंचनी चाहिए तभी विकास होगा। हम कहते हैं न कि सबका विकास-सबका साथ, खाली कह देने से?

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को बुरा नहीं लगे, सच्चाई की बात है उसको कहना चाहता हूं कि मैं उस उदयपुर डिवीजन से वहां बैठा था जहां कटारिया साहब बैठे हैं और इधर से माननीय मैडम ने, तत्कालीन वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री रहते हुए घोषणा की कि मेरे सब आदिवासी जीत गये और सब जीत गये तो मैं एक हजार करोड़ की घोषणा करती हूं। ये डिपार्टमेंट के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, पांच साल हो गये, खुद वित्त मंत्री, खुद मुख्य मंत्री और एक लाल पैसा भी हमको नहीं मिला है। मिला हो तो मुझे फाइल बताइये, हम फाइल का निरीक्षण करने के लिए तैयार हैं कि आखिर में वह एक हजार करोड़ रुपया कहां गया आज? लेकिन सही बात को कोई सही बात मानने के लिए तैयार नहीं है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि 16 जून, 2013 को पहली अधिसूचना जारी होती है और इस अधिसूचना में लिखा जाता है कि 45 प्रतिशत आदिवासी को आरक्षण होगा, 5 एससी को होगा और रेस्ट 50 प्रतिशत वहां ओपन करके सब जाति को होगा और उसकी वजह से आज वहां पर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में निकलने लगे हैं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, बात बहुत कड़वी है, हमारे कुछ मीणा भाई यहां बैठे हुए हैं, सच्चे में अगर आप हमको गले लगाना चाहते हो मीणा भाइयों तो कोई भी मीणा खड़े होकर यह बात, हरीश जी मीणा खड़े होकर यह कह दें कि जिस तरह से 45 प्रतिशत आपको दिया है, प्रशासनिक सेवा में आप डीजीपी तक चले गये हो, एमपी हो, सरकार में मंत्री बन गये हो, खड़े होकर हमको यह बात कह दो कि हम प्रशासनिक सेवा के अन्दर भी जनसंख्या के अनुपात में आपको आरक्षण देना चाहते हैं तो हम भी आपको मानेंगे कि आप हमारे भाई हो। लेकिन कहीं न कहीं, कोई न कोई गड़बड़ी तो होती ही रहती है, माफ करना ऐसी गड़बड़ी नहीं हो।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

मैं इस मौके पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस मानगढ़ का राष्ट्रीय धरोहर का प्रस्ताव भारत सरकार में जाए और उस मानगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। जब मैं सरकार में मंत्री था, मैंने 12 करोड़ रुपया मंजूर किया, बेणेश्वर का 5 करोड़ रुपया मंजूर किया, घोटियामा का 3 करोड़ रुपया मंजूर किया, ऋषभदेव का 5 करोड़ रुपया मंजूर किया लेकिन उस सरकार के आने के बाद में टोटल ही पैसा उन्होंने निरस्त कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि एक ओर तो आप कह रहे हो कि हम हिन्दूवादी लोग हैं, हम ऐसे-ऐसे मंदिर को आगे ले जाना चाहते हैं और जब ले जाना चाहते हो तो बेणेश्वर का पैसा निरस्त क्यों हुआ? ऋषभदेव का पैसा निरस्त क्यों हुआ? मानगढ़ का पैसा निरस्त क्यों हुआ?

जब हमारे शासन के अन्दर किसान के बरसात गिरती है तो उसके दो वक्त की रोटी खाने के फाके पड़ते हैं और हमने उनके लिए मुफ्त में खाद-बीज की व्यवस्था की पर आपकी सरकार आते ही किसान का खाद-बीज भी आपने बन्द कर दिया। आज की तारीख में राजस्थान सरकार भारत सरकार से 15 अरब रुपया खाली नरेगा में, हम आदिवासियों ने काम किया है उसका भुगतान मांग रही है। एक्ट यह कहता है कि 15 दिन में भुगतान, 15 दिन में काम देना पड़ेगा लेकिन 15 दिन की बात तो छोड़ दो, पांच साल हो गये, आज भी हमारा आदिवासी उस मजदूरी के लिए भटक रहा है। हम कौनसी सरकार की बात कर रहे हैं, कौनसे आदिवासी के विकास की बात कर रहे हैं, कहां तरक्की और कहां उन्नति की बात कर रहे हैं? इतनी बड़ी विडंबना है, आज विभाग के अधिकारी और मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, आर्टिकल 275 में जो भारत सरकार की मैचिंग ग्रांट है, जहां तक मेरा अनुमान है, अभी तक भारत सरकार ने वह 275 की ग्रांट हमारी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी है। जब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे तो कैसे होगा। एक ओर तो कह रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सरकार मदद भी कर रही हो तो क्या यह राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा है? मदद करना भारत सरकार का धर्म है चाहे कोई भी सरकार हो, उस सरकार को अपने-अपने राज्यों में मदद करने का धर्म है और वह हमारा हक बनता है। लेकिन हर बार एक ही बात कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने इतनी मदद कर दी। ऐसे मदद करने से कोई काम नहीं हो सकता है। मैं इस मौके पर ज्यादा कोई बात कहना ठीक नहीं समझता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत हैं। मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। आज के मौके पर मैं नानाभाई को, कालीबाई को, गोविन्द गुरु को,

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)
माउजी महाराज को, एक शब्द में कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। माउजी महाराज ने तीन सौ, साढ़े तीन सौ साल पहले यह देश कैसा होगा और उसकी एक टेबल, इतने बड़े चौपड़े बने हुए हैं, जिसके लिए मेरे द्वारा 70 लाख रुपये मंजूर किये गये थे, उस चौपड़े में सी.पी. साहब लिखा हुआ कि आने वाला समय कैसा होगा, उसको गीत में भी गाया है:

"जाम्बो खण्ड जोमला, जाग्या रे महाराज,
हेवी हेवी वाये काया वीए महाराज,
दुर्ये-दुर्ये दीवा बल्या र महाराज,
पळिये, पळिये, पानी विसायो महाराज,
वल रोड गाड़ी चाली ये महाराज,
वारे-वारे वाह रे थे ही महाराज,"

लेकिन इसका 70 लाख रुपये कहां गया?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदौरा): मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा। लास्ट में, एक ही बात कहना चाहता हूं, इधर के हों या उधर के हों, सब मिलो और मिलकर इस सरकार के सामने बात करो, बात करके गरीब आदिवासियों का भला कैसे हो सकता है, एससी का भला कैसे हो सकता, इसके लिए सब मिलकर निर्णय करो। तब जाकर हमारा यहां आना सार्थक होगा। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: समाराम गरासिया। एक मिनट, समाराम जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

व्यवस्था

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार हेतु कार्य विन्यास में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज की कार्यवाही में एक बिल और पास करना था। वह बिल आज हम नहीं पास करेंगे। उस बिल पर हम 7 तारीख को 11 से 12 बजे डिस्कशन करके उसको पास करेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

समाराम गरासिया।

एक मिनट, मैंने जो प्रस्ताव रखा उसमें सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या 30 व 33 पर बोलने का मौका दिया। आज पक्ष-विपक्ष ने अपने-अपने सुझाव दिये और हम सुन रहे हैं कि वास्तव में जो पक्ष में हैं, उनको तो बोलना ही है। उनको तो बोलना है, क्योंकि उनकी तो सरकार है लेकिन, मन के अंदर बड़े दु:खी हैं कि अब दूसरा बजट और जनजाति को क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, दूसरा बजट भी गया। माननीय मंत्री जी द्वारा अस्वस्थ होने के कारण परामर्शदात्री की मीटिंग भी नहीं बुलाई गई और मैं तो धन्यवाद दूंगा यशस्वी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे को, जिन्होंने मां-बाड़ी केन्द्र कितनी खोली, मेरे खुद की विधान सभा क्षेत्र के अंदर 84 और 3 आवासीय जनजाति बालिका छात्रावास खोले तो अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहूंगा कि अगर आप अच्छा बजट लेकर आएंगे, अगर जनजाति का अच्छा कल्याण करेंगे तो आपका भी नाम जिस प्रकार से दर्ज है हमारे नंदलाल जी मीणा का, उस तर्ज पर आपका भी नाम दर्ज होगा। आप बातें करते हैं दुनिया भर की, हमने ये किया, हमने ये किया, किया कुछ भी नहीं है। हमारे सिरोही शिवगंज से आने वाले, मेरा विधान सभा क्षेत्र है, वहां हमारे जो अध्यक्ष है जनजाति कमेटी के मालविया साहब, बजट से पहले मैंने कहा कि आप जब मंत्री थे, आपकी वहां शिला लगी है। मुख्य मंत्री जी अपने जो गहलोत साहब थे, आप आये थे, मैं कभी गाड़ी से नीचे उतर कर किसी दिन फोटो लेकर आपको बता दूंगा कि शिलालेख पर आप सबके नाम लिखे हैं। वह पट्टी भी शर्म के मारे बेचारी झुक रही है, वहां कुछ काम नहीं हुआ। मैं तो धन्यवाद दूंगा यशस्वी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे को जिन्होंने 3 करोड़ 29 लाख का उसी जगह पर आवासीय जनजाति बालिका छात्रावास खड़ा किया, 1

(श्री समाराम गरासिया)

करोड़ 85 लाख का हॉस्पिटल खड़ा किया, इस प्रकार के बजट दिये जाते हैं। हमारी सरकार ने मां-बाड़ी चालू की थी लेकिन, सरकार बदलने से उदयपुर जिले में सायरा तहसील के अंदर सब मां-बाड़ी केन्द्र बंद किये हैं। आप कह रहे थे कि हम एसटी के सहयोगी हैं, हितैषी हैं, जनजाति का कल्याण करते हैं। सब लोगों को तो बेरोजगार कर दिया तो कम से कम मंत्री जी, आप ये सब मां-बाड़ी केन्द्र वापस शुरू करें। आप कह रहे हैं, जैसे हम यहां बैठे हैं, किसकी बदौलत है। पूर्व मुख्य मंत्री सर्वज्ञ भैरोंसिंह जी शेखावत, जिन्होंने सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। अंत्योदय योजना, आप कह रहे हो कि अनाज के बदले काम, कम से कम सत्यमेव जयते लिखा है, यहां तो सत्य बोला करो। यह किसने लागू किया, यह हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने लागू किया। आदिवासी दिवस किसने घोषित किया, भाजपा सरकार ने घोषित किया और वाहवाही लेते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारी पूर्व सरकार को कि इतने सारे काम हुए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): इस प्रकार से उदयपुर संभाग में तो हमारे प्रतिपक्ष नेता मजबूत हैं। वहां तो एसटी वालों का फायदा खूब हुआ लेकिन, जोधपुर संभाग से तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं तो क्या जनजाति को कृषि कनेक्शन नहीं दे सकते? वे भी तो एससी के हैं, क्या एससी और एसटी के अंदर अलग प्रावधान है? उनको भी एससी का कृषि कनेक्शन तो देना चाहिए। मैं तो मांग करता हूं सरकार से कम से कम से आपका भी यह रहे। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता हमारे श्री गुलाब चंद जी कटारिया ने उदयपुर संभाग को तो चमकाया है। इस प्रकार कम से कम जोधपुर संभाग से मैं आता हूं, एसटी की मात्र एक ही सीट है। कम से कम आप इसे ध्यान रखें। मंत्री महोदय जी, आप जनजाति के ऊपर अच्छा ध्यान दें, जैसे महेन्दजीत सिंह मालविया, अनुभवी हैं, आप नये हैं, अस्वस्थ हैं, कम से कम उनकी राय लेकर के काम करें। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा कि वास्तव में जनजाति में कुछ काम हो ही नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अधिकारी ऐश-मौज करते हैं,

(श्री समाराम गरासिया)

एंजाय करने में ही सारा बजट जाता है जनजाति का, कुछ भी काम होने के लिए जीरो है, कागजों में दर्शाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि कम से कम अच्छा काम हो।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, 30 व 33 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में अगर भला सोचा है तो हमारे भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे एसटी, एससी के भाई जो देश आजाद होने के 70 साल बाद भी पिछड़े थे, उन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना देना का काम किया, हमारे भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने किया, गरीबों की सोची।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एसटी बहुल क्षेत्र है अनुसूचित जाति की तरह ही उनको भी सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन देने का काम करना चाहिए, जनजाति क्षेत्र में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में बजट समान अनुपात में, पूरे प्रदेश में स्वीकृत करना चाहिए। गरीबों के उत्थान के लिए सड़क, पेयजल, शिक्षा, मूलभूत सुविधा उनका विकास हो सके। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका छात्रावास नामांकन के आधार पर स्वीकृत करना चाहिए। ग्राम पंचायत लुहारीकलां, इट्वंदा, ग्राम पंचायत गुढ़ा, खजूरी में बालिका छात्रावास स्वीकृत करने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरा क्षेत्र 70-80 हजार एसटी बहुल क्षेत्र है। वहां एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत करना चाहिए। मैं आपस मांग करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाजिब अली।

श्री वाजिब अली (नगर): अनुदान की मांग संख्या 30 और 33 पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। वक्त कम है तो मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। मैं मेवात क्षेत्र से आता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जल्दी बोलें।

श्री वाजिब अली (नगर): बिलकुल। पिछड़ेपन की जितनी भी कैटेगरीज हैं, वह क्षेत्र उनमें सब में अव्वल नम्बर पर है। मेवात विकास बोर्ड का गठन हुआ, उस क्षेत्र की तरक्की के लिए, पिछले चार-पांच सरकारों में वहां का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, न ही कोई नीति बनी, न ही कोई विजन हुआ, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मांग रखना चाहता हूं कि मेवात विकास बोर्ड के जरिये स्कूल, कालेजेज, एम्पलायमेट अपोर्चुनिटीज, होस्टल्स चलाये जाएं। उसके अलावा भी बात हो रही थी आरक्षण हमने दिया, हमने दिया। मुझे लगता है आरक्षण जिनको भी मिला है, उनके हालातों पर मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से उन हालातों का गुजारा देते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में रहने वाली मेव जाति और मुस्लिम, लुहार, मिरासी जो छोटी-छोटी जातियां हैं। सरकार उनके हालातों का सर्वे करें, अगर पात्रता है तो उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा और उनके क्षेत्रीय विकास के लिए आरक्षण देने का काम करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय जनजाति मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जनजाति क्षेत्रीय विकास की अनुदान की मांगों पर अपने सुझाव और महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिये हैं। माननीय सदस्यों से कुल 135 कटौती प्रस्ताव आये हैं। मैं उनके जवाब निर्धारित समय पर माननीय सदस्यों को प्रस्तुत कर दूंगा।

(21.00 बजे)

नवीन छात्रावास, आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में आहोर से आने वाले माननीय सदस्य छगनसिंह जी ने कटौती प्रस्ताव दिया है। बाड़मेर में छात्रावास खोलने के लिए बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री जैन साहब ने कटौती प्रस्ताव दिया है। मैं इस मौके पर दोनों से कहना चाहूंगा कि दोनों जगह बालिका छात्रावास की स्वीकृति की जा चुकी है और वहां भूमि आबंटन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। मैं उन दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी भूमि आबंटित कराई जाए, ताकि काम चालू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा कई तरह के छात्रावास, आवासीय छात्रावास के कटौती प्रस्ताव दिए गए हैं। माननीय श्री अमृतलाल जी, श्रीमती किरण माहेश्वरी जी, श्रीमती गंगा देवी जी, प्रताप जी भील, समाराम जी गरासिया, धर्मनारायण जी जोशी इन सभी माननीय सदस्यों ने आश्रम छात्रावास खोलने की आवश्यकता बताई है। मैं उस संबंध में विभाग

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

को प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कराए जाने एवं उपलब्ध बजट के अनुरूप स्वीकृति जारी करने की बात कहूंगा। झाड़ोल से आने वाले माननीय सदस्य श्री बाबु लाल जी, घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य हरेंद्र जी निनामा और माननीय लक्ष्मण जी मीणा ने छात्रावासों में आवासीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई है एवं चिंता जाहिर की है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में आधारभूत संरचना एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु चालू वित्त वर्ष में विभाग द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है एवं शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं। मैं इस मौके पर आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि आपने आदिवासियों के प्रयाग, आदिवासियों के कुंभ के स्थान पर एनीकट के बारे में बताया है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगा कि उस एनीकट का प्राथमिकता के तौर पर काम किया जाएगा और बेणेश्वर धाम के इस मेले के लिए जितने भी दो-तीन गेटों की बात कही गई है, विभाग द्वारा उनको भी दिखवाकर इस प्रयाग के मेले को आदिवासियों के कुंभ के स्थान के उन गेटों का काम शीघ्र ही कराया जाएगा।

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं और सुझाव दिए गए हैं और कुछ मांगें भी दी गई हैं। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गणेश जी घोघरा ने कुओं को गहरे करने की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नरेगा की गाइडलाइन पढ़े बिना पिछली सरकार ने कुओं को गहरा करने के प्रस्ताव दिए थे और उसके तुरंत बाद में अधिकारियों ने गाइडलाइन को पढ़कर उस पर रोक लगाई। उसके बावजूद भी अकेले डूंगरपुर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि टीएडी विभाग ने 781.5 लाख रुपये की राशि जिला परिषद् को ट्रांसफर कर दी है और जिन-जिन कुओं का काम पूरा हुआ है उसकी प्रगति रिपोर्ट के हिसाब से सभी काश्तकारों को भुगतान किया जा रहा है और कुछ जिनका अपूर्ण कार्य है, उनके भुगतान रुके हुए हैं।

मैं इस मौके पर माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि राजकुमार जी जो चौरासी से माननीय विधायक हैं, उन्होंने यह बात उठाई कि टीएससी की बैठक नहीं हुई है या गठन नहीं हुआ है। मैं सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराऊंगा कि टीएससी का गठन 17.11.2019 को किया गया है। विधान सभा सत्र के तुरंत बाद में इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। यह मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे विपक्ष के साथियों ने जो आरोप लगाया कि पक्षपात पूर्ण कार्य किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में, जैसे झाड़ोल से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने हमारे से मांग की, किसी भी जन प्रतिनिधि ने नहीं की, जिस गांव में रोड नहीं जा रहा था, आजादी के बाद उस गांव का रोड हमने एक सप्ताह के अंदर वहां डेढ़ करोड़ रुपये देकर उस रोड को बनाया है। धरियावद से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में शेषपुर के अंदर जनता ने जब बुलाया और 4000 जनता के बीच में वहां एक धार्मिक सम्मेलन अभी 27, 28 व 29 को कम से कम 3 लाख लोगों का धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सवा करोड़ की रोड हमने दी है। 9 अगस्त को जब विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया तो आसपुर से आने वाले माननीय विधायक से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जगह पर यह आयोजन किया गया था वहां पर जल स्कीम भी हमने आपकी सैंक्शन की है। क्या हमने पक्षपात किया? माननीय विधायक महोदय, आपने क्वेश्चन लगाया। किसकी सरकार थी? किसने यह होस्टल खोला? उसके बावजूद भी आज आपके क्वेश्चन में और अभी भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र के 275 में से पैसा आए चाहे नहीं आए, बालकों का होस्टल गोगुन्दा के अंदर बनेगा। उसके बावजूद भी धन्यवाद देना तो दूर पक्षपात का आरोप।

मैं इस मौके पर माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग का परिचय देने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राज्य के अंदर इस जनजाति क्षेत्र को चार भागों में बांटा है। एक माडा क्षेत्र, दूसरा माडा क्लस्टर, तीसरा बिखरी आबादी और चौथा सहरिया, इन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और राज्य सरकार इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। यह मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012-13 में माननीय मुख्य मंत्री जी अशोक जी गहलोत ने इस सदन में घोषणा की थी कि प्रत्येक राजस्व गांव में स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा के लिए स्थानीय महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मी के रूप में लगाया जाएगा। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें स्वास्थ्य कर्मी लगाकर हमें स्वास्थ्य कर्मी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने के लिए स्काच गवर्नेंस सिविल अवार्ड प्रदान किया है। इतना अच्छा काम स्वच्छ के माध्यम से किया है।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कौशल प्रशिक्षण के नाम से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस बजट में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा में जनजाति छात्रों के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर आरंभ करने की बजट घोषणा की गई। उक्त केंद्रों में 1250 जनजाति छात्र-छात्राओं को साफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रदान कर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त प्रत्येक सेंटर पर 100 विद्यार्थियों के लिए कक्षा कक्ष, ट्रेनिंग सेंटर, कैरियर काउंसलिंग, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, डाइनिंग हाल एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, समय कम होने की वजह से बीच-बीच में कई सारी बातें मैं कम कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 150वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जनजाति विभाग ने एक पुस्तक मेला उदयपुर के अंदर आयोजित किया था। उस नौ दिवसीय राष्ट्रीय मेले का आयोजन उदयपुर में किया। इस दौरान महात्मा गांधी डाक्यूमेंट्री फिल्म, गांधी साहित्य, छात्र-छात्राओं को साहित्य के लिए उपयोगी पुस्तकों का प्रदर्शन किया जिसमें 55 प्रकाशकों द्वारा अपने साहित्य का प्रदर्शन किया और 15 हजार दर्शकों ने उस मेले में प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

मैं इस मौके पर माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आगामी वर्षों में समस्त आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में बुक बैंक की स्थापना की घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से जनजाति छात्रावासों, विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए हमने सात दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में मुख्य रूप से कैरियर मार्गदर्शन, व्यक्ति विकास, संगीत, नाटक, चित्रकला, योग, आत्म रक्षा, कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में सीखने के अवसर प्रदान किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शिविर में कम से कम 27,500 छात्र-छात्राओं ने लाभ लिया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों के विद्यार्थियों को कैरियर काउंसिल के हिसाब से पहली बार टीएडी विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी गई। इसका उदाहरण यह हुआ कि आज कोटा में और उदयपुर में 400 बच्चे नीट और जेईई में कोचिंग ले रहे हैं। यह पहला अवसर है इन छात्रों को आगे बढ़ाने का।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही उदयपुर, नाथद्वारा में जनजाति छात्र-छात्राओं के लिये पटवारी, कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। गत बजट में अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सागवाड़ा और उदयपुर में दो उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर आयोजित किये। जयपुर में सेंटर आफ एक्सीलेंस प्रारम्भ किये जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई थी। मैं सदन को अवगत कराऊंगा कि जयपुर और उदयपुर में यह केन्द्र माह जनवरी, 2020 में प्रारम्भ कर दिये गये हैं और सागवाड़ा में भी बहुत अतिशीघ्र इस केन्द्र को चालू किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों के दिन कोचिंग की बात चली, प्रश्न भी लगा था। जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रतिष्ठित कोचिंग से लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रथम बार एलन कोचिंग संस्थान के साथ में समन्वय बिठाया है। उदयपुर में जेईई व नीट प्रतियोगिताओं की तैयारी हेतु अनुसूचित क्षेत्र के 100 तथा कोटा में 100, कुल 200 जनजाति छात्र-छात्राओं को एलन कोचिंग से निःशुल्क कोचिंग दिलाई जायेगी। छात्र-छात्राओं के रहने और खाने पर होने वाला व्यय जनजाति विभाग वहन करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्रों के लिये प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से आरएएस, आईएएस की कोचिंग की आवश्यकता है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आरएएस एवं आईएएस की कोचिंग देने वाली राजस्थान की प्रतिष्ठित संस्थाओं का चयन कर आगामी समय में जयपुर और उदयपुर में आरएएस और आईएएस की कोचिंग दिलाई जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा लेखानुदान प्रस्ताव में चार नये आवासीय विद्यालय प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष है कि विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के आबापुरा, उदयपुर में सराड़ा, प्रतापगढ़ में पीपलखूंट तथा डूंगरपुर मुख्यालय पर शिक्षा सत्र से चारों आवासीय विद्यालयों को प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही इन विद्यालयों हेतु नवीन भवनों के निर्माण की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं, उन्होंने उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, डूंगरपुर जिले के सराड़ा चुण्डावत, बांसवाड़ा जिले के पाड़ोला, प्रतापगढ़ में टिम्बरवा एवं बारां जिले में हनोतिया आवासीय विद्यालयों में छात्रों की क्षमता में वृद्धि की है, इससे 870 बच्चों को लाभ मिलेगा।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

अध्यक्ष महोदय, अभी उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य आंकड़े लाकर बता रहे थे कि छात्र-छात्राओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 398 छात्रावास, 36 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें 36,500 विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवास, भोजन, कोचिंग आदि की सुविधा उपलब्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि विद्यार्थियों को आश्रम छात्रावासों में एडमिशन के लिये ऑनलाइन आवेदन हमने उपलब्ध कराये हैं। 6 से 12 साल के जो बच्चे भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार स्कूलों से वंचित रहते हैं, जिसमें 2582 मां-बाड़ी सेंटर चलाकर 77 हजार बच्चों को कक्षा 1 से 4 तक की शिक्षा एवं पौष्टिक आहार दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए हर्ष हैं कि इस वित्तीय वर्ष में 31,459 जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, 18,450 विद्यार्थियों को गृह किराया, 3129 को बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता एवं 29,062 जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल पर कल माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि खेल छात्रावास एकलव्य छात्रावास में हमने निर्णय लिया है कि जनजाति वर्ग के खेल प्रतिभावान बच्चे 12 महीने उस स्कूल में रहकर उच्च स्तर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस जनजाति वर्ग में खेल प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित 13 खेल छात्रावासों में 475 छात्र एवं 400 छात्राओं को नि:शुल्क आवास, भोजन, उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। जनजाति विभाग के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को उनकी खेल प्रतिभाओं को मंच एवं अवसर प्रदान करने के लिये राज्य स्तरीय ईएमआरएस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें 17 विद्यालयों के 471 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी वर्ष में ईएमआरएस के साथ ही समस्त छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों के लिये राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का प्रतिवर्ष आयोजन की घोषणा करता हूं एवं राज्य के जनजाति के खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया है, उन्हें भी सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। राज्य में जनजाति बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु, प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी एवं

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु नि:शुल्क आवास एवं भोजन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं बारां में कुल 650 बालिकाओं की क्षमता के बहूद्देशीय आवासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कई साथियों ने आदिवासियों की संस्कृति पर बात उठाई। आदिवासियों के रीति रिवाज की बात उठाई। उदयपुर से पधारे हुए माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं आप भी साथ में थे। उदयपुर में 14 से 16 जून को प्रथम बार आदि महोत्सव का आयोजन किया गया और उस आयोजन में 8 जिलों के 196 कलाकारों ने भाग लिया जिसमें लोक नाटक, लोक नृत्य, हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि जनजाति संस्कृति के अनुरक्षण एवं संरक्षण के लिये विभाग कटिबद्ध है। इसी कटिबद्धता को दर्शाते हुए 9 अगस्त, 2019 को बेणेश्वर, डूंगरपुर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें 50 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा राजस्थान में प्रथम बार द्वितीय ईएमआरएस राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 राज्यों के लगभग 700 जनजाति छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और विभाग द्वारा इस विशाल आयोजन में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं ने प्रदेश की वेशभूषा, परम्पराओं और लोक नृत्य गायकों की जीवित प्रस्तुति से पारस्परिक आदान प्रदान किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह सब प्रगति प्रतिवेदन में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): लास्ट में दो चीजें कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार के बारे में काफी कुछ सदस्यों ने बताया है। मैं सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जनजाति विभाग ने सारी प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए FRA ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किया है। उसमें आपसे निवेदन है कि जितने भाई रह गये हैं, उनका ऑनलाइन आवेदन कराएं, ताकि हम जिलेवार उसका कैम्प लगाएं और अधिक से अधिक रहे हुए व्यक्तियों को पट्टा दिला सकें। पिछले समय जिन व्यक्तियों को पट्टे नहीं मिले, जिनके निरस्त हुए, उनमें भी हमने सरलीकरण करते हुए ग्राम सभा, उपखंड स्तर पर कैम्प लगाकर 4751 निरस्त पट्टों को स्वीकृत किया है। मैं इस मौके

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

पर आप सबसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाले सत्र, वन अधिकार के पट्टे रह गये, यह आप सबके मुंह से नहीं निकलना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऑनलाइन आवेदन कराएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में सामुदायिक पट्टों का वितरण कम हुआ है। इसे गति प्रदान करते हुए आगामी वर्षों में भी सामुदायिक पट्टों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती पर भी कुछ बात आयी थी, चौरासी से आने वाले माननीय सदस्य ने उठायी थी। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जनजाति के कृषकों को उन्नत किस्म के अधिक उपज देने वाले बीजों, प्रदर्शन, पौध संरक्षण, उपकरण, उपलब्ध जल से अधिक सिंचाई हेतु पाइप लाइन का वितरण, बर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु 90 प्रतिशत अनुदान के द्वारा जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। दो बातें कहकर मैं अपनी बात को खतम करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति विभाग ने पहली बार रोजगार मेलों का आयोजन किया है जिसमें विभाग द्वारा 50 प्रतिष्ठित कंपनियों को बुलाया गया और 50 प्रतिष्ठित कंपनियों के द्वारा 1 हजार 43 युवक-युवतियों ने भाग लिया जिसमें 394 व्यक्तियों को उसी दिन नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि यह रोजगार मेला जयपुर सहित हम प्रत्येक जिले में करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, लास्ट में एक और पाइंट है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। कई ऐसी बातें भी आयी हैं। सत्ता इधर की रही या सत्ता उधर की रही, मंत्री इधर के रहे, मंत्री उधर के रहे, होस्टल वार्डन के लिए सब लोग अपने-अपने रिश्तेदारों को होस्टल वार्डन के पद पर प्रतिनियुक्ति पर करते थे। अध्यक्ष महोदय, पहली बार हमने एक साथ 301 चेंज किये, जो वर्षों से बैठे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इंटरव्यू के द्वारा एवं विज्ञप्ति निकालकर उनको चेंज किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस विभाग की स्थापना के बाद पहली बार वार्डनों का जो कैडर बनाने की घोषणा की है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अपना प्रस्ताव रखें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): बस एक बात कहकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग पर ही जा रहा हूं।

''मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही,

हो कहीं आग लेकिन आग जलनी चाहिए,

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,

मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।''

बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पारित करने की मांग रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: मास्टर भंवरलाल मेघवाल।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के संबंध में चर्चा में भाग लिया। इसमें भाग लेने वाले 27 सदस्य थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगणों ने 164 कटौती प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत किये हैं और बहुत ही जल्द उन कटौती प्रस्तावों का जवाब उनको भेज दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश के अंदर जो पहली केंद्रीय सरकार बनी, उसके प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब बने, तो उन्होंने इन दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में सोचा। 1951-52 के अंदर इस विभाग को पहली बार पंचवर्षीय योजना में शामिल करके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पहले इसका नाम दूसरा था। 1955-56 में इसका नाम समाज कल्याण विभाग हुआ। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह विभाग गरीब व्यक्तियों, एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी एवं अभी-अभी जो 10 परसेंट आर्थिक आधार पर है, उन सब का यह विभाग है। इस विभाग में अनेक प्रकार की योजनाएं राजस्थान की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से इसमें बढ़ोतरी हुई है। मैं यह नहीं कहता कि बढ़ोतरी नहीं हुई लेकिन पिछले वर्षों में जितनी बढ़ोतरी 2018 में हुई है। कुल 78 लाख 81 हजार 625 रुपये की आज की तारीख में विभिन्न प्रकार की पेंशन जा रही है, लेकिन 13 लाख की बढ़ोतरी एक साल में हुई है। इस बढ़ोतरी का कारण सिर्फ सरलीकरण है। मेरे विभाग ने, मेरे अधिकारियों और मैंने इस बात को देखा कि पेंशन में

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसलिए इसका सरलीकरण किया जाए और सरलीकरण की वजह से ही 13 लाख की बढ़ोतरी एक साल में हुई है। पेंशनधारियों को बैंक की सुविधा नहीं होने के कारण वे बैंक नहीं जा सकते, कई बार उनके अंगूठा व अंगुली भी नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारे विभाग ने यह तय किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो राजीव गांधी सेवा केंद्र हैं, उन सेवा केंद्रों पर महीने में एक बार बैंक के प्रतिनिधियों/बिजनेस कोरसपोंडेंट्स की उपस्थिति में पेंशन आहरण एवं वितरण के निर्देश विभाग द्वारा दिये जा चुके हैं। यह बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। पहले लोगों की पेंशन क्यों बंद हो जाती थी, इसलिए बंद हो जाती थी कि उनका अंगूठा नहीं लगता था, सीढ़ियां चढ़कर बैंक में नहीं जा सकते थे। मैं कहना चाहूंगा कि विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। पिछली बार मैंने आपसे निवेदन किया था कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जिसकी संख्या 4 लाख थी। अध्यक्ष महोदय, 4 लाख बच्चे वंचित रहे थे, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज की तारीख में केवल 9500 आवेदन लंबित हैं। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि कितने छात्रों को दी गयी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैंने और मेरे विभाग ने छात्रवृत्ति में इतना सरलीकरण किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मिल सके। ये 9500 छात्र वे छात्र हैं जो या तो राजस्थान से बाहर चले गये या किसी सर्विस में चले गये या फोरेन में चले गये, उसके बावजूद भी हमारा प्रयास यह है कि उनके मोबाइल नंबर लेकर उनको भी छात्रवृत्ति देने का काम किया जाएगा। इसमें हमने एक और यह काम किया है कि जो छात्रवृत्ति देने वाली कालेज या स्कूल या इंस्टीट्यूट है, वह 21 दिन के अंदर उसका फार्म या आवेदन ऑनलाइन करेगा और 21 दिन के बाद हमारे विभाग का अधिकारी उसको पास नहीं करेगा तो सीधा आटो के जरिए हमारा विभाग उसे डायरेक्ट छात्रवृत्ति देने का काम करेगा, यह भी मैं कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, 2019-20 में 121 करोड़ 23 लाख रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को पिछले साल भेजे गये थे, लेकिन राशि केवल 63 करोड़ 58 लाख रुपये प्राप्त हुई है। शेष 57 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि अप्राप्त है, उसके बावजूद भी हमने हमारे स्टेट फंड से उन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात की है। मैं चाहूंगा कि मेरे विभाग के अधिकारी बिलकुल दिल्ली जाकर हमारा जो विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वहां जाकर कार्यवाही करें और वित्त विभाग है, वहां भी कार्यवाही करें, यह मैं कहना चाहूंगा।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

हमारे विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। राइस के नाम से जाने जाते हैं। उन आवासीय विद्यालयों की संख्या 25 है। जैसा कि कई माननीय सदस्य यहां पर बोले। इनमें विद्यार्थी क्षमता 10,064 है। अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या 8146 है। हमारे माननीय ज्यादातर सदस्यों ने यह कहा कि छात्रावास खोले जाएं। आवासीय छात्रावास भी खोले जाएं। मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में विभाग इस बात की जानकारी कर रहा है कि राजस्थान में कहां-कहां ऐसे छात्रावास खोले जाएं ताकि सरकार के सम्मुख यह प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएं कि यहां आवश्यकता है। कई छात्रावास ऐसी जगह खोल दिये गये जहां पर संख्या दे दी लेकिन उतनी संख्या भर्ती नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि आजकल हर पंचायत हैडक्वार्टर पर दसवीं व बारहवीं की स्कूल हो गई। ज्यादातर बच्चे बारहवीं तक पढ़ते हैं तो छात्रावास में जाते नहीं है। फिर भी हमारी चेष्टा यही रहेगी क्योंकि माननीय कई सदस्यों ने कहा है कि छात्रावास और आवासीय विद्यालय हमारे खोले जाएं, यह मैं कहना चाहूंगा।

मैं कहना चाहूंगा कि राइस के अंदर जेतेश्वर धाम, बाड़मेर में आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया था। इसका संचालन हम 2020-21 में कर देंगे। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। देवनारायण योजनान्तर्गत आवासीय विद्यालय जो हैं, वे 9 हैं। इनमें से ज्यादातर के अंदर कई जगह बिल्डिंग नहीं बनी, बिल्डिंग चल रही है, पैसे दिये जा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा काम किया जा रहा है। इसके अंदर अनुसूचित जाति के विद्यालय 10 हैं, अनुसूचित जनजाति के विद्यालय 2 हैं, देवनारायण आवासीय विद्यालय 9 हैं, पशुपालकों के बच्चों के लिए 3 हैं। भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु एक आवासीय विद्यालय है। अभी भिक्षावृत्ति की मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी, मैं कहना चाहूंगा कि जामडोली के अंदर हमने इस काम को चालू कर दिया और जल्दी से जल्दी भिक्षा मांगने वाले जो लोग हैं, उनको पुलिस के जरिये पकड़कर वहां पर लाया जाएगा। उनके बच्चों को छात्रावास में दाखिला दिया जाएगा। उनको कोई न कोई हुनर सिखाया जायेगा, उनके मां-बाप को कोई न कोई हुनर सिखाया जायेगा ताकि वे दोबारा इस प्रकार की भिक्षावृत्ति में न जा सकें।

छात्रावास योजना, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के राजकीय छात्रावास-मैं कहना चाहूंगा, पहले उसके अंदर दो हजार रुपये से ढाई हजार रुपये की केवल उन छात्रावासों के अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृति

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जारी की थी, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अबकी बार मुख्य मंत्रीजी ने जितने भी हमारे छात्रावास हैं, चाहे वे पिछड़ा वर्ग के हैं, चाहे अति-पिछड़ा वर्ग के हैं, आवासीय विद्यालय हैं, अन्य विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय छात्रावास हैं, सबके दो हजार से ढाई हजार रुपये प्रति छात्र, प्रति माह बढ़ाने की कार्यवाही कर दी। 500 रुपये पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ हमने उनके लिए करने की चेष्टा की है। मैं आपसे कहना चाहूंगा छात्रावासों के अंदर, एससी/एससी के छात्रावासों में ढाई लाख की आय का राइडर था। ढाई लाख जिस परिवार की आय थी उसको छात्रावास में, जिसके कारण से हमारे छात्रावासों में संख्या कम रहती थी। इसको मैंने बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया ताकि वे छात्रावास पूरे भरें और वे छात्र उसमें दाखिला ले सकें।

मैं कहना चाहूंगा हमारा जामडोली स्थित जो विमंदित गृह है, पहले वह थोड़ा अलग प्रकार से था। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किसके राज में क्या हुआ? लेकिन अभी हमने एक साल के पीरियड में बहुत ही ठीक ढंग से उसका सुधार किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस गृह को स्काच अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पूरे देश में नंबर एक पर, यह मैं कहना चाहूंगा।

छात्रावास भवन की मरम्मत की कई प्रकार की बात आई है। कई सदस्यों ने कहा है कि छात्रावास भवन की मरम्मत नहीं हो रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहली दफा राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये 6 महीने का पीरियड निकला है बजट के बाद में, मैंने 6 करोड़ 7 लाख 25 हजार रुपये विभिन्न छात्रावासों की मरम्मत के लिए स्वीकृत किए हैं। वे टेंडर अब जारी हो जायेंगे और इन छात्रावासों में निश्चित तौर से सुधार आ जायेगा। अभी वर्तमान में मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहा है कि मुख्य मंत्रीजी जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद में ये छात्रावास चालू हुए। आज उनके हालात ये हैं कि वहां बच्चे रह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से आप मुझे बताना ताकि इन छात्रावासों की मरम्मत की जा सके या नये छात्रावास भवन उनमें बनाये जा सकें।

पालनहार योजना- हमारे पाली से आने वाले माननीय सदस्य पारख साहब ने बार-बार, कई बार क्वेश्चन के मार्फत, 131 के मार्फत, स्थगन के मार्फत आपने बहुत बार पालनहार-पालनहार कहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2018 तक 1 लाख 60 हजार 792 परिवारों की संख्या थी जिसको बढ़ाकर पूरे राजस्थान में, आपकी जानकारी के लिए 3 लाख 3 हजार

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

605 तो कर दिया है। फरवरी, 2020 तक मेरा लक्ष्य यह है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान में जहां भी इस प्रकार के हों, क्योंकि आपने इस प्रकार की बात कही तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं 15-20 दिन पहले से ही सोच रहा था कि माननीय पारख साहब जो पाली से आने वाले सदस्य हैं, ये बार-बार उठा रहे हैं तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस पालनहार योजना को पूरी तरह से लागू किया जाए। इसका पूरा बजट दिया जाए और इसके साथ-साथ चूंकि कई बार ऐसा होता है कि मां-बाप मर जाते हैं चाचा, ताऊ, भाई कोई लेने वाला नहीं होता है लेकिन अब मैंने इसमें एक प्रावधान और डाला है कि यदि उसका बड़ा भाई है, बड़ी बहिन है, वह बहिन शादी करके चली गई, अगर वह भी इसके अंदर लेना चाहेगी तो उसका भी प्रावधान मैंने किया है। मुझे विश्वास है कि उन पालनहार बच्चों को निश्चित तौर से सहायता मिलेगी, यह भी मैं कहना चाहूंगा।

पालनहार के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में राजस्थान के अंदर छात्रों की संख्या आपने कहा कि पालनहार के बच्चे, नवजीवन के बच्चे, इनके लिए आपने कहा है। मैं कहना चाहूंगा कि नवजीवन के अंदर सांसी, भाट, भाण्ड, नट, राणा, डोम, मौंगिया (मोंग्या), बावरिया, बेड़िया, बागरिया, सीकरीवाला, चौबदार एवं ढोली जाति के व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं। अभी वर्तमान में हमने एक महीने पहले राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर्स को इस बात के निर्देश दिये हैं कि ऐसा कोई भी समाज जो व्यक्ति शराब के धंधे से जुड़ा हुआ है शराब पीते हैं, शराब निकालते हैं, उनके बच्चे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। एक महीने पहले हमने आदेश जारी कर दिये हैं और आपके ध्यान में कहीं भी आए कि पाली, जोधपुर और ये जो उधर वाले तीन-चार जिले हैं, उनमें यह मामला ज्यादा है। मैं आपको कहना चाहूंगा इसमें आप हमारा सहयोग करें और जो जातियां इसमें लिप्त हैं हम उन सभी को इसमें शामिल कर लेंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

दूसरा, आपने यह कहा कि नवजीवन में बच्चे, आरटीई, शिक्षा का अधिकार 2009 में आया। उसके बाद में, 2009 के बाद में नवजीवन में आप सारे बच्चों को साथ लेते थे और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उठाता था। अब आपने आरटीई में डाल दिया तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा के अधिकार के तहत जितने बच्चे आएंगे, उनको हमारा शिक्षा विभाग पूरा पैसा देगा, पूरा खर्चा उठायेगा। शेष

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जितने बच्चे हैं, शेष जितने छात्र हैं, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो भर्ती होगा, उसका सारा का सारा खर्चा हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उठाएगा। यह मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा।

आपने एक बात और कही कि ज्यादातार हमारे तीन-चार साथियों ने सामाजिक न्याय के ऊपर इस प्रकार की बातें कीं, लोढ़ा जी ने भी बोली हैं, आपके ऊपर भी आऊंगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपकी तो कई बातें मैंने इसमें शामिल कर ली हैं। आपने कहा कि पाली जिले में सेवा समिति द्वारा लव-कुश आश्रम के संचालन की स्वीकृति- माननीय सदस्य, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सेवा समिति संस्थान द्वारा दिनांक 14.03.2017 को शिशु गृह संचालन के लिए राज्य सरकार को पंजीयन प्रस्ताव किया था, सही है। प्रस्तुत प्रस्ताव को आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण उस समय निरस्त कर दिया। नवीनतम अनुमोदित प्रबन्ध कार्यकारिणी की सूची की अनुपलब्धता के कारण, विगत तीन वार्षिक प्रतिवेदन की अनुपलब्धता के कारण, अध्यक्ष एवं पुलिस के पुलिस सत्यापन का अभाव, भवनों की स्थिति (स्वयं का अथवा किराये का) की अस्पष्टता, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप मुझे बतायें ऐसे काम जो होने चाहिए, उनके लिए मैं तैयार हूं। आप मुझे बता देना क्योंकि उसमें जो आब्जेक्शन लगे हैं, आब्जेक्शन छोड़ो नये सिरे से आप कर देना, वह भी स्वीकृति आपकी जारी कर दी जायेगी। यह काम हमारा विभाग करता हैं, मैं करूंगा।

देवनारायण योजना, कई माननीय सदस्यों ने कहा, अवाना साहब आपने भी कहा, हमारे इधर वालों ने भी कहा, उधर वालों ने भी कहा कि इसमें बजट कम है। मैं कहना चाहूंगा कि बजट की कोई कमी नहीं है। बजट की इसलिए कोई कमी नहीं है कि देवनारायण योजना में 2018-19 के अंदर 169 करोड़ 23 लाख का प्रावधान था, उसके अगेंस्ट 163 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च हो गए। 2019-20 में 201 करोड़ 67 लाख बजट का प्रावधान था। जनवरी तक 135 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च हुए। मैं कहना चाहता हूं कि इसके अंदर आर.ई. के सामने पेश हो चुके हैं। जितना पैसा इसमें चाहिएगा उतना पैसा हम लगायेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस बजट की बात कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 176 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान है, लेकिन

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जनवरी, फरवरी के अंदर, ... (व्यवधान) आप तो माननीय पुराने सदस्य हैं, मंत्री रहे हो, आर.ई. के अंदर जब हम दुबारा जायेंगे तो जितना पैसा चाहियेगा उतना पैसा स्वीकृत कराऊंगा, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

एक बात और आई कि देवनारायण योजना के अंतर्गत स्कूटी-देवनारायण योजना में 1000 बालिकाओं को स्कूटी मिलती थी, उसको बढ़ाकर मैं 1500 करता हूं। हर वर्ष, इस साल नहीं, हर वर्ष हमारी एस.सी. की छात्राएं हैं, शिड्यूल्ड कास्ट की छात्राओं के लिए कई माननीय सदस्यों ने बोला है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हर साल एक हजार स्कूटी उन छात्राओं को हमारा विभाग प्रदान करेगा। स्कूटी के लिए हमने टेंडर जारी कर दिए। यह तो एक हजार स्कूटी हमारे विभाग की होगी।

एक माननीय सदस्य इन्द्राज जी गुर्जर ने कहा कि मैंने पैसे दे दिए लेकिन मुझे स्कूटी नहीं मिली, स्कूटी का 95 हजार खर्चा हो गया। अब हमने टेंडर में एक रेट तय कर दी है। उसमें सीसी तय कर दी। इस सीसी की स्कूटी के इतने रुपये, इस सीसी की स्कूटी के इतने रुपये, तय कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब आराम से आप ले सकते हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, रेट कांट्रेक्ट हो चुका है, आर्डर दिया जा चुका है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मैं यह कहना चाहूंगा। विधायकों ने कहा कि विधायक कोष से स्कूटी, इसलिए मैं इनको, पूरे 200 सदस्यों से कहना चाहूंगा कि स्कूटी आप अपने विधायक कोटे से देने की कृपा करें, ताकि बालिकाओं को स्कूटी मिल सके। सवा दो करोड़ रुपये मिलते हैं, मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अभी टाइम है मेरे पास। दस बजे का समय दिया है, मैं दस बजे तक पूरा कर दूंगा, अध्यक्ष महोदय। मैं एक मिनट भी ऊपर नहीं लूंगा।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देवनारायण योजना में गत 5 वर्ष में, गत मतलब पिछले कार्यकाल में 673.82 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है, जबकि वर्तमान सरकार के द्वारा दिसम्बर, 2018 से जनवरी, 2020 तक लगभग 200 करोड़ का व्यय 13 महीने में किया जा चुका है। अभी फरवरी, मार्च बाकी है। देवनारायण योजना के संबंध में कई लोगों ने बोला है। मैंने कहा पैसे की कोई कमी नहीं है। मुख्य मंत्री जी गरीबों के लिए, एसटी एससी, ओबीसी, माइनोरिटी, विशेष तौर से अब 10 परसेंट का काम भी बहुत जल्दी चालू करने

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

वाला हूं। आर्थिक आधार पर 10 परसेंट का है, उसमें भी मैं जल्दी से जल्दी काम चालू करने वाला हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा एससी, एसटी पर अत्याचार। अभी एक माननीय सदस्य बोल नहीं पाए। निवाई से आने वाले प्रशांत बैरवा ने मुझे लिखित में भेजा है, उन्होंने कहा कि एससी, एसटी पर बहुत अत्याचार बढ़ रहे हैं। यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया, हमारे गृह मंत्री जी जवाब देते हैं। आपने भी कह दिया। जीरो एफआईआर कहीं भी एसपी के पास जाकर करा सकते हो। अब तो यह है कि कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। जितनी एफआईआर दर्ज कराएं, उतनी कराते हैं इसलिए ग्राफ बढ़ा है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन यह भी तय है कि ग्राफ बढ़ने के साथ-साथ हमारे मुख्य मंत्री जी ने निश्चित तौर से उन पर पूरा ध्यान दिया है, उनको सहायता देने का काम किया है, तत्काल गिरफ्तारी करके, निवाई के माननीय सदस्य ने लिखकर दिया है, उनको यह कहना चाहूंगा।

मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल का मैंने रिकार्ड देखा है, यह एक्ट बहुत पहले बना। माननीय राजीव गांधी ने 1989 में इस एक्ट को बनाया। एक्ट बनाने के बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने इसके अंदर, ज्यों ही किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होती है तो अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग राशि देने का किया। मैंने आंकड़े निकाले, मैंने एसीएस होम को बुलाया, लॉ सैक्रेटरी को बुलाया, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सारे अधिकारियों को मैंने बिठाया और कहा कि मुझे राजस्थान का पूरा आंकड़ा चाहिए। पिछले वर्षों में जब-जब एफआईआर दर्ज हुई, आपने एफआईआर दर्ज होते ही पहली राशि क्यों नहीं दी? पहली दे दी तो चालान पर दूसरी राशि क्यों नहीं दी? चालान के बाद तीसरी राशि क्यों नहीं दी? फैसला उसके खिलाफ होता है तब तो मत दीजिए, लेकिन उसके पक्ष में फैसला होता है तो आपने उस समय राशि क्यों नहीं दी? आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैंने एक आदेश मेरे विभाग के अधिकारियों के जरिए पूरे पुलिस विभाग को दे दिया कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, 7 दिन के अंदर-अंदर पहली किश्त, जो धाराओं के अंदर है, उसको देनी होगी। घर पर जाकर उसको राशि देनी पड़ेगी। चालान हो जाएगा तो चालान होने पर राशि देनी पड़ेगी, उसका टाइम फिक्स है 15 दिन।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

केवल थोड़ा-सा हमने यह रखा है कि महिला के साथ बलात्कार का केस आता है, उसकी पुष्टि जब तक नहीं हो, तब तक उस केस को रोका है, पुष्टि होते ही उसको राशि दे दी जाएगी। इसी तरह से चालान होने के बाद कोर्ट के जरिए उसके खिलाफ फैसला जाता है तो उसको राशि नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके तत्काल बाद राशि दी जाएगी, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की राशि पहले, 50 परसेंट राशि दूसरी बार, 25 से 40 परसेंट तीसरी बार, यह पूरे राजस्थान के अंदर एक स्टेंडिंग आर्डर समझ लेना। एसीएस को कह दिया, डीजी को कह दिया, हमारे जितने भी न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, उन सबको कह दिया कि इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। यह एससी का सवाल है, आपको इनको पैसा देना पड़ेगा।

मैं कहना चाहूंगा कि न्यूनतम सहायता राशि, ध्यान से सुनें, माननीय सदस्य आपको भी एससी पर विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यूनतम सहायता राशि 85 हजार रुपये से अधिकतम 8.25 लाख रुपये तक की राशि तीन किश्तों में दी जाती है। इसलिए आदेश दिनांक 24 मई, 2019 के तहत हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता, डकैती से पीड़ित आश्रित परिवार को बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि हेतु तीन मास की अवधि के लिए 1200 रुपये एक मुश्त एवं 1500 रुपये प्रति सदस्य तीन माह के लिए अतिरिक्त दिए जाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। आपको कोई इस प्रकार से नहीं दे तो आप मुझे अवगत कराएं ताकि मैं उस गरीब की सहायता करा सकूं, मैं यह कहना चाहूंगा।

दूसरा, एक माननीय सदस्य ने कहा कि राशि बहुत कम है, मैंने कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो 2019-20 के अंदर बजट का प्रावधान 54 करोड़ रखा था। अभी तक तो केवल 52 करोड़ 80 लाख फरवरी तक खर्च हुआ है, एक महीना बाकी है, पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी हमने पोर्टल के जरिये, थानेदार सात दिन के अन्दर नहीं करेगा सीधा पोर्टल पर हमारे अधिकारी के पास, जो हमारा डीवाई.एस.पी., कलेक्टर बैठा है, हमारा सोशल जस्टिस अधिकारी है, उसके पास जायेगा, वह नहीं करेगा, डाइरेक्ट मेरे विभाग में आयेगा, ऑनलाइन होगा और सीधे का सीधा पैसा उसके खाते में चला जायेगा। यह भी काम हमने करने की चेष्टा की है।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

मैं कहना चाहूंगा, भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार का 10 परसेंट का आरक्षण किया, उसके अन्दर बहुत बड़ा अवरोध था। उस अवरोध को मिटाने के लिये कई बार हमारे माननीय सदस्यों ने इस पाइंट को उठाया था। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा, राजस्थान के अन्दर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दिल बड़ा रखो, पैसा जितना लगना है, लगे, लेकिन आने वाले समय के अन्दर किसी भी प्रकार से हमारे आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को राज्य के अधीन सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण 2/19 से जो लागू किया है, उसमें सारा अवरोध समाप्त करते हुए, केवल आठ लाख रुपये का ही मापदण्ड रखा गया है, सम्पत्ति के प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इतना बड़ा काम हमने करने की चेष्टा की है। यह मैं कहना चाहूंगा। ताली तो इसमें आपको बजानी चाहिए।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): कटारिया जी ने नहीं बजाई।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की बजट में घोषणा की थी। वह हम जल्दी से बना रहे हैं ताकि वह पूरी की पूरी निगरानी इस बात की रख सके।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य में अति पिछड़ा वर्ग, एम.बी.सी., उस प्रक्रिया के अन्दर, अभी सबने कहा, 2-3 माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी प्रक्रियाधीन जितनी भी आर.पी.एस.सी. में या चयन बोर्ड में भर्तियां हैं, उनके अन्दर 5 परसेंट का आरक्षण होना चाहिए। मैं सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि यह बात हमारे डीओ.पी. के जरिये, हमारे विभाग के जरिये और कई बार हमारी मीटिंग्स हुईं, हमने तय कर लिया, 5 परसेंट का आरक्षण लागू कर दिया गया है। निश्चित तौर से 5 परसेंट प्रक्रियाधीन में भी लागू होगा। यह मैं कहना चाहूंगा।

हमारी सरकार ने राजस्थान दिव्यांग अधिकार नियम, 2018 लागू किया। उसके अन्दर हमने विशेष योग्यजन को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया है। यह भी मैं कह रहा हूं। राजस्थान में पहली दफा, पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है, जिन्होंने सिलिकोसिस नीति एवं पेंशन का प्रावधान किया है। ज्योंही हमें पता लगता है कि इस व्यक्ति को बीमारी लग गई, तत्काल ही

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

उसके खाते में तीन लाख रुपये भेज देते हैं, ताकि वह अपना इलाज करा सके। यह बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे व्यक्ति का बचाव बड़ा मुश्किल है। फिर भी हमने यह किया है। उसके बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मैं कहना चाहूंगा कि 1500 रुपये प्रति माह, सिलिकोसिस पेंशन दी जायेगी। यह भी पहली दफा प्रावधान हुआ है। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि उनके बच्चे हैं, सिलिकोसिस रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जायेगा। पालनहार योजना का भी उसको लाभ दिया जायेगा। यह पूरे हिन्दुस्तान में केवल राजस्थान में है।

एक सहयोग एवं उपहार योजना, कई बार लोगों ने बोला। मैंने कहा, यह कोई समाप्त नहीं की गई है। इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि दसवीं से कम योग्यता होने पर कन्या के विवाह पर 20 हजार, दसवीं पास कन्या के विवाह पर 30 हजार, स्नातक पास कन्या के विवाह पर 40 हजार और विधवा के पुनर्विवाह को 30 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया है। यह काम भी हमने किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हथलेवा योजना की जो बात आपने कही है, इसके अन्दर मेरा विचार अलग है। हथलेवा योजना में हमने यह कहा है, हमने बिलकुल बाकायदा राजस्थान में इसका परीक्षण करवाया है, देखा है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा है, वे बजट में कुछ रखेंगे। मैं इसमें थोड़ा कम बोलना चाहूंगा।

सहयोग उपहार राशि में मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा, कुछ नहीं दिया। मैं कहना चाहूंगा, सहयोग उपहार योजना में 5968 पुत्रियों की शादी में 18,04,75,000 की राशि का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में 19 फरवरी, 2020 तक किया जा चुका है।

अंत में नारी निकेतन, नारी निकेतन के अन्दर हमने बहुत कुछ करने की चेष्टा की है। मुझे सामने दिख रहा है, मुझे पांच मिनट में अपनी बात करनी है। विशेष योग्यजन के लिये भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 5 मिनट में तो मांग पास करनी है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): थोड़ा और आगे कर दूं?

श्री अध्यक्ष: 10 बजे से पहले तो मांग पास करनी है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, थोड़ा आगे और।

श्री अध्यक्ष: 10 बजे से पहले मांग पास करनी है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आ गई मेरी बात, सारी आ जाएगी, एक मिनट आप दे दो।

श्री अध्यक्ष: 10 बजे मांग पास करनी है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में दो जगह हमने विशेष योग्यजन के लिये जयपुर और जोधपुर के अन्दर कैम्प लगाये। जयपुर में 4 करोड़ की राशि के कृत्रिम उपकरण दिये और जोधपुर में 2 करोड़ की राशि के उपकरण दिये। मैं कहना चाहूंगा कि इनका प्रावधान भी हमने किया।

बाल अधिकारिता विभाग, इसमें भारत रत्न पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम से सौ करोड़ रुपये के नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना की है। नेहरू बाल संरक्षण कोष के माध्यम से जीरो से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण, समूचे पुनर्वास के लिये विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। मैं कहना चाहूंगा कि बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु इसकी स्थापना की जायेगी। यह भी मैं कहना चाहता हूं।

अनुजा निगम की बात कही, हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि 2014-15 के अन्दर खर्च हुआ जीरो, 2015-16 में खर्च हुआ जीरो, 2016-17 में खर्च हुआ जीरो, 2017-18 में खर्च हुआ जीरो, 2018-19 में मैं कहना चाहूंगा, 2018-19 में 3 करोड़ खर्च हुआ और 2019-20 के अन्दर अभी वर्तमान के अन्दर 3 करोड़ 34 लाख तो हो गया और 3 करोड़ 34 लाख और खर्च करने का, मैं अभी जारी करूंगा, यह मैं कहना चाहूंगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सरलीकरण का हमने बहुत काम किया है। अनुजा निगम की मैंने बात की। कई सरलीकरण मैंने किये हैं। सरलीकरण जब मैंने किये हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति में सरलीकरण किया है, छात्रावास प्रवेश में सरलीकरण किया है, पेंशन में सरलीकरण किया है, पालनहार योजना में सरलीकरण किया है, अनुसूचित जाति-जाति अत्याचार निवारण में सरलीकरण किया है और अनुजा निगम में भी सरलीकरण किया है। सबको ऑनलाइन किया है, पोर्टल जारी कर दिया। जो हमने जारी किया, उसके अन्दर मैं कहना चाहूंगा कि हमने सोशल जस्टिस में, नौजवान बच्चे हैं

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जो ट्रेनिंगशुदा हैं, सीधी ऑनलाइन, उसका नम्बर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सीधा ऑनलाइन अपना फार्म भेज सकते हैं, यह कहना चाहूंगा।

बजट के प्रावधान के अन्दर मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा बजट के प्रावधान में 2019-20 में 8790 करोड़ 12 लाख, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा बजट बढ़ा करके हम इसको 9900 करोड़ ले गये, आर.ई. में ले गये। यह तो पहले है, आर.ई. में ले गये। अब आगे जो बजट आपने कहा कम दिया है, तो मैं कहना चाहूंगा 8500 करोड़ 7 लाख रुपये का जो प्रावधान किया है, इसको आर.ई. में ले जा करके हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और सामाजिक न्याय में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत के अन्दर बजट घोषणा, अभी दो मिनट बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, दो मिनट में खतम करना है, माननीय सदस्य। प्लीज, माननीय मंत्रीजी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बस एक मिनट।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): मोटी घोषणा कर दीजिये।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मोटी, सारी मोटी की हैं मैंने। (व्यवधान) मैंने तो सारी मोटी-मोटी की हैं। मैं यह कहना चाहूंगा। (व्यवधान) ऑनलाइन कर दिया और क्या ऑनलाइन चाहते हैं। सब ऑनलाइन कर दिया, मैंने बोल दिया। सारी घोषणाएं कर चुका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए कुछ कागज कम लिये, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य रखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पारित किया जाए। धन्यवाद।

अनुदान की मांग का पारण

मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,73,87,25,78,000/- (एक सौ तिहत्तर अरब सत्यासी करोड़ पच्चीस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,36,73,03,000/- (पिचहत्तर अरब छत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख तीन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 05 मार्च 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.59 बजे गुरुवार, दिनांक 05 मार्च 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न एवं उसका उत्तर

शाहपुरा में "राजश्री" योजनान्तर्गत लाभान्वित बालिकाएं

300. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री 'राजश्री' योजना क्रियान्वित की जा रही है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के वर्ष 2016 में लागू होने के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा के उपखण्ड शाहपुरा फूलियां कला और बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाले गांवों में कितनी बालिकाओं को किस-किस प्रकार से कब-कब लाभान्वित किया गया? नाम तथा ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना को उक्त विधान सभा क्षेत्र में क्रियान्वित करने के लिए किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों को दायित्व सौंपा गया है ? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिये मुख्यमंत्री राजश्री योजना संचालित की जा रही है। योजना का विवरण **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(2) सन् 2016 में उक्त योजना के लागू होने से लेकर 25 फरवरी 2020 तक 13 हजार 954 बालिकाओं को राशि रुपये 3 करोड़ 51 लाख 80 हजार का भुगतान किया गया है। सूची **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है

(3) योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है-

1-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) भीलवाड़ा;

2-जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) भीलवाड़ा;

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

3-प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा;

4- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहपुरा, बनेड़ा;

5- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी- समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुरा, बनेड़ा;

6- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी- समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुरा, बनेड़ा;

7- मीना देसाई- बाल विकास परियोजना अधिकारी बनेडा, जमना आर्य, महिला पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग) बनेड़ा एवं

8- मीना देसाई- अतिरिक्त चार्ज, सीडीपीओ शाहपुरा, श्रीमती जानकी कौर, महिला पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग, शाहपुरा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर जिले में बीपीएल किसानों के निजी अपूर्ण कुओं को गहरा कराने की कार्ययोजना

311. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में विभाग व महात्मा गांधी नरेगा योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति के बीपीएल किसानों के निजी अपूर्ण कुओं को गहरा कराने के लिए कितने किसानों को स्वीकृति जारी की गई थी? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त किसानों द्वारा कार्य पूर्ण करने के उपरान्त भी उनको भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो सरकार अब कब तक उक्त किसानों को भुगतान करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कन्वर्जेन्स से 4052 अनुसूचित जनजाति के बीपीएल कृषकों के निजी कुओं को गहरा कराने की स्वीकृति जारी की गयी थी। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिला परिषद् डूंगरपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कन्वर्जेन्स से एस.टी. बी.पी.एल. के 4052 स्वीकृत कार्यों में से दिनांक 14.08.2018 तक 2204 कार्य प्रारम्भ हुए एवं 1848 कार्य अप्रारम्भ रहे। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्त पोषित नहीं करने के निर्देशों की पालना में दिनांक 14.08.2018 को जारी आदेश के क्रम में अप्रारम्भ 1848 कार्य तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए गए।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संबंधित जिला परिषद् को हस्तांतरित राशि रु. 781.05 लाख द्वारा उक्त कृषकों को कार्य पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है।

दिनांक 14.08.2018 तक अनुसूचित जनजाति के बीपीएल कृषकों के निजी कूप गहरीकरण 2204 प्रारम्भ हुए कार्यों में से 849 अपूर्ण व 1355 पूर्ण

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

हुए हैं 1355 पूर्ण कार्यों के विरुद्ध 1239 कार्यों का जिला परिषद्, डूंगरपुर के पत्र दिनांक 31 जनवरी 2020 द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर राशि रु. 569.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

शेष 116 लाभार्थियों के कार्यों का श्रम भाग में भुगतान हो चुका है व सामग्री भाग का भी पचास प्रतिशत भुगतान हो चुका है। कृषकों द्वारा बिल प्रेषित करने के अभाव में सामग्री भाग का भुगतान बकाया है। नियमानुसार बिल प्रस्तुत करने के आधार पर संबंधित कार्यकारी संस्था/पंचायत समिति द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोडावन के संरक्षण हेतु कार्ययोजना

312. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गोडावन की कुल संख्या कितनी है तथा इनके प्रभावी संरक्षण हेतु "Artificial Hetching" कार्यक्रम के तहत जिला बारां के सोरसन क्षेत्र में क्या-क्या कार्य करवाए गये हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में जहां गोडावन प्रस्तावित क्षेत्र का विकास किया जाना है उस क्षेत्र का CWLW ने कब-कब दौरा किया तथा क्या निर्देश प्रदान किए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गोडावन संरक्षण के कार्य को बारां DFO से हटाकर अन्ता क्षेत्र का कार्य DFO WL कोटा के अधीन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से विस्तृत रूप में सम्पूर्ण थार मरुस्थल जिसमें जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर व बीकानेर के कुछ क्षेत्र को शामिल करते हुए गोडावण गणना कार्य 2017-18 में करवाया गया। उक्त गणना में गोडावण की संख्या 109 से 147 के बीच (128+19) आंकलित की गई।

बारां क्षेत्र में गोडावण संरक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु आवास एवं कार्यालय के लिए 3.43 हैक्टेयर भूमि का आबंटन जिला कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2019 से किया जा चुका है। विभाग द्वारा दिनांक

(राज्य मंत्री, वन)

06.03.2019 से कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम हेतु सोरसन वन क्षेत्र की 676 हैक्टेयर वन भूमि उपलब्ध करा दी गई है।

भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा कृत्रिम प्रजनन केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही अपेक्षित है।

(2) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान द्वारा दिनांक 07.08.2018 व दिनांक 10.02.2019 को सोरसन क्षेत्र जहां गोडावण प्रस्तावित क्षेत्र का विकास किया जाना है, का दौरा किया गया।

दिनांक 07.08.2018 को सोरसन क्षेत्र का दौरा कर कुल क्षेत्र में से 740 हैक्टेयर वनभूमि गोडावण प्रजनन हेतु लेने के लिये निर्देश प्रदान किये व पर्यटन हट, अमलसरा के सामने खाली पड़ी राजस्व भूमि पर Captive Breeding Centre Infrastructure (आवास एवं कार्यालय) निर्माण के निर्देश प्रदान किये।

दिनांक 10.02.2019 को दौरे के समय कुल क्षेत्र 740 हैक्टेयर को संशोधित कर 676 हैक्टेयर करने के निर्देश प्रदान किये।

(3) जी नहीं। गोडावण संरक्षण के कार्य को उप वन संरक्षक, बारां से हटाकर उप वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा को दिये जाने का वर्तमान में विचार नहीं है।

खेल संघों का गठन

313. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किन-किन खेलों के संघ, फेडरेशन, बोर्ड गठित है? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये सभी खेलों के संघ, फेडरेशन, बोर्ड, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से सम्बद्ध है? यदि हां, तो उक्त पर सरकार का क्या नियंत्रण होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त का विधान, कार्ययोजना व वार्षिक बजट तैयार होता है? यदि हां, तो विधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में खो-खो फेडरेशन का गठन कब हुआ? कार्यकारणी का गठन कब-कब हुआ तथा कब-कब इसके चुनाव हुए? इसके गठन के विधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियम) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गठित राज्य संघों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियम) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राज्य सरकार का खेल संघों पर नियंत्रण के प्रावधान परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य खेल संघ स्वायत्तशासी संस्था है। खेल संघों द्वारा उनके स्तर पर ही विधान कार्य योजना व वार्षिक बजट तैयार किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2005 अनुसार राज्य संघों को रजिस्ट्रार, राजस्थान सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

(4) राज्य में राजस्थान खो-खो संघ विद्यमान है। राजस्थान खो-खो संघ का राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियम) नियम 2004 एवं अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से दिनांक 29.04.2004 को सम्बद्धता पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रीड़ा अधिनियम 2005 के तहत 26.05.2005 को जारी किया गया। परिशिष्ट-ग एवं घ

राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2005 के तहत राज्य संघ के चुनाव चार वर्ष में एक बार करवाने हेतु निर्धारित किया हुआ है जिसके अन्तर्गत राजस्थान खो-खो संघ द्वारा दिनांक 18.07.2004, 03.08.2008, 29.07.2012 एवं 24.07.2016 को गठन/ चुनाव हुए है।

राजस्थान खो-खो संघ का गठन राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियम) नियम 2004 एवं अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एवं राजस्थान राज्य खो-खो संघ के संविधान अनुसार हुआ है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ड़ एवं च पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भादरा में शुभशक्ति योजना में लाभान्वित अभ्यर्थी

314. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या श्रम राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बलवान पूनियां)

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में शुभशक्ति योजना में सन् 2016 से 31 जनवरी, 2020 तक कितने अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा अब तक कितने अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है? लाभार्थियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार शेष रहे अभ्यर्थियों का भुगतान कब तक किये जाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भादरा विधान सभा क्षेत्र में शुभशक्ति योजना में आज दिनांक तक कुल 2,788 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 595 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट-**1** पर संलग्न है।

(2) श्रमिकों को यथाशीघ्र योजनाओं का लाभ दिये जाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। योजनाओं की संवेदनशीलता एवं मण्डल में उपलब्ध कोष को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं की वरीयता निर्धारित करते हुए आवेदनों का ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से निस्तारण किया जा रहा है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपकर राशि का प्रयोग अधिनियम की धारा 22 (ए) से (जी) तक उल्लेखित विषयों पर बनायी गयी योजनाओं में लाभ अन्य कल्याणकारी योजना की अपेक्षा प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में सीमित फण्ड उपलब्धता तथा संवेदनशीलता की दृष्टि से सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवेदनों को वरीयता देते हुए निस्तारित किया जा रहा है। शुभशक्ति योजना, सुलभ्य आवास योजना के 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हितलाभ देने का निर्णय लिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मांडलगढ़ में संचालित संकुल संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

315. श्री गोपाल लाल शर्मा (मांडलगढ़): क्या संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में संचालित संकुल संस्कृत विद्यालय में कुल कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं तथा उनमें कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में संस्कृत शिक्षा के संचालित राजकीय विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राज्य सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है। प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 718 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाकर पात्रता जांच काउन्सलिंग का कार्य किया जा रहा है।

वरिष्ठ अध्यापक के 177 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में 718 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थना भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये हैं।

अध्यापक के 226 पदों पर भर्ती की कार्यवाही रीट परीक्षा के आयोजन के उपरान्त की जानी है।

सीधी भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुष्कर में खादी प्रसार एवं ग्रामीण औद्योगिकीकरण की योजना

334. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2014 से जनवरी, 2020 तक प्रतिवर्ष विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कितने ग्राम उद्योगों को कुल कितनी सहायता राशि दी गई? वर्षवार, ग्रामोद्योगवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में बोर्ड ने उक्त विधान सभा क्षेत्र में खादी प्रसार एवं ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए क्या कार्य किए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष 2014 से जनवरी 2020 तक कुल 12 ग्रामोद्योग हेतु कुल 3212654 लाख रु. मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप में सहायता प्रदान की गई। वर्षवार ग्रामवार लाभार्थी/कार्यवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में खादी बोर्ड द्वारा खादी के प्रसार हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अन्तर्गत पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में खादी की कोई संस्था नहीं होने के कारण किसी भी संस्था को लाभान्वित नहीं किया जा सका है।

ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत किये गये कार्य परिशिष्ट "अ" में समाहित है एवं ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में दिए गए प्रशिक्षणों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधायक कोष के माध्यम से दिव्यांगों को ट्राई साइकिल व स्कूटी का वितरण

335. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

प्रदेश में दिव्यांगों को विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना व विभाग के माध्यम से ट्राई साइकिल व स्कूटी या अन्य वाहन उपलब्ध कराये जाने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ संचालित संयुक्त सहायता योजनान्तर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल/ स्कूटी एवं अन्य सहायक उपकरण स्थानीय विधायक कोष से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। इस हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी परिपत्र संलग्न परिशिष्ट-अ पर अवलोकनीय है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नवजीवन योजना के लाभार्थी

336. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मदिरा के अवैध व्यवसाय में शामिल परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए "नवजीवन योजना" प्रदेश में लागू है? यदि हां, तो उक्त योजना में क्या-क्या कार्य किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के लिए सरकार द्वारा बजट का भी प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत उक्त योजना में किस-किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2019-20 के लिए उक्त योजना के लिए सरकार द्वारा 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया था? यदि हां, तो क्या 10 करोड़ की राशि व्यय कर दी गई है? यदि हां, तो किस मद में व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में शामिल परिवारों को मुख्यधारा में लाने के लिये नवजीवन योजना प्रदेश में लागू है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

नवजीवन योजना मे निम्न कार्य किये जाते हैं:

1. सर्वे/चिन्हीकरण, प्रचार-प्रसार/वातावरण का निर्माण
2. कौशल प्रशिक्षण
3. बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाना तथा ऋण पर ब्याज अनुदान राशि स्वीकृत करवाना।
4. पात्र परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना एवं फीस पुनर्भरण।
5. पात्र समुदायों एवं परिवारों/व्यक्तियों की बस्तियों/वासस्थान पर आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं आदर्श बस्तियों का विकास।

(2) जी हां। नवजीवन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट घोषणा में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कार्य जिस पर व्यय किया गया विवरण	**व्यय की गई राशि लाखों में**
1984 छात्रों को फीस का पुनर्भरण किया गया है।	250.47
578 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया।	80.21
सर्वे प्रचार प्रसार कार्य करवाया गया।	0.75
नाड़ी खुदाई (जल संरक्षण) सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य करवाया गया।	4.55
33 छात्रों को छात्रावास में रखकर लाभान्वित किया जा रहा है।	8.56

(3) जी हां। वर्ष 2019-20 के लिये नवजीवन योजना योजनान्तर्गत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस योजनान्तर्गत अब तक 344.54 लाख राशि व्यय की गई है, जो मदवार निम्नानुसार है:

क्र.स.	**वर्गवार**	**राशि लाखों में**
1	अनुसूचित जाति	197.05
2	अनुसूचित जनजाति	8.99
3	सामान्य	138.50
	योग	**344.54**

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

प्रावधित राशि के विरुद्ध 344.54 लाख रुपये व्यय कर दिये गये है, शेष राशि व्यय किया जाना प्रक्रियाधीन है।

दिव्यांगजन के प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय की स्थापना

337. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिव्यांगजन विद्यार्थियों के अध्ययन व प्रशिक्षण हेतु सरकारी एवं निजी क्षेत्र के विद्यालय एवं संस्थान कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा विशेष योग्यजनों के शैक्षिक पुनर्वास हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से तीनों श्रेणी के 106 यथा-मानसिक विमंदित, मूक बधिर, नेत्रहीन आवासीय/गैर आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन नेत्रहीन एवं मूक बधिर बच्चों के लिए राज्य में **7** राजकीय विशेष विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं**,** जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में 100 शय्या हेतु बजट आबंटन

338. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में अब तक सामान्य चिकित्सालय बाड़ी के लिए 30 शय्या के हिसाब से ही बजट आबंटित किया जा रहा है? क्या सरकार वर्तमान में व्यवस्थाओं को देखते हुए सामान्य

(श्री गिर्राज सिंह)

चिकित्सालय में 100 शय्या के आधार पर बजट आबंटित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राजकीय सामान्य चिकित्सालय, बाड़ी में 100 शय्याओं के आधार पर बजट आबंटित किया जा रहा है।

नदबई (भरतपुर) के आयुर्वेद औषधालय का "अ" श्रेणी में क्रमोन्नयन

339. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के मुख्यालय पर आयुर्वेदिक औषधालय ''ब'' श्रेणी 1964 से संचालित होने के उपरान्त भी क्रमोन्नत नहीं किया गया है जबकि पास के उपखण्ड मुख्यालयों पर अपेक्षाकृत नवीन औषधालयों को ''अ'' श्रेणी में क्रमोन्नत कर दिया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त आयुर्वेदिक औषधालय को "अ" श्रेणी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर विचार किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

चिकित्सा महाविद्यालयों में फीस का निर्धारण

340. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में कितने चिकित्सा महाविद्यालय कहां-कहां पर और कब से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) क्या सरकार प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में नये चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान में एम.बी.बी.एस. करने वाले विद्यार्थियों की किस - किस मद में क्या - क्या फीस निर्धारित है? महाविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(2) सीकर चिकित्सा महाविद्यालय में इस वर्ष प्रवेश प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के द्वितीय चरण में धौलपुर में तथा तृतीय चरण में 15 जिलों (अलवर, बारां, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनूं एवं दौसा) में चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किये जा चुके हैं। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत जालौर व प्रतापगढ़ जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु प्रिलिमिनेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पीपीआर) भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। राजसमंद जिले में वर्तमान में राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

निजी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु टांटिया विश्वविद्यालय श्रीगंगानगर को एसेन्शिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हेतु एसेन्शिलिटी सर्टिफिकेट अथवा लैटर ऑफ इन्टेन्ट (एलओआई) जारी नही किया गया है।

(3) प्रदेश में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019-2020 में एम.बी.बी.एस. कर रहे विद्यार्थियों की मदवार निर्धारित फीस **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कुपोषित बच्चों हेतु कुपोषण केन्द्रों की स्थापना

341. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) प्रदेश में वर्ष 2013 से 2019 तक शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में प्रति वर्ष कितनी कमी आई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के चिकित्सालयों में गहन शिशु इकाई स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितनी कार्यशील हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कुपोषित बच्चों के लिए प्रदेश में कुपोषण केन्द्र बनाये गए हैं? यदि हां, तो उक्त केन्द्र कहां-कहां पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा जारी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जो गणना वर्ष के एक/दो वर्ष उपरान्त जारी किया जाता है, के अनुसार शिशु मृत्यु दर में आयी कमी का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

गणना वर्ष	**जारी किये जाने का वर्ष**	**शिशु मृत्युदर (राजस्थान)**	**शिशु मृत्यु दर में गिरावट (प्रति 1 हजार जीवित जन्म) (विगत सर्वे के अनुसार)**
2013	सितम्बर 2014	47	2
2014	जुलाई 2016	46	1
2015	दिसम्बर 2016	43	3
2016	सितम्बर 2017	41	2
2017	मई 2019	38	3

भारत सरकार द्वारा जारी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जो गणना वर्ष के दो वर्ष उपरान्त जारी किया जाता है, के अनुसार मातृ मृत्यु दर में आयी कमी का विवरण निम्नानुसार है:-

गणना वर्ष	**जारी किये जाने का वर्ष**	**मातृ मृत्यु दर**	**मातृ मृत्यु दर में गिरावट (प्रति 1 लाख जीवित जन्म) (विगत सर्वे के अनुसार)**
2011-13	फरवरी 2015	244	11
2014-16	मई 2018	199	45
2015-17	नवम्बर 2019	186	13

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। राज्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सा महाविद्यालय एवं उनसे संबंधित चिकित्सालयों में कार्यशील गहन शिशु इकाई का विवरण परिशिष्ट-अ पर एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला/उप जिला/सैटेलाइट/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के चिकित्सालयों में कार्यशील गहन शिशु इकाई का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कुपोषण उपचार केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित कुपोषण उपचार केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिला अस्पताल में शय्याओं की वृद्धि

342. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा धौलपुर जिला अस्पताल को 400 शय्याओं का अस्पताल किये जाने की घोषणा वर्ष 2017-18 में की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त अस्पताल में शय्याएं बढ़ा दी गई हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक उक्त अस्पताल में शय्याएं बढ़ा दी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। जिला चिकित्सालय, धौलपुर में वर्तमान में 400 शय्याएं स्वीकृत हैं।

श्रीगंगानगर जिले के आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद

343. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में कितने आयुर्वेद औषधालय किस-किस श्रेणी के हैं? उक्त में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं? उक्त औषधालय में कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(2) वर्तमान में उक्त जिले में कहां-कहां कौन-कौनसे राजकीय औषधालयों में आयुष वार्ड संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में नये आयुष वार्ड खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगगांनगर में श्रेणीवार संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय, इनमें स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

(2) आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुष वार्ड के नाम से कोई इकाई का प्रावधान नहीं है। उक्त जिले में 03 आयुर्वेद चिकित्सालयों में अंतरंग सुविधा (इंडोर) उपलब्ध है जो निम्न है:-

राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में 05 शय्याएं स्वीकृत हैं।

राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय दौलतपुरा में 05 शय्याएं स्वीकृत हैं।

राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय सूरतगढ़ में 05 शय्याएं स्वीकृत हैं।

(3) आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुष वार्ड के नाम से कोई इकाई का प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों का नियमितीकरण

344. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों का नियमितीकरण लम्बे समय से नहीं हो रहा है? क्या सरकार उक्त पात्रों का नियमितीकरण करने का विचार रखती है?

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2014 तक कार्यरत पात्र व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकों के नियमितीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वर्ष 2017 तक कार्यरत पात्र व्यस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकों को नियमितीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार समस्त पात्र व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों का नियमितीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2014 से पूर्व कार्यरत पात्र व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग 31.07.2019 तक पूर्ण किये जाने बाबत निर्देश समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों को जारी किए गए। दिनांक 10.07.2017 तक कार्यरत पात्र व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक के नियमितीकरण के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) दिनांक 10.07.2017 तक कार्यरत पात्र व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक के नियमितीकरण के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के कर्मचारियों की चयन, नियुक्ति व सेवाशर्तों-2008 (यथा संशोधित) के अनुसार पात्र व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक के नियमितीकरण की कार्यवाही की जाती है।

नोखा में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

345. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं? व्यवस्थापकों व अध्यक्षों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बिहारीलाल)

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में 33 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। व्यवस्थापकों व अध्यक्षों सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नोखा में 33 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन नहीं हुआ है, जिसकी सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु स्थापित केन्द्र

346. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कितने केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? उक्त केन्द्रों पर खरीफ एवं रबी की किन-किन फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीद करने की व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीद किस दिनांक से प्रारम्भ हुई और कितनी मात्रा में, किन-किन फसलों की खरीद की गई उक्त केन्द्रों पर उक्त अवधि में कब-कब खरीद प्रक्रिया बंद रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में समर्थन मूल्य पर रबी 2019 एवं खरीफ 2019 में खरीद हेतु निम्नानुसार केन्द्र स्थापित किये गये थे:-

(सहकारिता मंत्री)

क्र.सं.	फसल	नाम केन्द्र	जिन्स का नाम
1.	रबी 2019	नागौर	सरसों एवं चना
	खरीफ 2019-20		मूंग एवं मूंगफली
2.	रबी 2019	जायल	सरसों एवं चना
	खरीफ 2019-20		मूंग एवं मूंगफली

(2) उक्त केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर हुई खरीद का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	फसल	खरीद अवधि	जायल केन्द्र पर खरीद (मात्रा क्विं. में)		नागौर केन्द्र पर खरीद (मात्रा क्विं. में)	
			सरसों	चना	सरसों	चना
1.	रबी 2019	1.4.19 से 30.6.19	18360.00	124.00	26342.50	289.50
2.	खरीफ 2019-20	1.11.19 से 29.1.20	मूंग	मूंगफली	मूंग	मूंगफली
			41376.00	0.00	35059.50	1719.20

खरीद अवधि में उक्त केन्द्रों पर खरीद प्रक्रिया बन्द नहीं रही है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सहकारी संस्थाओं में कराये गये कार्य

347. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य सहकारी संस्थाओं में करवाये जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड भी एक सहकारी संस्था है? यदि हां, तो उक्त में कोई भी कार्य उक्त योजना में क्यों नहीं करवाया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में भी स्थानीय

(श्री नारायण बेनीवाल)

विधायक की अभिशंसा से कार्य करवाये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(स्थगित)

समेकित बाल विकास योजना के तहत केन्द्र द्वारा राज्य को उपलब्ध कराई गई राशि

348. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना के तहत विगत पांच वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि किस-किस मद के लिए उपलब्ध कराई थी? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में राज्य सरकार ने अपने मद में से तथा केन्द्र की राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद के लिए व्यय की गई? वर्षवार व परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा कितने बच्चों, किशोरियों व गर्भवती व धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया गया? कितने कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उनका उपचार किया गया? वर्षवार, परियोजनावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना के तहत विगत पांच वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई राशि का मदवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में राज्य सरकार ने अपने मद में से तथा केन्द्र की राशि में से व्यय की गई राशि का मदवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर व परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-स संलग्न है।

(3) उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा बच्चों, किशोरियों व गर्भवती व धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया गया तथा कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उनका उपचार किया गया, का वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

349. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र निजी अथवा किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निजी भवनों तथा किराये के भवनों के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय भवनों में संचालित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: जहाजपुर एवं कोटड़ी संचालित हैं, जिसमें जहाजपुर में 238 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा कोटड़ी में 109 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें से जहाजपुर में 26 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा कोटड़ी के 11 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आसीन्द में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण

350. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की पंचायत समिति आसीन्द एवं माण्डल में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वयं सहायता समूहों का पोषाहार वितरण का भुगतान किस-

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

किस आंगनबाड़ी केन्द्र का कितने समय से कितना-कितना बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की पंचायत समिति आसीन्द एवं माण्डल में महिला स्वयं सहायता समूहों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति आसीन्द एवं माण्डल के स्वयं सहायता समूहों के भुगतान का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बकाया भुगतान शीघ्र करवा दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्र सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र में योजनाओं के लिए बजट का आबंटन

351. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा वर्ष 2018 से जनवरी, 2020 तक कितना-कितना बजट किस-किस योजना में आबंटित किया गया? केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि में कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? क्या उक्त आबंटित बजट को व्यय कर दिया गया है? यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? व्यय किये गये बजट का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश में वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा 30058.86 लाख रुपये एवं भारत सरकार द्वारा 25047.16 लाख रुपये का आबंटन किया गया। अर्थात् वर्ष 2018-19 में कुल 55106.02 लाख रुपये आबंटित किया गया है।

वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा 37600.00 लाख रुपये एवं

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

भारत सरकार द्वारा 26363.87 लाख रुपये का आबंटन किया गया। अर्थात् वर्ष 2019-2020 में कुल 63963.87 लाख रुपये आबंटन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि 53793.79 लाख रुपये एवं वितीय वर्ष 2019-2020 में माह जनवरी 2020 तक 33024.15 लाख रु. का व्यय किया गया।

वर्ष 2019-20 में आबंटित राशि को व्यय करने की प्रक्रिया जारी है।

वर्ष 2018-2019 व 2019-20 (माह जनवरी 2020 तक) प्राप्त बजट एवं व्यय राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित जाति/जनजाति व आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु कार्ययोजना

352. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तीकरण के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्ग की महिलाओं के साथ विगत पांच वर्षों में अत्याचार एवं प्रताड़नाओं में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त वर्ग के अधिकार एवं सशक्तीकरण हेतु कोई उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी वर्ग की पात्रताधारी महिलाओं की संचालित सहयोग एवं उपहार योजना, विधवा विवाह उपहार योजना, पालनहार योजना, पेंशन योजना, आस्था कार्ड योजना, अत्याचार निवारण योजना, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना एवं पोक्सो एक्ट अन्तर्गत पीड़िताओं को लाभान्वित किया जाता है। साथ ही संकटग्रस्त महिलाओं हेतु संभाग स्तर पर महिला सदन/नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी वर्ग की पात्रताधारी महिलाओं को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 अन्तर्गत आजीविका एवं रहवास हेतु वनाधिकार पत्र जारी करवाकर लाभान्वित किया जाता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं - पशुपालन कार्यक्रम, दुग्ध विकास कार्यक्रम, मत्स्य विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मी योजना, सामुदायिक जलोत्थान योजना, दक्षता विकास कार्यक्रम, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना एवं नि:शुल्क कोचिंग योजना आदि में पात्रता अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है।

राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने सम्बन्धी उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं नियम 2011 अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तीकरण हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा पृथक से कोई योजना/कार्यक्रम संचालित नहीं किये जाते हैं। विभाग की योजना में सभी वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

गृह विभाग, जयपुर द्वारा प्रदेश में उक्त वर्ग की महिलाओं पर अत्याचार एवं उत्पीड़न के निदान के लिए पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राइट्स) राजस्थान जयपुर का पद सृजित किया है, जो पूरे प्रदेश में समय-समय पर उक्त वर्ग की महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों की पालना करवाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 यथा संधोधित अधिनियम 2015 के तहत दर्ज कर अनुसंधान उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाता है। प्रदेश के सभी 36 पुलिस जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनाये गये हैं, जिनके प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जिलों में महिला शक्ति

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

आत्मरक्षा केन्द्रों का शुभारंभ किया गया है। महिला गरिमा हैल्पलाइन, सोशल मीडिया हैंडल्स, महिला पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट आदि योजनाएं चलाई जाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के प्रयास किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए 25 जिलों में विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है जिसके पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश स्तर के होते हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण के तहत देय राशि की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विगत 03 वर्षों का प्रदेश में दर्ज अभियोगों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. वर्ष 2017 में कुल दर्ज अभियोग 1882 हैं, जिनमें से 1028 में चालान किये गये, 850 अभियोग झूठे पाये गये और 04 पैण्डिंग हैं।
2. वर्ष 2018 में कुल दर्ज अभियोग 1953 है, जिनमें से 1110 में चालान किये गये, 826 अभियोग झूठे पाये गये और 17 पैण्डिंग हैं।
3. वर्ष 2019 में कुल दर्ज अभियोग 3067 हैं, जिनमें से 1507 चालान किये गये एवं 1324 अभियोग झूठे पाये गये और 236 पैण्डिंग हैं।

राज्य सरकार की आम-जन को न्याय दिलाने के क्रम में निर्बाध पंजीकरण की नीति के अनुसरण में अधिक अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। यह महिलाओं के ऐसे प्रकरणों को दर्ज कराने हेतु जागरूकता, आत्म-विश्वास तथा पुलिस तंत्र में विश्वास में वृद्धि का सूचक है। तुलनात्मक विवरण से अभियोगों की संख्या बढ़ी है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार व प्रताड़नाओं के प्रकरणों के दर्ज होने की संख्या में वृद्धि होने का कारण यह प्रकाश में आया है कि सोशल मीडिया के कारण वर्तमान में जागरूकता के बढ़ने से अपने खिलाफ हुए अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना है। पहले सामाजिक भय व लोक लाज से अभियोग दर्ज नहीं करवाती थी। यह महिलाओं के ऐसे प्रकरणों को दर्ज कराने हेतु जागरूकता, आत्म-विश्वास तथा पुलिस तंत्र में विश्वास में वृद्धि का सूचक है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्लास्टिक के उत्पादन एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध हेतु कार्ययोजना

353. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश में पूर्ण रूप से प्लास्टिक उपयोग एवं उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। तथापि प्लास्टिक कैरी बैग के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति एंव स्वास्थ्य परिसंकट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21/07/2010 के द्वारा राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन को प्रतिबन्धित किया गया है। सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि कोई व्यक्ति जिनमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेड़ी वाला सम्मिलित है, माल के प्रदाय के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा और यह भी निर्देश दिये हैं कि कोई व्यक्ति 1 अगस्त, 2010 से राजस्थान राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा। निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि खाद्य सामग्री, दूध और नर्सरी के पौधों की पैंकिंग के लिए प्रयुक्त कैरी बैग प्रतिबंधित नहीं है।

रायसिंहनगर में वृक्षारोपण के कार्य

354. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वृक्षारोपण, वन संरक्षण, कच्चे पक्के कार्यों, वन क्षेत्र के विकास, पर्यावरण के सुधार, वन्यजीवों के संरक्षण व रक्षार्थ, वन नर्सरी आदि कार्यों में प्रतिवर्ष विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने के नाम पर भारी अनियमितताएं की जा रही हैं? विगत दो वर्षों के दौरान कराये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के वन क्षेत्रों से विगत दो वर्षों के

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

दौरान बड़ी मात्रा में सूखी व गीली लकड़ी, वन उत्पाद के बेचान या खुर्दबुर्द किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? विभाग द्वारा आंधी तूफानों में उखड़े वृक्षों, सूखे वृक्षों, लाख, गोंद, शहद, मोम, उपयोगी पत्ते, वनौषधियों, फल-फूलों का, वन क्षेत्र में मृत जानवरों की चमड़ी व हडिड्यों के रिकार्ड संधारण की क्या व्यवस्था अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के वन क्षेत्रों में खनन माफियाओं एवं अधिकारियों की मिलीभगत से वन क्षेत्रों को नष्ट किया जा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में विगत 2 वर्षों में वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु विभिन्न योजनांतर्गत कराये गये विकास कार्यों का कार्यस्थलवार एवं व्यय राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र में तात्कालिक क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर के विरुद्ध लकड़ियों के अवैध बेचान की एक शिकायत प्राप्त होने पर प्रारम्भिक जांच करवाई गई जिसके आधार पर दोषी प्रतीत लगने के कारण इन्हें आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में विगत 2 वर्षों में वन क्षेत्र में आंधी तूफानों में उखड़े, सूखे एवं परिपक्व वृक्षों का विभाग द्वारा किये गये निस्तारण संबंधित अलग अलग विवरण संलग्न परिशिष्ट-बी अनुसार है।

उल्लेखनीय है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में लाख, गोंद, शहद, मोम, उपयोगी पत्ते, वनौषधियों, फल फूलों का, वन क्षेत्र में मृत जानवरों की चमड़ी व हड्डियों का निस्तारण की कोई प्रक्रिया आवश्यक नहीं होने से विधिवत रिकार्ड संधारण नहीं किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में विगत 2 वर्षों में अवैध खनन का कोई प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं है, अपितु लकड़ियों के अवैध बेचान की प्राप्त शिकायत के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी के विरुद्ध बिन्दु-2 अनुसार कार्यवाही की गई है। इस अवधि में अवैध छंगाई एवं कटान के दर्ज 4 प्रकरणों में 51,100 रुपये का एवजाना वसूल किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

355. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कुल कितने सरकारी व गैर सरकारी ITI हैं? उक्त केन्द्रों में कौन-कौन से ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्या सराड़ा उपखण्ड में एक भी सरकारी ITI नहीं है?

(2) क्या सरकार उपखण्ड सराड़ा के सराड़ा व सेमारी में सरकारी ITI खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कुल एक सरकारी व एक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, जिनमें संचालित ट्रेड का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सराड़ा उपखण्ड की तहसील सेमारी में मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1(3)त.शि./2013 दिनांक 9.6.2016 द्वारा सेमारी में राजकीय आईटीआई खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

(2) वर्तमान में उपखण्ड सराड़ा के सराड़ा तहसील में 01 निजी आईटीआई श्रीनाथ आईटीआई पलोदरा (सराड़ा) संचालित है। वर्तमान में सराड़ा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है।

उपखण्ड सराड़ा के तहसील सेमारी में मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1(3)त.शि./2013 दिनांक 09-06-2016 द्वारा सेमारी में राजकीय आईटीआई खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

राजकीय आईटीआई सेमारी हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति राशि 997.57 लाख रुपये की आदेश क्रमांक 1(3)त.शि./2013 दिनांक 28-12-2016 द्वारा जारी की गयी है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

जिला कलेक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक 966 दिनांक 29-05-2017 द्वारा राजकीय आईटीआई सेमारी हेतु भूमि आबंटित की जा चुकी है। वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेमारी (उदयपुर) के भवन निर्माण का कार्य निर्माण एजेन्सी रूडसिको द्वारा करवाया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहरथाना (झालावाड़) में मिनी स्टेडियम का निर्माण

356. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में मिनी स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं। मिनी स्टेडियम बनाने हेतु बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

जयपुर जिले में संचालित कौशल विकास केन्द्र

357. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जिला जयपुर में कितने कौशल विकास केन्द्र कार्यरत हैं? उक्त केन्द्रों पर कितने छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में कौन-कौनसे पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? उक्त केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों से कितना-कितना शुल्क लिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों में उक्त केन्द्रों से प्राप्त कितने प्रशिक्षणार्थियों को क्या कार्य (Job Placement) दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर जिले में कुल 55 कौशल विकास केंद्र कार्यरत

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

हैं। इन केन्द्रों पर कुल 2972 छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में उक्त 55 कौशल विकास केन्द्रों में दिये जा रहे प्रशिक्षण के कोर्सेज का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है अपितु सभी योजनाओं में युवाओं का प्रशिक्षण निःशुल्क है। निगम की कौशल प्रशिक्षण योजनाओं में क्रमशः रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ESLTP) एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में युवाओं से पंजीयन राशि जो सामान्य श्रेणी के युवाओं हेतु रु. 600/- एवं महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक युवाओं हेतु रु. 300/- नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीयन राशि सामान्य श्रेणी के युवाओं हेतु रु. 400/- एवं अन्य वर्गों के लिए रु. 200/- शुल्क लिया जाता है ताकि युवाओं में प्रशिक्षण के प्रति गंभीरता बनी रहे।

(3) उक्त सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त गत तीन वर्षों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत प्रदान किए गए रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर एवं उनके कार्य के प्रकार का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बून्दी में श्रम कल्याण योजनाओं के लंबित आवेदनों का निस्तारण

358. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बून्दी में विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं में विगत दो वर्ष में कितने आवेदन प्राप्त हुए? आवेदनों का योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजनाओं के लम्बित आवेदनों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में पिछले 2 वर्षो में योजनाओं के अन्तर्गत कुल 15,943 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसका योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पंजीकृत निर्माण श्रमिक के योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर निस्तारित किये जा रहे हैं। अत्यधिक पेन्डेन्सी के मध्यनजर चरणबद्ध आधार पर निस्तारण का निर्णय लिया जाकर सर्वप्रथम सिलिकोसिस सहायता योजना, मृत्यु सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं शिक्षा सहायता योजना आदि का निस्तारण किया जा रहा है। मण्डल की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शुभशक्ति एवं सुलभ्य आवास योजना के लंबित आवेदनों का निस्तारण चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। विशेष प्रयास के रूप में योजनाओं के निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें अब तक 5.96 लाख से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लघु व कुटीर उद्योगों में बाल श्रम की रोकथाम

359. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों, हाईवे पर बने ढाबों, घरों में चलने वाले लघु एवं कुटीर उद्योग व्यवसाय में नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाये जाने के प्रकरण दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो विगत दो वर्ष में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक उक्त की रोकथाम करने के लिये क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक कुल कितने बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाकर कितनी एफआईआर दर्ज करवाई गई तथा कितने प्रकरण वर्तमान में लम्बित चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों, हाईवे पर बने ढाबों, घरों में चलने वाले लघु एवं कुटीर उद्योग व्यवसाय में नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाये जाने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बाल श्रम की रोकथाम हेतु समस्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है जिसकी नियमित बैठकें होती हैं। बाल श्रम की रोकथाम हेतु निम्न कार्य किये गये हैं:-

1. सभी सरकारी/प्राइवेट विद्यालयों के बाहर चाइल्ड हैल्पलाइन नं. 1098 के स्लोगन लिखवाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।

2. परिवहन विभाग में आने वाले चार पहिया वाहनों पर चाइल्ड हैल्पलाइन नं. 1098 के स्लोगन लिखवाये गये हैं।

3. राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पर बाल श्रमिक रखना अपराध है, के स्लोगन ऑनलाइन अंकित करवाये गये हैं।

4. गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश व बाल श्रम रोकथाम हेतु आपरेशन खुशी प्रथम (18.02.2019 से 08.03.2019 तक) चलाया।

5. गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश व बाल श्रम रोकथाम हेतु ऑपरेशन खुशी द्वितीय (18.03.2019 से 15.04.2019 तक) चलाया।

6. गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश व बाल श्रम रोकथाम हेतु ऑपरेशन खुशी तृतीय (06.06.2019 से 05.07.2019 तक) चलाया।

7. ''बचपन बचाओ आंदोलन'' गैर सरकारी संगठन के सहयोग से अभियान (01.06.2019 से 30.06.2019 तक) चलाया गया।

8. आपरेशन आशा (15.10.2019 से 15.11.2019 तक) चलाया गया।

9. उद्योगों एवं फैक्ट्रियों के बाहर भी बाल श्रम रखना अपराध है, के स्लोगन लगवाने हेतु कारखाना एवं बायलर्स विभाग को कहा गया है।

(3) 1 दिसम्बर, 2018 से अब तक 2683 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। 706 एफआईआर दर्ज हुई हैं तथा शून्य प्रकरण लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना

360. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या भाषा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में पुस्तकालयों के विकास, संचालन एवं प्रशासन के संबंध में कोई योजना संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजसमन्द जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जिला मुख्यालय पर पुस्तकालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) प्रदेश में कौन-कौनसे पुस्तकालयों में ई-पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है एवं किन-किन पुस्तकालयों में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है?

(4) सरकार द्वारा वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में पुस्तकालयों में नवीन पुस्तकों के खरीदने पर कितना व्यय किया गया है एवं कितनी पुस्तकें खरीदी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006 एवं राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय नियम, 2012 के अनुसार राज्य में पुस्तकालयों का विकास, संचालन एवं प्रशासनिक कार्य किये जाते हैं।

(2) जी हां। राजसमन्द जिला मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में राजकीय सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय संचालित है।

(3) विभाग के अधीन संचालित डा. राधाकृष्णन् राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, गांधी नगर, जयपुर एवं राजकीय सार्वजनिक मण्डल पुस्तकालय, अजमेर में ई-पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है। शेष 45 पुस्तकालयों में वर्तमान में यह ई-पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। (सूची परिशिष्ट-1)

(4)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**पुस्तक क्रय पर व्यय की गई राशि रुपये**	**पुस्तकों की संख्या**
1	2016-17	91,67,840	45964
2	2017-18	12,64,000	316
3	2018-19	1,69,46,801.10	111250
4	2019-20	1,98,42,536	104329

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ

361. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान संस्कृत महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा अपनी मांगों के संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त प्राप्त ज्ञापनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ अब तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि संस्कृत महाविद्यालयों में दीर्घावधि से पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षक संविदा पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत एक वर्ष में राजस्थान संस्कृत महाविद्यालय शिक्षक संघ से प्राप्त ज्ञापन पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वित्त विभाग द्वारा सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की सहमति नहीं दी गई है।

(3) राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षक संविदा पर कार्यरत नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नासिरदा, आवां, नगरफोर्ट व बनेठा का उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन

महोदय,

राज्य सरकार का महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण पर विशेष जोर है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र देवली-उनियारा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में बालिका शिक्षा के लिए विद्यालयों की कमी है। इस विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 4 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय हैं जो कि नासिरदा, आवां, नगरफोर्ट एवं बनेठा में संचालित हैं। उक्त चारों विद्यालय बड़े कस्बों में स्थित हैं एवं दसवीं कक्षा के बाद बालिकाओं को आगे की शिक्षा के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है, जिस कारण बालिकाओं के अभिभावक उनकी शिक्षा बंद करवा देते हैं।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उक्त चारों बालिका माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाये ताकि यहां की बालिकाएं अपनी आगे की शिक्षा भी निर्बाध तरीके से पूरी कर सकें और राज्य सरकार का महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण का कार्य धरातल पर नजर आये।

हरीश चन्द्र मीना

(देवली-उनियारा)

सोनीयाना (भदेसर) के रा.उ.मा.वि. के भवन की जमीन का विद्यालय के नाम परिवर्तन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनीयाना तहसील भदेसर पिछले कई वर्षों से संचालित है। उक्त विद्यालय भवन कृषि मण्डी सोनीयाना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड की जमीन पर बना हुआ है। उक्त जमीन को लगभग 50 वर्षों

पूर्व कृषि मण्डी के नाम आबंटित किया गया था, लेकिन कृषि मण्डी कभी भी सोनीयाना में संचालित नहीं की गई तथा कृषि मण्डी के लिए यह भूमि उपयोग में नहीं आती है।

अतः उक्त जमीन को विद्यालय के नाम आबंटन कराने की महती कृपा कराएं। विद्यालय भवनों व विद्यालय के नाम दर्ज खेल मैदानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की कार्यवाही कराएं तथा खेल मैदानों को सुरक्षित करने के लिए चारदीवारी बनाने के लिए बजट आबंटन कराने की आवश्यकता है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूदड़ी तहसील कपासन के खेल मैदान के अतिक्रमण को हटवाने के बाद भी अतिक्रमी पुनः काबिज हो जाता है।

सरकार से निवेदन है कि अतिक्रमी के विरुद्ध ठोस कार्यवाही कराने की महती कृपा कराएं।

अर्जुन लाल जीनगर

(कपासन)

अप्रधान खनिज फैल्सपार की अवैध निकासी से राजस्व हानि

महोदय,

निवेदन है कि राजस्थान सरकार के अप्रधान खनिज फैल्सपार के लम्बस गिट्टी को बिना ग्राइन्ड किये राज्य के बाहर ले जाने पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 व 10 मार्च, 2019 के गजट नोटिफिकेशन के द्वारा रोक लगा दी थी। राज्य के खान विभाग के अधिकारी, ट्रान्सपोर्टर्स, खनिज पट्टाधारी द्वारा गुजरात के खरीददार व्यापारियों द्वारा संगठित होकर जिला अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद पाली, उदयपुर, डूंगरपुर से बिना बिल, बिना रवन्ना, बिना टीपी के हजारों टन रोजाना आबूरोड बार्डर, रतनपुर बार्डर से अवैध निकास हो रहा है, जिससे राज्य को रोजाना लाखों रुपये की राजस्व हानि हो रही है। राज्य की गुजरात सीमा से सटे बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर, सिरोही के पास गुजरात सीमा में जहां खनिज फैल्सपार नहीं है, उस जमीन में खनिज माइन्स आबंटन कराकर वहां हजारों ट्रकों के रवन्ना बिल, टीपी बनाकर गुजरात भेजा जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हो रही है, जिसका उदाहरण विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री आदर्श लोहिया, श्री अरविन्द राय, श्री हंसकुमार शर्मा ने जांच कर अपने अति. खान निदेशक श्री बी.एस. सोढा को जो रिपोर्ट दी अपने आदेश कमांक अनिखा / जय / SDRY / 2019 /

507-516 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा 49.56 करोड़ की राजस्व हानि होना पाया गया है।

अत: निवेदन है कि सदन में इस पर चर्चा की जाए।

शंकर सिंह रावत

(ब्यावर)

चम्बल लिफ्ट परियोजना से वंचित गांव

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा करौली में पेयजल हेतु चम्बल लिफ्ट परियोजना जो प्रगतिरत है, उसमें कार्य को गति प्रदान कर शेष रहे जिले के बचे हुए गांवों पर राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत चर्चा करवायी जाने का श्रम करें।

सादर।

लाखन सिंह

(करौली)

उच्चैन (नदबई) में गैस एजेंसी के अभाव में परेशानी

महोदय,

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के कस्बा उच्चैन में जहां पंचायत समिति, तहसील, महाविद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं एवं कस्बा उच्चैन से पांच ग्राम पंचायतें - (मुढेरा, अधियारी, खरैरा, गहलरू एवं उच्चैन सटी हुई हैं। जिसके अन्तर्गत करीब 20 गांव- (बरकोली, गिलगिलिया पट्टी, परमानगला, चुरारी, खरका, बंजारानगला, काछीनगला, कुन्दर, हाडोली, पुरा, वसेरी, पिगोरा, गुर्जर कोलोनी, बारह पट्टी) आदि आते हैं, जिनकी आबादी करीब 70 हजार है। जहां कोई भी गैस एजेन्सी नही होने के कारण उपभोक्ताओं को करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर भरतपुर या बयाना जाना पड़ता है। इसलिए आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा आये दिन गैस एजेन्सी खुलवाने को लेकर लोग धरना-प्रदर्शन करते हैं।

अतः उक्त विषय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या सरकार कस्बा उच्चैन में गैस एजेन्सी खोलने का विचार रखती है?

जोगिन्दर सिंह अवाना

(नदबई)

जयसमन्द झील की नहरों के कार्यों में गुणवत्ता

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर जिला उदयपुर में जयसमन्द झील की नहरों के कार्य के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा 147 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। दो वर्षों से नहरों के कार्य चल रहे हैं एवं कार्य की गुणवत्ता भी नहीं है। ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों, अधीक्षण अभियंता उदयपुर, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता सलूम्बर की भूमिका संदिग्ध है। अतः कार्यों को धीमी गति से करवाया जा रहा है जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। जो भी निर्माण कार्य वर्तमान में हुआ है वह भी गुणवत्ता के बिना किया गया है एवं झील से निकलने वाली RMC, LMC नहरों का लेवलीकरण व घाटियों की कटिंग करना था, वह भी नहीं किया गया है एवं नहरों के साइड सर्विस रोड को सही करना था, वह भी नहीं हुआ है।

1. सभी गेटों का रिनोवेशन का कार्य नहीं हुआ है। तुलसी का नामला से भैंसों का नामला के बीच नाली के उपर 2 पुलियों का निर्माण नहीं किया है।
2. जयसमंद झील की पाल पर पेड़ पौधों को हटाना था, वह अभी तक नहीं हटाया है।
3. जयसमंद झील से निकलने वाली मुख्य बड़ी नहरें, मध्यम नहरें, छोटी नहरें, माइनर नहरें, धोरे और छोटे धोरों के सुदृढ़ीकरण के लिये पुराना प्लास्टर तोड़कर नया प्लास्टर करना था। जो भी नहीं किया गया, पुराने प्लास्टर पर ही नया प्लास्टर चढ़ा दिया गया जो कम समय में ही गिर गया एवं इस पर पानी की तराई भी नहीं की गई। नहरों के नीचे के भाग पर गिट्टी व प्लास्टर करना था जो अभी तक नहीं किया गया। जिससे पानी का रिसाव किसानों के खेतों में हो रहा है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है व खेती खराब हो रही है एवं जयसमंद से भबराना तक मुख्य नहर का कार्य नहीं किया गया है। कैनालों के ऊपर सभी पुलियों को चौड़ा करना था एवं नये पुलियों का निर्माण करना था, वह भी नहीं किया गया है एवं बजट के हिसाब से अभी तक 40 प्रतिशत निर्माण किया गया है व 60 प्रतिशत निर्माण बाकी है।

अत: मैं सरकार को विशेष उल्लेख प्रस्ताव से अवगत करवाना चाहता हूं कि ठेकेदारों व अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये जिससे इन कार्यों को समय रहते हुए परिपूर्ण गुणवत्ता के साथ करवाया जाये।

सधन्यवाद।

अमृतलाल मीणा

(सलूम्बर)

मेवात क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों की फिक्स मानदेय पर नियुक्ति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपका ध्यान मेवात क्षेत्र में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर फिक्स मानदेय पर स्थानीय योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करने की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में स्थानीय लोग सरकारी सेवाओं में बहुत ही कम हैं जिससे बाहरी या पड़ोसी जिलों से सरकारी सेवाओं में नियुक्त कर्मचारी एवं अधिकारी समय-समय पर अपने इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण करा लेते हैं जिससे स्कूलों में अध्यापक, लिपिक तथा डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ आदि के पद लगभग आधे से ज्यादा खाली रहते हैं। इसलिए जब तक रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं हों, तब तक विभिन्न विभागों में खाली पदों पर स्थानीय योग्य उम्मीदवारों को फिक्स मानदेय पर लगाया जाये ताकि आमजन के कार्य समय पर हो सकें। पड़ोसी राज्य हरियाणा में पिछड़े क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा यह व्यवस्था है कि संबंधित जिला कलेक्टर फिक्स मानदेय पर योग्य स्थानीय उम्मीदवारों का चयन कर रिक्त पदों पर नियुक्तियां देता है ताकि संबंधित विभाग में पद रिक्त न रहें।

अतः विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर फिक्स मानदेय पर स्थानीय योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करने की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

धन्यवाद।

श्रीमती जाहिदा खान

(कामां)

खाजूवाला की क्षतिग्रस्त नहरों व माइनरों की मरम्मत

महोदय,

खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की नहरों व माइनर की मरम्मत के सम्बन्ध में KLD, KYD, PB, KND, BLD, KHM, KWM, BD, DD, AD, DDU इत्यादि नहरों व माइनर की मरम्मत नहीं होने के कारण इनकी स्थिति दयनीय हो गई है जिस कारण इन्दिरा गांधी नहर से इन नहरों में पानी छोड़ा जाता है, उस वक्त यह नहरें व माइनर कई जगहों से बार-बार टूट जाती हैं। इस कारण किसानों को अपनी बारी का पूरा पानी नहीं मिल पाता है। चूंकि उक्त इन सभी नहरों व माइनरों का निर्माण 1970-75 के मध्य हुआ था। अब निर्माण हुए 40 व 50 वर्ष होने के बाद नहरें व माइनर सभी जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं, टूट चुकी हैं तथा पूरा पानी लेने में सक्षम नहीं हैं। इस कारण वर्षा के समय अधिकतर नहरें टूट जाती हैं तथा किसानों के खेतों में पानी चला जाता है, किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं।

श्रीमान् जी, पिछले काफी वर्षों से उक्त सभी नहरों का रखरखाव व दोबारा पक्का नहीं होने से नहरों की स्थिति दयनीय है। इस कारण से किसानों के खेतों में पूरा पानी नहीं मिलने से किसानों की फसलें पूर्ण रूप से पक नहीं पातीं। इस वजह से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है तथा सौ-सौ किमी तक रखरखाव के लिए बेलदार जैसे कर्मचारी नहीं हैं।

सरकार से मेरा आग्रह है कि उक्त सभी नहरों की मरम्मत व इसका नवीनीकरण किया जाये तथा नहर विभाग में रखरखाव के लिए कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाए तथा नहरों के नवीनीकरण के लिए बजट आबंटन करने का कष्ट करें।

गोविन्द राम

(खाजूवाला)

भगुनगर ग्राम पंचायत (जहाजपुर) में आबादी भूमि पर बने पक्के निर्माण को तोड़ने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

महोदय,

उपरोक्त विषय अंतर्गत मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति जहाजपुर की ग्राम पंचायत भगुनगर के अंतर्गत ग्रामवासियों की शिकायत पर दिनांक 13/2020 को राजकीय भूमि

से अतिक्रमण हटाने हेतु सरपंच, विकास अधिकारी जहाजपुर, उपखंड अधिकारी, जहाजपुर सहित अन्य कार्मिक गये थे। राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के उपरांत इनके द्वारा राजनीतिक द्वेषतापूर्वक सरपंच के इशारे पर आबादी भूमि की खसरा संख्या 110/1 पर स्थित पुश्तैनी वापी पट्टाधारकों यथा भवानी शंकर पुत्र देवीलाल, रामेश्वर पुत्र काशीराम गुर्जर, रामरतन पुत्र चंद्र गुर्जर, नारायण पुत्र कालूलाल दरोगा, भूरी देवी पत्नी काशीराम गुर्जर, शिवराज पुत्र गोवर्धन सिंह, सहोता लाल पुत्र देवी लाल बैरवा, यीशु पिता छोटू सिंह राजपूत, दुर्गा लाल पुत्र नारायण गुर्जर, भेरू पुत्र उगना गुर्जर, मूलचंद पुत्र लादूलाल धाकड़, रामप्रसाद पुत्र कल्याण के पक्के आवासीय निर्माणों को अतिक्रमण के नाम पर अवैधानिक रवैया अख्तियार करते हुए तोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप जीवन भर की कमाई को तिनके की तरह टूटते हुए देखने से उक्त विक्रय विलेख पत्रधारी अवसाद की स्थिति में खुले आसमान के नीचे जीवनयापन करने को मजबूर हैं।

अतः मेरा आग्रह है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए उक्त खसरा नंबर 110/1 पर से पुश्तैनी वापी पट्टाधारियों के पक्के निर्माण तोड़ने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने एवं इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में सम्मिलित कराए जाने का श्रम कराएं।

गोपी चन्द मीणा

(जहाजपुर)

डिग्गी के श्री कल्याण जी मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की उप तहसील एवं धर्म नगरी डिग्गी में श्री कल्याण जी का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। यह आस-पास एवं प्रदेश के धर्म प्रेमी एवं भक्तजनों की श्रद्धा का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहां विदेशी पर्यटकों का भी आना-जाना लगा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मन्दिर के सौंदर्य को बढ़ाने और डिग्गी की आन्तरिक सड़कों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने और मार्गों पर वृक्षारोपण एवं पौधारोपण करवाने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 56 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर विकास कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया था। स्वीकृत विकास कार्यों में से लगभग 29.14

करोड़ का कार्य पूरा किया जा चुका था जिसे वर्तमान सरकार द्वारा कार्य पूर्ण होने से पहले ही बजट के अभाव का बहाना कर बन्द करवा दिया गया है। जब पूर्ववर्ती सरकार उक्त कार्य के लिए 56 करोड़ रुपयों का बजट स्वीकृत कर चुकी है तो पहले ही स्वीकृत शुदा कार्यों को पूरा क्यों नही करवाया गया और स्वीकृत बजट को कहाँ खर्च किया गया? सरकार द्वारा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, उस राशि को लक्षित उद्देश्य की पूर्ति में खर्च करने के स्थान पर अन्य कार्यों में क्यों खर्च किया गया? जबकि उपरोक्त कार्य पूर्ण करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक था।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि श्री कल्याण मन्दिर के विकास कार्य और डिग्गी के आन्तरिक सड़कों एवं बाह्य लिंक रोडों को जोड़ने के कार्य का बजट पुनः उपलब्ध करवाकर विकास कार्य को पुनः प्रारम्भ करवाने की कृपा करें ताकि उपरोक्त विकास कार्य समय पर पूर्ण हो और सरकार के लक्ष्य की अविलम्ब पूर्ति हो सके।

कन्हैयालाल

(मालपुरा)

बारां शहर में आउटडोर एवं इनडोर स्टेडियम का निर्माण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि बारां शहर में खेल प्रतिभाओं के लिए इनडोर और आउटडोर गेम्स और आधुनिक सुविधाओं से युक्त कोई स्टेडियम नहीं है। इस कारण बारां जिले की बहुत कम प्रतिभाएं ही शिखर तक पहुंच पाती हैं। बारां जिले को जिला बने एक लंबा वक्त हो गया है लेकिन अभी तक भी खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल स्टेडियम बनने का इंतजार है। जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है लेकिन वर्तमान में अगर प्रतिस्पर्धा में रहना है तो अत्याधुनिक खेल उपकरणों व सुविधायुक्त मैदान की आवश्यकता है। प्रतिभाओं को निखारने के लिए पहले से निर्मित बना तरणताल, बास्केटबाल, टेनिस कोर्ट स्टेडियम बदहाल है जिसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहां राज्य स्तरीय तैराक तैयार करने की गरज से करीब एक दशक पूर्व शुरू किए गए प्रयास अब तक धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। तैराकी के प्रति खेल प्रतिभाओं का रुझान बनाने के लिए जिला मुख्यालय पर तरणताल का निर्माण

कराया गया था, जो खस्ताहाल स्थिति में है। बारां शहर मे उच्च स्तरीय खेल स्टेडियम नहीं होने से यहां कोई बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जा सकता है। सुविधाओं के अभाव में कई बार महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में भी परेशानी होती है। बारां शहर के खेल प्रेमी और शहर के निवासी यहां पर जयपुर और कोटा की तर्ज पर आधुनिक स्टेडियम का निर्माण करवाना चाहते हैं जिसमें बैडमिंटन वुडन कोर्ट, लान टेनिस कोर्ट, बास्केटबाल कोर्ट, वालीबाल कोर्ट, फुटबाल मैदान, हाकी मैदान, आधुनिक जिम, 8 लेन का रेसिंग ट्रैक, लाग टेनिस कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट हो।

अतः मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि बारां शहर में इनडोर और आउटडोर गेम्स की सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए।

पानाचन्द मेघवाल

(बारां-अटरू)

जैतारण में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति से शिक्षण व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जैतारण विधान सभा क्षेत्र में कुछ महीनों से शिक्षा विभाग की मनमानी का मामला सामने आया। शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार के नियमों की अनदेखी करते हुए बड़ी संख्या में शिक्षकों को डेपुटेशन पर लगा दिया, जबकि डेपुटेशन पर नियुक्ति पर पूरे राजस्थान में सरकार की तरफ से पाबंदी है। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी, पाली एवं CBEO जैतारण व रायपुर ने शिक्षण व्यवस्था व अन्य अनावश्यक कारण बताकर नियमों की अवहेलना करते हुए डेपुटेशन के आदेश जारी कर दिये जिससे क्षेत्र की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अध्यापकों की कमी के कारण कई विषयों की कक्षाएँ भी नियमित रूप से नहीं हो पा रही हैं जिसकी वजह से स्कूलों में समय पर सिलेबस भी पूरा नहीं हो पा रहा है और विद्यार्थियों को टापिक समझने में काफी परेशानी हो रही है। इसकी वजह से विद्यार्थियों को परीक्षा के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है व आगामी

परीक्षाओं में भी डेपुटेशन की वजह से नुकसान होगा। पढ़ाई नहीं होने की वजह से विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं को लेकर चिंताग्रस्त हैं जिससे उनको मानसिक दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। कक्षाओं में उचित पढ़ाई न होने की वजह से विद्यार्थियों का मनोबल भी घट रहा है। इसकी वजह से परीक्षा के समय उनका आत्म-विश्वास भी कमजोर पड़ता जा रहा है और इसका सीधा असर बच्चों के परीक्षा परिणामों पर भी पड़ेगा।

अतः सरकार डेपुटेशन रद्द कर सभी प्रतिनियुक्त शिक्षकों को अपने मूल स्थान पर भेजकर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के आदेश की पालना सुनिश्चित करवायें एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ विशेष उल्लेख प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है।

सधन्यवाद।

अविनाश

(जैतारण)

राज्य में पाहुआ जाति को एससी/एसटी में आरक्षण

महोदय,

निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान के जिले जालौर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जैसलमेर आदि में रहने वाली पाहुआ जाति किसी भी आरक्षित वर्ग में सम्मिलित नहीं होने के कारण अत्यधिक गरीबी में जीने को मजबूर है। पाहुआ जाति के लोग सारंगी बजाकर उससे प्राप्त होने वाले धन से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनके पास जीवनयापन करने के लिए न तो खेती की जमीनें हैं और न ही कोई सरकारी नौकरियां। गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन जीने को मजबूर पाहुआ जाति का किसी भी आरक्षित वर्ग में नहीं होने के कारण इनको न तो आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है और न ही किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में इस जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना बहुत आवश्यक है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में रहने वाली पाहुआ जाति को एससी/एसटी वर्ग में आरक्षण देने की कृपा करें ताकि इस जाति के लोगों का जीवन बेहतर हो सके।

धन्यवाद।

नारायण सिंह देवल

(रानीवाड़ा)

नोहर के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र नोहर में हजारों काश्तकार ऐसे हैं जिनकी भूमि उनके पूर्वजों के कब्जा काश्त में वर्षों से चली आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, भू-प्रबंध विभाग द्‌वारा सम्वत् 2029 से 2038, सन् 1961-1970 में सैटलमेंट के दौरान राजस्व विभाग को मिसल बन्दोबस्त तैयार की गयी, को सुपुर्द की गयी, में राजकीय भूमि को बिना किसी आबंटन के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सीधे ही वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज कर दिया गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नोहर के 676, तहसील रावतसर क्षेत्र के 998 व तहसील भादरा क्षेत्र के 218 कुल 1882 व्यक्तियों के नाम करीब 7446 हैक्टेयर यानी 29430 बीघा भूमि गैर खातेदारी दर्ज कर दी गयी है। यदि भूमि नियमन किया जाए तो उपनिवेशन क्षेत्र में जिला कमेटी द्‌वारा निर्धारित बाजार दर से नियमन किये जाने का प्रावधान है जो राशि अधिक होने से काश्तकार जमा कराने में असमर्थ है।

अध्यक्ष महोदय, उक्त गैर खातेदारों की समस्या का निराकरण हेतु नियमों में निम्नानुसार संशोधन कर राहत प्रदान की जा सकती है:-

इ.गा.न.प. क्षेत्र में आबंटन नियम-1975 के नियम-21 (क) के तहत भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में आबंटन नियम-13 (क) में संशोधन भू-प्रबंध विभाग लगातार कब्जे में चली आ रही हो तो नियमितीकरण होने पर नियम-17 में निर्धारित आरक्षित दर की कीमत का 10 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत संदाय करने के लिये आबद्ध होगा।

अतः अध्यक्ष महोदय, उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संशोधन से राज्य सरकार को भी आय होने के साथ-साथ गैर खातेदारान की समस्याओं का स्थाई समाधान हो सकेगा।

सादर।

अमित चाचाण

(नोहर)

बाड़मेर शहर में सीवरेज कार्य में अनियमितता

मान्यवर,

निवेदन है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आरयूआईडीपी, टीसीआईएल एवं एनएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा क्रमशः बाड़मेर शहर का भीतरी एरिया, इन्दिरा नगर, इन्दिरा कालोनी एवं कच्ची बस्तियों में सीवरेज लाइन डालने का कार्य किया गया। मान्यवर, उक्त कम्पनियों द्वारा बिना किसी नियमों की पालना किये हुए बहुत ही निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग करते हुए उक्त कार्य किया गया जिसके कारण आज पूरा बाड़मेर शहर गन्दगी से अटा पड़ा है। इन्दिरा नगर, इन्दिरा कालोनी में हौदियों को बीच सड़क में ऊंचाई पर बना दिया जो कि बिलकुल टूट चुकी है, मेन हाल खुले पड़े हैं, सीवरेज लाइन को मैनट्रक लाइन से नहीं जोड़ने के कारण रोजाना सीवरेज का पानी सड़कों पर आ जाता है तथा खुले मेनहोल में आये दिन दुपहिया वाहन अन्दर गिर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कई बार स्थानीय अखबारों में समाचार प्रकाशित हुए हैं। सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा नियमों को ताक में रखकर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया जिसके कारण आज पूरा बाड़मेर शहर भुगत रहा है। कई बार आरयूआईडीपी सहित अन्य अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा किये गये घटिया निर्माण कार्यों की जांच कराकर उक्त सीवरेज के अधूरे कार्य को पूरा कराने का श्रम कराएं।

सादर।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. जनजाति क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

2. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जनजातीय विकास के लिए टाडा, माडा योजना का लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जनजातीय क्षेत्र रामपुर, नारायणपुर, हमीरपुर में आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

4. टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नोन टीएसपी के कार्मिकों को वहां से निकालकर टीएसपी के लोगों को रोजगार देने की कार्ययोजना के संबंध में चर्चा के लिए।
5. जनजाति क्षेत्र के बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने की कार्ययोजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. जनजातीय क्षेत्रों के जल, जंगल, जमीन का मालिक जनजातीय परिवारों का ही रखे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
7. जनजाति क्षेत्रों के सभी विभागों के पदों को भरने की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

8. उदयपुर जनजाति क्षेत्र में इन्जीनियरिंग कालेज खोलकर टीएसपी एरिया के विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. नोन टीएसपी क्षेत्र की युवती द्वारा टीएसपी क्षेत्र में विवाह करने पर टीएसपी का लाभ नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग खोलकर जनजाति वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

11. करौली जिले के जनजातियों की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं का सरलीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा सेमारी झल्लारा पंचायत समितियों में जनजाति के नवीन छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति किसानों के लिए कुएं गहरे एवं नये कुएं खुदवाने तथा बिजली के कनेक्शन जनजाति विभाग द्वारा कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आदिवासी बहुल क्षेत्र में नदी, नालों पर छोटे-छोटे एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर से नदियों के ऊपर पुल निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति विभाग द्वारा नये बालिका/बालक छात्रावास नठारा सर्सिया, काट में खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

17. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के जनजाति बच्चों के लिये छात्रावास निर्माण फरारा पंचायत में करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में जनजाति बहुल गांवों में पीने का पानी, सीमेन्ट की सड़कें बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद क्षेत्र में जनजाति के गांवों में मां-बाड़ी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

20. 40% से ज्यादा जनजाति की आबादी के निवास वाले क्षेत्रों का विशेष विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू):

21. विधान सभा क्षेत्र बगरू में जनजातीय आवासीय छात्रावास खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

22. सहरिया जाति के लोगों को देय सभी लाभ/सुविधाओं की तरह ही भील जाति के लोगों को भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

23. जनजाति बहुल ग्राम नलावता एवं बिजावता में सिंचाई के लिए माडा योजनान्तर्गत लिफ्ट सिंचाई योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. पंचायत समिति इटावा (कोटा) के भीतरी एवं दुर्गम जनजाति बहुल ग्राम नारायणपुर में पहुंचने के लिए सूकरणी नदी पर माडा योजनान्तर्गत पुलिया निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. पंचायत समिति इटावा के जनजाति बहुल ग्राम उम्मेदपुरा (बम्बूलिया कलां) के लिए माडा योजनान्तर्गत एक किलोमीटर सम्पर्क सड़क निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा एवं सुल्तानपुर के जनजाति कृषकों को विद्युत पम्पसैट वितरण एवं कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में विभागीय अकर्मण्यता के संबंध में चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में आश्रम छात्रावास संचालित किये जाने के क्रम में विभागीय अकर्मण्यता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

28. जनजाति क्षेत्र के बाहर रहने वाले जनजाति के लोगों को कृषि विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता देकर कृषि कनेक्शन दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. जनजाति आरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहने वाली अनुसूचित जनजाति की बिखरी आबादी में रहने वाली लोगों के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए बिखरी आबादी में रहने वाले लोगों को भी सड़क, पेयजल, मुख्यमंत्री आवास योजना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं/साधनों को उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

31. गोविन्द गुरु जनजाति सामुदायिक भवनों को फिर से चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. बीपीएल जनजाति कृषकों को विद्युत कनेक्शन पर अनुदान फिर से चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. जनजाति माडा योजना में लोसिग बडगांव में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. जनजाति छात्रावास समिजा व आवासीय विद्यालय गोठडा को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. जनजाति आवासीय विद्यालय गोठडा में छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल):

36. जनजाति छात्रावासों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के जनजाति आवासीय छात्रावासों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

38. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विशेष प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

39. पिण्डवाड़ा तहसील में जनजाति क्षेत्र में एनीकट बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

40. पिण्डवाड़ा तहसील के 51 गांवों के टीएसपी क्षेत्र में जनजाति छात्र-छात्रा के अध्ययन एवं निवास हेतु नये छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश हुड़ला (महवा):

41. विधान सभा क्षेत्र महवा में माडा योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

42. टीएसपी क्षेत्र के प्रशासन व आदिवासियों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

43. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के माडा में चयनित 62 ग्रामों में माडा योजना से विकास कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

44. पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के घाटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत को मगरा विकास योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

45. जनजाति क्षेत्र भलों का गुडा (उदयपुर) में भील बस्ती भेकड़ा से तलका तक सम्पर्क सड़क मय पुलिया के बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्राम वीर धोलिया में जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. उदयपुर जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सभी रिक्त पद भरने की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

48. लोपड़ा (मावली) में जनजाति बालिका छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

49. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा देवा की झोपड़िया ग्राम में एनिकट निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. सररिया जहाजपुर (भीलवाड़ा) में जनजाति बालिका छात्रावास हेतु भूमि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. ग्राम पंचायत गुढ़ा (फतेहपुर) में 70 हजार की जनजाति आबादी में एकलव्य माडल रेजिडेन्शियल आवासीय विद्यालय स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर (भीलवाड़ा) के जनजातीय विद्यालयों में

विकास कार्य हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर (भीलवाड़ा) में सामुदायिक भवन/यात्री प्रतीक्षालय आदि के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

54. टीएसपी क्षेत्र में डूंगरपुर जिले में पुराने कुएं गहरे किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

55. बाड़मेर-जैसलमेर जिले में टाडा-माडा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. मरुस्थलीय क्षेत्र के निवासी, जनजाति के लोगों के विकास हेतु जनजातीय क्षेत्र विकास की सभी योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

57. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग की गरीब कन्याओं के विवाह हेतु अधिकाधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को सरकारी भर्तियों में चल रहे बैकलाग के रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में जनजाति क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

60. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति जसवन्तपुरा के आदिवासी बहुल गांवों में नवीन मांबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति जसवन्तपुरा के आदिवासी बहुल गांवों को जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम मालवाड़ा व जसवन्तपुरा में

अनुसूचित जनजाति वर्ग का छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शनों में अनुसूचित जाति वर्ग की तरह प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

64. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जनजाति आश्रम विद्यालयों मे बालकों को समय पर सुविधा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

65. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के माडा योजना में शामिल गांवों में विकास कार्य स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

66. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में माडा योजनान्तर्गत विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

67. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जहां S.C./S.T. की आबादी अधिक है उन गांवों में जनजातीय क्षेत्रीय विकास के सभी कार्यक्रम संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. जनजाति क्षेत्र सिवाना के गांवों की आबादी क्षेत्रों में सी.सी. सड़क निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. प्रदेश में टाडा-माडा योजना से प्रभावित (योजना संचालित) जिलों की भांति रेगिस्तान में भी विशेष योजना प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. प्रदेश में एस.सी. वर्ग को बिजली कनेक्शन कृषि क्षेत्र में आरक्षण (वरीयता) दी जाती है, वैसे ही एस.टी. वर्ग को भी वरीयता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में घुमक्कड़ जोगी जाति जो अधिकतर समय प्रवास पर रहती है, इनको स्थायी आवास, भूमि आबंटन के लिए विशेष मांग को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

72. भील समाज के लिए आलावा मलीनाथजी के पास सामुदायिक भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

73. भाद्राजून में जनजाति के लिए छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. आहोर में जनजाति के लिए छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र आहोर के भील एवं मीणा समाज को टाडा-माडा की योजना में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र आहोर में एकलव्य योजना के तहत आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

77. जनजाति सलाहकार समिति में क्षेत्रीय विधायक को नहीं रखने एवं समिति की बैठकें आयोजित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वन विहार अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत व सामुदायिक वन पत्र दिये जाने और इन व्यक्तियों को कड़कनाथ मुर्गा खरीदने पर अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में संचालित छात्रावासों में R.O. वाटर, खेल सामग्री व शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में स्थित बालिका विद्यालयों में चार दीवारी, शौचालय, शुद्ध पानी व फर्नीचर की व्यवस्था हेतु संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में प्रस्तावित एनिकटों व सड़कों की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

82. अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में बिखरी आबादी के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

83. पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अधिक विकास कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सभी वर्गों के कर्मचारी एवं अधिकारियों का पृथक कैडर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में संचालित आवासीय विद्यालय तथा छात्रावासों में पोशाक, स्टेशनरी, कोचिंग तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद):

86. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में गुरु गोविन्द सामुदायिक भवनों की स्वीकृति निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

87. विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत जनजातीय विद्यार्थियों हेतु आवासीय छात्रावास खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

88. बून्दी शहर में बून्दी के संस्थापक महाराजा बूंदा सिंह मीणा (जनजाति) के स्मारक की घोषणा होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन व रामगंज मण्डी में माडा योजना एवं बिखरी जनजाति के उत्थान एवं पूर्व में किये गये विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

90. प्रदेश में स्थित जनजाति की वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में राजकीय नौकरी एवं विकास बजट में बड़ी हुई जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन व रामगंज मण्डी में माडा योजना में सम्मिलित ग्रामों के विकास कार्यों में अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित जनजाति बहुल क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

93. जनजाति बहुल क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित छात्रावासों की स्थिति (शैक्षिक, भौतिक) को सुधारने हेतु जनजाति विकास बोर्ड की भूमिका के संबंध में चर्चा के लिए।

95. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. जनजाति बहुल क्षेत्रों में बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. जनजाति बहुल क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

98. जालौर जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन की अलग प्राथमिकता सूची निर्धारित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

99. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ में नायक/भील को ST के जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के धानका जाति के व्यक्तियों के ST में जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जनजाति छात्रावास के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

102. जनजाति क्षेत्र के वन क्षेत्र में सामाजिक सुविधाओं के स्थानों के पट्टे नहीं मिलने से हो रही असुविधा के संबंध में चर्चा के लिए।

103. जनजाति क्षेत्रों में चलने वाले आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में अपूर्ण/अधूरी व्यवस्थाओं के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. जनजाति क्षेत्रीय विकास में प्रतिवर्ष आबंटित बजट का समुचित उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. जनजाति क्षेत्र में प्रदेश के विभिन्न विभागों में अत्यधिक रिक्त पदों के कारण वहां की जनता को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. जनजाति क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी हेतु सागवाड़ा एवं उदयपुर में प्रारम्भ होने वाले कोचिंग सेन्टरों का संचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

107. प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में मानवीय रहन-सहन विकास के स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. प्रदेश में आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज, इतिहास व रहन-सहन की पहचान को बचाने के लिए आदिवासी बहुल जिलों में उनकी कला, सांस्कृतिक केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

109. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में टाडा-माडा की राशि में वृद्धि के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

110. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 11 जातियों में समानुपातिक रूप से आरक्षण दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर, गंगानगर में पाई जाने वाली भील जनजाति के विकास एवं संवर्धन हेतु विशेष योजना का क्रियान्वयन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

112. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आदिवासी भील जनजाति की छात्राओं के अध्ययन हेतु छात्रावास की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

113. पश्चिमी राजस्थान में भील जनजाति द्वारा वाचित “पाबूजी की फड़” के संवर्धन एवं संरक्षण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

114. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ जनजाति क्षेत्र में विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

115. वनाधिकार के तहत 34000 से अधिक खारिज दावों को वापस लेकर स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. आदिवासी क्षेत्रों में सभी ब्लाक स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. प्री मैट्रिक, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों का समय पर भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी पूंजीपतियों को खानें आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. जनजातीय क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों एवं खेल आवासीय विद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

120. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में अनुसूचित जनजाति की बिखरी हुई आबादी के लिए अलग-अलग आश्रम छात्रावासों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. अनुसूचित जनजाति के वन क्षेत्रों स्थित मोहल्लों व फलों में दूर-दूर तक स्थित आवासों तक बिजली व पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. अनुसूचित जनजातियों के लिए अब तक चल रही उत्थान व विकास के लिये योजनाओं की सफलता की दृष्टि से प्रगति का मूल्यांकन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. अनुसूचित जनजातियों के आवासीय क्षेत्र से होने वाली वन उपज पर सम्पूर्ण अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. अनुसूचित जनजातियों के छात्र-छात्राओं की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में वर्तमान में बढ़ रही महंगाई की पृष्ठभूमि के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

125. जनजाति बंधुओं को लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. वनवासी क्षेत्रों में वनवासी आवासीय विद्यालय अधिक संख्या में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. जनजाति बंधुओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. वनवासी महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तीकरण के लिए कानून एवं योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

130. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. प्रदेश में जनजातीय विकास हेतु जनजागरण अभियान प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में एकलव्य माडल जनजाति स्कूल खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

135. ग्राम पंचायत बलिचा में रूके हुए विकास कार्य को शुरू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33 **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. मूक-बधिर छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक भ्रमण शुरू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए कैम्प लगवाये जाकर प्रशिक्षण दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

3. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में देवनारायण योजना के तहत बबेडी, देवमन, नारायणपुर में आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में दिव्यांगों को स्कूटी देने तथा तहसील स्तर पर अंग प्रत्यारोपण कैम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

5. दिव्यांगों को समय के अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स तीन-पहिया वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा में 4 बीघा नहरी व 8 बीघा बारानी जमीन की शर्तें नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. दिव्यांगों को विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पृथक से व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

8. सामाजिक सुरक्षा व कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए संविदा प्रथा समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों को

स्थायी आधार पर नियमित नियुक्तियां प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

9. दिव्यांग, परित्यक्ता, विधवा एवं वृद्धजन की पेंशन भुगतान में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

10. आवासीय विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

11. बालिका छात्रावासों में CCTV कैमरे लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

12. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पालनहार योजना के पात्र लोगों को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाली संस्थाओं को पूरा साल खतम हो जाने पर भी संस्थाओं को भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में चल रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजना के लिये भरे हुए आवेदन पत्रों (FORMS) पर कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में रह रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर एवं अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू):

16. विधान सभा क्षेत्र बगरू में अम्बेडकर छात्रावास खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

17. पालनहार योजना की राशि रुपये 2500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. घूमन्तु व विमुक्त परिवारों के नाबालिग बच्चों को भी पालनहार योजना का लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. अनुप्रति योजना का लाभ RJS सर्विसेज हेतु कोचिंग व सलेक्शन पर प्रोत्साहन हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

20. कोटा जिले के इटावा व सुल्तानपुर एकीकृत बाल विकास परियोजना क्षेत्र में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत भवन निर्माण कराने के लिए विभागीय प्रयासों की उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्रामों में संचालित मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण केन्द्र बनाने एवं 500 तक की आबादी वाले ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

22. पंचायत समिति इटावा (कोटा) में विगत 5 वर्षों से पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के प्रचार-प्रसार एवं लाभान्वित करवाने में बरती जा रही कोताही पर चर्चा के लिये।

23. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित SC/ST बालिका छात्रावास गांधीनगर, जयपुर की स्वीकृत क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण), नियम 1995 के तहत द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर पीड़ितों को राहत राशि दिये जाने में कोटा एवं बून्दी जिले में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

25. प्रदेश के लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार की योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

26. समाज में ऊंच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

27. पालनहार योजना में समय पर भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. वृद्धावस्था पेंशन का समय पर भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. पंचायत समिति सायरा तथा फरदा में छात्रावास खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा व जयसमंद में दिव्यांग छात्र-छात्राएं, दिव्यांग जन व्यक्तियों को ट्राई साइकिल व स्वचालित मोटर साइकिल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के दिव्यांगों हेतु नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में निवासरत विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध महिलाओं को अधिक पेंशन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा व जयसमन्द में पंचायत समिति मुख्यालय पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के लिये कार्यालय भवन एवं समस्त स्टाफ लेखाकार सहित पदों को सृजित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में रहने वाले निराश्रित, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

35. विधान सभा क्षेत्र निवाई में हुए "गाता प्रकरण" दलित महिला का शव नहीं जलाने देने के मामले में हुई कार्यवाही में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

36. पिण्डवाड़ा-आबू में जनजाति क्षेत्र में छोटे-छोटे पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

37. तहसील सेड़वा में समाज कल्याण छात्रावास खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

38. TSP क्षेत्र में भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

39. पालनहार योजना में एड्स रोगी की भांति गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, किडनी एवं लीवर ट्रांसप्लान्ट के प्रतीक्षारत मरीज एवं जिनका इलाज हो चुका है, ऐसे मरीज एवं ऐसी असाध्य बीमारियां जिससे व्यक्ति आजीवन कमाने योग्य नहीं है, उन्हें भी जोड़कर लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. नवजीवन योजना के अन्तर्गत आने वाली जातियों के आई.टी.आई., पोलीटेक्निक कालेज एवं महाविद्यालयी शिक्षा के इच्छुक छात्र-छात्राओं को इस योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. पाली शहर में अनाथ बच्चों के लालन-पालन की इच्छुक समाजसेवी संस्थाएं तथा सेवा समिति पाली को लवकुश आश्रम संचालित करने की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

42. नवजीवन योजना में आने वाली जातियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने हेतु निजी विद्यालयों से पूर्व की भांति योजना के अंतर्गत शिक्षा देने एवं प्रवेश हेतु वर्तमान में लागू शर्त की बजाय पूर्व की भांति ही बालक शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने एवं इनमें प्रवेश नहीं मिलने की स्थिति में ही नवजीवन योजना के अन्तर्गत प्रवेश दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. नवजीवन योजना अंतर्गत इच्छुक युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से कौशल शिक्षा देने एवं कौशल शिक्षा देने हेतु स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों को ही केन्द्र आबंटित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

44. समाज कल्याण छात्रावासों में और सुविधा दिलवाने के लिए विशेष बजट आबंटित कर जनजाति के बालकों को और सर्वसमाज को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

45. प्रदेश में दलित आदिवासियों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

46. वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन व पालनहार योजना को सुचारु रूप से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

47. वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन समय पर दिलाये जाने एवं पेंशन राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे करवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का अधिकार, आवास, सुरक्षा, रोजगार, पेंशन एवं मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. महिला सुरक्षा एवं बाल कल्याण के प्रति समाज में जागृति लाने के लिये प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण के लिए SC, ST एवं OBC सहित सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा नवीन जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

52. प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं भिखारियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. कुष्ठ एवं एड्स रोगियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. लंबित विभिन्न प्रकार की पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान समय पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

55. धौलपुर जिले में SC, ST और OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति शीघ्र दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

56. राजस्थान रोडवेज में दिव्यांगों को प्रदेश की सीमा के बाहर भी रियायती दर पर यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

58. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) कल्याण हेतु महती योजनाओं को शीघ्र संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में SC/ST के छात्रावासों के संचालन व अतिरिक्त छात्रावास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के प्रत्येक गांव में अम्बेडकर सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के SC व ST कल्याण हेतु अनेक मोहल्लों में व्याप्त सुविधाओं में कमी के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के SC-ST के लोगों पर होने वाले उत्पीड़नों को रोकने व त्वरित न्याय के लिए ग्रामीण न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

63. प्रदेश के अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बालिकाओं को शुभशक्ति योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नये हैण्डपम्प/ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

65. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में ग्रामीण न्यायालय का नया भवन निर्माण कराने व सामाजिक न्याय विभाग में पर्याप्त स्टाफ लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

66. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा गांधी नगर, जयपुर में संचालित बालिका छात्रावास की स्वीकृत क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्वीकृत/निर्मित अजा/अजजा के छात्रावास जो वर्तमान में अन्य वर्गों के लिए संचालित किये जा रहे हैं, जिन्हें SC/ST के वर्ग के लिए संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

68. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित लोगों के खाते बैंकों में ऑनलाइन होने के कारण कई लोगों के खाते कृषि ऋण से N.P.A. है। उन सभी की पेंशन राशि उन्हीं खातों में जमा हो रही है जिससे गरीबों को पेंशन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. बाड़मेर जिले में सामाजिक कल्याण विभाग से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की राशि समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. सहयोग एवं उपहार योजना में अब तक बाड़मेर जिले में कितने लोगों को राहत मिली है एवं इस योजना में शहीद परिवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदाकर्मी परिवार, कुक कम हैल्पर परिवार की बच्चियों को भी जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों का स्थाईकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जनजाति छात्रों हेतु नव निर्मित आवासीय विद्यालय जेतेश्वर धाम, सिणधरी को नये सत्र से प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना):

73. जावर, घाटोली, चुरेलिया में ST एवं SC छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

74. सामाजिक सरोकार की योजनाओं में और विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

75. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में दिव्यांग बालक-बालिकाओं को

ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाने व अन्य सुविधा उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

76. जिला डूंगरपुर में मूक-बधिर बालक-बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिलने तथा मूक-बधिर व दृष्टिहीन बालक-बालिकाओं के छात्रावास में हो रही अनियमितता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पेंशन धारक, पालनहार, कन्या विवाह सहायता व समस्त योजना के लंबित आवेदनों पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

78. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु की पात्र महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत रखे गये रसोई सह सहायकों का मानदेय 1320 रुपये मासिक से बढ़ाकर 5 हजार रुपये मासिक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

80. समाज कल्याण छात्रावासों की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

81. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अनुसूचित जाति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा इनके लिये संचालित विभिन्न योजनाओं में अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की अनुसूचित जाति की कालोनियों एवं गांवों में विद्युत लाइनें (11 के.वी.) को हटाने तथा सभा भवन/सामुदायिक/अम्बेडकर भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में संचालित छात्रावासों में व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण छात्रावासों में छात्रों को हो रही असुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगन सिंह (आहोर):

84. विधान सभा क्षेत्र आहोर में दिव्यांगों को राज्य सरकार द्वारा स्कूटी की वितरण व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र आहोर में पालनहार पेंशन दी जाती है लेकिन जो पालनहार पेंशनधारी है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, के संबंध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र आहोर में लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. खाद्यान्न सुरक्षा में सभी परिवारों को जोड़ना जो प्रार्थी अपील करें, के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

88. जयपुर में एमबीसी वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

89. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने हेतु पंचायती राज विभाग को निर्देशित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु प्रचार-प्रसार एवं क्षेत्रों की समस्याओं के निदान हेतु एक सेल की स्थापना करने पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित सभी राजकीय विद्यालयों व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की सभी योजनाओं को पाठ्यक्रम में जोड़कर प्रचार-प्रसार करने पर चर्चा के लिये।

92. जनता के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित जन हित में कल्याण की सभी योजनाओं को समय-सीमा में लागू करने पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

93. विधान सभा क्षेत्र चूरू के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के छात्राओं-छात्रों को भौतिक संसाधनों की उपलब्धता कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र चूरू के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के जीर्णोद्धार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

95. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के लूणकरणसर और नापासर कस्बे में अम्बेडकर भवन निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. पालनहार योजना में राशि की बढ़ोतरी की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधवा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में विभिन्न प्रकार के लंबित पेंशन प्रकरणों में पेंशन धारियों को पेंशन शीघ्र दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

100. जालौर जिला मुख्यालय पर विशेष योग्यजन/दिव्यांग जन के लिए विशेष महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र जालौर में अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों/छात्राओं के लिए छात्रावासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. दिव्यांग व्यक्तियों को विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में से ट्राई साइकिल अथवा स्कूटी दिये जाने की अनुमति निश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्राथमिक स्तर से शोधार्थी स्तर तक देय छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

104. प्रदेश में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

105. नोखा में श्री तिलोक मेघवंशी अनुदानित छात्रावास एवं अम्बेडकर छात्रावास में सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में 8 बीघा बारानी जमीन की शर्त हटाने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

107. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षकों के पद रिक्त होने से प्रदेश के छात्रावासों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के परीक्षा परिणाम विभाग की लापरवाही के कारण अच्छे नहीं रहने से प्रतिभावान छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने पर चर्चा के लिये।

109. प्रदेश में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होने से बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. प्रदेश में कई पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा पेंशन प्राप्त करने की योग्यता रखने के उपरान्त भी उनके पेंशन प्रकरण निस्तारित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

111. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण संबंधी कार्यों की देखरेख हेतु श्रम कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

113. छात्र-छात्राओं के हितों एवं छात्रवृत्ति पर चर्चा के लिये।

114. सामूहिक विवाह पर अनुदान आदि पर चर्चा के लिये।

115. सामाजिक सुरक्षा की पेंशनों आदि पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

116. 55 साल की उम्र के बाद 5000/- रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. सामाजिक कल्याण के तहत वृद्धावस्था व विधवा पेंशन समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. खाद्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से जोड़ने व उत्पन्न भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

119. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नया छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. प्रदेश में वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. प्रदेश में SC/ST की कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

122. प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

123. प्रदेश में SC, ST एवं OBC की अन्य प्रदेशों से शादी कर आई युवतियों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ST/SC के कल्याण की योजनाओं का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

125. प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की जमीन सामान्य को नहीं बेचने के प्रावधान से उन्हें वाजिब मूल्य नहीं मिलने से हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

126. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र के अरांई उपखण्ड में स्थित भवन में अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों की सीटों में 25 से 50 तक की वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

128. अनुसूचित जातियों के लिये अब तक चल रही उत्थान व विकास के कार्यक्रमों की सफलता की दृष्टि से प्रगति के मूल्यांकन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. प्रदेश में गाड़िया लुहारों एवं घुमन्तु वर्ग के लोगों को स्थायी आवास आवंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

130. प्रदेश में घुमन्तु जातियों में सम्मिलित गाड़िया लुहारों के परम्परागत व्यवसाय में प्रोत्साहन हेतु योजना बनाने पर चर्चा के लिये।

131. भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिये दो छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. अनुसूचित जातियों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में वर्तमान में बढ़ी हुई महंगाई की पृष्ठभूमि में बढ़ोतरी पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

133. सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विभिन्न वर्गों को देय पेंशन का समय पर भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत संचालित सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए नई योजनाएं लागू करके गरीब, दिव्यांग व वृद्धजनों को राहत एवं संबल प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत देय विभिन्न श्रेणी की पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की भावना आमजन में जागृत करने के लिए जनजागृति कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

138. प्रदेश के दिव्यांगों एवं वृद्धजन को पेंशन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

139. प्रदेश की महिलाओं को आत्म सुरक्षा हेतु कैम्प लगवाये जाकर प्रशिक्षण दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के दिव्यांगों को कैम्प लगाकर प्रमाण पत्र देने के संबंध में चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के दिव्यांगों को स्कूटी देने व तहसील स्तर पर अंग प्रत्यारोपण हेतु कैम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

142. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

143. प्रदेश में SC/ST के उत्पीड़न को रोकने, उनके मान-सम्मान व अधिकारों की रक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

144. प्रदेश में हो रहे बालश्रम व बाल तस्करी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

145. अवयस्क बालक-बालिकाओं के अधिकारों, सम्मान एवं सुरक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

146. महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

147. प्रदेश में SC/ST के लोगों के उत्पीड़न को रोकने व उनके मान-सम्मान व अधिकारों की रक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

148. प्रदेश में हो रहे बाल श्रम व बाल तस्करी के संबंध में चर्चा के लिये।

149. प्रदेश की महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के बी.पी.एल., दिव्यांग, महिलाओं एवं वृद्धजनों हेतु चल रही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

151. राज्य में विधवा औरतों एवं 50 वर्ष की उम्र पर पेंशन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

152. 18 से 54 वर्ष की विधवाओं के पेंशन में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. 60 वर्ष के बाद किसानों को पेंशन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

154. बानसूर में पेंशन से वंचित विधवा, वृद्ध तथा वृद्ध किसानों को पेंशन जल्दी से जल्दी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. बानसूर में वंचित पेंशन धारियों का सर्वे करवाकर पेंशन से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

156. प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन 5000/- प्रतिमाह करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

157. प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रुपये पांच हजार प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. वृद्धावस्था पेंशन की तरह बिना किसी अंशदान के 60 साल से ऊपर के किसानों को रुपये पांच हजार प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. प्रदेश में कार्यरत लगभग 2 लाख आंगनबाड़ी मानदेय कर्मचारियों को भी मानदेय सेवा पूर्ण करने के उपरान्त प्रतिमाह रुपये चार हजार पेंशन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

160. राजसमंद जिले में वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन एवं छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने एवं पालनहार योजना के वर्ष भर से लंबित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

161. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के बुजुर्ग पेंशन योजना बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

162. प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. प्रदेश में विधवा पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

164. प्रदेश में स्थित निजी उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों व उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों को पेंशन लाभ दिये जाने पर चर्चा के लिये।